खण्ड-455, अंक-8
सोमवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1927
(8 अगस्त, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2005)

खण्ड 455 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
आज की कार्यसूची की मद संख्या-31, कानून व्यवस्था पर चर्चा को पहले लिये जाने की मांग	1-5
निधन के निर्देश और मुख्य मंत्री के वक्तव्य के उपरान्त मद संख्या-31 कानून व्यवस्था पर जारी चर्चा को पहले लिये जाने विषयक प्रस्ताव..... (स्वीकृत)	6
प्रश्नोत्तर	7-54
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री श्याम लाल यादव और श्री मुंशी लाल के निधन पर शोकोद्गार	54-55
उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि0 की चीनी मिलों के निजीकरण/लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... (जारी) ...	55-59
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव.....(जारी)	59-60
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की चीनी मिलों को निजीकरण/लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	60-64
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की घाटे की चीनी मिलों को चलाने के सम्बन्ध में निजीकरण का प्रस्ताव..... (जारी) ...	64-67
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव.....(स्वीकृत)... ...	67
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की घाटे की चीनी मिलों को चलाने के सम्बन्ध में निजीकरण का प्रस्ताव..... (स्वीकृत) ...	67-69
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 2005 .....(पुर:स्थापित) ...	70
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, श्री हुकुम सिंह, प्रमोद कुमार तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2005 को दी गयी सूचनाओं पर जारी चर्चा..... (जारी)	70-80
बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जारी चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव..... (स्वीकृत)	81
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल श्री हुकुम सिंह, प्रमोद कुमार तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2005 को दी गई सूचनाओं पर जारी चर्चा.....(जारी)	81-87
मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय सम्बन्धी पूर्व सत्रों में पारित विधेयकों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी	88

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, श्री हुकुम सिंह, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2005 को दी गयी सूचनाओं पर जारी चर्चा	89-113
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन का कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	113-114
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-626/ग्यारह-9(24)/96-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (II) 2005, दिनांक 24 फरवरी, 2005.....(सदन के पटल पर रखी गयी) ...	114
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-729/ग्यारह-9-(37)/97 उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (12)-2005, दिनांक 7 मार्च, 2005 .....(सदन के पटल पर रखी गयी) ...	114
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-730/ग्यारह-9-(37)/97 उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (13)-2005, दिनांक 7 मार्च, 2005 .....(सदन के पटल पर रखी गयी) ...	114
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-1534/ग्यारह-523/2001 उ0 प्र0 अधि0-15-48 नियम 1948-2005, (26), दिनांक 17 मई, 2005 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	115
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-1627/ग्यारह-9(38)/03 उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश (29)-2005, दिनांक 30 मई, 2005 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	115
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-1628/ग्यारह-9-(38)/03 उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश (30)-2005 दिनांक 30 मई, 2005 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	115
उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियमावली, 2004 एवं नियमावली शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ...	115
राज नारायण सक्सेना व अन्य के परिवाद संख्या 797-2000 (कानपुर) में लो0 आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-02-2001/29 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या 01-2002 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण-ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	116
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	116
उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्य-पाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116-117
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का उन्नीसवां प्रतिवेदन.....(प्रस्तुत किया गया)	117
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का बीसवां प्रतिवेदन.....(प्रस्तुत किया गया)	117
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का इक्कीसवां प्रतिवेदन.....(प्रस्तुत किया गया)	117
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में मलौना घाट व बरगदहवा घाट पर आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहर्रम अली आदि की हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गयी)	117
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में करनैल गंज कटरा रोड पर धोबियन पुरवा से सेल्हरी मण्डप होते हुए खेमपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशफाक खां आदि की हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गयी)	118
लखनऊ के मोती झील जलाशय को संरक्षित करने एवं सौन्दर्यीकरण लखनऊ विकास प्रेाधिकरण से कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गयी) ...	118
लखनऊ के मोती झील कालोनी से चिरैधापुरवा आदि घनी बस्ती में स्थित पशु-बधशाला को समाप्त कर भमरौली गाँव में बन रहे कार्कस यूटिलाइजेशन प्लाण्ट को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गयी) ...	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बरेली के ब्लाक बीथी चैनपुर के ग्राम परसौना में नहर की पिचिंग एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनवार हुसैन आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी) ...	118
जनपद खीरी के अन्तर्गत तहसील गोला ब्लाक बिजुआ के अन्तर्गत रामालक्षना के मध्य रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम रतन सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गयी)	119
लखनऊ की गुटखा कम्पनी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रकरण ...	119
विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के दूसरे गुरुवार दि0 3 मार्च, 2005 को निर्धारित श्री श्याम देव राय चौधरी के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या 44(1) के अन्तर्गत कृषि-मंत्री का शोधन वक्तव्य	119-121
विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम गुरुवार दि0 4 दिसम्बर, 2003 के लिए निर्धारित श्री उदय राज यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री घूराराम द्वारा निदेश संख्या 165 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में संशोधित उत्तर एवं निदेश संख्या 166(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना ...	122-123
महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज, कानपुर विश्वविद्यालय तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिए विधान-सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	123-124
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	124-125
मनकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोतीझील फीडर के विद्युत तार मनकापुर बाजार के विद्युत तार बदलवाने एवं झिलाही बाजार के आस-पास विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत मंदपुर गैड़ास बुजुर्ग सादुल्लानगर मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद कानपुर के ब्लाक शिवराजपुर के ग्राम घिमऊ स्थित सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री शिव बरन सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला अतरैहरा, जिला रायबरेली की जेल जाने से हुई सेवा समाप्ति तथा जेल से लौटने के बाद पुन: नियुक्ति से उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यों की जाँच कराने एवं शासकीय धन की वापसी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
महिला कल्याण निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
शाहजहांपुर नगर के कतिपय नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04 में समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित गांवों की सड़कों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
जनपद बलिया के ग्राम नरही, तहसील रसड़ा में एक शिक्षा माफिया द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
कानपुर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियन्त्रित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का कार्य एवं माइनरों एवं ड्रेनों की सफाई के कार्य विधायक निधि से कराने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद रायबरेली के अलीगंज सिरौली मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
आजमगढ़ शहर क्षेत्रान्तर्गत बिजली की भारी कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130-131
राजधानी लखनऊ में पेयजल के गम्भीर संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
नगर निगम कानपुर द्वारा वर्ष 1997-98 में कराये गये डिवाइडर के कार्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
कानपुर महानगर में बढ़त हुए आपराधिक घटनाओं से व्याप्त आतंक से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
लखीमपुर के निधासन क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05 में समग्र विकास योजना के तहत चयनित 30 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	133

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल विभाग के निदेशक द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अनतर्गत सूचना	133-134
विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत फरुंखाबाद चिल्लावां आजाद नगर में नाली/सीवर खड़न्जा स्ट्रीट लाइट न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134
मुरादाबाद के वहजोई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर मालिनी में चार लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सरांयमीर में एक 33/11 के0 वी0 ए0 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135
कान्सटेबिल नागरिक पुलिस (पुरुष) की भर्ती 2005 में हुई अनियमितता पक्षपात, धांधली, भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	135
जनपद मेरठ में पुलिस विभाग एवं अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण हेतु 2005-2006 में सामान, शस्त्र उपकरण आदि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद सहारनपुर में सींचपाल पद हेतु अनुसूचित जाति की भर्ती का परिणाम न घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136-137
जनपद लखनऊ अन्तर्गत थाना ठाकुरगंज जनरैल गंज में श्री पच्चों पुत्र स्व0 मुन्नी लाल व अन्य के घर में घुसकर मारपीट एवं लूटपाट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	137
विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में मण्डलेश्वर ड्रेन एवं खुण्डनपुर ड्रेन के रुके हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
अम्बेदकर नगर अन्तर्गत टाण्डा में नेशनल थर्मल प्रोजेक्ट (एन0 टी0 पी0 सी0) द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर अन्तर्गत कन्या डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138

विषय	पृष्ठ-संख्या
चिकित्सा अनुभाग-7 के अनुभाग अधिकारी एवं सहयोगियों द्वारा भारी पैमाने पर किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं लूटपाट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139
डा0 बाल चन्द्र यादव सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी सन्त कबीर नगर के सैन्य सेवा की पेंशन हेतु अहंकारी सेवा रूप से गणना न होने से हो रही क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	139-140
जनपद बलिया में तैनात सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को अन्यत्र हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	140
विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत श्री राम निषाद की भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	141
उ0 प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 1968/नौ-6-2004, दिनांक 13 अगस्त, 2004 के अनुसार मनोनीत सभासदों को दो सौ रुपये यात्रा-भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	141
...	
उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	142
बस्ती के रामनगर ब्लाक स्थित भुनगा देवी बालिका उ0 मा0 विद्यालय, कलन्दर नगर, बस्ती को मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	142
सुल्तानपुर के सदर तहसील में स्थित पी0 आर0 इण्टर कालेज, सेमरी सुल्तानपुर में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली एवं अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	143
गाजियाबाद के धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्राम सीकरी कलां को शहीद ग्राम घोषित कर विकास किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	143
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत धोरहरा से रोहनियां क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	144
जनपद प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराने के	144

विषय	पृष्ठ-संख्या
अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत कतिपय रजबाहों के पुलों का निर्माण एवं नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	145
जनपद बांदा के बाढ़ पीड़ितों के साथ की गयी धांधली एवं कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	145
वाराणसी शहर दक्षिणी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	145-146
जनपद बाराबंकी की कतिपय ग्रामों की कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् मुआवजे से वंचित किसानों को भी मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	146
चीनी मिल कप्तानगंज-कुशीनगर द्वारा किसानों को वर्ष 2002-03, 2003-04 के गन्ना मूल्य डिफर को भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	146
दि किसान सहकारी मिल सठियांव, आजमगढ़ में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	147
उन्नाव के हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर खजड़ी में इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प को निर्धारित स्थान पर लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	147
कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में फसलों को पाईरिया कीटाणु से बचाने के लिए गन्ने एवं धान की फसल में हवाई मार्ग से छिड़काव करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	148
जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	148
नगर निगम लखनऊ द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 के पास से पंचम खेड़ा तक डामरीकरण सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	148-149
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर, मुफ्तीगंज में सिंचाई हेतु कम गहराई वाले ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	149
उ0 प्र0 भू-गर्भ जल विभाग के खण्ड डी0पी0ए0पी0 इलाहाबाद एवं खण्ड-2, फैजाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच	149

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जालौन की तहसील कालपी की मगरौल न्याय पंचायत के बहुवा पट्टी के ग्रामों में पट्टाधारकों की भूमि भू-माफियाओं को स्थानान्तरित किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	150
आजमगढ़ के टाउन एरिया लालगंज के व्यापारियों के कामर्शियल विद्युत कनेक्शन हटवा कर घरेलू कनेक्शन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	150
गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	150-151
निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के दो अधिकारियों द्वारा कथित धोखा-धड़ी की जांच कराकर शासकीय धन की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	151-152
हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत गोंसगंज मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग के किमी0-02 कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराने एवं शेष बचे खड़न्जे स्तर के पांचों किमी0 का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	152
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक गढ़ सिम्भावली व हापुड़ में निर्माण की गयी सी0 सी0 के बनाने में की गई अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	152
गाजियाबाद में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोशिएशन के 700 प्राइवेट चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	153
जनपद खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	153
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-खण्ड आवंटन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	153-154
निदेशक, होम्योपैथी उ0 प्र0 द्वारा किये गये कथित धन गबन की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	154
सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में कल्याणपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम कुशीपारी तक कच्चे रोड को पक्के लेपन स्तर तथा पेटेन्ट रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	154

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर बस्ती, महराजगंज, बहराइच एवं बुलन्दशहर में बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद समायोजित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	155
फैजाबाद पालीटेक्निक (राजकीय) में कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग तथा इन्फारमेशन टेक्नालाजी का शिक्षक न होने एवं प्रयोगशाला न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	155
लखनऊ विकास प्राधिकरण में भू-खण्ड आवंटन में अपंजीकृत लोगों को (स्वार्थवश) आवंटन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	156
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	156-157
नियम 311 को नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	157-158
महात्मा ज्योतिवा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहूजी महराज, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव .....(स्वीकृत)	158-159
भारत के स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन के इतिहास में चौकीदार चपाती आन्दोलन के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल रावत द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	159
उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	159-160
प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष किये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन...	160
प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट किये जाने की पुष्टि होने पर हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूली कर उन्हें दिलाये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन	160

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	160-165
वाराणसी स्थित काशी विश्वविद्यालय मन्दिर तथा मस्जिद की सुरक्षा के नाम पर दर्शनार्थियों से अनुचित व्यवहार आदि के विरोध में जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	165-166
जनपद कन्नौज के एक तेली परिवार के तीन सदस्यों की मकान गिर जाने से मृत्यु हो जाने एवं मृतक के परिवार को सहायता राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	166-167
जनपद उन्नाव के श्री राम भजन की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने एवं मृतक के परिजनों को सहायता राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम शंकर पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	167
प्रदेश के राजकीय मूक एवं बधिर विद्यालयों के शिक्षकों को प्रदेश के अन्य राजकीय शिक्षकों की भांति सी0टी0 ग्रेड को मृत संवर्ग घोषित करते हुए एल0टी0 ग्रेड में संविलीन किये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य ...	168
जनपद बरेली की तहसील आंवला में भारी ओलावृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	168
प्रदेश के उप विद्यालय निरीक्षक एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षक के वेतनमान में विचाराधीन प्रकरण को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य... ...	169-170
जनपद सीतापुर के श्री राजेन्द्र सिंह की लाइसेन्सी बन्दूक त्रिवेदी गन हाउस के कस्टडी से गायब होने एवं उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न किये जाने विषयक श्री राम हेतु भारती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	170-171
जनपद लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के गुरुनानक वार्ड के विशेश्वर नगर, आलमबाग रोड पर किये गये अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	171
जनपद मेरठ में गंगा नदी के कटान को रोकने तथा हस्तिनापुर में मकदूपुरा गंगा पर पुल बनाने में श्री प्रभु दयाल बाल्मीकी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	171-172

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्माण निगम द्वारा भूमि सुधार निगम के सहयोग से बनी सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य...	172-174
जनपद प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय सम योजना के अन्तर्गत चन्धई पुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में धांधली के सम्बन्ध में हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	174
मुरादाबाद की वीनस शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	174-175
वर्ष 1981, 1991, 2001 की जनगणना के छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति/समायोजन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	175-176
प्रदेश में दिमागी बुखार के कारण सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु तथा इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय विषयक दि0 27 जुलाई, 2005 को नत्थी "क" के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	177
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... (पारित) ...	177-180
सदन संचालन में सहयोग पर मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित दलीय नेताओं द्वारा आभार प्रदर्शन.....(जारी) ...	180-187
लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने विषयक सदन के बाहर की गई मुख्य मंत्री की घोषणा से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों के आन्दोलित होने सम्बन्धी डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2005 को अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	187-188
सदन संचालन में सहयोग पर मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित दलीय नेताओं द्वारा आभार प्रदर्शन	188
सदन के संचालन में सहयोग पर श्री अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन ...	189
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	190
राष्ट्रगान	190
नत्थी	191-192

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 8 अगस्त, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-355

1–अकीलुर्रहमान खाँ, श्री मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
4–अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5–अजय कुमार, डा0 बागपत
6–अजय राय, श्री वाराणसी
7–अजीम भाई, श्री फिरोजाबाद
8–अताउल रहमान, श्री बरेली
9–अनवर महमूद, श्री बलरामपुर
10–अनार सिंह दिवाकर, श्री एटा
11–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
12–अनिल कुमार वर्मा, श्री सीतापुर
13–अनिल कुमार वर्मा, श्री हरदोई
14–अनिल कुमार सिंह यादव, श्री एटा
15–अनिल सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
16–अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
17–अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री देवरिया
18–अनूप कुमार पाण्डेय, श्री बस्ती
19–अन्सार अहमद, श्री इलाहाबाद
20–अब्दुल कलाम, श्री सन्त कबीर नगर
21–अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
22–अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री बाराबंकी
23–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
24–अमरमणि, श्री महराजगंज
25–अमर सिंह परमार, श्री आगरा
26–अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री हाथरस
27–अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
28–अम्बेश कुमारी, श्रीमती महोबा
29–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
30–अरविन्द गिरि, श्री खीरी
31–अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री बाराबंकी
32–अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 जालौन
33–अरुण कुमारी, श्रीमती कानपुर देहात
34–अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
35–अरुणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
36–अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्त कबीर नगर
37–अवधेश कुमार वर्मा, श्री शाहजहांपुर
38–अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
39–अशोक कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
40–अशोक बाजपेयी, डा0 हरदोई
41–आदित्य विक्रम सिंह (बांकू सिंह), श्री सिद्धार्थनगर
42–आनन्द प्रकाश लोधी, श्री फतेहपुर
43–आर0 एस0 कुशवाहा, श्री खीरी
44–आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
45–आलम बदी, श्री आजमगढ़
46–आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
47–आशा किशोर, श्रीमती रायबरेली
48–आशीष यादव, श्री बदायूँ
49–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूँ
50–इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
51–इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52–इलम सिंह, श्री सहारनपुर

53–उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
54–उदयराज यादव, श्री उन्नाव
55–उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
56–ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूँ
57–ओम प्रकाश , श्री गाजीपुर
58–ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
59–ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
60–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
61–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
62–ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
63–कपिल देव यादव, श्री मऊ
54–कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
55–कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
56–कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
57–कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
58–काशीराम, श्री रामपुर
59–किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
60–किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
61–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
62–कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
63–कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64–कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
65–कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
66–कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
68–कैलाश, श्री गाजीपुर
69–कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
70–कोविद कुमार, श्री शाहजहाँपुर
71–कौशल किशोर, श्री लखनऊ
72–खालिद अर्जीम उर्फ अशरफ, श्री इलाहाबाद
73–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
74–गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
75–गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
76–गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
77–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
78–घूरा राम, श्री बलिया
79–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
80–चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
81–चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
82–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
83–छेदी राम, श्री गाजीपुर
84–छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
85–छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
86–जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
87–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
88–जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
89–जगदीश मिश्र वाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
90–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
91–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
92–जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
93–जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
94–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
95–जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
96–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97–जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
98–जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
99–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
100–जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
102–तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
103–दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
104–दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
105–दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
106–दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया

107–दीनानाथ भाष्कर, श्री
सन्त रविदास नगर, भदोही
108–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
109–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
110–देवकी नन्दन, श्री हाथरस
111–देव नारायण उर्फ
जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
112–देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
113–देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
114–द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
115–धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
116–धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
117–धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
118–धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
119–धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
120–धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
121–धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
122–नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
123–नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
124–नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर
125–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
126–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
127–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
128–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
129–नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
130–नारद राय, श्री बलिया
131–परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
132–परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
133–पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
134–पीटर पैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
135–पीतम राम, श्री पीलीभीत
136–पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
137–प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
138–प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
139–प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
140–प्रभु दयाल, श्री मेरठ
141–प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
142–प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
143–प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
144–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
145–प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
146–फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) देवरिया
147–फागू, श्री मऊ
148–बंशीधर राज, श्री खीरी
149–बलराम यादव, श्री आजमगढ़
150–बाबूराम, एम0काम0, श्री जालौन
151–बाबू लाल, श्री गोण्डा
152–बाबू लाल, चौधरी आगरा
153–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
154–बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
155–बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
156–बृजेन्द्र कुमार व्यास
(डमडम महराज), श्री झांसी
157–बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट
जालौन
158–बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
159–बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
160–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
161–भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
162–भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
163–भरत सिंह, श्री बलिया
164–भारतेन्दु सिंह, कुंवर बिजनौर
165–भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
166–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
167–मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
168–मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
169–मदन भैया, श्री बागपत
170–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली

171–मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
172–मशहूद खां, श्री बलरामपुर
173–मस्तराम, चौ0, एडवोकेट उन्नाव
174–महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
175–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
176–महेन्द्र सिंह, चौधरी अलीगढ़
177–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
178–महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
179–महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
180–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
181–मान पाल सिंह, श्री एटा
182–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
183–मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
184–मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
185–मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
186–मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूँ
187–मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
188–मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
189–मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
190–मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
191–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
192–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193–मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
194–मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
195–मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री इलाहाबाद
196–मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
197–यशपाल चौधरी, श्री खीरी
198–यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
199–याकूब, हाजी मेरठ
200–योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
201–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
202–रणवीर राणा, श्री मेरठ
203–रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
204–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
205–रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
206–रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
207–राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
208–राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
209–राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
210–राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
211–राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
212–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
213–राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
214–राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
215–राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
216–राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
217–राजा राम, श्री प्रतापगढ़
218–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
219–राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
220–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
221–राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
222–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
223–राजेश कुमार, श्री खीरी
224–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
225–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
226–राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
227–राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
228–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
229–राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
230–राम करन आर्य, श्री बस्ती
231–राम किशुन, श्री वाराणसी

232–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
233–राम कृष्ण, श्री सीतापुर
234–राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
235–राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
236–रामजी शुक्ला, श्री औरैया
237–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
238–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
239–रामपाल यादव, श्री सीतापुर
240–राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
241–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
242–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
243–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
244–रामबाबू हरित, डा0 आगरा
245–राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
246–राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
247–राम मगन, श्री बाराबंकी
248–राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
249–रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
250–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
251–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
252–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
253–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
254–राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
255–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
256–रामहेत भारती, श्री सीतापुर
257–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
258–रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
259–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
260–लल्लू सिंह श्री फैजाबाद
261–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
262–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
263–लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
264–लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
265–वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
266–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
267–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
268–विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदासनगर भदोही
269–विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
270–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
271–विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
272–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
273–विनय शाक्य, श्री औरैया
274–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
275–विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
276–विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
277–विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
278–विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
279–विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
280–विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
281–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
282–विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
283–वीरेन्द्र प्रताप सिंह, "मुन्ना" श्री शाहजहांपुर
284–वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
285–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
286–वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
287–वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
288–शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर भदोही
289–शब्बीर, श्री बहराइच
290–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
291–शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
292–शाकिर अली, श्री देवरिया
293–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर

294–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
295–शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
296–शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
297–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
298–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
299–शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
300–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
301–शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
302–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
303–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
304–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
305–शैलेन्द्र यादव "ललई" श्री जौनपुर
306–श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
307–श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
308–श्याम नारायण, श्री महराजगंज
309–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
310–श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
311–श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
312–श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
313–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
314–संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
315–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
316–सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
317–सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
318–सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
319–समरपाल सिंह, श्री बागपत
320–सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
321–सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
322–सियाराम सागर, डा0 बरेली
323–सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
324–सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
325–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
326–सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
327–सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
328–सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद
329–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
330–सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
331–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
332–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
333–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
334–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
335–सुल्तान बेग, श्री बरेली
336–सुशील चोधरी, डा0 सहारनपुर
337–सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
338–सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
339–सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
340–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
341–हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
342–हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
343–हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
344–हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
345–हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
346–होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर

नं ट :–सिंचाई मंत्री श्री मुन्ना सिंह चौहान, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री श्री बनवारी सिंह यादव, तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राम आसरे विश्वकर्मा भी सदन में उपस्थित थे।

दिनांक 8 अगस्त, 2005 ई0

आज की कार्य सूची की मद संख्या-31, कानून व्यवस्था पर चर्चा को पहले लिये जाने की मांग

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन) –मान्यवर, आज कानून व्यवस्था पर चर्चा मद संख्या-31 पर निर्धारित है.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मियों को पिछले 5-6 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है और उससे 18 हजार कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं उनके बाद बोल लीजिएगा। जब आपकी सूचना का समय मौर्या जी आयेगा आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, यह कानून व्यवस्था पर चर्चा 31वें नम्बर की मद पर लगी हुई है और इसके अलावा आज दूसरी सूचनाएं भी अलग से होंगी। कानून व्यवस्था के मसले पर यह सरकार चर्चा सदन में नहीं करवाना चाहती है। आज हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा जरूर हो, हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। चाहे तो इसके लिए आप आज प्रश्न प्रहर को स्थगित कर दें और जो दूसरी सूचनाओं की नोटिस है और बाकी जो काम है वह उस चर्चा के बाद ले लें। हमारा निवेदन है कि पहले वह चर्चा शुरू करा दें। मान्यवर, आप देखें मैं तीन दिन से इस पर चर्चा कन्टीनियू कर रहा हूँ और वह चर्चा नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा वैसे होगी, आप निश्चित रहें चर्चा आज होगी।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, आप उसके लिए समय तय कर दें।

श्री अध्यक्ष–

उसके लिए मुख्यमंत्री जी भी तैयार हैं, कार्यमंत्रणा समिति में बात हुई थी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कानून व्यवस्था की समस्या पर सारे सदस्य बोलना चाहेंगे तो समय कहाँ रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

समय है। यह जो नियम-56 आदि की सूचनाएं हैं इसमें बड़ा लम्बा कार्य नहीं है। उससे आप निश्चित रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैंने आज बी0टी0सी0 प्रशिक्षित लोगों पर हुई घटना और उसमें जो 75 लोग जेल में गये हैं उनके बारे में नियम-311 में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

अगर सारे नेता सहमत हैं और कानून व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह जो इसमें आज विधेयक वगैरह प्रस्तुत करने हैं वह काम हो जाने दीजिए।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, चर्चा पहले हो जाए। आप जितनी देर कहेंगे हम लोग आज बैठ लेंगे। आप चाहे तो चर्चा का समय 12.00 बजे निर्धारित कर दें। प्रश्न प्रहर के बाद कर दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक नम्र निवेदन है कि हमारा दल चाहता है कि कानून व्यवस्था में हर स्थिति में चर्चा आज हो। इसको टालने का न कोई औचित्य है और न टाला जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार भी चाहेगी कि इस पर चर्चा जरूर हो। प्रश्नकाल हो जाय कार्यस्थगन में रामपुर के बारे में एक सूचना मैंने दी है उस पर बात हो जाय, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा।

(अनेक सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, गांधी जी की मूर्ति के साथ जो छेड़-छाड़ हो रही है उस पर चर्चा हो जानी चाहिए।

(श्री राम इकबाल सिंह द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने नेता के विचार से सहमत हैं या नहीं हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर चर्चा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

अभी निधन के निदेश भी हैं।

श्री लाल जी टण्डन–

आप पहले चर्चा करा लें उसके बाद जिसकी सूचना है वह ले लें, जो सरकारी काम करना है वह ले लें यह हम सब चाहते हैं, लेकिन पहले ला एण्ड आर्डर पर चर्चा हो।

(अनेक सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

नेता, विरोधी दल खड़े हैं तो आप लोग बैठ जायं, पहले नेता विरोधी दल की बात आ जाने दें।

नेता विरोधी दल खड़े हैं तो आप लोग तो बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कानून व्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दे पर तत्काल चर्चा करायी जानी चाहिए, आप इस पर व्यवस्था दें। तत्काल कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने के लिए आप व्यवस्था देने का कष्ट करें। आखिर क्यों सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था पर चर्चा टाली जाय ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय पाल साहब, कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी लेकिन निधन के निर्देश भी हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मुख्यमंत्री) –

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल को क्यों आशंका है ? और पता नहीं क्यों आशंका है ? आज सदन नेता विरोधी दल के आग्रह पर ही बुलाया गया है, सरकार का कोई कामकाज नहीं है। हमारा एक वक्तव्य है, वक्तव्य देना है, 5 मिनट के अन्दर, या आप उस पर बहस करना चाहे, आप चाहें तो करा लें और नहीं तो नहीं करायें, मैं तो जनता के सामने और सदन के सामने अपनी राय रखना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ा है और महत्वपूर्ण बयान है वह बयान देना चाहता हूँ, उसको देंगे। आप 5 मिनट दे दें और नहीं देना चाहते हैं तो मुझे कोई बात नहीं है। पढ़ना है। पूरा सदन अभी से कानून-व्यवस्था शुरू कर दे तो मुझे कहां आपत्ति है ? ऐसी कौन सी नई बात है ? कानून व्यवस्था के बारे में यह सरकार कभी नही बचना चाहती है यह सरकार खुले दिमाग से, खुले मन से यहाँ पर चाहती है कि जो कहना चाहते हो, कहो, सरकार की बुराइयां करना चाहते हों, जो आपकी समझ में आता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो हम आपकी आलोचना सुनने को तैयार हैं। धीरज के साथ नेता विरोधीदल आप विवेक क्यों खो बैठे हैं ? क्या वजह हो गयी ? नेता सदन कहिये या कहिये मुख्यमंत्री या कहिये मुलायम सिंह, इसकी दो जुबान नहीं है, याद रखना। तो जो आश्वासन सदन के अन्दर दिये हैं, ठीक है, आपकी सुविधाओं के लिये, क्षेत्रीय विकास के लिये संसाधन का अभाव है, उसके बावजूद भी सदन के अन्दर जो घोषणायें की हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं। उसमें आपका सहयोग भी है, आज भी सहयोग है। लेकिन हमें आश्चर्य है कि आपको दुविधा क्यों है, डर क्यों है, आशंका क्यों है ? हाँ अगर आपके साथियों का मन हैं, बिना चर्चा के जाने का मन है, ऐसे ही जाना चाहते हो, तो अलग बात है। अगर पार्टी के किसी काम से कहीं जाना हो तो अलग बात है। अगर आप लोग नहीं रहेंगे, आप लोग तो बात कैसे होगी ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मुझे उस बिल से ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं है। उसमें जो सदन की राय होगी, वही हम लोगों की भी होगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बिल आप ला रहे हैं, विधायकों को सुविधा देने के लिये, तो वह इसीलिये है कि वह सदन में जनता की आवाज को उठायें। आज जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है, बिजली और कानून व्यवस्था, उनके बारे में यहाँ चर्चा नहीं हुई है और अगर हम बिना उस पर बात किये चले जाते हैं तो क्या हमारी नैतिकता रह जायेगी ? इसलिये जनता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसको हमें पूरा कर लेने दिया जाय। बाकी आगे जो आप लेना चाहें वह हो जाय। जितना भी जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, उसमें हम आपके सहयोगी हैं लेकिन पहले ला एंड आर्डर के ऊपर बहस हो जाय। अब जबकि नेता कांग्रेस और नेता बी0एस0पी0 ने भी कह दिया ओर सारे सदन की राय हो गयी तो फिर अब चर्चा शुरू करने का अवसर आप दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नेता सदन की सहमति भी आ गयी। मैं इस बात के ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता कि क्यों यह चर्चा बराबर टलती रही। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा.....

(श्री राम इकबाल सिंह द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर-व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया है। मैं यह कह रहा था कि कानून व्यवस्था पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। लेकिन कार्यस्थगन में भी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय लगे हैं, जिनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसलिये कार्यस्थगन को इससे पहले ले लिया जाय और कानून व्यवस्था की चर्चा डेढ़ बजे से प्रारम्भ कर दी जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, प्रमोद जी, आप सहमत हो जायें। मेरा एक स्टेटमेंट है, 5 मिनट का, उसके बाद चर्चा शुरू हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, उससे पहले निधन का निर्देश ले लें।

(विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने कह दिया तो उसमें आप लोग क्यों अपनी राय दे रहे हैं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, बिजली-पानी की बनारस में ज्वलंत समस्या है और वहाँ लोगों को आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत बंद किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप उसके बाद कह लीजियेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

हम यहाँ केवल वेतन-भत्ते लेने नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम-56 में सूचना दी है, जब समय आयेगा, तब कहियेगा।

चौधरी साहब आपसे मेरा निवेदन है कि नेता सदन खड़े हैं, इसलिए आप कृपया बैठ जाएं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा नहीं था कि नेता सदन खड़े हो गये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, हमें यह समझ में नहीं आता है कि अनावश्यक सदन का समय क्यों खर्च किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, कानून-व्यवस्था पर बहस होने दीजिए। चौधरी साहब को अगर कोई सुविधा नहीं लेनी है तो ठीक है, न लें, लिख करके दे दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, सुविधा तो हमें लेनी है लेकिन जनता के लिए।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, यह हम जानते हैं कि हमारी ही समाजवादी पार्टी का आदर्श है पूरे देश के समाने। मधुलिमये जी थे, आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि जनता का आदेश पाँच साल के लिए है, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, और नहीं ली। आज समाजवादी पार्टी के अन्दर वह नहीं रहे, आजादी की लड़ाई उन्होंने पेंशन के लिए नहीं लड़ी और कोई पेंशन नहीं ली। यह काम समाजवादी लोग ही कर सकते हैं। अगर उधर से भी प्रस्ताव आता है, आप विरोध करेंगे तो हम वापस ले लेंगे। इसलिए मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह प्रस्ताव कर दें कि सारे नियमों को स्थगित करते हुए कानून-व्यवस्था पर चर्चा करायी जाए।

श्री अध्यक्ष–

अभी निधन के निदेश होने हैं।

(श्री श्याम देव राय चौधरी के खड़े होने पर)

(व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ) –

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन के द्वारा सारी बातें स्पष्ट कर देने के बाद किसी के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बार-बार नेता सदन के कह देने के बावजूद भी आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

नेता सदन यहाँ पर आये हैं तो सुविधा की राजनीति करके नही आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा शुरू हो जाए, तब आप बोलियेगा, आप पूरे सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज निधन के निदेश भी होने हैं, आप निधन के निदेश पहले ले लें, उसके बाद जैसा कि नेता सदन, नेता विरोधी दल ने कहा है, संसदीय कार्यमंत्री जी चर्चा प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव कर दें और अगर समय हो तो जो और भी समस्याएं हैं, बिजली-पानी जैसी, उन पर भी विचार कर लें, आज अन्तिम दिन है, बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निधन के निर्देश और मुख्यमंत्री के वक्तव्य के उपरान्त मद संख्या-31, कानून व्यवस्था पर जारी चर्चा को लिये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ) –

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल की भी यही जिज्ञासा है कि कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो। यह नेता विरोधी दल का सौभाग्य है कि बहुत लम्बे अर्से के बाद तीन दिन आप चर्चा के हीरो रहे हैं और आज भी इस चर्चा के हीरो हैं। विधान सभा के इतिहास में यह बात भी याद रखी जाएगी कि नेता, विरोधी दल ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सदन में कानून-व्यवस्था पर कितने लम्बे अर्से तक चर्चा की है। नेता, सदन ने भी यही जिज्ञासा जाहिर की है कि आपके कहने से ही कानून-व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए।

"मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज के उपवेशन में संगत नियमों को निलम्बित करते हुए निधन के निर्देश हो जाने के बाद मुख्यमंत्री का वक्तव्य हों और उसके बाद कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्यमंत्री ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, क्या यह सदन इस प्रस्ताव से सहमत हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेय जलापूर्ति की योजना

*1--डा0 अजय कुमार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु शासन द्वारा कोई ठोस नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी हां।

प्रदेश के सभी नगरों को निम्न मानकों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है:--

(अ) मेट्रोपोलिटन एवं मेगासिटी जिनमें सीवर व्यवस्था उपलब्ध है अथवा होने की संभावना है--150 लीटर प्रतिदिन।

(ब) ऐसे नगरों जिनमें सीवर व्यवस्था उपलब्ध है अथवा उपलब्ध होने की संभावना है--135 लीटर प्रतिदिन।

(स) ऐसे नगरों जिनमें सीवर व्यवस्था उपलब्ध नहीं है--70 लीटर प्रतिदिन।

वित्त पोषण

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त पेयजल सुलभ कराने का दायित्व संबंधित निकायों का है। नगर विकास विभाग के स्तर से उक्त कार्यों हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। तथापि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पेयजल योजनाओं हेतु निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है :--

(क) 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में त्वरित नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 : 50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा।

(ख) 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थानीय निकाय की मांग पर रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण।

(ग) क्षेत्र विशेष की कठिनाइयों के दृष्टिगत भारत सरकार से वन टाइम प्रोजेक्ट वेस्ड सहायता (स्पेशल पैकेज) के अन्तर्गत।

(घ) बड़े नगरों की पेयजल व्यवस्था हेतु बैराज आदि के निर्माण के लिए योजना विशेष हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा।

(ड) वर्ष 2003-04 से जिला योजना में नगरों की पेयजल योजनायें भी सम्मिलित कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट:--उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

कानपुर नगर के प्रदेश सरकार द्वारा भू-माफियाओं को चिन्हित किये जाने का निर्णय तथा चिन्हित भू-माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

*2--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा भू-माफियाओं को चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कानपुर नगर के कितने भू-माफियाओं को चिन्हित किया गया है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी हां।

इस सम्बन्ध में कानपुर नगर में 28 भू-माफियाओं को चिन्हित किया गया है। दो भू-माफिया पुलिस मुठभेड़ में मारे गये, तीन के विरुद्ध गैंगेस्टर एवं गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही की गयी। दस के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट एवं दो के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही की गयी तथा ग्यारह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई । तीन भू-माफियाओं की हिस्ट्रीशीट खोली गई तथा सात की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता।

*3--श्री श्याम देव राय चौधरी--

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन एवं वाराणसी जेल में अन्नू त्रिपाठी की हत्या में दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*4--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जेलों की लचर सुरक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या तथा उसे कब से लागू किया जायेगा ? क्या मई, 2005 के दूसरे सप्ताह में वराणसी जेल में अन्नू त्रिपाठी की हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी पाया गया तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)--

उत्तर प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उ0 प्र0 जेल मैनुअल में व्यवस्थायें दी गयी हैं और तद्नुसार कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था इन व्यवस्थाओं/प्राविधानों के अनुसार संचालित की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जी हां।

हत्या के प्रकरण में अपराध संख्या 74/2005, धारा 302 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी में केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के बंदी सन्तोष गुप्ता उर्फ किट्टू तथा प्रदीप उर्फ सी0 ओ0 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की भांति महानगरों की सभी प्रमुख सड़कों

एवं गलियों को नम्बर दिये जाने के संबंध में जानकारी

*5--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों को नम्बर देने की तर्ज पर महानगरों की सभी प्रमुख सड़कों एवं गलियों को भी नम्बर देने तथा उनकी रोड फाइल खुलवाने की नीति लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्गों को नम्बर देने की तर्ज पर नगर निगमों की प्रमुख सड़कों एवं गलियों को नम्बर नहीं दिये गये हैं। उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 की उपधारा 2 के अन्तर्गत नगर निगम में निहित सड़कों का नामकरण एवं संख्या निश्चित करने का ही प्राविधान है। नगर निगमों में नम्बरिंग की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

प्रदेश के थानों में थानाध्यक्ष के पदों पर आरक्षण का प्राविधान

*6--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों पर अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यकों को थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती हेतु कोई आरक्षण नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में उक्त आरक्षण के अनुसार तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती हेतु कोई आरक्षण नियमावली नहीं बनायी गयी है। इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार थानाध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 20 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यकों के लिये 5 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान है।

जी हां।

शासनादेश के अनुपालन में अल्पसंख्यक का 5 प्रतिशत कोटा पूर्ण है। जब कि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा 14.41 प्रतिशत को पूर्ण करने हेतु शासन/विभागाध्यक्ष स्तर से समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन व परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घट रहे भू-गर्भ जल स्तर की रोकथाम हेतु नवनिर्मित भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था

*7--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि लगातार घट रहे भू-गर्भ जलस्तर को ध्यान में रखकर क्या सरकार ने भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था लागू की है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्षा जल संचयन योजना नीति एवं कार्य योजना के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के नये भवनों, सरकारी, अर्धसरकारी एवं सामुदायिक सुविधाओं के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा ग्रीन बेल्ट पार्क, खुले क्षेत्रों, तालाबों, जलाशयों आदि में ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज की व्यवस्था को शासन ने अनिवार्य कर दिया है ? यदि हां, तो शासन इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

इसके अंतर्गत छतों से प्राप्त वर्षा जल का संचयन (रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग) तथा भू-गर्भ जल पुनर्भरण (ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग) की पद्धतियां अपनायी जाती हैं।

शासनादेश संख्या 367/9--आ--1--17 विविध/03 (आ0ब0), दिनांक 19-06-03 द्वारा 300 वर्गमी0 से अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा शासनादेश संख्या 703 ए/9--आ--1--29 विविध/98 (आ0 ब0), दिनांक 12-04-01 द्वारा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था अनिवार्य की गयी है।

इसके लिए शासन स्तर पर लघु सिंचाई को नोडल विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भूगर्भ जल निदेशालय को नोडल एजेंसी घोषित करने के साथ-साथ प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति का गठन किया गया है।

प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षा देने हेतु गनर देने में मानकों की जानकारी

*8--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षा देने हेतु उन्हें गनर देने के मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो वह मानक क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

सुरक्षा प्रदान करने हेतु शासनादेश संख्या 1773/6-पु-2-2001-700 (1)/2001, दिनांक 25 अप्रैल, 2001 में महानुभावों के जीवनभय के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था उपलध कराने हेतु मानक/आधार निर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति के जीवनभय का आंकलन कर जनपदीय समिति की संस्तुति पर औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी सौ प्रतिशत निजी व्यय पर प्रदत्त कराया जाएगा।

राज्य सरकार पर देय कर्ज एवं उसकी अदायगी हेतु उपाय

*9--प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार पर वर्तमान समय में कितना रुपया कर्ज के रूप में बकाया है ? क्या सरकार इस कर्ज की अदायगी हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आय-व्ययक साहित्य में प्रदर्शित पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 2005 को राज्य सरकार पर 116794.29 करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता अनुमानित है।

ऋणों का समयबद्ध रूप से भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के थाना अरनियां के बड़ा गांव निवासी श्री छंगा की ऋण के बोझ से मृत्यु का कथित प्रकरण

*10--श्री हुकुम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 2005 के प्रथम सप्ताह में बुलन्दशहर जनपद के अरनियां थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी किसान श्री छंगा ने ऋण के बोझ के कारण सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

श्री छंगा की मृत्यु सल्फास खाने से नहीं हुई वरन् बीमारी से हुई है। दिनांक 31-5-05 को उसकी तबीयत खराब हुई परिवारजन द्वारा उसका इलाज कराया गया। लेकिन दिनांक 31-5-05 की रात को श्री छंगा की मृत्यु हो गयी, जिसका दाह संस्कार श्री छंगा के परिवारजन द्वारा उसी दिन कर दिया गया। इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी थी।

श्री छंगा पर किसी प्रकार का ऋण नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस हिरासत से फरार कैदियों की सूचना एवं इसे रोकने के उपाय

*11--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004-05 में 31-5-2005 तक पुलिस हिरासत से कैदियों के फरार होने के कुल कितने मामलों की सूचना गृह विभाग को प्राप्त हुई है ? क्या यह सत्य है कि बाराबंकी तथा लखनऊ जिला कारागार से दिनांक 2 मार्च, 05 को चार कैदी पुलिस हिरासत से फ़रार हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में वर्ष 2004-05 में 31-5-05 तक पुलिस हिरासत से कैदियों के फरार होने के कुल 203 मामलें पंजीकृत हुये जिनमें से 50 मामलों की सूचना गृह विभाग में भेजना बताया गया है।

दिनांक 2-3-05 को कारागार लखनऊ में निरुद्ध अभियुक्त इकबाल, रिजवान एवं अफजल को मुख्य आरक्षी निजामुद्दीन, आरक्षी प्रेमशंकर शुक्ला तथा आरक्षी रवीन्द्र कुमार द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु पुलिस सुरक्षा में लिया गया। उक्त पुलिस कर्मी अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत न कर उनके घर ग्राम टिकराउस्पा जनपद बाराबंकी ले गये जहां से अभियुक्तगण फरार हो गये।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए डी0 जी0 पी0 मुख्यालय से समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सचिवालय में तैनात पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की संख्या एवं उनको सचिव, प्रमुख सचिव के पद पर तैनात करने सम्बन्धी जानकारी

*12--श्री परमजीत--

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में राज्य सचिवालय में कुल कितने पी0 सी0 एस0 अधिकारी, विशेष सचिव पद पर तैनात हैं ? उक्त पदों पर सुपर टाइम स्केल (आयुक्त, सचिव) वरिष्ठतम स्केल (प्रमुख सचिव) वेतनमान वाले पी0 सी0 एस0 अधिकारी भी तैनात हैं ? क्या यह सत्य है कि एक सीमा के बाद पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को वेतनमान के अनुसार तैनाती न देकर विशेष सचिव पद पर ही फ्रीज कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य नागरिक सेवा के अनुभवी अधिकारियों की सचिव एवं प्रमुख सचिव पद पर तैनाती हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

राज्य सचिवालय में विशेष सचिव के ५ पर पी0 सी0 एस0 संवर्ग के कुल 68 अधिकारी तैनात है।

राज्य सचिवालय में उ0 प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के वेतनमान रुपया 16400-20000 तथा वेतनमान रुपया 18400-22400 के वेतनमान के अधिकारी विशेष सचिव के पद पर तैनात है। आयुक्त/सचिव/प्रमुख सचिव के पद आई0 ए0 एस0 संवर्ग के है, जो एक पृथक संवर्ग है।

उ0 प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के लिए राज्य सचिवालय में संयुक्त सचिव एवं विशेष सचिव के पदों का ही चिन्हांकन किया गया है। पी0 सी0 एस0 से आई0 ए0 एस0 में प्रोन्नत अधिकारी सचिव/आयुक्त के पद पर तैनात है। अत: फ्रीज किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को बिना आई0 ए0 एस0 संवर्ग में प्रोन्नत प्राप्त किए सचिव एवं प्रमुख सचिव के पद पर तैनात किए जाने का कोई औचित्य स्थापित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में राजेश कुमार सिंह की हत्या की मजिस्ट्रीरियल जांच

1--श्री धनन्जय सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में डाकबंगले के निकट दिनांक 02-10-04 को प्रात: 8 बजे पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में राजेश कुमार सिंह की हत्या कर दी गयी थी ? क्या उक्त फर्जी मुठभेड़ की मजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दिये गये थे ? क्या उसकी जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या के आधार पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, बल्कि तथ्य यह है कि दिनांक 02-10-04 को नगर नियंत्रण कक्ष, जौनपुर से आर0 टी0 सेट के माध्यम से प्रात: 8.30 बजे पुलिस लाइन परिसर स्थित फायर स्टेशन के सामने कुछ बदमाशों द्वारा मारुती कार में सवार कुछ लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की सूचना प्रसारित हुई जिस पर थानाध्यक्ष, लाइन बाजार अपने हमराहियों मय जीप सरकारी तथा शहर क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी एस0 ओ0 जी0 एवं चौकी प्रभारी मौके पर पहुँच गये। उसी दौरान बदमाश अपने को पुलिस बल से घिरा होने के कारण पुलिस को लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाई गई जिसमें मारे गये तीन बदमाशों में से एक राजेश उर्फ पप्पू पुत्र देवनरायन, निवासी कलवारी, थाना सिकरारा, जौनपुर की शिनाख्त हुई ।

उक्त घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच करने के आदेश दिये गये थे। मजिस्ट्रीरियल जांच में पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाये गये हैं।

जांच में पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाये गये, अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

2--श्री राम इकबाल सिंह--

[3सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

3--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 में चयनित समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया में कितने गांवों के सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक पूरा करा दिया गया है तथा कितने शेष है ? शेष सम्पर्क मार्गों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)--

प्रश्नगत निर्वाचित क्षेत्र के 5 गांवों के सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक पूरा करा दिया गया है तथा 5 ग्राम शेष हैं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने की मांग

4--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 में कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या सम्पूर्ण धन की कार्य योजना बन गयी है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? क्या कार्य योजना के सम्पूर्ण कार्य पूरा करा लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)--

जनपद सुल्तानपुर के वि0 खं0 कुड़वार को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में कुल धनराशि रु0 24.34 लाख आवंटित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

वि0 खं0 कुड़वार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 की कार्य योजना में कुल 114 कार्यों का चयन किया गया, उनमें से 12 निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है, 15 कार्य निर्माणाधीन है, शेष कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की मांग

5--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में गत वर्षों में चयनित समग्र ग्राम पक्की सड़क से जोड़ने की मांग

6--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में कौन-कौन से ग्राम समग्र ग्राम में चयनित किये गये ? क्या चयनित समग्र ग्राम पक्की सड़क से जोड़ दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक पक्की सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

वर्ष 2003-04 में सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमश: नमकसायर, पूरेमाधव सिंह, पूरेखुसई कुसफरा, चघईपुर, मदईपुर, बछुआ, हरचेतपुर, सदुल्लापुर, सहेरुआ, गोड़े, पूरेईश्वरनाथ, अकारीपुर, दहिलामऊ, रामपुरगौरा, बेहरापुर एवं बजहा तथा वर्ष 2004-05 में क्रमश: उमरपुर, अकोढिया भवानीपुर, मल्हूपुर, बीरमपुर, गाजीपुर, करौदी, जहरगो, खूटाघाँट, चकवनतोड़, नौबस्ता, कोहला, छतौना, जगदीशपुर, राजगढ़, भोजपुर एवं कूल्हीपुर, चयनित किये गये हैं।

जी नहीं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

7--श्री हरि प्रताप सिंह--

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के थानों में आरक्षण के अनुसार निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों की तैनाती

8--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-लखनऊ के थानों में आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में शासकीय आदेश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में चयनित समग्र ग्रामों को संतृप्त करने की मांग

9--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में चयनित समग्र ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों को कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

जी नहीं।

सीमित संसाधन।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर की ग्राम पंचायत सिरौली के प्रधान द्वारा की गयी अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

10--श्री अब्दुल मन्नान--

विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 के प्रथम सोमवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-6 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के वि0 खं0 बेहन्दर के ग्राम पंचायत सिरौली के प्रधान द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे ? क्या जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

ग्राम प्रधान सिरौली वि0 खं0 बहेन्दर द्वारा वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता वि0 ख0 बहेन्दर से करायी गयी। उक्त जांच के तकनीकी मूल्यांकन विवरण के अनुसार प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय होने की पुष्टि हुई है। अत: दोष परिलक्षित नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में अपूर्ण विवाह मण्डप को पूर्ण कराने की मांग

11--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी में मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 70/01 के तहत विवाह मण्डप का निर्माण कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मण्डप का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, हां।

जी हां।

विवाह मण्डप के निर्माण हेतु रु0 17.00 लाख की धनराशि मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से स्वीकृत की जा चुकी है। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रतापगढ़ के आगणन के अनुसार अवशेष रु0 7.00 लाख की धनराशि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उसके गुणावगुण के आधार पर विचार कर अवस्थापना निधि से नियमानुसार स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

12--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[उसरे गुरूवार के अता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी नगर निगम में शामिल ग्रामों के विकास कार्यों को कराये जाने की मांग

13--श्री प्रदीप जैन "आदित्य"--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर पालिका जो कि अब नगर निगम में परिवर्तित हो चुकी है, में 15 ग्राम शामिल किये गये हैं ? क्या यह सही है कि निगम द्वारा उक्त सभी ग्रामों में कोई विकास कार्य तथा सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त 15 ग्रामों में विकास तथा सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था के कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी नगर निगम में सम्मिलित 15 ग्रामों में आवश्यकतानुसार सफाई की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। नगर निगम में सम्मिलित उक्त ग्रामों के विकास हेतु सम्पर्क मार्ग एवं नाली इत्यादि के निर्माण से संबंधित 17 कार्यों का चयन कर रु0 98.18 लाख की निविदाएं दिनांक 26-07-05 को आमंत्रित की गयी हैं। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त ग्रामों में विकास का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। नगर निगम में सम्मिलित कतिपय ग्रामों हंसारी, पिछोर व करगावां के लिये कतिपय मुख्य मार्गों पर सोडियम लाईटें लगवाई गई हैं। शेष ग्रामों का सर्वे कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के क्षेत्र पंचायत बेहदर के ब्लाक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

14--श्री अब्दुल मन्नान--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के निर्धारित प्रथम सोमवार के अता0 प्र0 सं0 26 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत प्रकरण में करायी गयी अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? क्या टी0 ए0 सी0 जांच एवं अधिशासी अभियन्ता ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा की जांच आख्याओं की तुलनात्मक विवेचना करके दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की जांच आख्या प्राप्त होने पर टी0 ए0 सी0 जांच के साथ तुलनात्मक विवेचना करके दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्व0 ज्ञान बहादुर, अनुचर की मृत्योपरान्त उसके समस्त देयों का भुगतान एवं मृतक आश्रित की नियुक्ति की मांग

15--श्री परमजीत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 ज्ञान बहादुर, अनुचर, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ जिनकी मृत्यु दिनांक 9 अक्टूबर, 1991 को हो गयी थी, के उत्तराधिकारी श्री हेम बहादुर को समस्त देयकों का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मृतक आश्रित श्री हेम बहादुर को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

श्री हेम बहादुर स्व0 ज्ञान बहादुर के भाई हैं। "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में भाई-बहन को आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने का तत्समय कोई प्राविधान न होने के कारण मृतक आश्रित श्री हेम बहादुर को सेवायोजित नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ कश्मीरी मोहल्ला के कल्बे वार्ड में शर्मा पार्क की बावली के पास सीवर लाइन हेतु खोदी गयी सड़क की मरम्मत की मांग

16--श्री राजेन्द्र यादव--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला के अन्तर्गत कल्बे आबिद वार्ड में शर्मा पार्क की बावली के पास से अण्डर ग्राउण्ड पानी की टंकी वाली सड़क पर कुछ माह पहले सीवर लाइन डाली जाने के कारण सड़क खोदी गई थी, जिसके कारण आवागमन में बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला के अन्तर्गत कल्बे आबिद वार्ड में सीवर लाइन बिछाने व केवल 9बी मुहर्रम के जुलूस मार्ग पर सी0 सी0 मार्ग निर्माण का कार्य स्वीकृत था जिसमें प्रस्तावित सीवर लाइन व सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शर्मा पार्क की बावली के पास से अण्डर ग्राउण्ड पानी की टंकी वाली सड़क पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है।

सड़क का अवशेष भाग धनराशि न होने के कारण बनाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद् द्वारा प्रदेश में निर्बल आय वर्ग हेतु निर्मित भवनों का भवन कर माफ किये जाने का प्राविधान

17--श्री राजेन्द्र यादव--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि निर्बल आय वर्ग के लिए विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद् द्वारा 30 वर्ग मीटर तक के निर्मित भवनों से नगर महापालिका अथवा नगर पालिका द्वारा लिए जा रहे भवन कर को माफ किये जाने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177(छ) में निम्न प्राविधान है :--

"स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासीय भवन जो 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो।"

प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिदिन का भुगतान कराने की मांग

18--श्री प्रदीप जैन "आदित्य"--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि झांसी नगर निगम में लगभग चार सौ संविदा सफाई कर्मचारी जो वर्ष 1990 से कार्य कर रहे हैं, को वर्तमान में पन्द्रह सौ रु0 प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार संविदा/सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार सतासी रु0 प्रतिदिन का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

झांसी नगर निगम में 440 सफाई कर्मी सहमति के आधार पर संविदा पर कार्यरत हैं। इन्हें संविदा के अनुबन्ध के अनुसार रु0 1500 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

संविदा सफाई कर्मियों को आपसी सहमति एवं अनुबन्ध के आधार पर रु0 1500 का प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।

जी नहीं।

संविदा सफाई कर्मचारियों को रु0 87.00 प्रतिदिन भुगतान किये जाने का कोई प्राविधान नही है।

झांसी नगर निगम द्वारा संचालित वाचनालय में पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था कराने की मांग

19--श्री प्रदीप जैन "आदित्य"--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर निगम द्वारा पुस्तकालय (वाचनालय) संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त वाचनालय में पर्याप्त पुस्तकों के अभाव में नियमित पाठकों की संख्या नगण्य है ? क्या यह सत्य है कि नगर निगम द्वारा इस कार्य पर प्रति वर्ष लगभग एक लाख पैंतीस हजार की धनराशि व्यय की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वाचनालय में पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

झांसी नगर निगम द्वारा गांधी भवन के एक कक्ष में वाचनालय संचालित किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा इस वाचनालय में दैनिक समाचार-पत्र एवं अन्य पत्रिकाओं की व्यवस्था की गई है। वाचनालय के संचालन हेतु एक लिपिक एवं चुंगी मुहर्रिर तैनात है, जिनके वेतन पर प्रतिवर्ष लगभग रु0 1,15,000/-- एवं समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं पर रु0 20,000/- व्यय होता है।

झांसी नगर में एक राजकीय जिला पुस्तकालय संचालित है, जहां पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें आदि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय संग्रहालय में एक पुस्तकालय है जहां पर इतिहास पुरातत्व एवं साहित्य इत्यादि से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं।

वर्तमान में नगर निगम द्वारा पृथक से कोई पुस्तकालय स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लखनऊ की गली मीर माता शाहगंज चौक में सीवर लाइन व सड़क की मरम्मत कराने की मांग

20--श्री राजेन्द्र यादव--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गली मीर माता शाहगंज (चौक) लखनऊ के मकान नं0 298/19 से 298/74 तक गली में क्या सीवर लाइन व सड़क की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रश्नगत गली में सीवर लाइन नहीं है अत: उसकी मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नगत गली की सड़क की मरम्मत नगर निगम, लखनऊ के द्वारा, धन की उपलब्धता के आधार पर करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में क्षेत्राधिकारी सण्डीला द्वारा अपराध 56/2004 की पुनः विवेचना के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

21--श्री अब्दुल मन्नान--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-46 के नियम 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित प्रश्न के सम्बन्ध में क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित प्रकरण में क्षेत्राधिकारी, सण्डीला, जनपद हरदोई द्वारा पुनः विवेचना की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या नामजद मुलजिमों को दोष सिद्ध पाते हुए गिरफ्तारी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मामले में क्षेत्राधिकारी, सण्डीला के निर्देश पर इस मुकदमें की विवेचना थाना कासिमपुर से कराये जाने पर विवेचना से अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे इस मुकदमें में अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

शासन की आरक्षण नीति के अनुसार कानपुर नगर में निरीक्षक व थानाध्यक्षों की तैनाती की जानकारी

22--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन द्वारा जिला स्तर पर निरीक्षक रैंक व थानाध्यक्ष रैंक के थानों में अनुसूचित जाति के निरीक्षक व उ। निरीक्षकों की तैनाती में आरक्षण हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो आरक्षण नीति के तहत कानपुर नगर में निरीक्षक व एम0 ओ0 रैंक के थानों में अनुसूचित जाति के निरीक्षक व उप निरीक्षक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कानपुर नगर में आरक्षण नीति के अनुसार निरीक्षक तथा उप निरीक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार जनपदों में 20 प्रतिशत थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के नियुक्त किये जाने का प्राविधान है।

जनपद कानपुर नगर में आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 9 निरीक्षक/उप निरीक्षक (थानाध्यक्ष) के सापेक्ष वर्तमान में 7 निरीक्षक/थानाध्यक्ष उक्त संवर्ग के तैनात हैं।

विभागाध्यक्ष/पुलिस मुख्यालय, स्तर से अनुसूचित जाति/जन जाति का कोटा पूर्ण करने के लिये पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को निर्देशित किया गया।

प्रदेश के निजी सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की मांग

23--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसी कितनी निजी सुरक्षा कम्पनियाँ हैं जो सरकार से लाइसेन्स लेकर संचालित हो रही हैं ? उक्त लाइसेन्स प्राप्त करने के मानक क्या हैं ? क्या निजी सुरक्षा एजेन्सियां के सुरक्षा कर्मचारियों के लिए सरकार कोई ड्रेस कोड लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्रम आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेन्सियों की अनुमानित संख्या 445 है।

श्रम विभाग द्वारा निजी सुरक्षा एजेन्सियों के प्रतिष्ठानों का पंजीयन की व्यवस्था उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम एवं संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य नियोजक, कार्यस्थल, कर्मचारियों की संख्या, कार्य के घण्टे व अवकाश के मानक के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्त दोनों अधिनियमों में ड्रेस कोड निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं है। अत: राज्य सरकार द्वारा ड्रेस कोड लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के कतिपय ग्रामों में

पाइप पेयजल योजना हेतु स्थापित करने की मांग

24--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन, तहसील कालपी के ग्राम दमरास, मैनूपुर तथा देवकली की पूर्व स्वीकृत पाइप्ड पेयजल योजना के लिये नलकूप स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

प्रश्नगत तीनों ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं को राज्य स्तरीय सोर्स फाइंडिंग कमेटी तथा तकनीकी समिति के आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन की दशा में कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम कोहडौर के कतिपय लोगों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने सम्बन्धी भेजे गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

25--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शंकर सरोज निवासी-ग्राम कोहडौर विकास खण्ड मंगरौरा का शिकायती-पत्र, जो जनपद प्रतापगढ़ के कुछ लोगों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराये जाने के संबंध में था दिनांक 10-2-04, 17-02-04, 16-2-04, 26-1-04, 03-03-04, 28-01-04 को प्रमुख सचिव, गृह, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ एवं मा0 मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री राम शंकर सरोज निवासी ग्राम कोहड़ोर विकास खण्ड मंगरौरा का शिकायती पत्र दिनांक 10-2-04, 17-02-04, 16-02-04, 26-01-04, 03-03-04, 28-01-04 जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि प्रश्नकर्ता मा0 विधायक, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह के पत्र संख्या ख-3 नं0-115273 दि0 25-7-05 के साथ श्री रमाशंकर सरोज, कनिष्ठ लिपिक, विकास खण्ड मंगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ के शिकायती प्रार्थना-पत्र दि0 26-01-04, 16-02-04, 17-02-04 एवं 03-03-04 की प्रति फैक्स के माध्यम से जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसे मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों में संदर्भदाता विहीन प्रणाली लागू कराने की मांग

26--श्री रणवीर राणा--

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सचिवालय में सचिवालय प्रशासन विभाग के अ0 शा0 पत्र संख्या 1732/बीस-ई-5-99 दिनांक 05 मई, 1999 द्वारा संदर्भदाता विहीन प्रणाली लागू की गयी है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में कितने समीक्षा अधिकारी ऐसे हैं, जिनसे अभी भी सन्दर्भदाता पद का कार्य लिया जा रहा है। क्या सरकार संदर्भदाता विहीन प्रणाली उ0 प्र0 सचिवालय के सभी विभागों में लागू करना सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। इस पत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियां शासन द्वारा स्वीकार करने का उल्लेख करते हुए पत्रावलियों के रख-रखाव का दायित्व यथा सम्भव समीक्षा अधिकारी (प्रवर वर्ग सहायक) को सौपने की अपेक्षा की गयी है।

उच्चाधिकारियों के समक्ष पत्रावलियों समय से प्रस्तुत कराना एवं उनका रख-रखाव अनुभाग अधिकारी का समग्र उत्तरदायित्व है, जिसके लिए कतिपय अनुभाग अधिकारियों द्वारा आवश्यकता अनुसार अनुभाग में किसी एक समीक्षा अधिकारी से एकीकृत रूप से संदर्भों के प्रस्तुतीकरण एवं पत्रावलियों के रख-रखाव (संदर्भदाता पद की प्रकृति) का कार्य लिया जा रहा है।

सचिवालय में संदर्भदाता विहीन प्रणाली लागू करने के निर्णयों के कड़ाई से अनुपालन हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 111/20--ई--5--2003-सा-99 दिनांक 28 फरवरी, 2003 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी नगर निगम को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कराये गये कार्यों की जानकारी

27--श्री प्रदीप जैन "आदित्य"--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, झांसी को दिनांक 1-4-2004 से 31-3-05 तक कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है एवं उपलब्ध धनराशि से कोई कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या

श्री मोहम्मद आजम खां--

राज्य सरकार द्वारा नगर निगम, झांसी को दिनांक 01-4-2004 से दिनांक 31-3-2005 तक राज्य वित्तीय आयोग के अन्तर्गत रुपये 981.73 लाख तथा 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रुपये 54.68 लाख अर्थात् कुल रुपये 1036.41 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2004-05 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से रुपया 706.80 लाख वेतन पर तथा रुपया 160.15 लाख विकास कार्यों पर व्यय किये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के जिला सहकारी बैंक लि0 में आरक्षित कर्मचारी वर्ग-2 के पद पर सामान्य वर्ग कर्मचारी की नियुक्ति किये जाने पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28--श्री प्रदीप माथुर--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, सभासद, कन्धारी बाजार, फैजाबाद का पत्र दि0 30-07-02 जो जिला सहकारी बैंक, लि0 बराबंकी के प्रबन्ध तंत्र द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर्मचारी वर्ग-2 के पद पर सामान्य वर्ग कर्मचारी की पदोन्नति किये जाने की शिकायत तथा उसकी जांच किये जाने विषयक था मा0 मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)--

जी हां।

शिकायती-पत्र दिनांक 30-7-02 का नहीं अपितु दिनांक 23-7-2002 का है।

जांच में दोष सिद्ध नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में अग्निकाण्ड में पीड़ितों को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्राथमिकता दिये जाने पर विचार

29--श्री राम विशुन आजाद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में मार्च, 2005 से जून, 2005 तक हुए अग्निकाण्ड में पीड़ितों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास चयन में प्राथमिकता दिये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में दैवी आपदा से पीड़ित परिवारों को कुल लक्ष्य का 5% धनराशि की सीमा तक इंदिरा आवास आवंटित करने का प्राविधान है। उक्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अग्निकाण्ड में पीड़ितों को इंदिरा आवास आवंटित किये जाने में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के तहसील लाल गंज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 शिव मूर्ति दुबे के नाम से पार्क बनवाने की मांग

30--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील परिसर में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री शिवमूर्ति दुबे पार्क बनवाये जाने पर विचार करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, नहीं।

क्योंकि लालगंज तहसील परिसर में अनावासीय भवन (तहसील कार्यालय) निर्मित हो गया है। उप जिलाधिकारी का आवास एवं तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार का आवास निर्माणाधीन है। तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आवास निर्मित होना है। उपकोषागार, उपनिबन्धक कार्यालय बनाया जाना शेष है। उक्त कार्यालय एवं आवासीय भवनों के बनने की दशा में तहसील परिसर में पार्क हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत खड्डा में सिंचाई विभाग कालोनी में नाली निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री की जांच

31--श्री बादशाह सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में गण्डक नहर निर्माण खण्ड (सिंचाई विभाग) कालोनी के पास से लोक निर्माण विभाग की पिच-सड़क के पूरब सिंचाई विभाग की नाली पर ही बगैर खुदाई कर, घटिया किस्म की सामग्री से, जल निकासी-नाली का निर्माण मानक के विपरीत कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

जी, नहीं।

नगर पंचायत खड्डा जनपद कुशीनगर में गण्डक नहर निर्माण खण्ड सिंचाई विभाग कालोनी के पास लोक निर्माण विभाग की पिच सड़क के पूरब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कुशीनगर द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त नाली का निर्माण लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग तथा नगर पंचायत की सीमा के आवासीय भूखण्डों के बीच कराया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार खुदाई कर निर्माण कार्य कराया गया है। निर्माण कार्य मेंअब तक प्रयुक्त सामग्री सन्तोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में विधायक कोटे से हैण्ड पम्प स्थापित कराने की मांग

32--श्री अनिल कुमार मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 व 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र राजगढ़, जनपद मिर्जापुर में विधायक कोटे के अन्तर्गत आवंटित हैण्ड पम्प स्थापित करा दिये गये है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? क्या सरकार इन हैण्ड पम्पों को तत्काल स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

विलम्ब का कारण मा0 विधायक कोटे के हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक सहभागिता अंशदान की धनराशि तथा स्थल सूची प्राप्त न होना है।

सहभागिता अंशदान की धनराशि तथा स्थल सूची प्राप्त होने पर विधायक कोटे के अन्तर्गत आवंटित हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के अनेक गांवों को जनपद सोनभद्र में शामिल करने के पश्चात परिसीमन की कार्यवाही शीघ्र करने की मांग

33--श्री अनिल कुमार मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र, में बट बंतरा न्याय पंचायत जो पहले मिर्जापुर जनपद में आती थी, को मुख्यालय से अधिक दूरी होने के कारण न्याय पंचायत के 19 ग्राम सोनभद्र जनपद में समायोजित कर दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि यहां पर कार्यरत स्वीकृत चौकी थाना अहरौरा के कार्यक्षेत्र में आती है जिससे नक्सली क्षेत्र की सूचना के आदान प्रदान में भारी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त चौकी को सोनभद्र जनपद में समायोजित करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

जनपद मिर्जापुर के 19 ग्रामों को जनपद सोनभद्र के थाना राबर्ट्सगंज में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, किन्तु परिसीमन आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन पर लगाए गए रोक के कारण प्रस्तावित अधिसूचना अभी जारी नहीं की गयी है।

34--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

35--श्री राम इकबाल सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी।

36–डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश सं0-5097/9-आ-3-2001 (आ0 व0), दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा इलाहाबाद विकास क्षेत्र में दिनांक 31-3-2001 तक निर्मित अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या नियमितीकरण हेतु इलाहाबाद में 81 कालोनियों को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किया गया था ? यदि हां, तो विकास प्राधिकरण ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001 (आ0 व0), दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में निर्मित अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु गाइड लाइन जारी की गयी थी।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में नियमितीकरण हेतु निर्धारित कट आफ डेट दिनांक 31 मार्च, 2001 मानते हुए अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कराया गया था।

जी हां।

स्थलीय निरीक्षण से 81 अवैध कालोनियों का पता लग पाया। प्राधिकरण द्वारा ऐसी कालोनियों के नियमितीकरण करने हेतु विज्ञापन कराने पर 13 कालोनियों के निवासियों/ कालोनाइजर्स द्वारा अपने ले-आउट प्लान जमा कराया गया, जो ले-आउट प्लान जमा किये गये उनमें पार्क, नागरिक सुविधा यथा सीवर, जलापूर्ति, जल संभरण, विद्युत आपूर्ति, स्कूल आदि को प्रदर्शित नहीं किया गया था और न ही ले- आउट में यह प्रदर्शित किया गया कि वह किस खसरा व किस आराजी पर स्थित है। तलपट मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु भू-स्वामित्व के सत्यापन का कार्य प्रथम मानदण्ड होता है अन्यथा भू-स्वामित्व का अभिलेख न दिये जाने एवं ले-आउट को सजरा प्लान पर प्रदर्शित न किये जाने के कारण नियमितीकरण हेतु पात्रता का निर्धारण सम्भव नहीं हो सका। प्राधिकरण द्वारा सूचना/सुझाव देने के उपरान्त भी उपरोक्त कमियों को दूर न करने एवं वांछित सूचनायें उपलब्ध न कराने के कारण वर्तमान समय तक नियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

प्राधिकरण द्वारा वांछित उपरोक्त सूचनाओं के अभाव में नियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिकेड़ा के जंगल में लूटपाट की घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37–श्री हुकुम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29 मार्च, 2005 को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिकेड़ा के जंगल में बदमाशों द्वारा पांच घंटे से भी अधिक समय तक लूट-पाट की गयी ? क्या यह सही है कि घटना की लिखित सूचना देने के बावजूद पुलिस द्वारा न तो केस कायम किया गया और न ही अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। दिनांक 29 मार्च, 2005 को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिकेड़ा के जंगल में बदमाशों द्वारा लूट-पाट किये जाने की घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

लूट-पाट की घटना घटित न होने के कारण ही थाना सिखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया और इसी कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर शहर के शास्त्री नगर कालोनी में गली की सफाई की व्यवस्था

38–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर शहर में स्थित शास्त्री नगर कालोनी के ब्लाक संख्या-494 के ठीक पीछे की गली में विगत 3-4 वर्षों से गन्दगी व्याप्त है ? जिससे संक्रामक रोग फैल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गली की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

वार्ड संख्या-101 शास्त्रीनगर कानपुर श्रम विभाग की लेबर कालोनी में कुल 19 गलियां हैं, इसमें से 07 गलियों की सफाई धनांक रुपया ,700.00/- व्यय करके करा दी गयी है, शेष 12 गलियों की सफाई जिसमें ब्लाक संख्या-494 के ठीक पीछे की गली भी शामिल है, की सफाई करायी जा रही है। जिन गलियों की सफाई अभी तक नही हुई हैं, उसमें संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाओं का नियमित छिड़काव कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

लखनऊ, विकास नगर के निवासियों का सेक्टर-1 स्थित पार्क से अवैध कब्जा हटवाने विषयक पते पर कृत कार्यवाही

39- श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 पी0 मिश्रा, निवासी म0 नं0 1/551 तथा श्री जुगल किशोर, म0 नं0 1/550, विकास नगर, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र जो कि सेक्टर-1 के मकान नं0 1/545 से 1/571 के सामने पार्क में अवैध कब्जा हटाने विषयक था, पर

मा0 राज्य मंत्री, नगर विकास के आदेश सं0 674/9/रा0 मं0 म0 वि0/2004, दिनांक 6-7-2004 द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या नगर निगम द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

जी हां।

दि0 08-07-2005 व दि0 20-07-2005 को

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगम द्वारा "स्व गृहकर निर्धारण" योजना के अन्तर्गत भवनों का भवन कर जमा करने के सम्बन्ध में जानकारी

40–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के नगर निगमों द्वारा वर्ष 2001-2002 से लागू "स्व: गृहकर निर्धारण" योजना के अन्तर्गत मात्र 10 प्रतिशत भवन स्वामियों ने ही गृहकर जमा किया है, शेष भवन स्वामी वर्ष 2001 के पूर्व में लागू योजना के अन्तर्गत ही गृहकर जमा कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गृहस्वामियों, जिन्होंने "स्व: गृहकर निर्धारण" योजना के अन्तर्गत गृहकर जमा किया है, की बढ़ी हुयी धनराशि को अगले वित्तीय वर्षों में समायोजित करने हेतु कोई शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

अधिकांश भवन स्वामियों द्वारा स्व:कर निर्धारण प्रक्रिया को स्वीकार करके अपने भवनों का भवन कर जमा किया जा रहा है।

लखनऊ के कृष्णा नगर व आलमबाग क्षेत्र के आशुतोष नगर में डामरीकरण कराने की मांग

41–श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के कृष्णा नगर, आलमबाग क्षेत्र के आशुतोष नगर पुलिस चौकी के पास से लेकर ट्रांसफारमर तक जाने वाले मार्ग का डामरीकरण न होने के कारण नागरिकों को आने जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट अविकसित कालोनी है, जिसमें विकास कार्य कराने का दायित्व विकास शुल्क जमा कराकर संबंधित कालोनाइजर/लखनऊ विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के चौपटिया में बाबाजी की कुटिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

42–श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के चौपटिया स्थित डा0 सिद्दीकी के क्लीनिक से बाबाजी की कुटिया तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

कार्य का आगणन धनांक रु0 3.78 लाख एवं रु0 2.49 लाख स्वीकृत हो गया है। निविदा मांगने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम खम्भौली का मजरा मदारपुर में सड़क निर्माण की मांग

43–श्री रामशंकर पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खम्भौली का मजरा मदारपुर में पक्की सड़क न होने के कारण गांव के लोगों को मुख्य सड़क तक आने जाने में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम खम्भौली का मजरा, मदारपुर, जनपद उन्नाव में पक्की सड़क नहीं है।

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खम्भौली का मजरा, मदारपुर की आबादी 567 है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त सड़क स्वीकृत नहीं है। अत: ग्राम्य विकास विभाग से उक्त योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के आर्य नगर मोहल्ले की अधिकांश खराब पड़ी सड़कों की मरम्मत व प्रकाश व्यवस्था ठीक कराने की मांग

44–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के आर्यनगर मोहल्ले की अधिकांश सड़कों की स्थिति जर्जर है तथा मार्ग प्रकाश के बिन्दु भी सही प्रकार जलते नहीं हैं जिससे आये दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को हाटमिक्स प्लान्ट (पेवर मशीन) द्वारा बनवाने तथा मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

आर्य नगर मोहल्ले की कुछ सड़कें खराब हैं। क्षेत्र में लगे सभी मार्ग प्रकाश बिन्दु वर्तमान में प्रकाशित हैं।

धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृतोपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव है तथा क्षेत्र में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था निरन्तर प्रक्रिया में करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत तैयार कार्य योजना की जानकारी

45–श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड-कुड़वार जनपद सुल्तानपुर को वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित करीब 70 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विलम्ब के दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां। जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड--कुड़वार को वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित वास्तविक परिव्यय धनराशि रु0 58.64 लाख के सापेक्ष कार्य योजना तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय विकास खण्डों में ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

46–श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 में वि0 खं0 दुबेपुर एवं वि0 खं0 कुड़वार, जनपद--सुल्तानपुर में किन-किन कार्यों को कराये जाने की योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार उन कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर एवं कुड़वार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 में जिन कार्यों को कराये जाने की कार्य योजना बनाई गयी है, उनकी सूची संलग्न *है।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के ग्राम सभा मनियारी में निर्मित पानी की टंकी से पानी आपूर्ति की जानकारी

47–श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभा मनियारी (अलीगंज) में निर्मित पानी की टंकी से सभी गांवों को पानी की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के ग्राम सभा मनियारी में ग्राम समूह पेयजल योजना में निम्नलिखित ग्राम सम्मिलित है--

मनियारी (अलीगंज), टिकरिया, सरैया पूरे बिसेन, कोटिया, खरसा, बबूरी, मसेतवा, सिंदूरी, दादूपुर, उत्तर गांव, बहमरपुर एवं ऊँचगांव।

उक्त गांवों में से 04 गांव मनियारी (अलीगंज), टिकरिया, सरैया पूरे बिसेन एवं कोटिया को वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 08 गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है।

इस योजना की अभिकल्पित अवधि 15 वर्ष है जो 2003 में ही पूर्ण हो चुकी है। नलकूप का स्राव कम होने तथा ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन को बार-बार क्षतिग्रस्त करने एवं रख-रखाव के सीमित संसाधन होने के कारण उक्त 08 ग्रामों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उक्त क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का रख-रखाव धनराशि की उपलब्धत पर निर्भर है। उक्त 08 ग्रामों में मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तः, इन ग्रामों में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली विसवां में पंजीकृत अपराध में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

48–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली विसवां, जनपद सीतापुर में पंजीकृत अपराध सं0 24/05 में नामजद अभियुक्तों को क्या गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वादिनी श्रीमती अर्शी खान पुत्री मो0 शेख खान मुकाम ईदगाह, थाना कोतवाली, जनपद लखीमपुर खीरी की तहरीरी सूचना पर दिनांक 8-1-2005 को मु0 अ0 सं0-24/05 धारा 498 ए/323/504/506 भा0 दं0 वि0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट बनाम खान सादाब जमीर पुत्र जमीरुद्दीन, जमीरूद्दीन पुत्र अज्ञात, साजिदा बेगम पत्नी जमीरूद्दीन (सास), नि0 सरावगी टोला विसवां,

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 191--219पर।)

सीतापुर पंजीकृत हुआ। नामजद अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ से गिरफ्तारी के सम्बन्ध में रिट पिटीशन सं0 403/2005, दिनांक 4-1-05 के माध्यम से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 9-3-05 को प्रेषित करके विवेचना पूर्ण कर ली गयी है।

मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

जनपद मैनपुरी में लोगों को उपलब्ध सरकारी सुरक्षा गार्ड की संख्या एवं उसकी समीक्षा करवाने की मांग

49–श्री अशोक सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में कितने लोगों को सरकारी सुरक्षा गार्ड शासन द्वारा उपलब्ध करवाये गये हैं और कितने सुरक्षा गार्ड स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाये गये हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी जिन लोगों के पास सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं उनकी सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता की समीक्षा करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैनपुरी जनपद में शासन स्तर से 57 एवं स्थानीय स्तर से 12 (कुल 69) लोगों को सुरक्षा गार्ड (गनर/शैडो) उपलब्ध कराये गये हैं।

सुरक्षा प्रदान करने हेतु शासनादेश सं0-1773/6-पु-2-2001-700 (1)/2001, दिनांक 25-4-2001 के प्रस्तर-7 में यह व्यवस्था है कि जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाएगी। जनपदों द्वारा प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा नियमित रूप से की जाएगी तथा पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के माध्यम से रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। इस प्रकार प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा तदनुसार की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

कारागार में 14 वर्ष की सजा काटने पर रिहा किये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत गत वर्षों से रिहा किये गये कैदियों का विवरण

50–प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार में बन्द सजायाफ्ता कैदियों को 14 वर्ष की सजा काटने पर रिहा किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने पात्र कैदियों को वर्ष 2003 एवं 2004 में रिहा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश कुमार वर्मा–

जी हां।

वर्ष 2003 में 19 कैदियों तथा वर्ष 2004 में 25 कैदियों को रिहा किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद मथुरा, आगरा व लखनऊ में सर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने की योजना

51–प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा, आगरा, लखनऊ में सर पर मैला ढोने की प्रथा जारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रथा को समाप्त करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां किन्तु जनपद मथुरा, आगरा व लखनऊ में सर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्ति की प्रक्रिया में है।

इन नगरों हेतु आई0 एल0 सी0 एस0 योजनान्तर्गत परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुदान (दुर्बल आय वर्ग हेतु 45 प्रतिशत) स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोहल्ला मोती नगर की प्राथमिक पाठशाला आर्य नगर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धन की मांग

52–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित श्री भूपेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मा0 नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

स्थिति यथावत् है, धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन एवं प्रतिमाह वेतन आदि में व्यय धनराशि की जानकारी

53–प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मानवाधिकार आयोग में तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्ते मद में तथा अन्य मदों में प्रतिमाह सरकार का कितना धन खर्च हो रहा है ? सरकार उक्त आयोग को गतिशील बनाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन अधिसूचना संख्या 2254ख/छः-4-1996, दिनांक 4 अप्रैल, 1996 द्वारा किया गया है तथा मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगण की नियुक्ति दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 को की गई है।

मानवाधिकार आयोग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते के मद में औसतन रु0 7.12 लाख तथा अन्य मदों में औसतन रु0 2.07 लाख की धनराशि प्रतिमाह खर्च हो रही है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग गतिशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त ग्रामों में पेयजल योजना लागू करने की मांग

54–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-471, दिनांक 20-12-02 एवं पत्र दिनांक 30-12-04 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल योजना लागू करने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस सम्बन्ध में ग्राम विकास अनुभाग-5 का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-सी0 एम0-418/30-5-2002, दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

मा0 सदस्य (प्रश्नकर्ता) का पत्र दिनांक 20-12-2002 प्राप्त हुआ है, तो मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 05-09-2002 के सन्दर्भ में ही है।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-सी0 एम0-418/38-5-05 दिनांक 07-10-02 द्वारा मा0 सदस्य (प्रश्नकर्ता) के पत्र दिनांक 05-09-2002, जो जनपद प्रतापगढ़ के 13 ग्रामों की गणना प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजना विरचित करने विषयक है, के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को प्रेषित किया गया है।

उक्त 13 ग्रामों में से ग्राम-हरीपुर-बरदैता की पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 24.50 लाख विचित कर ली गई है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।.

प्रश्न नही उठता।

जनपद बलिया शहर में सीवर लाइन बनाये जाने की योजना की जानकारी

55–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा ऐक्शन प्लान के तहत बलिया शहर में सीवर लाइन बनाये जाने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में अनुसूचित जाति के लोगों के मकान गिराने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

56–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 570/वी0 आई0पी0/रा0 मं0 कृ0/03, दिनांक 28-3-03 जो श्री मोहम्मद शमीम, खुर्शीद, अफजल, महबूब एवं पत्र संख्या 569, दिनांक 20-3-03 श्रीमती सुशीला, राम अवध, राम लवट, ग्राम अतरसण्ड के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण पर उपजिलाधिकारी पट्टी, तहसीलदार पट्टी को अपने आदेश पत्र संख्या 149/शिविर-03, दिनांक 11-3-03 द्वारा कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र सं0-149/शिविर-03, दिनांक 11-3-03 में दिये गये आदेश के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मकान, जो आवंटित भूमि पर बने हैं, को नहीं गिराया गया है।

इस सम्बन्ध में श्री शमीम एवं श्रीमती सुशीला द्वारा कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया है। अतएव अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के मंगरौरा आदि ब्लाकों में स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाये जाने की जानकारी

57–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, पट्टी, आसपुर देवसरा के लिए सहभागिता के आधार पर उनके द्वारा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को 150 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने हेतु दि0 10-7-03 को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्डपम्प लगा दिये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

प्रश्नकर्ता (मा0 सदस्य) के पत्र पर दिनांक 10-7-2003 को यद्यपि 150 हैण्डपम्प के आदेश किए गये थे किन्तु सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से केवल 77 हैण्डपम्प ही अनुमोदित किये गये।

तद्नुसार विकास खण्ड-पट्टी में 30, आसपुर देवसरा में 35 तथा मंगरौरा में 12 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मल्हार सहारा स्टेट, जानकीपुरम् स्थित श्रीमती शशिबाला के घर मार-पीट व लूट-पाट करने विषयक दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

58–श्री कौशल किशोर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शशिबाला पत्नी कैलाशनाथ धूसिया, 21/104 मल्हार सहारा स्टेट, जानकीपुरम्, लखनऊ के घर में घुसकर दिनांक 28 व 30-1-05 को मार-पीट व लूट-पाट करने वालों के खिलाफ दी गयी सूचना पर थाना मड़ियांव में रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमती शशिकला धुसिया पत्नी श्री कैलाश नाथ धुसिया, निवासी 21/104 मल्हार सहारा स्टेट, थाना मड़ियांव, लखनऊ द्वारा दिनांक 2-2-05 को एन0 सी0 आर0 संख्या-23/05 अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 विमलेश प्रताप सिंह व श्री बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध पंजीकृत करायी गयी अभियुक्तगणों का चालानी अन्तर्गत धारा 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0, दिनांक 2-2-05 को न्यायालय किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद लखनऊ के रामदास हाता सदर बाजार कैन्ट के श्री आर0 एस0 राजौरिया को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गनर दिये जाने की मांग

59–डा0 सुशील चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के आर0 एस0 राजौरिया, निवासी 62, रामदास का हाता सदर बाजार, कैंट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में याचिका संख्या 852-05 दाखिल की गई थी जिसमें याची ने अपनी सुरक्षा हेतु गनर दिये जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दो सप्ताह में सुरक्षा दिये जाने के निर्देश गृह मंत्रालय, उ0 प्र0 शासन को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या याची को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुरक्षा दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा अपने निर्णय/आदेश दिनांक 11-2-2005 में याची श्री आर0 एस0 रजौरिया को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में उनके प्रत्यावेदन पर विचार कर निस्तारित करने के आदेश दिये गये थे।

याची के प्रत्यावेदन पर जनपदीय सुरक्षा समिति की आख्या में इनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास होने एवं इनको जीवनभय परिलक्षित न होने के फलस्वरूप इन्हें सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तद्नुसार कार्यालय ज्ञाप सं0-1757/6-पु-2-2005-गा/05, दिनांक 2-6-2005 द्वारा उक्त निर्णय से याची को अवगत भी करा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में समग्र ग्राम विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की मांग

60–चौ0 महेन्द्र सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में वर्ष 2003-04 व 2004-05 के समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2003-04 में चयनित 8 ग्रामों में से 3 ग्राम सम्पर्क मार्ग से संतृप्त हो चुके हैं तथा वर्ष 2004-05 में चयनित 2 ग्राम सम्पर्क मार्ग से संतृप्त नहीं है।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

61–चौ0 महेन्द्र सिंह–

[तीसरे गुरु के अता0 प्र0 सं0 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के अलीगंज योजना फेस-2 में संचालित डेयरियों को शहर से बाहर हटवाने की मांग

62–डा0 अजय कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के सेक्टर-ए, अलीगंज योजना फेस-2 में अनधिकृत रूप से गोपाल डेयरी, हसीम डेयरी एवं राजू डेयरी तथा गजोधर डेयरी तथा अन्य कई डेयरियां नियम विरुद्ध संचालित की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त डेयरियों को शहर से बाहर हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थित कुण्डा धाम आदि स्थलों को पर्यटन विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की मांग

63–श्री राजेद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में पर्यटन मद में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए किन-किन स्थलों को विकास के लिये अनुमोदित किया गया है ? क्या अनुमोदित स्थलों के लिये अपेक्षित वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी हे ? यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)–

वित्तीय वर्ष 2004-05 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थित कुण्डाधाम, मुजाही देवी, महडौरा शिव मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर तथा शिवरा मंदिर के पर्यटन विकास हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृति यथाशीघ्र प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्र में कार्यरत डूडा संस्था द्वारा सड़कों के चयन में विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर विचार

64–श्री अशोक सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्र में कार्यरत संस्था डूडा द्वारा सड़कों के चयन का आधार क्या है ? क्या उपरोक्त संस्था द्वारा चयन प्रक्रिया में विधान सभा के सदस्यों के प्रस्ताव भी शामिल करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा एन0 एस0 डी0 पी0 योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना नगरीय मजदूरी योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में अनुपलब्ध मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के कार्य की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए सड़कों का निर्माण किया जाता है। कार्यों का चयन कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर सी0 डी0 एस0 के प्रस्ताव पर डूडा की शासी निकाय में अनुमोदनार्थ प्रस्तावित किये जाते हैं। कार्यों का सम्पादन डूडा की शासी निकाय की बैठक के अनुमोदनोपरान्त कराया जाता है।

मा0 विधान सभा के सदस्यों का प्रस्ताव भी उपरोक्त चयन प्रक्रिया के आधार पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

65–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

[न्यायालय के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील जलालपुर के ग्राम डीही मियांव में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध किये जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

66–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कीर्ति सिंह पुत्र जयराज सिंह, ग्राम डीहीमियांव, तहसील व परगना जलालपुर, जनपद अम्बेदकरनगर ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को मई जून 2005 में शिकायती-पत्र भेजकर अपने ग्राम के रामदत्त सिंह पुत्र जयराज सिंह, महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रामकीर्ति सिंह द्वारा सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध किये जाने की शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इस सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने और अतिक्रमण करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। भूमि/रास्ते के चल विवाद के सम्बन्ध में श्री रामकीर्ति सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 16-6-2005 प्राप्त हुआ है।

उभय पक्षों के बीच हुई आपसी सहमति के आधार पर मौके पर चक आउट भूमि गाटा सं0-1128 से रास्ता पूर्व में निकलवाकर प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान समय में रास्ते को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना-चरथावल के गांव दथेड़ू कलां में मुख्य मार्ग पर लूट पाट की घटना पर कार्यवाही

67--श्री हुकुम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मई , 2005 को मुजफ्फरनगर जनपद के थाना-चरथावल के अन्तर्गत गांव-दथेड़ू कलां में अज्ञात बदमाशों ने मुख्य मार्ग अवरुद्ध करके 2 घंटे तक वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों को लूटा और सवारियो को गम्भीर चोटें पहुंचाई ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, दिनांक 31-5-05 की रात्रि में 3.30 ए0एम0 पर मुजफ्फरनगर से थाना भवन रोड पर 7-8 अज्ञात बदमाशों द्वारा घोड़ा बुग्गी लगाकर रास्ता रोककर लाठी डण्डा, कट्टा (तमन्चों) से मारपीट कर श्री सुनील कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह नि0 कुतुबपुर थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर से 4500/= रु0 नोकिया-3100 कलर मोबाइल फोन नं0 9897879964 तथा चालक महेश पुत्र कृष्ण, नि0 शकरपुर, थाना नरौना, बुलन्दशहर से 6000 रु0 व मैटरोला पुराना मोबाइल सेट तथा ट्रक नं0 एम0पी0ओ0-9 के0सी-0942 के चालक कर्णसिंह पुत्र रंजीत सिंह, नि0 गुलनगर,

थाना गुरसान, जिला हाथरस से 4600 रु0 तथा पीछे आ रही टाटा 207 में दीपक शर्मा पुत्र भारत भूषण निवासी मो0 कानूनगोयान कस्बा व थाना चरथावल से दो साड़ी व 3000 रु0 व एक घड़ी टाइटन को लूटकर ले जाने की सूचना वादी श्री सुनील कुमार उपरोक्त द्वारा दिनांक 31-5-05 को थाना चरथावल पर अंकित करायी गयी।

उपरोक्त घटना के संबंध में वादी श्री सुनील कुमार की सूचना पर थाना चरथावल पर मु0अ0सं0 204/05 धारा 395 भादंवि0 बनाम 6-7 बदमाश अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है। अभियुक्त व लूटे गये सामान की पतारसी एवं सुरागरसी जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास-04 व दारुलसफा में कर्पूरी ठाकुर सेवा संस्थान के कार्यालय हेतु आवास आवंटन करने की मांग

68--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद श्री रशीद मसूद का पत्र दि0 23-5-05 जो कर्पूरी ठाकुर सेवा संस्थान को रायल होटल विधायक निवास 04 व दारुलशफा में कार्यालय हेतु स्थान आवंटन के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था को कार्यालय हेतु आवास आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी के सेक्टर एफ में सीवर लाइन बिछाने के कार्य को पूर्ण कराने की मांग

69--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड के सेक्टर "एफ" में सीवर लाइन बिछाने का कार्य विगत वर्ष शुरु कराया गया था जो संबंधित ठेकेदार द्वारा अधूरा ही छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

दो माह में

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी में पराग डेरी जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

70--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ में पुरानी चुंगी से हिन्दनगर पराग डेरी को जाने वाली सड़क अत्यधिक जर्जर है तथा बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र में पेयजल समस्या निराकरण हेतु लगाये गये नलकूप से जलापूर्ति की जानकारी

71--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर द्वारा नगर क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने हेतु 31-5-2005 तक कितने नलकूप एवं पानी की टंकी बनायी गयी है ? क्या जिला उद्योग केन्द्र सुल्तानपुर कम्पाउण्ड में कोई नलकूप लगाया गया है ? यदि हां, तो इससे किन मुहल्लों (वार्डो) को जल आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

दिनांक 31-5-2005 तक नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर के क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने के लिये तीन अदद ओवर हेड टैंक (टंकी) तथा 14 अदद बड़े व 2 अदद मिनी नलकूप बनाये गये हैं। जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं।

जिला उद्योग केन्द्र परिसर के पास एक मिनी नलकूप बनाया गया है, पानी की टंकी नहीं बनायी गयी है। उक्त नलकूप से सिविल लाइन के हथियानाला, लोक निर्माण विभाग डाक बंगला रोड व सीताकुण्ड एवं आफीसर्स कालोनी में पानी की आपूर्ति की जा रही है।

सचिवालय के कर्मचारियों को एक विभाग में तैनात रखने तथा आन्तरिक स्थानान्तरण करने के प्राविधान की जानकारी

72--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के कर्मचारियों को एक विभाग में 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्षों तक तैनात रखने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक एक विभाग में बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या सचिवालय के अनुभागों में तैनात कर्मचारियों का आन्तरिक स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका प्राविधान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सचिवालय सेवा के केवल समूह 'ग' के कर्मचारियों को उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक शाखा अधिष्ठान में अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक तैनात रखने का प्राविधान है।

उक्त प्राविधान इसलिए किया गया है जिससे कर्मचारियों को संबंधित शाखा अधिष्ठान के कार्यों की सम्यक् रूप से जानकारी प्राप्त हो सके व शाखा अधिष्ठान के कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके।

सचिवालय के अनुभागों में तैनात कर्मचारियों को विभाग के अन्दर आन्तरिक स्थानान्तरण करने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर रोड एल0 डी0 ए0 कालोनी सेक्टर "एफ" में स्थित

पार्क के सौन्दर्यीकरण की मांग

73--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एल0 डी0 ए0 कालोनी, कानपुर रोड लखनऊ सेक्टर "एफ" में (श्री प्रताप पैलेस काम्पलेक्स के पीछे) मकान नं0 एस0 एस0 260/261/262 के सामने स्थित पार्क में कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा को हटाकर पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा।

लगभग दो माह में।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा एवं मेरठ मण्डलों में हुई अनेक पंजीकृत घटनाओं के

अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण

74--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-01-2003 से 30 अप्रैल, 2005 तक आगरा एवं मेरठ मण्डलों में हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार एवं लूट की कितनी घटनायें पंजीकृत हुई तथा इनमें से कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं तथा कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किये जा सके हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिनांक 01-10-2003 से 30 अप्रैल, 2005 तक आगरा एवं मेरठ मंडलों में हत्या, डकैती, अपहरण बलात्कार एवं लूट के संबंध में पंजीकृत घटनाओं अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा दाखिल किए गए आरोप पत्र के संबंध में सूचना निम्नवत् है :--

	घटनाओं की संख्या	गिरफ्तार नहीं किए गए अभियुक्तों की संख्या	आरोप-पत्र दाखिल किए जाने की संख्या
		आगरा मण्डल	
हत्या	1272	32	39
डकैती	66	0	0
अपहरण	267	7	8
बलात्कार	223	0	0
लूट	466	08	12
		मेरठ मण्डल	
हत्या	1150	33	49
डकैती	57	7	10
अपहरण	558	10	9
बलात्कार	185	5	4
लूट	437	16	18

जनपद अलीगढ़ के कतिपय वार्डों में जल भराव व रोड निर्माण की समस्या के निराकरण की मांग

75--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के वार्ड सं0-28 व 48 के नौरंगाबाद छावनी अम्बेडकर नगर कालोनी में जल भराव की गम्भीर समस्या है ? क्या बाबा साहब डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा से लेकर नगला मान सिंह तक रास्ता खराब होने के कारण आवागमन की काफी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में पानी निकासी हेतु नालियों व रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नौरंगाबाद छावनी, अम्बेडकर नगर कालोनी सड़क से काफी नीचे बसा हुआ क्षेत्र है। जिसकी जल निकासी का एक मात्र साधन पम्प ही है। नगर निगम द्वारा जल भराव की समस्या उत्पन्न होने पर पम्प द्वारा पानी निकासी कर जल भराव की समस्या का निदान किया जा रहा है।

बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से नगला मान सिंह तक रास्ते के कुछ भाग जो क्षतिग्रस्त हो गये हैं, की मरम्मत की कार्यवाही धन उपलब्धता के आधार पर किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ श्री राम वेंकट हाल से रावणटीला एटा चुंगी बाईपास में जल निकासी हेतु नालियों व सड़क निर्माण की मांग

76--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के वार्ड संख्या-33 के श्रीराम वेंकट हाल से रावणटीला एटा चुंगी बाई पास पर जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाने से गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण व आवागमन हेतु सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, ता कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जनपद अलीगढ़ के श्री राम वेंकट हाल से रावण टीला एटा चुंगी बाई पास की सड़क कच्ची है। वर्षा होने पर कुछ स्थानों पर पानी इकट्ठा होता है और बाद में निकल जाता है। जलभराव से होने वाली गन्दगी को साफ कराया जाता है।

जल निकासी हेतु प्रस्तावित मार्ग के एक तरफ नाला बनाया जा चुका है, जिसकी जल निकासी पम्प के माध्यम से की जा रही है। धन उपलब्धता के आधार पर नाली व सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ संजय गांधी कालोनी में जल निकासी हेतु नाली व सड़क निर्माण की मांग

77--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के वार्ड संख्या-33 की संजय कालोनी में जल भराव से रास्ता काफी खराब होने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में पानी निकासी हेतु नालियों व रोड का निर्माण करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

संजय गांधी कालोनी का निर्माण मुख्य मार्ग/बाई पास मार्ग से काफी नीचे स्थलों (पुराने भट्ठा के गढ्ढों में) पर हुआ है। जिसमें वर्षा ऋतु के समय जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसे अस्थायी रूप से पम्प लगाकर निकाल दिया जाता है। धन उपलब्धता के अनुसार उक्त कालोनी में नालियों व रोड का निर्माण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के गुरुनानक वार्ड में रोड के अतिक्रमण को हटवाने की मांग

78--श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

क्या नगर विकास मंत्री कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के थाना-कृष्णानगर के गुरुनानक वार्ड के विशेश्वर नगर के मकान नं0 554 ख/8 के अध्यासी (राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मुन्नी लाल वर्मा) द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आने-जाने वाले राहगीरों तथा आस-पास रहने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अतिक्रमण को हटवाकर रोड को खाली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रश्नगत रोड (गली) नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आती है। उक्त क्षेत्र विशेश्वर नगर निजी कालोनी है और इसके लेआउट स्वीकृत करने का अधिकार विकास प्राधिकरण में निहित है। यू0 पी0 अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट की धारा-14 के अन्तर्गत ले-आउट स्वीकृत न होने की दशा में समस्त कार्यवाही करने का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध स्थान पर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया है। प्रश्नगत कालोनी का विकास कार्य पूर्ण कर कालोनाइजर/प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं कराया गया है। चूंकि ले-आउट स्वीकृत नहीं है। अतः ले-आउट स्वीकृत न होने के कारण भवन संख्या-554 ख/8 के अध्यासी व अन्य लोगों द्वारा रोड पर किस सीमा तक अतिक्रमण किया गया है, उसका चिन्हांकन किया जाना कठिन है। फिर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में समग्र ग्राम्य विकास योजना में चयनित अनेकों गांवों को संतृप्त कराने की मांग

79--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये वर्ष 2004-05 में चयनित समग्र ग्राम चेरैया, पूरब पट्टी, गहरौली करौली मधुपुर के मार्गों का क्या नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्राम असुढ़ी, इटहरा, भलाक, गढ़रामऊ , डाही, संतापुर को लेपन स्तर तक के मार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त ग्रामों में सीनियर बेसिक विद्यालय, खड़ंजा नाली कुम्हारी पट्टा, पेंशन कृषि योग्य पट्टे आदि के कार्य करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

समग्र ग्राम्य विकास योजना में प्रश्नगत कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

खड़न्जा/नाली छोड़कर शेष कथित कार्यक्रमों से ग्राम संतृप्त है। शेष कार्य को पूरा कराये जाने के लिये समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ में समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित समस्त गांवों को संतृप्त करने की मांग

80--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2003-2004 में चयनित समग्र ग्राम ढिढुयी, दाऊदपुर, डेईडीह धौरहरा, नेवादा, धूती, रसूलपुर, हैदरपुर, अस्थरा, पर्वतपुर, सुलेमान, दरघुट में मार्गों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा सीनियर बेसिक विद्यालय, कुम्हारी पट्टा में शेष विद्युतीकरण कार्य खड़ंजा निर्माण, नाली निर्माण कार्य कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चयनित ग्राम वरचौली, हथसारा को सम्पर्क मार्ग से भी जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण समग्र ग्राम्य विकास योजना में शामिल नहीं है। प्रश्नगत सभी ग्राम कथित शेष सभी कार्यक्रमों से मानकों के अनुरूप संतृप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता है।

मानक के अनुसार प्रश्नगत दोनों मार्ग से जुड़े हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में अतिक्रमण हटाते समय जे0सी0बी0 मशीन की ठोकर से लक्ष्मण की मृत्यु में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

;1--श्री हुकुम सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 3 जून, 2005 को जनपद सहारनपुर में अतिक्रमण हटाते समय मौके पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण अतिक्रमण हटाने में उपयोग की जा रही जे0सी0बी0 मशीन की ठोकर से विनोद पुत्र लक्ष्मण की मौत हो गई थी ?उक्त व्यापारी की मौत के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नगर सहारनपुर में नगर मजिस्ट्रेट की देख-रेख में अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। जे0सी0 बी0 मशीन नगर पालिका की थी तथा जे0सी0बी0 मशीन की ठोकर से विनोद पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार श्री विनोद पुत्र श्री लक्ष्मण मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। उक्त मौत की मैजिस्ट्रीयल जांच भी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद थाना मुजफ्फरनगर के थाना तिवारी के बघरा गांव में हुए पुलिस कर्मियों पर हमले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

82--श्री हुकुम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि 30 मई, 2005 को अपराधियों ने मुजफ्फरनगर जनपद में थाना तिवारी के बघरा गांव में पुलिस के दो सिपाहियों को गम्भीर रूप से घायल कर उनकी रायफलें लूट ली गयी थी ? यदि हां, तो उक्त घटना से संबंधित अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह सही नहीं है कि दिनांक 30-5-2005 को अपराधियों ने थाना तिताबी के बघरा गांव में पुलिस के दो सिपाहियों को घायल कर रायफलें लूट ली। वास्तविकता यह है कि दिनांक 31-5-2005 को थाना तितावी के 2 सिपाही अपनी रायफल सहित ग्राम बघरा में गस्त में जा रहे थे तो वहां 7-8 बदमाश सीढ़ी लगाकर किसी के घर में डकैती डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब सामने से सिपाही आते हुए दिखाई दिये तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए दोनों सिपाहियों पर हमला कर दिया और उन्हें धक्का-मुक्की व मारपीट कर घायल कर दिया जिससे सिपाहियों की रायफलें गिर गई । कुछ समय बाद जब सिपाही उठे तो उन्हें अपनी रायफलें वहीं पड़ी मिली और बदमाश वहां से भाग चुके थे। इसके बाद दोनों सिपाही रायफलों के साथ थाने पर आये और घटना के संबंध में थाना तिताबी पर मु0अ0सं0 165/05 धारा 398, 307 भा0दं0वि0 बनाम 7-8 अज्ञात बदमाश पंजीकृत कराया गया।

थाना तिताबी पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही कर इस घटना में लिप्त 8 बदमाशों में से 5 को जेल भिजवा दिया है शेष 3 बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है जिनकी गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थलों पर दबिश दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के थाना बडौत के ग्राम वाजिदपुर के श्री नरेन्द्र सिंह की हत्या में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

83--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के वाजिदपुर निवासी रिटायर्ड सूबेदार श्री नरेन्द्र सिंह की दि0 25-05-05 को पुलिस द्वारा हत्या करके लाश को हिण्डन नदी में फेंक दिया गया ... जिसकी रिपोर्ट मुकदमा अ0 सं0 1278ए/05/धारा 394, 302, 201 आई0पी0सी0 के

अन्तर्गत थाना बालैनी में दर्ज है ? यदि हां, तो इस हत्याकाण्ड की जांच में कौन-कौन पुलिस कर्मी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र 7 जून, 2005 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव --

पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दिनांक 25-5-05 का देवेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिखेडा थाना चांदी नगर जनपद बागपत ने थाना बालैनी पर सूचना अंकित करायी कि मेरठ डिपो की बस संख्या यू0पी0 15, 9954 जो कि मेरठ से बागपत का समय करीब प्रात: 9.45 बजे चली थी, में एक अज्ञात व्यक्ति जानी बस स्टैण्ड से बस में चढ़ा तो बस परिचालक द्वारा किराया मांगा गया। जिस पर उस व्यक्ति ने किराया नहीं दिया तथा बस परिचालक को पिस्टल दिखाकर गाली-गलौच करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात् उक्त बदमाश धौलड़ी मोड़ पर उतर गया इस सूचना पर थाना बालैनी को पुलिस द्वारा चेकिंग करायी गयी तो उक्त बदमाश पीछे मेरठ की ओर से आ रही प्राइवेट बस पर बैठा था तथा पुलिस को देखकर उक्त बदमाश पिछली खिड़की से धनराज शर्मा नामक व्यक्ति को धक्का देकर भाग लिया। इस दौरान जनता के काफी व्यक्तियों एवं पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो अज्ञात बदमाश द्वारा पुलिस व जनता के व्यक्तियों पर फायरिंग प्रारम्भ की गई । पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिससे संभवत: यह बदमाश घायल हो गया तथा जनता व पुलिस से घिरा देखकर उक्त बदमाश ने हिण्डन नदी में छलांग लगा दी। जिसके संबंध में थाना बालैनी पर मु0सं0 1278/05 धारा 307, 504, 506 भादंवि0 एवं अपराध संख्या 1279/05 धारा 25 शस्त्र अधि0 का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष बालैनी द्वारा प्रारंभ की गई तथा यह विवेचना क्षेत्राधिकारी, खेगड़ा को सुपुर्द की गई ।

दिनांक 29-5-05 का प्रभारी निरीक्षक, थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना बालैनी का दूरभाष पर यह सूचना दी गई कि पुलिस चौकी नन्दग्राम क्षेत्र में नदी में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है जिसके परिजनों ने इसकी शिनाख्त नरेन्द्र सिंह उर्फ लाला पुत्र वेद सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों द्वारा थाना सिंहानीगेट जनपद गाजियाबाद पुलिस को बताया गया कि मृतक नरेन्द्र उर्फ लाला सेना में नायब सूबेदार था जो सेवानिवृत्त हो चुका तथा दिनांक 25-5-05 को मृतक अपने भाई सोमपाल की लाइसेन्सी पिस्टल लिये हुये था जिससे थाना बालैनी पुलिस द्वारा चलायी गई गोली लगी थी एवं उसकी मृत्यु हो गई । तथा शव बहते हुए यहां तक पहुंचा है उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष बालैनी द्वारा दिनांक 25-5-05 को थाना बालैनी क्षेत्रान्तर्गत हुई मुठभेड़ के चक्षुदर्शी साक्षी श्री धनराज शर्मा से मृतक की पोस्टमार्टम से पूर्व शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया परन्तु आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा इसे असफल कर दिया गया। जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 30-5-2005 को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया जिनके द्वारा ग्राम वाजिदपुर, थाना बडौत में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संबंध में वादी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री वेद सिंह, निवासी ग्राम वाजिदपुर, थाना बडौत, जनपद बागपत की लिखित तहरीर दिनांक 3-6-2005 के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 1278ए/2005 धारा 394, 302, 201 भादं0वि0 का अभियोग अज्ञात पुलिस कर्मी थाना बालैनी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में वादी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री वेद सिंह, निवासी ग्राम वाजिदपुर, थाना बड़ौत जनपद बागपत की लिखित तहरीर दिनांक 3-6-05 के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 1278ए/05 धारा 394, 302, 201 भा0दं0वि0 का अभियोग अज्ञात पुलिस कर्मी थाना बालैनी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। उपर्युक्त तीनों अभियोगों की विवेचना पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ के आदेशानुसार श्री रणधीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना सिंहानीगेट, जनपद गाजियाबाद के सुपुर्द की गई जो अभी प्रचलित है तथा विवेचना में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच उप जिला मजिस्ट्रेट बड़ौत द्वारा की जा रही है। तथा पुलिस स्तर से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा की जा रही है।

जी हां।

आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बागपत कार्यालय से उप जिला मजिस्ट्रेट बड़ौत से आख्या प्राप्त कर दिनांक 23-7-2005 को पत्र संख्या 380/जे0ए0/2005 के माध्यम से विशेष सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त

समग्र ग्रामों को संतृप्त करने की मांग

84--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में कौन-कौन से समग्र ग्राम चयनित किये गये थे ? क्या सभी ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

वर्ष 2003-04 से विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत क्रमशः ग्राम अस्थरा, धरौली, हथसारा, डेईडीह धौरहरा, दाऊदपुर, धूती, ढढुई, नेवादा, रसूलपुर हैदरपुर, बरचौली एवं पर्वतपुर सुलेमान तथा वर्ष 2004-05 में क्रमशः ग्राम चरैया, असुढ़ी, सेतापुर, इटहरा, पूरब पट्टी, मलाक, महरौली, धरौली, मडरामऊ, डहीबेदूपट्टी एवं दुर्गादेई समग्र ग्राम के रूप में चयनित किये गये हैं।

जी नहीं।

सीमित संसाधन।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के विकास खण्ड रामपुर मथुरा

व पहला के मेड़बन्दी व जल संचय कार्य पूर्ण कराने की मांग

85--श्री अनिल कुमार वर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में विगत दो वर्षों में रामपुर मथुरा पहला विकास खण्ड में भूमि समतलीकरण, मेड़बन्दी जल संचय निर्माण कार्य कितनी ग्राम सभाओं में चलाया जा रहा है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के विकास खण्ड रामपुर मथुरा में 11 तथा विकास खण्ड पहला के 41 ग्रामों में मेड़बदी एवं जन संचयन का कार्य कराया जा रहा है।

विकास खण्ड रामपुर मथुरा में वर्ष 2008-09 तक तथा विकास खण्ड पहला में वर्ष 2006-07 तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

86--**श्री नरेन्द्र शिशौदिया--**

[2सरे शुक्र0 के अता0 प्र0 सं0 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

87--श्री संजीव दरियाबादी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर में "सम विकास योजना" की चयन प्रक्रिया में की गयी अनियमितता की जांच

88--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित "सम विकास योजना" के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में कन्या इण्टर कालेज के त्रिस्तरीय पंचायत स्तर पर चयनित किये जाने का विज्ञापन फरवरी, 2005 में किया गया था ? क्या इस योजना के बारे में समुचित प्रचार-प्रसार किया गया ? क्या यह सही है कि महत्वपूर्ण योजना को जल्दबाजी में स्वीकृत करने से चयन प्रक्रिया में अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो क्या चयन प्रक्रिया की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां। योजना के बारे में समुचित प्रचार-प्रसार नहीं किया गया प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण योजना को जल्दबाजी में स्वीकृत करने से चयन प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया कमियां प्रतीत हुयी हैं।

जी हां चयन प्रक्रिया की विस्तृत जांच आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों/विधायकों की सुरक्षा में लगे अंगरक्षकों की स्थानान्तरण नीति एवं सचिवालयों में 10 वर्षों से कार्यरत अंगरक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

89--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों/विधायकों के सुरक्षा में लगे अंगरक्षकों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि बहुत से अंगरक्षक सचिवालय स्थित अधिकारियों से सम्बद्ध होकर विगत 10 वर्षों से अधिक समय से सचिवालय में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी अंगरक्षकों की पहचान कराकर उन्हें सचिवालय से बाहर उनके मूल विभाग में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अभिसूचना विभाग के अंगरक्षक संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में नहीं किया जाता है। अंगरक्षक संवर्ग के सभी कर्मी सुरक्षा शाखा, अभिसूचना मुख्यालय, उ0 प्र0, लखनऊ में नियुक्त हैं तथा सचिवालय स्थित शैडो कार्यालय से संबद्ध रहकर मा0 मंत्रियों को सुरक्षा ड्यूटी सम्पादित करते हैं। मा0 विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था उनके मूल जनपदों द्वारा की जाती है। जिन पर वही स्थानान्तरण नीति लागू होती है जो शासन द्वारा पुलिस के अन्य कर्मियों हेतु निर्धारित की गयी है।

सचिवालय में तैनात अधिकारियों से संबद्ध होकर 10 वर्षों से अधिक समय से सचिवालय में ही कार्यरत अंगरक्षकों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा कुर्हातेतरा (कडसर) के ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि के उपयोग की जांच

90--श्री राम करन आर्य --

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हातेतरा (कडसर) के ग्राम प्रधान को विगत 5 वर्षों से अब तक कितने धन जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास व अन्य मदों से मिला है, उसका उपयोग कहां-कहां हुआ है ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हातेतरा (कडसर) में ग्राम प्रधान को विगत 5 वर्षों से अब तक जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास व अन्य मदों में धनराशि रु0 5,82,641.50 प्राप्त हुई ।

ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों में।

जांच कराने के निर्देश आयुक्त, ग्राम्य विकास को निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ जसरा में पेयजल संकट विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

91--श्री उदयभान करवरिया--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा अन्तर्गत विकास खण्ड शंकरगढ़ जसरा में पेयजल संकट के बारे में श्री दिनेश कुमार तिवारी द्वारा दिनांक 15-12-2004 को शिकायती-पत्र प्रेषित किया गया था जिसके आधार पर अपर आयुक्त (कार्यक्रम), ग्राम्य विकास उ0 प्र0 ने पत्रांक 3/जांच प्रकरण, दिनांक 7-1-2005 पर बिन्दुवार 15 दिनों के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील सदर के बस्ती गोरखपुर से ग्राम छपिया मझरिया सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

92--श्री राम इकबाल सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित श्री धर्मराज निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद में तहसील सदर के अन्तर्गत साउघाट ब्लाक में स्थित बस्ती गोरखपुर मार्ग से ग्राम छपिया मझरिया तक सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाने हेतु धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

बस्ती जनपद में तहसील सदर के अन्तर्गत साउघाट ब्लाक में स्थित बस्ती गोरखपुर मार्ग से ग्राम छपिया मझरिया तक सम्पर्क मार्ग खड़ण्जा स्तर तक निर्मित है। उक्त सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक बनवाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में यह स्वीकृत नहीं है। उक्त सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाने के संबंध में निर्णय हेतु लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है तथा जनपद स्तर पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी बस्ती को भी निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा बीजा अवधि समाप्त होने के पश्चात् अवैधानिक तरीके से रहने के विरुद्ध कार्यवाही

93--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक बीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैधानिक तरीके से रह रहे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

8 पाकिस्तानी नागरिकों के बीजा की अवधि समाप्ति के बाद भी अवैधानिक तरीके से रहने की बात प्रकाश में आयी है।

इनमें से एक के संबंध आई0एस0आई0 से होने की पुष्टि हुई है । शेष अन्य के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता नहीं पाई गई है। सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिये गये हैं।

इनके अतिरिक्त 370 पाक नागरिक विलुप्त हैं।

जी हां।

विलुप्त पाक नागरिकों को खोज हेतु जनपदीय पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा विशेष शाखा अभिसूचना विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है और सतर्क दृष्टि भी रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ग्राम खरगापुर में आगा सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 द्वारा क्रय प्लाट पर श्री मंगल सिंह आदि द्वारा अनाधिकृत कब्जा व निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

94--श्री सुरेश चन्द्र तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत सहकारी समिति के विरुद्ध दायर आरोप-पत्र दिनांक 23-8-2004 पर निर्णय प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

अभी भी न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अगली तिथि 16-8-05 नियत है।

जनपद बाराबंकी के जिला सहकारी बैंक लि0 में हुए करोड़ों रुपये के गबन का कथित प्रकरण

95--श्री प्रदीप माथुर--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 25-4-2005 को जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी में हुए करोड़ों रुपयों के गबन/अपहरण-दुर्विनियोग के प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने हेतु अनुरोध किया गया ? यदि हां, तो इस हेतु क्या कोई उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है ? यदि हां, तो जांच कमेटी में कौन-कौन हैं तथा कमेटी जांच कब से शुरू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदानन्द अंचल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री श्याम लाल यादव और श्री मुंशी लाल के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम लाल यादव का 6 मई , 2005 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे।

श्री श्याम लाल यादव का जन्म 27 जुलाई, 1927 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री श्याम लाल यादव वर्ष 1957 तथा 1967 में निर्वाचन क्षेत्र मुगलसराय, तत्कालीन जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित

हुये थे। वे लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके थे । श्री श्याम लाल यादव वर्ष 1967-68 में श्री चरण सिंह मंत्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे थे। वे वर्ष 1980-84 तक राज्य सभा के उप सभापति तथा वर्ष 1988-89 में श्री राजीव गाँधी मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे थे। वे राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। श्री यादव उत्तर प्रदेश जन कांग्रेस तथा भारतीय क्रांति दल के संस्थापक सदस्य थे। वे डी0ए0वी0 कालेज, वाराणसी के मैनेजर तथा सकलडीहा कालेज, वाराणसी के उपाध्यक्ष रह चुके थे।

श्री श्याम लाल यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मुन्शी लाल का 20 जुलाई , 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे।

श्री मुन्शी लाल का जन्म मार्च, 1926 में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मुन्शी लाल वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र विलासपुर, जिला रामपुर से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मुन्शी लाल दो बार ब्लाक प्रमुख रहे थे। वे ग्राम कुआं खेड़ा के प्रधान भी रहे थे।

श्री मुन्शी लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया।

मा0 सदस्यों से आग्रह है कि इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम सब खड़े होकर दो मिनट सदन का मौन रखें।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि0 की चीनी मिलों के निजीकरण/लीज पर दिये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, वक्तव्य प्रारम्भ करें। वक्तव्य की प्रतियां बंटवा दी जाए।

(प्रतियां बांटी गयी)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की चीनी मिलों के निजीकरण/लीज पर दिये जाने के संबंध में दिनांक 8-8-2005 को विधान सभा में मैं वक्तव्य पेश कर रहा हूं।

मैं माननीय सदन के समक्ष और मा0 सदन के माध्यम से प्रदेश की महान जनता के सामने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के लीज/निजीकरण के संबंध में सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों में 1100 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो चुका है। इस घाटे का मुख्य कारण मिलों की बेहद पुरानी मशीनरी व कम पेराई क्षमता है। इन मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि एवं मिलों के आधुनिकीकरण हेतु बहुत बड़े पूंजी निवेश, लगभग

1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसकी व्यवस्था करना राज्य के सीमित संसाधनों व प्रदेश के विकास से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के फलस्वरूप सम्भव नहीं हो पा रहा था। अत: इन बीमार चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि एवं आधुनिकीकरण कस्ने तथा इस घाटे को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 24 चीनी मिलों को निविदा के आधार पर दीर्घकालीन लीज पर निजी क्षेत्र में देने का निर्णय मा0 मंत्रि-परिषद् की बैठक में लिया गया था।

चूंकि यह कई सौ करोड़ रुपये के घाटे की प्रतिपूर्ति का मामला था, इसलिए मामले में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए मैंने इस निर्णय को माननीय सदन के समक्ष भी रखा। माननीय उच्च न्यायालय ने चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में लीज पर देने की प्रक्रिया को वैध ठहराया। रुग्ण इकाइयों के संबंध में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए0ए0आई0एफ0आर0) के समक्ष भी चीनी निगम/राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा निर्णय राज्य के पक्ष में हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की नीति को पारदर्शी और उचित ठहराया। तत्पश्चात् मा0 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए0ए0आई0एफ0आर0) में भी सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ। इसके बावजूद कुछ चुने हुये बड़े अखबार एवं कुछ विरोधी दलों ने निराधार और बेबुनियाद दलाली का आरोप हमारी सरकार और हमारे नेताओं के विरुद्ध लगाया, जिसकी वजह से प्रदेश में चीनी के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश खत्म हो रहा है, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति पूंजी निवेश हेतु आगे आ रहे थे, वह पीछे हट गये। जब मैंने चीनी मिलें दी ही नहीं तो दलाली कैसी ?

मुझे माननीय सदन को बताते हुये हर्ष है कि प्रदेश की विकासोन्मुखी चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के फलस्वरूप प्रदेश में मार्च 2007 तक लगभग 3500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश अनुमानित है। इस पूंजी निवेश से प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता में लगभग 1.5 लाख टन प्रतिदिन (टी0सी0डी0) की वृद्धि अनुमानित है। इस अतिरिक्त पेराई क्षमता से गन्ना किसानों को प्रति वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के रूप में प्राप्त होंगे।

यदि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों का भी निजीकरण होकर उनकी क्षमता तीन गुनी हो जाती तो जहां एक ओर गन्ना किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलता और गन्ना मूल्य के रूप में उन्हें लगभग 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय होती वहीं दूसरी ओर प्रदेश में पूंजी निवेश भी बढ़ता और औद्योगिक विकास को गति प्रदान होती।

मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश के विकास के मामले में माननीय सदन सहयोग करे ताकि प्रदेश का विकास हो सके।

मैं इन चीनी मिलों के निजीकरण के संबंध में माननीय सदन की राय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मजबूरी में यह बयान देना पड़ा। जो फैसला हुआ था वह 24 मिलों को निजी क्षेत्र में देने के संबंध में हुआ था। लगभग 1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार के पास संसाधन नहीं है कि चीनी मिलें चला सके इसलिये अतिरिक्त घाटा बढ़ रहा है। मान्यवर, इस संबंध में तैयारी हो रही थी सी0बी0आई0 जांच की, इसकी मुझे पक्की सूचना है। हम अनावश्यक विवाद में नहीं फंसना चाहते थे। सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हैं। 5 करोड़

रुपये चीनी मिलों के संबंध में एडवान्स लिया गया था जिसको उन्होंने वापस ले लिया है और हमें उसको वापस करना पड़ा। इससे पूर्वान्चल के किसान काफी प्रभावित होंगे। आपको पता है कि जो 24 चीनी मिलें हैं, उनमें से 5 चीनी मिलें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं और 8 ऐसी हैं जिनमें घाटा ही घाटा है। जो मिलें चालू हैं वह किस तरह से चालू हैं यह किसी से छिपा नहीं है। हमारी जो नीति है उससे कम से कम 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ किसानों को पहुंचा है। इस नीति के कारण और सख्ती के कारण और [illegible] क्षत्र पर जो उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है उसके कारण केवल 23-24 करोड़ रुपया शेष रहा है 99 फीसदी का पूरा का पूरा भुगतान हो चुका है। इसके अलावा जो कम्पिटीशन हुआ है उसकी वजह से अबकी.बार 112 रुपये का रेट दिया गया है।

558 करोड़ रुपए किसानों को अलग मिले। इस तरह से किसानों को लाभ पहुंचा था यही मैं चाहता था। हमारा पूर्वान्चल पिछड़ा है अगर हमारी यह नीति लागू हो जाती तो हमारा यह विश्वास है कि पूर्वान्चल के लोग सबसे ज्यादा सम्पन्न किसान हो जाते। लेकिन कुछ अखबार है जिन अखबारों के बल पर कुछ लोग एसेम्बली चलाना चाहते हैं। इस प्रदेश की नीति को चलाना चाहते हैं। उनके निजी स्वार्थ है। वह अभी समझ नहीं पा रहे हैं सरकार को भी और हमें भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन उनको परवाह थी और वह पीछे हट गए इसलिए एक गम्भीर सवाल खड़ा हो गया। इस पर आप लोग आधे घण्टे या 15 मिनट अगर बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उसके बाद जवाब दूंगा। इस समय हमारे सामने जो संकट है उसे इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसाना को और जनता को बताना चाहता हूं। सरकार दृढ़ है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। कुछ बाधाएं हैं कुछ नेताओं और कुछ अखबारों के माध्यम से सरकार के सामने बाधाएं की गई हैं। जिससे इन चीनी मिलों का निजी क्षेत्र में जाना कठिन हो गया है। यह मैं सदन को सूचना दे रहा हूं।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें बड़ी विवशता जाहिर की है। सरकार का दायित्व है नीति बनाने का जनहित में सरकार नीति बनाती है सरकार ने एक नीति बनाई थी कि इससे आगे चलकर किसानों का हित होगा। लेकिन उससे पीछे हट जाना सरकार की विवशता को जाहिर करता है। मैं एक दो जानकारी चाहता हूं। क्या आपने नीतिगत निर्णय ले लिया है कि चीनी निगम की जो नुकसान वाली मिलें हैं उनका हस्तांतरण अब नहीं करेंगे ? सरकार के सामने क्या मजबूरी है कि कुछ अखबारों में छप गया इसलिए अब कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं ? जब आपने कहा कि किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय था तो पीछे हटने की कोई वजह नजर नहीं आती है ? दूसरी बात क्या निगम की सारी मिलों को हस्तांतरित करने की नीति है या उनमें से कुछ को रखने और कुछ को हस्तांतरित करने की नीति है ? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपने वक्तव्य में कहा कि गन्ने का भुगतान अधिक हुआ है तो मैं बाकी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मुरादाबाद मिल के बारे में आपको बार-बार ज्ञापन दिया गया किसानों के द्वारा भी दिया गया । यह मिल एक वर्ष का नहीं तीन वर्ष का भुगतान लिए बैठी है। कोर्ट के निर्णय के बावजूद, आपके आदेशों के बावजूद 75 रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया। यह प्रश्न दूसरे सदन में भी उठा था वह भी चाहते हैं यह मिल तीन वर्षों से 75 रुपए के हिसाब से भुगतान कर रही है जबकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्य चीनी मिलें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर 125 से 130 रुपए के हिसाब से भुगतान कर रही है। यह संज्ञेय अपराध है तो मेरा कहना है कि मुरादाबाद मिल के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करके कार्यवाई करेंगे कि नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, हुकुम सिंह जी ने सुझाव दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम नहीं पीछे हटे। समस्या चीनी मिल मालिकों की है। हमने उनको बहुत समझाया, बातचीत की और कहा कि हम इस पर सदन में भी चले जाएंगे लेकिन उन्होंने कहा कि हम व्यापारी हैं हमारे सौदे की सी0बी0आई0 जांच करे इससे हमारा विश्वास उठ जाएगा। हम भी सम्मानित हैं। अखबार वाले ही सम्मानित नहीं, नेता ही सम्मानित नहीं मेरा भी सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मान है। हमारा भी किसी न किसी क्षेत्र में देश के अन्दर सम्मान है। इसलिए हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम सी0बी0आई0 के सामने नहीं जाना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है और यह भी सच्चाई मैं आपको देना चाहता हूं कि सी0बी0आई0 की जांच के लिये तैयारी वहां है। मैंने भी पता लगाया तो पता चल गया कि सरकार की नीति है लेकिन अब वह उद्योगपति हट गये। अब उन उद्योगपतियों को लाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिये मैंने उचित समझा कि यह सदन को बताया जाए। (व्यवधान) सी0बी0आई0 देश चला रही है, यह उसी का परिणाम है। मैं रक्षा मंत्री रहा हूं, मैंने देखा है। सुरक्षा के मामले में कितने गम्भीर परिणाम देश के सामने हैं और होंगे पांच साल में। यह सब देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं, और क्या बताऊं सदन के अन्दर। हमारे नेताओं के यहां तीन बार सी0बी0आई0 जांच हुई, दो बार आपकी सरकार के समय में हुई। पूछ-ताछ कोलकता से दिल्ली तक हुई और अभी भी पूछ-ताछ हो रही है। मामूली सा लोहिया ट्रस्ट खंडहर पड़ा है, उसकी जांच शुरू हो गई। जिसमें एक पैसा सरकार का नहीं है, उसकी जांच शुरू हो गयी। यह है। एक रुपया नहीं है उसमें सरकार का। 70 लाख रुपया दिया। यह क्यों हो रहा है ? अखबारों के माध्यम से चलायेंगे एसेम्बली। अखबार का काम तो है लिखना, आलोचना करना, वो तो करेंगे। लेकिन हम कोई परवाह नहीं करते। अखबारों के आधार पर हम अपने काम को देखते हैं और वहां कोई कमी नहीं है तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा, अखबारों के बल पर बात करते हैं। हुकुम सिंह जी, प्रमोद जी अगर आप पढ़ लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतना नीच और गन्दगी का पत्र है, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। एक ऐसा पत्र लिखा है। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना उचित भी नहीं है। आपको मैं वह पत्र दिखा दूंगा अकेले में, नेताओं की बैठक में दिखा दूंगा। ऐसा गन्दा पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री के यहां दे दिया है। कागज प्रधानमंत्री के यहां से आया है। अपने ही साथियों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये लिये। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो निम्न तबीयत के लोग हैं, छोटी तबीयत के लोग है। पूर्वांचल के ही रहने वाले हैं। हम तो इसको पूर्वांचल की जनता के सामने रखेंगे। आप सबको भी रखना पड़ेगा। किस तरह से बर्बादी कर रहे हैं किसानों के खिलाफ । केवल कुछ उद्योगपतियों का स्वार्थ हल नही हो पा रहा था इसलिये कुछ पैसा लेकर इस तरह से चिट्ठी लिखवाते हैं। रुपया लेकर चिट्ठी लिखकर इस तरह से ब्लैक मेल करेंगे कि उद्योगपति वापस चले जायें, हम ब्लैकमेल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि उद्योगपति वापस चले आयें। हम उनको वापस लाना चाहते हैं और हमारी नीति भी है। सदन अगर इस पर सहमत हो तो

हम सर्वसम्मति से विचार करेंगे और उद्योगपतियों से बात करेंगे। विश्वास हो जायेगा कि हमको सहयोग मिलेगा। मुरादाबाद चीनी मिल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सच है कि हमने बहुत पहले कार्यवाही की थी और अब जाकर न्यायालय बीच में आ गया । न्यायालय बीच में आ गया है तो हम उसके खिलाफ लड़ेगे न्यायालय में। अगर उन्होंने कुछ राहत दी है, अगर स्टे वैकेट हो जायेगा तो चाहे इसको नीलाम करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, हम वसूली करेंगे। अगर बहस करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हम जवाब देंगे।

मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मैं एक छोटा सा प्रस्ताव है, पढ़ दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, यह प्रस्ताव आपके पास पहुंच गया है क्या ? क्या इस प्रस्ताव के लिये आपकी अनुमति प्राप्त हो गयी थी ? इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। आपकी अनुमति की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई और आपने प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मैंने आपसे व्यक्तिगत इसकी इज़ाज़त ले ली थी और उसी के क्रम में माननीय नेता सदन ने आपके सामने यह प्रस्ताव रखा है। उनके रखने के बाद मैं भी इसे आपके सामने रख देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन मंत्रि परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, [X X X]

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हम कुछ कहना चाहते हैं सुन लीजिये। मान्यवर, आपकी निगाह उधर रहती है और हाथ हमारी तरफ होता है। मैंने यह पूछा है जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने रखा है इसका पहले आभास तक नहीं था। वक्तव्य देने जा रहे थे। अध्यक्ष जी, क्या प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपको प्राप्त हुई है ? प्रस्ताव का नियम है तो उन नियमों का पालन होना चाहिए। अगर नेता सदन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बाकी का क्या होगा ? इसका औचित्य क्या रहा ? मेरा आपसे अनुरोध है आपके पास अगर प्रस्ताव की प्रतिलिपि नहीं आई है, आपकी अनुमति नहीं ली गई है तो इसको कार्यवाही से निकलवाएं। यह प्रस्ताव नियम संगत नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

नियमावली से पीठ की गरिमा बचाएं।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

हर सत्र में विश्वास मत इस तरह से पेश करना उचित नहीं है। क्या सदन में कोई दल, खासतौर से मुख्य विपक्षी दल आपके बहुमत पर कोई संदेह व्यक्त कर रहा है ? कोई अपेक्षा आपसे कर रहा है और आप अक्षम हैं ? आपका बहुमत है . . . .

श्री मोहम्मद आज़म खां--

इससे ज्यादा क्या प्रमाण-पत्र होगा इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री लालजी टण्डन--

यहां पत्रकार बैठे हैं यह कहानियां बनाते हैं हम नियमों से नहीं चलते हैं आप अध्यक्ष जी के सामने रख देते इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आज के दिन आपके लिए बहुमत के बारे में कोई संदेह नहीं है। बहुमत आपका है अगर आपके लोगों को विश्वास नहीं है कि बहुमत आपका है या नहीं है तो अलग बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं माननीय नेता विरोधी दल का धन्यवाद देता हूं। इन्होंने कहा कि बहुमत है। लेकिन सारे समाचार पत्र में रोजाना भ्रम पैदा किया जा रहा है लगातार। तो हमने सदन के अन्दर कहा कि भ्रम दूर कर दें। इस प्रस्ताव के बाद विधान सभा भंग करने नहीं जा रहे हैं लेकिन जैसा वक्तव्य जिम्मेदार पार्टी दे रही है उनके रहते हुए हम सदन में बता दें कि यह सदन मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करता है। समाचार पत्र पढ़ते हैं ? जिम्मेदार पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी के नेता भ्रम पैदा करते हैं,। रोजाना भ्रम पैदा किया जाता है इसलिए आपके सामने प्रस्ताव लाए हैं। भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपके नेता बोलते हैं। आप कुछ दिन से चुप हैं . . . .

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

वह दूसरी पार्टी के नेता कौन हैं यह आ जाना चाहिए। नेता, सदन ने कुछ पार्टी के नेताओं की विश्वसनीयता के लिए इसको सदन में रखा है तो वह पार्टी और नेता कौन हैं यह सदन में आ जाए तो उचित रहेगा ?

एक सदस्य--

अखबार पढ़ लें।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की चीनी मिलों के निजीकरण/ लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

*श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की राज्य चीनी निगम की मिलों की जर्जर स्थिति के संबंध में जो चीनी मिलें हैं उनके संबंध में वक्तव्य रखा है और एक विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है। मुख्य मंत्री जी ने चीनी निगम की बन्द पड़ी मिलों के बारे में कहा उसको सदन में लाए हैं। मैं सदन का सदस्य हूं . . . . . और इसमें हमारी राय आ जानी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, यह विषय खत्म हो गया है और नया प्रस्ताव आ गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, अब नया प्रस्ताव आ गया है।

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष जी, बार-बार इनके उठने की आदत हो गयी है, यदि यह कार्यवाही से बेखबर हैं तो इन्हें खबर कर दीजिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह लोग उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां के किसानों की आय का स्रोत सिर्फ गन्ना है, अगर मुख्यमंत्री जी किसी महत्व का विषय लेकर आए हैं, टण्डन जी ने अपनी बात कह ली, हुकुम सिंह जी ने भी अपनी बात कह ली, इसलिए अब मेरा पक्ष भी आ जाना चाहिए। मान्यवर, जो 5 चीनी मिलें एक साल और 6 चीनी मिलें एक साल बन्द हो गयीं, उनको बन्द करने की गुनाहगार यह सरकार नहीं है, उसके गुनाहगार ये लोग बैठे हैं। मुपडेरवा चीनी मिल चल रही थी।

श्री हुकुम सिंह--

अगर आप आरोप लगायेंगे तो . . . .

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, मुख्यमंत्री जी ने जानना चाहा है कि क्या इसे प्राइवेट सेक्टर में दिया जाना चाहिए, एक बात आप बता दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय हुकुम सिंह जी ने इतनी बातें कहीं, मेरा भी बराबर का अधिकार है।

श्री हुकुम सिंह--

अगर चर्चा कराना है तो चर्चा कराइये, लेकिन इस तरह आरोप लगाने का आपको अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, आप बैठें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, अगर सच्चाई आरोप है तो यह तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हुई।

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने एक नेता के पत्र का उल्लेख किया, वह पत्र किस नेता का है, वह पढ़वा दीजिए, जो किसानों का दुश्मन है, वह पत्र आप पढ़वा दीजिए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

बहुत ही भारी मन से नेता सदन ने एक प्रस्ताव रखा था और इसलिए रखा था कि हमारा प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश है, ज्यादातर हमारे लोग किसानी से ही रोजी-रोटी कमाते हैं और पूर्वांचल के लोग, उनका जरिया ही गन्ने की खेती और शक्कर का करोबार है। जो षड़यन्त्र किया गया और

यह बात भी आई कि अगर सी0बी0आई0 के जिम्मे ही देश व प्रदेश को चलाना है तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे पूंजीपतियों को जो बन्द चीनी मिलों को चलाने की हिम्मत जुटा रहे हैं और अगर उन्हें सन्देह के घेरे में लाया गया, यदि चीनी मिलें घाटे में चली गयीं, उनकी क्षमता नहीं रही, अगर कोई पूंजीपति उत्तर प्रदेश की इन चीनी मिलों को चलाने की हिम्मत कर रहा है, किन्हीं कारणों से नेता जी के व्यक्तिगत प्रयास से, उनके सम्बन्धों से, उनसे बार-बार मिलकर, उनसे निवेदन करके इस बिना पर चल रहे हैं तो इस माहौल में जो माहौल बना था, वह माहौल बहुत ही भावुक माहौल था, हमें आशा है आखिरी दिन ऐसा माहौल नहीं पैदा हो। यह भी स्वागत करने योग्य बात है, हुकुम सिंह जी से कोई दलीय विरोध नहीं है, नेता सदन ने जितना भावुक होकर प्रस्ताव रखा, उसका जवाब उधर से भी आया, नेता सदन ने उसका धन्यवाद अदा किया, नेता विरोधी दल को भी धन्यवाद दिया। मेरा ख्याल है कि अब इसे चर्चा का मौजू नहीं होना चाहिए और नेता सदन को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वह दृढ़ संकल्प रहें। और सी0बी0आई0 से डरने की जरूरत नहीं है, षड़यंत्रकारियों से डरने की जरूरत नहीं है। समाचार पत्रों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने गरीबों का उत्थान करने का संकल्प लिया है, इन कारखानों को चलाने का संकल्प लिया है और इस पर दृढ़ रहें और नेता सदन इस फैसले पर अडिग रहें और अपने काम को अंजाम दें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह मिल किसी एक व्यक्ति को सीधे नहीं दी गयी है बल्कि इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया अपनाई गयी जिसके तहत जरूरी शर्तें रखकर उनको आमंत्रित किया गया। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात किया गया। श्री हुकुम सिंह जी, और अन्य माननीय सदस्य जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी बातें कहीं, वह सभी प्रख्यात विद्वान हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो साल उद्योगपतियों को चीनी मिलों में घाटा उठाना पड़ा था लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि आगे चलकर वह घाटे को समाप्त कर सकेंगे और उन्हें मुनाफा भी हो सकता है। उन्हें देखकर और भी कई उद्योगपति आगे आये हैं और अभी 200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। इससे अच्छा प्रभाव पड़ा है। पूर्वान्चल का ही नहीं बल्कि पश्चिम का भी विकास हो रहा है 4 तो एकदम लगने हैं उससे ज्यादा लाभ पश्चिम का हुआ है और वही लाभ पूर्वान्चल को भी होने वाला है। लेकिन आपने कहा कि आपने गम्भीरता से क्यों नहीं लिया ? मैं कहना चाहता हूं कि चिट्ठी लिखकर प्रधान मंत्री जी को दी गयी और प्रधान मंत्री जी ने यहां भेज दी। प्रधान मंत्री जी को पूछना चाहिए था। हम कितना अपमान झेल रहे हैं ? उसकी जांच हमें करानी पड़ी और जांच आख्या का उत्तर हम भेज देंगे। अब आप ही बतायें कि कोई मिल मालिक क्यों आएगा ? दो साल तक नेट घाटा हुआ है। यह सही है कि हमने बम्बई, दिल्ली में जाकर और अन्य स्रोतों से तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उद्योगपति हैं उनसे आग्रह करके यह निर्णय लिया था। लेकिन उसके बाद यह पत्र लिखा गया। यह कितनी घृणित और दयनीय बात है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिसने यह पत्र लिखा था उस नेता, उस व्यक्ति का नाम सदन को बता दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, वह इस सदन के सदस्य नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वह पत्र आपको दिखा दूंगा। आप कानून व्यवस्था पर चर्चा करें और इस पर अपनी राय दें। अगर आप कानून व्यवस्था की चर्चा करें तो इधर जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं इस पर मैं कहना चाहता हूं कि इधर कहा जा रहा है कि इन चुनावों में अपराधियों, माफियाओं को चुनाव लड़ने से रोका जाये। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो माफिया, अपराधी और दबंग लोग इन चुनावों में भाग ले उन्हें पराजित कर दें। हम जनता से भी अपील करते हैं कि अपराधियों, माफियाओं, दबंगों को किसी भी कीमत पर न जिताएं। अगर हमारे दल का भी माफिया, अपराधी किस्म का कोई उम्मीदवार हो तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी माफिया की दबंगई को चलने नहीं देंगे। लेकिन सदन का सहयोग होना चाहिए और सभी लोग मिलकर अमल करें। यहीं से राजनीतिक अपराधीकरण को रोका जा सकता है।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

आज माननीय नेता सदन ने सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है। मान्यवर, 37 प्रतिशत गन्ना उत्पादन करने वाला यह उत्तर प्रदेश है और उसका सिर्फ 22 प्रतिशत हम चीनी का उत्पादन कर पा रहे हैं। यह समस्या विशेषकर पूर्वांचल से संबंधित है। इसके पूर्व भी निजीकरण का प्रयोग किया गया था, वह सीमित और असफल हो गया था। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि इसमें क्या-क्या गल्तियां रहीं और क्या इन गल्तियों को ध्यान में रखते हुये यह निजीकरण का निर्णय लिया गया है ? उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ? दूसरी चीज यह है कि यह निजीकरण चरणबद्ध होना चाहिए। पांच चीनी मिलें बन्द हैं, आठ घाटे में चल रही हैं और 11 चीनी मिले सरकार की सहायता से चल रही हैं, तो जो पांच बन्द हैं और आठ घाटे में चल रही हैं उनका तो निजीकरण हो लेकिन क्या चालू 11 मिलों का भी निजीकरण किया जायगा ? यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ताकि वह भी मुकाबले में खड़ी हो सकें। तीसरी चीज यह है कि आज सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। अधिकांश चीनी मिलें विद्युत का उत्पादन बहुत कम रेट पर कर रही हैं। उनमें सारे विद्युत को खपत करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें यह करें कि जो निजीकरण में दी जायें, जितनी विद्युत वह पैदा करें उस क्षेत्र में कैप्टिम प्लान्ट लगायें ताकि वह अपने क्षेत्र को विद्युत दे सकें। चौथी चीज यह है कि जो सरकारी चीनी मिलें हैं वह बन्द पड़ी हैं। सरकार ने निगम की चीनी मिलों की निजीकरण की बात कही तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों के बारे में सरकार की क्या नीति है ? पांचवी चीज यह है कि जिन चीनी मिलो का निजीकरण किया जाय उसके बारे में ब्ल्यू प्रिन्ट बनायें। उनका मूल्य कितना है ? उनके संसाधन कितने हैं ? यह स्पष्ट करें और कितने मूल्य पर उसे दिया गया और किन -किन लोगों को दिया गया इसे स्पष्ट करा दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अभी नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा था, वह जो षड़यन्त्र हो रहा है उसके बारे में रखा था। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि क्या पालिसी रही है और किन बुनियादों पर इन चीनी मिलों को दिया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, इसके सारे ओपने टेन्डर हुए थे और बार-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बार सभी को इन्वाइट किया गया था। जब यह एतराज किया गया था अमुक को देना चाहते हैं तो फिर इसको वाइड किया गया और बार-बार समाचार पत्रों में दिया गया। यह सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसी प्रक्रिया के नीचे यह लग रहीं थी। माननीय नेता सदन ने अपनी सारी बातें रख दी हैं। जब किसानों और गरीबों को दिक्कत होने लगी और यह षड़यन्त्र हुए तो वह यह प्रस्ताव लेकर आये हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको पारित करा दें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, एक पंक्ति का मेरा भी सुझाव है। मेरा सुझाव यह है कि जो निगम की चीनी मिलें हैं, अवरोध हो गया और हस्तांतरित नहीं हो पा रही हैं, नहीं लग रही हैं, प्रतिबन्ध यह है कि 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं लग सकती हैं, आज यह बन्द हो गयी हैं और चलाने लायक नहीं रहीं, सरकार का नुकसान हो रहा है जहां-जहां पर इस प्रकार की कमियां हैं, अगर नियमों में शिथिलीकरण करके इसको समाप्त कर दिया जाय, जो 15 किमी0 की परिधि वाली बात है तो कम से कम वहां पर जहां पर वह चीनी मिलें चलने लायक नहीं हैं तो वहां पर नई चीनी मिलें लग जायेंगी, जिससे किसानों को भी राहत मिल जायेगी, केवल वहां पर ही इस बाध्यता को समाप्त कर दें जहां पर यह चीनी मिलें चलने लायक नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की घाटे की चीनी मिलों को चलाने के सम्बन्ध में निजीकरण का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

उसकी तरफ शायद आपका ध्यान नही गया है, ग्यारह चीनी मिलें ऐसी हैं जो सरकार की सहायता से चलती हैं। अगर हम ऐसा कर दें तो बन्द चीनी मिलों की फिर एक प्रतियोगिता सी हो जायेगी। तो कौन सा कानून इन पर कार्यवाही करेगा, इन चीनी मिलों पर ? इस तरह से ग्यारह चीनी मिलें जो घाटे में हैं, वह चीनी मिलें जा सकती हैं, वह मुकाबला नहीं कर सकेंगी। तो कितना घाटा सरकार को होगा ? और उसके बाद आपकी सरकार आयेगी या अन्य किसी की सरकार आयेगी। तो जो 13 चीनी मिले जो हमने चलवाने की कोशिश की है और करने वाले हैं उनका घाटा बढ़ेगा हमने 112 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य निर्धारित किया था और उसके बाद जब 25 रुपये, 30 रुपये, 60 रुपये प्रति कुन्तल दाम बढ़ा क्षेत्र में, वह निजी प्रतिस्पर्धा की वजह से बढ़ा। तो वह चीनी मिले जो आपकी हैं, उनसे वह मुकाबला नहीं कर सकेंगी। तो उन चीनी मिलों का क्या होगा ? उनको बन्द कर दें, या निजी क्षेत्र में चलवाकर के प्रतिस्पर्धा करके चलायें तो दूसरा आरोप और होगा कि इनको बरबाद किसने किया ? चीनी मिलें बन्द करनी पड़ेंगी और उनकी नीलामी करनी पड़ेगी और फिर यही होगा कि जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने पथ से हट करके किसी भी तरह से उद्योगपतियों से बात-चीत करके, फिर उनको चलायें। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है, लेकिन सदन का हम समर्थन चाहते हैं, यह जो आपकी राय है, उस राय से हम सहमत हैं, लेकिन जो सदन की राय होगी उसी से हम सहमत होंगे। अगर सदन कहेगा

कि उन्हें चलाने का प्रयास किया जाय तो हम इससे भी सहमत हो जायेंगे। जिसके खिलाफ आपने कार्यवाही करने की बात कही थी, रही उसकी बात तो उसके खिलाफ हमने कानूनी कार्यवाही की और गिरफ्तारी का वारण्ट कर दिया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

*श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है कि घाटे की परिस्थितियों की वजह से किसानों के हित में निजीकरण करना पड़ रहा है और प्रदेश पर वित्तीय संकट भी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लायबिलिटी है इन चीनी मिलों पर, वह क्या है और क्या सरकार उनको वहन करेगी या वहन नहीं करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जब मैंने चीनी उद्योग नीति बनाई थी तो जो मजदूरों को सुविधा देना चाहती है सरकार, वह सुविधा उससे बेहतर दिलाने का प्रयास किया जायेगा और यही कोशिश भी हमने की है जितने मजदूर लगे हुए हैं और मजदूरों की तादाद बढ़ाई जायेगी । बकाया जो है उसका भुगतान हो, वह भी किसानों को दिया जायेगा। यह सब पूरा का पूरा उद्योग नीति में आ गया था। कहीं भी मजदूरों का अहित नहीं हो सकता और कहीं भी सरकार का अहित नहीं हो सकता था। उसके बाद यह नीति हम लाये थे कि उसके बाद एक चीनी मिल इतना कम से कम इन्वेस्ट करेगी, साढ़े पांच से छः तक इन्वेस्ट करेगी। जो सुविधायें हमे देनी हैं, उनको सब देनी हैं, ताकि किसानों का भुगतान पूरा करें।

मान्यवर, इतनी बेहतर नीति पहली बार देश के अन्दर बनी है। महाराष्ट्र की सरकार इससे घबरायी हुई है। इस नीति के चलते महाराष्ट्र दूसरे नम्बर पर है हम नम्बर एक पर हैं। इस नीति के चलते महाराष्ट्र को हम बहुत पीछे कर देते हैं। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, किसानों की अर्थ व्यवस्था पर हमारे देश का विकास टिका हुआ है। अगर किसी आदमी की कमर टूट गई है तो वह कैसे चलेगा ? इसी तरह से अगर किसान की कमर टूटी तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा ? उससे हमारे उत्तर प्रदेश की ही कमर टूट जाएगी। यह कोई मामूली बात नहीं है जो हमारी अर्थव्यवस्था की पूंजी है वह पूरे देश का किसान है और उसमें सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। तो इस पर आप सबको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो यथार्थ है उसको मैंने आपके समक्ष, माननीय सदन के समक्ष रखा है ताकि साढ़े सत्तरह करोड़ जनता को यह जानकारी हो कि सरकार की नीति क्या है, सदन की नीति क्या है, और सदन की राय क्या है ?

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

मान्यवर, अखबारों में छपता है कि यहां सदन में महिलाएं बोलती नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह माननीय चौधरी जी की तरफ से अखबार में छप गया, आप उनकी नोटिस देख लीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की, 5 बंद, 8 घाटे की और 11 अन्य, कुल 24 चीनी मिलों के निजीकरण/लीज पर दिये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य सदन में दिया है। मान्यवर, इसमें माननीय अग्रवाल साहब ने जो सुझाव दिया है कि जितनी मिलें हैं जो बन्द थी अगर वह चालू हो जाए तो हम सब उसका स्वागत करेंगे। मान्यवर, जो घाटे में हैं वह भी चलें. मान्यवर, जहां तक हम लोगों की जानकारी है मेरठ, बुलन्दशहर और बिजनौर की कई राज्य चीनी निगम की ऐसी मिलें हैं जो अच्छी चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो खराब से खराब चीनी मिलें हैं और जो अच्छी से अच्छी हैं तो सबको समकक्ष मानकर जो आपने चीनी मिलों के निजीकरण/लीज पर देने का निर्णय लिया है वह उचित नहीं है। मान्यवर, जो चल सकती थीं उनका विस्तारीकरण किया जा सकता है और वह अच्छी चल सकती हैं। आपने वहां पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में सदन को आश्वस्त कर दिया है। प्रदेश के अन्दर 28 सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं कुछ अच्छी चल रही हैं कुछ खराब हैं। मान्यवर, मैं ढाई साल तक इस विभाग का मंत्री रहा हूं। कुछ ऐसी चीनी मिलें हैं जिसमें जनरेशन के प्लांट लगाये जा सकते हैं। कुछ डिस्टलरी लगाई जा सकती हैं और कुछ का एक्सपेंशन भी किया जा सकता है तो उससे स्थिति में सुधार आ सकता है जिससे कि ये चीनी मिलें चल सकें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में ऐसा है कि माननीय गौर साहब बड़े विद्वान सदस्य हैं और प्रोफेसर भी हैं। मान्यवर, यह सब बातें पहले हो चुकी हैं जब उद्योग नीति सदन के सामने आई थी। जो पांच चीनी मिलें हैं आपको पता है कि वह कितनी चल गयी थी। अगर हम घाटे पर घाटा बढ़ने जाने देंगे तो कैसे काम चलेगा ? आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि कोई बेवकूफ है जो ले लेगा, अगर हम उन्हें ठीक से नहीं देंगे। पांच को उनके साथ लेना पड़ेगा, इस प्रकार की कोई शर्त लगा सकती है सरकार ? इतनी बड़ी बात क्या प्रदेश के हित में, किसानों के हित में कोई सोच सकता है ? ढाई साल तक आप यहां पर रहे हाल देख लीजिये मुण्डेरवा बाजार चीनी मिल का और माननीय जगदम्बिका पाल जी के यहां की चीनी मिलों का। क्या हुआ ?

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

मान्यवर, चीनी मिलों के सम्बन्ध में जब राय मांगी गयी थी 1993 में तो मैं उस समय इस सदन की सदस्य थी और उस समय मेरे क्षेत्र में बुढ़वल चीनी मिल की भी बात थी निजी क्षेत्र में देने की। उस समय कौशिक जी गन्ना मंत्री थे उन्होंने मुझे भी राय मशविरा के लिये बुलाया था और कहा था कि जितने वहां कर्मचारी हैं उनको यथास्थान पर ले लिया जायेगा। लेकिन वहां के कुछ कर्मचारी उद्वेलित हो गये और हाईकोर्ट में चले गये और जिससे वह निजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी। मान्यवर, आज बुढ़वल चीनी मिल की यह स्थिति है कि वहां न जाने कितने कर्मचारी अपने आय के स्रोत न होने के कारण उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गयी और न जाने कितने लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली, पानी सभी की समस्या है इसलिए निजीकरण ही एक उपाय है। इसलिए मैं बुढ़वल चीनी मिल को निजीकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से मैं सहमत हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, 15 कि0मी0 की बात में भूल गया था। अब 15 कि0मी0 की सीमा के अन्तर्गत ही अगर नियम को शिथिल करें तो यह भारत सरकार की ओर से होगा। क्योंकि क्षेत्र प्रतिबन्ध भारत सरकार का है। इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी से मिल चुके हैं दो बार। अभी आये थे यहां, तो थोड़ी बहुत चर्चा इस पर भी हो गयी थी। यह प्रतिबन्ध भारत सरकार का है। और हम, हमारी सरकार कोशिश करेगी कि प्रतिबन्ध में कुछ शिथिलता आये।

मंत्रि परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संगत नियमों को निलम्बित करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि "यह सदन मंत्रि परिषद में विश्वास व्यक्त करता है" ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की घाटे की चीनी मिलों को चलाने के सम्बन्ध में निजीकरण का प्रस्ताव (क्रमागत)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, गन्ने वाला प्रस्ताव ले लें।

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मंशा यह थी नेता सदन की कि पूरे प्रदेश में संदेश जाना चाहिए कि जो निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था किसानों के हक में, इन मिलों को चलाने के हक में, वह ताकतें जो इन मिलों को चलाने से रोकना चाहती हैं चाहे वह सी0बी0आई0 हो, षड़यन्त्रकारी हों, या कोई भी लोग हों, तो यह संदेश आज जाना चाहिए कि पूरा सदन इस विकास योजना में एक मत है तो मैंने यह प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष--

एक प्रस्ताव आप प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि संगत नियमों को शिथिल करते हुये नेता सदन ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की घाटे की चीनी मिलों के चलाने के संबंध में जो निजीकरण का प्रस्ताव रखा है, सदन उससे सहमत है।

श्री हुकुम सिंह--

यह कन्साइन्स होता है, हरेक चीज के लिए औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता, यह कन्साइन्स होता है। सब की राय आ गयी और संदेश चला गया, वही पर्याप्त है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) --

अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, सब की राय नहीं है, हम करेंगे, प्रस्ताव करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, जिन्होंने आरोप लगाये हैं तो कम से कम यह सदन की सम्पत्ति हो गयी सदन में बता दिया कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप की वजह से नहीं चला पा रहे हैं और इससे मिल मालिक भी पीछे हट गये हैं तो सदन के सामने सारी बात आनी चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो साथ में बैठती हैं और पीठ में छूरा लगाती हैं, समर्थन भी देती हैं और बाद में शिकायत भी करती हैं तो सारी बातें ले आइये खुलकर बात आये। हम तो विरोध में बैठे हुए हैं लेकिन किसान की, जनता के हित की जब बात आती है तो समर्थन करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में सारी बात आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की पीड़ा मैंने देखी कि सी0बी0आई0 की जांच कराना चाहते हैं तो जांच हम तो करा नहीं सकते तो सी0बी0आई0 की जांच भी करायेंगे और आपके साथ बैठकर समर्थन भी करेंगे अगर सदन में विषय कोई लेकर चलना है औपचारिक प्रस्ताव लाना है कि सारी की सारी जानकारी सदन के सामने रखें ताकि जनता में सीधा संदेश जाये कि कौन जनहित की बात करता है और कौन पीठ में छुरा भोंकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसलिये अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें भी इच्छा अपनी जाहिर की है और मैंने प्रस्ताव के बाद कह भी दिया था कि यदि सर्वसम्मति होगी, तब हम सहमत हो पायेंगे। जहां तक कौन है का प्रश्न है तो इसके बारे में मैंने कहा है कि सभी दल के नेता हों और स्पीकर साहब के चेम्बर में आ जायें, मैं पूरे का पूरा आपके सामने पत्र और पत्र पर जो भी निर्देश होंगे, वह आपके सामने रख दूंगा।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि जनहित में, किसानों के हित में कोई फैसला सरकार ने लिया था, उस फैसले पर किसी ने विश्वासघात करने की कोशिश की। उस पीड़ा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आये। उन्होंने जनता में जो संदेश देना चाहा, वह दिया। लेकिन उस प्रस्ताव के बारे में जो किसानों के बारे में आया है, यह तो पता चलना चाहिये कि उसके समर्थक कौन हैं और उसके विरोधी कौन हैं, जो पीठ में छुरा भोंक रहे हैं ? ऐसे जनता में संदेश क्या जायेगा, जब पूरी बात नहीं आयेगी। जनता में संदेश का एक भाग नहीं जाना चाहिये। आखिर वह कौन सी पार्टी है जो सी0बी0आई0 की जांच कराना चाहती है ? कम से कम सदन में उस पार्टी का नाम तो आवे जो पार्टी प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर जांच कराना चाहती थी, सी0बी0आई0 जांच कराना चाहती थी। अधूरे संदेश से क्या फायदा होगा। वह पार्टी केन्द्र में सरकार में है और केन्द्र में सरकार में होने का लाभ उठाकर पूर्वांचल के किसानों के साथ धोखाधड़ी करना चाहती है, इसमें सरकार आधी बात कहकर आधी रोकना क्यों चाहती है। इसलिये पूरी बात सदन में आनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस तरफ, जिस दल की तरफ इशारा किया गया है, वह पत्र उस दल की तरफ से नहीं लिखा गया है। लेकिन यह सही है कि प्रधानमंत्री जी को संबोधित पत्र था और इसका मुझे दुःख जरूर हुआ है कि जब यह कहा जाय कि 100 करोड़ की दलाली हमारे नेताओं द्वारा ले ली गयी। इससे ज्यादा अपमान हमारे जैसे आदमी का, हमारे साथियों का, हमारी सरकार का और क्या हो सकता है ? चीनी मिलें अभी दी नहीं गयीं, अभी तो हम लोगों को बुला रहे हैं कि हमारी मदद कीजिये और लोगों ने कह दिया कि 100 करोड़ की दलाली ले ली गयी। मैं इससे ज्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता वर्ना तो यह असंसदीय भाषा बोलने का मौका है। लेकिन मैं उसे बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह पत्र इसलिये लिखा गया कि जिससे आगे चलकर सी0बी0आई0 की जांच हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित यह पत्र इतनी जल्दी लिख देने के बजाय अच्छा होता कि मुझे बुला लिया जाता। हम उस वक्त खुद ही कह देते कि जांच करा लें। लेकिन पहले तो पत्र लिखा जाना और उस पर अधिकारियों द्वारा फाइल का आ जाना, इसे हम अपनी बेइज्जती मानते हैं, अपमान मानते हैं। और जो लोग इस तरह का अपमान करें, उनका तो हम जनता के सामने खुलासा कर ही देंगे।

*नेता विरोधी दल (लालजी टण्डन)--

मान्यवर, नेता सदन ने सदन को सूचित किया था और एक वक्तव्य दिया था, उसके ऊपर राय आ गयी। एक आम सहमति इस बात पर बनी कि चीनी मिलों को चाहे सरकार चलावे, चाहे निजी क्षेत्र से आप चलवायें, लेकिन किसानों के हित में मिलें जरूर चलनी चाहिये, इस पर सैद्धान्तिक रूप से कोई मतभेद नहीं है। इसलिए आप उस पर जब विधिवत् प्रस्ताव आये, तब आप कोई मतदान करायें।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

नेता सदन ने प्रस्ताव रख दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की राय जानना चाहता हूं।

श्री लालजी टण्डन--

जो आपकी राय है, वह सबकी राय है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, हम सर्वसम्मति से चाहते हैं और उसके बाद ही हम उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से अनुरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमें आपका समर्थन और सहयोग चाहिए।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, इसमें किसी का कोई विरोध तो आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर प्रस्तुत किया गया है, यह सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 †

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, अगर आपकी अनुमति हो तो जो यह बिल है, इसे ले लिया जाए, यह केवल 5 सेकेण्ड में हो जाएगा।

श्री लाल जी टण्डन--

ठीक है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन), विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्यमंत्री जी, अभी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो जाएगी, उसके बाद यह मद पारित होगा।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल की श्री हुकुम सिंह, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2005 को दी गयी सूचनाओं पर जारी चर्चा ††

श्री अध्यक्ष--

टण्डन जी अब आप कानून-व्यवस्था पर चर्चा प्रारम्भ करें।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, तीन दिन से मैं बहस के लिए अवसर की तलाश में था और आज अवसर मिल गया है। प्रदेश की जो स्थिति है, अगर आप उसका एक चित्र रखना चाहें तो इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया था, विभिन्न राज्यों के आर्थिक, शैक्षणिक और आपराधिक आदि अनेक विषयों पर। आप जानकार आश्चर्य करेंगे कि कानून-व्यवस्था की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश आज असम और बिहार के बाद देश में सबसे नीचे पायदान पर है। देश के सबसे बड़े राज्य, सबसे महत्वपूर्ण राज्य, जिसको उत्तम प्रदेश बनाने का वायदा मुख्यमंत्री जी का है, वह आज कानून और व्यवस्था में सबसे नीचे है। बिहार और असम जैसे राज्यों के बाद उसका नम्बर आता है।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

---

†नोट --दिनांक 16 अगस्त, 2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††नोट--दिनांक 26 जुलाई, 2005 की कार्यवाही में।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यह हमारे लिए कितनी लज्जाजनक बात है और यह क्यों हो रहा है ? मान्यवर, अगर आप सदन को व्यवस्थित करें तो मैं बोलूं, खाली मुझे गले की भड़ास नहीं निकालनी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपनी जगह पर बैठें और शांत रहें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीरता की स्थिति क्या हो सकती है ? पिछले आंकड़े देखें तो हम दिन व दिन नीचे गिरते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब कार्यपालिका संविधान से इतर चलने की कोशिश करती है तो नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश हो जाती है और उसका परिणाम जो प्रदेश भर में हो रहा है, वह आपके सामने है और यहां तक कि संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त की स्थिति हो रही है क्योंकि संविधान में निर्देश भी है और परम्परा भी है कि मंत्रि-परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक दिन फैजाबाद में कानून और व्यवस्था की स्थिति के ऊपर मुन्ना सिंह चौहान "मुन्ना भाई" धरने पर बैठ गये। जिसे प्रदेश की नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण करना है वह निरीह बैठा हुआ है सड़क के ऊपर और वह जनता से कह रहा है कि तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी एक बयान दे डाला, हाजी याकूब जी से जब लड़ाई हो रही थी उस समय, मैं अखबारों की हेडिंग दिखा सकता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि पत्थर से मारो और तेजाब डाल दो। मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठने वाले दूसरे नम्बर के मंत्री है। जिनके लिए आपने कहा था हाजी साहब भी आ गये हैं। जब यह कोई मंत्री कहेगा तो उसका परिणाम दिखायी दे रहा है। वह डर के मारे गये नहीं कि तेजाब कौन डलवायेगा, पत्थर कौन चलायेगा ? लेकिन, मान्यवर, उसका परिणाम परसों रामपुर में दिखायी दे गया जब गांधी जी की समाधि के पास जमकर जूतम-पैजार हुआ है। कौकब साहब इस समय मौजूद नहीं हैं, वह भी एक जगह गये और धरने पर बैठ गये। जब आप में एका नहीं है, सामूहिक जिम्मदारी नहीं है तो नौकरशाही आपका कहना क्यों सुने ? मंत्री की हैसियत है कि सड़क पर बैठ करके याचना करे, बचाओ-बचाओ तो उसके बाद फिर आपकी बात कोई क्यों सुनेगा ? आज वही हो रहा है। आज थानों में जो पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर बंद कर दिया जाता है। एक नहीं पचासों उदाहरण है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं होगा कि जो अपराधी है वह खुलेआम घूम रहे हैं। वह थाने में पहले पहुंच जाते हैं और जिसको उत्पीड़ित किया है, लूटा है, मारा है उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं और पीड़ित व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है और अपराधी छूटकर चले आते हैं। दोनों को एक ही अपराध में और एक ही दफाओं में बंद किया जाता है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अगर नाम आ जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री लालजी टण्डन--

सूची हम आपको दे देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

नाम पता हों तो मंगवा लीजिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मैंने आपको इस संबंध में पत्र लिखा है।

श्री लालजी टण्डन--

आज व्यवस्था यह हो गई है कि थानेदार एस0एस0पी0 से बड़ा अधिकारी हो गया है। एस0एस0पी0 लिखकर भेजता है और थानेदार उस कागज को फेंक देता है। मैं आपके आदेशों के बारे में बता दूं कि आपके कार्यालय से आदेश भेजा गया कि "तत्काल कार्यवाई करें," लेकिन कार्यवाई आज तक आरम्भ नहीं हुई और अपराधी घूम रहे हैं, तो अपराध नियंत्रण कैसे होगा ? आज प्रदेश में जो भी विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। हमारी पार्टी के न जाने कितने कार्यकर्ता हैं उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। हमारी पार्टी के न जाने कितने कार्यकर्ता मारे गये हैं। अभी एक बहुत गर्म मामला जल्दी का है जो ठण्डा नहीं हुआ है। मुझे आशा है कि आप उसमें न्याय करेंगे। गहमर, गाजीपुर में मनोज सिंह की हत्या कर दी गई । हत्या के विरोध में सारे बाजार बंद रहे। जनता जितना विरोध कर सकती है वह कर रही है लेकिन अभी तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल है। हालात यह हो रहे हैं कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके सिगरेट से जलाया जाता है। गोली मारकर गटर में लाश फेंक दी जाती है। यह क्या हैवानियत हो गई है। इस पर नियंत्रण करें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जरा इधर ध्यान दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपकी आवाज अच्छी लगे इसलिये पर्दा खुलवा रहे हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मैं पर्दा खुलवा रहा हूं ताकि आवाज सुन ; पड़े।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

वह आपको बे-पर्दा कर रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन--

बे-पर्दा तो मैं कर रहा हूं। मान्यवर, मैं केवल मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में और उनके परिवार के लोग जहां-जहां सांसद हैं वहां की बात कहना चाहता हूं। अगर मैं वहां का रिकार्ड मंगा कर सदन में पेश कर दूं तो एक पिक्चर सामने आ जायेगी कि वहां क्या स्थिति है। मैनपुरी में, गन्धर्व सिंह भदौरिया जो इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं उनके ऊपर कभी ऊंगली नहीं उठ सकी है, उनके पेट्रोल पम्प पर कुछ लोग रंगदारी वसूल करने पहुचते हैं जिसके कारण कर्मचारियों से मारपीट होती है। उसके बाद 100-200 आदमी पेट्रोल पम्प पर आ गये और हमला कर दिया, हमला करने वालों ने तोड़-फोड़ की और 20-25 लाख का नुकसान कर दिया। जब इस मामले की रिपोर्ट लिखी गई तो पुलिस ने उन्हीं को गुनाहगार बना दिया। गन्धर्व सिंह भदौरिया 20-25 दिन जेल काटकर आये

हैं और उनका नाती और पुत्र जेल में हैं। मैं नहीं कहता हूं कि कोई सरकार झगड़ों को रोक देगी लेकिन झगड़े अगर होते हैं तो उसमें न्याय दिया जाना चाहिए, आखिर कहीं पर कानून व्यवस्था का पालन होगा कि नहीं। इस स्थिति में प्रदेश गुजर रहा है। कितने कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। इस समय अगर उनके नाम गिनाएं तो बहुत समय लगेगा मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सदस्य इसमें भाग लें। कहीं बिजली के नाम पर सड़क पर आन्दोलन हो रहे हैं कहीं पानी के नाम पर आन्दोलन हो रहे हैं। अभी श्री राम इकबाल सिंह ने नोटिस दिया है वह बता रहे थे कि यहां पर बी0टी0सी0 के नौजवान जो यहां प्रदर्शन करने आए थे उनमें 75 लोगों को बन्द कर दिया गया है और उनसे 151 में यह कहा जा रहा है कि 25-25 हजार रुपये की जमानत लाओ, मुचलका भरो। यह नौजवान प्रदेश के दूसरे हिस्से से हैं वह कहां से जमानत लाएं ? रोटी मांगों तो जेल जाओ। अपराध करो तो घूमो आज फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। साढ़े पांच हजार नौजवानों को दो साल की ट्रेनिंग दी गई उनको भर्ती किया गया था और अब यह कहा जा रहा है कि गलत हुआ था और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है और यह सब पुलिस अधिकारी कह रहे हैं अब वह नौजवान कहां जाएंगे वह ओवर एज हो गए हैं। सरकार की कांटीनुएटी होती है उसमें यह कहकर आप बच नहीं सकते हैं कि यह पहले का है और यह आपके वक्त का है। यह चाहे किसी वक्त का हो लेकिन अब आपकी जिम्मदारी है। उन नौजवानों के भविष्य को बचाइये जो ओवर एज हो रहे हैं वह फूट-फूटकर रो रहे हैं कि हम कहां जाएंगे।

यह अपने आप ट्रेनिंग पर नहीं चले गए थे, वह अपने आप नियुक्त नहीं हो गऐ थे उनके लिए आपका दायित्व बनता है उन लड़कों का भविष्य चौपट न हो, हो सकता है कि उस समय नियुक्तियों में कुछ के बारे में गलती हुई हो लेकिन ऐसा नहीं कि सब गलत नियुक्तियां हुई जो परम्परा है मशीनरी अपना काम करती है और ऐसा हर सरकार में होता है। किसी के समय कम होता है किसी के समय ज्यादा होता है। लेकिन यह साढ़े पांच हजार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उनको सजा क्यों मिल रही है। मैंने जिस दिन कानून व्यवस्था पर चर्चा शुरू की थी उस समय बताया था कि प्रदेश में साढ़े सात हजार हत्याएं हुई हैं। चूंकि नेता विरोधी दल के नाते सरकार की ओर से कोई आंकड़े तो दिए नहीं जाते मुझे अखबारों से ही जानकारी मिलती है मैं लखनऊ में जो विभिन्न अपराध हुए हैं उनके बारे में आंकड़े देना चाहता हूं। इस समय पूरा प्रदेश अंधकार में है। अधिकारी जो चाहें करें। मैं जनवरी से जून तक के आंकड़े आपको दे रहा हूं। लखनऊ में जनवरी से जून तक 224 हत्याएं हुई, 17 बलात्कार, 44 अपहरण, 20 हमले, 103 लूट और डकैती, 120 चोरी, 45 अन्य वारदातों के, कुल मिलकार 573 केसेज। फरवरी माह में 152 हत्याएं, 19 बलात्कार, 55 अपहरण, 43 हमले, 108 लूट और डकैती, 119 चोरी, 6 अन्य वारदातें, कुल मिलाकर 503 इसी तरह से मार्च महीने में कुल 523, अप्रैल माह में 373, मई में 377, जून में 427 केसेज जो कि कुल मिलाकर 1779 केवल एक कमिश्नरी के हैं। अगर हम मान लें कि यह फिगर हमारी एक कमिश्नरी की है तो हमारी 17 कमिश्नरी हैं। अगर हम इसको 17 से गुणा कर देंगे तो यह 6 माह के अन्दर 35734 सब मिलाकर होती है। कुछ जिले ऐसे हैं जो अपराधों के मामले में रिकार्ड तोड़ रहे हैं जैसे मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर। उधर पश्चिम में मुजफ्फरनगर और मेरठ हैं। इस तरह से आप देखें पूरे प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह से अपराध हो रहे हैं। यह तो हम कुछ रिकार्ड आपको बता रहे हैं कि इस तरह से प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है।

हमने प्रदेश में कहीं इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं की कि यह सरकार संकट में पड़ जाए। आपको ऐसा मौका मिला है कि एक ही दल विपक्ष में रह जाय और वह भी लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत कार्य करें बाकी तो सब आपके समर्थक बैठे हैं। तो ऐसा मौका आपके सामने होने के बाद भी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है। आप इसको मानें या न मानें लेकिन यह कलुआकांड जो हुआ है। लोगों को ट्रैक्टर से जोत दिया गया खेत में। यह इक्कीसवीं शताब्दी के भारत का नक्शा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 30 आदमी ट्रैक्टर से खेत में जोत दिये गये जैसे खेत में खाद डाली जा रही हो खून की। कलुआ घूम रहा है। कुछ लोगों की हड्डी पसली टूट गई, बेकार हो गये जीवन के लिये और कुछ लोग मर गये लेकिन कहीं उसके खिलाफ कोई अभियान शुरू किया गया हो। वह कहीं दिखाई नहीं देता। मैं आपके सामने प्रदेश का नक्शा रख रहा हूं ताकि आप इस पर रोक लगाइये और इस पर गौर करिये। अब हम और कहां सुरक्षित हैं ? इस सचिवालय में चोरी हो गई। अब कहीं और कोई सुरक्षित है ? सचिवालय में चोरी हो जाए, डी0आई0जी0 जेल अपराधियों को सुविधा पहुंचाने के आरोप में फरार हैं। अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं, कहीं उनके खिलाफ लिख गई होगी रिपोर्ट गलती से जेल के अन्दर अपराधी सुरक्षित हैं और खुले बाजार में न व्यापारी सुरक्षित हैं, न महिलायें सुरक्षित हैं न बच्चे सुरक्षित हैं कहीं लूट हो रही है कहीं अपहरण हो रहा है कहीं बलात्कार हो रहे हैं कहा जाता है कि पता नहीं लगा। कितने केसेज होते हैं बलात्कार में लोग नामजद हुए हैं लेकिन खुले आम घूम रहे हैं उनका कोई कुछ करने वाला नहीं है । थाने में पुलिस बैठी रहती है कहीं पुलिस निर्दोषों को पीट-पीट कर मारे डाल रही है। कोई एक धारा प्रशासन की होनी चाहिए। अपराधियों के बारे में। हम जनता का हित चाहते हैं वह सुरक्षित रहे। दरोगा और एस0पी0 बैठने लगे। आजम साहब चले गए उन्हीं को गाजियाबाद में पिटवा दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

असल मजा तो तब आता है जब प्रमोद तिवारी जी रहते हैं आजम साहब कार्यमंत्रणा समिति में गए हैं अभी आ रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन--

मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अपराधियों का अड्डा बन गया है। इन तथ्यों को कोई छिपा नहीं सकता है। वहां रहने वाले लोग ठेकेदारी करते हैं हास्टल में कट्टा बन्दूक चलाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि उत्तर प्रदेश अब अपराध में सारे रिकार्ड पार कर चुका है। अब आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है। अब कल दो आतंकवादी लखनऊ में पकड़े गए। आप यह कहकर संतोष कर लेंगे कि कितनी जल्दी हमने पकड़ लिया लेकिन यह आ कहाँ से रहे हैं ? इनका प्रजनन कहां से हो रहा है ? कहां इनका ब्रीडिंग सेन्टर है जहां से यह पैदा होते जा रहे हैं। जिस तरह से मच्छरों को मारने के लिए आप ब्रीडिंग सेन्टर पर इन्तजाम करते हैं उसी तरह से आतंकवादी कहां से आ रहे हैं इस पर आप ध्यान दें ? क्या होगा प्रदेश का जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है इसका एक परिणाम यह होने वाला है कि यह प्रदेश थोड़े दिन में धू-धू करके जलने लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपराध से आतंकवाद के तरफ अपराधी बढ़ रहे हैं। लखनऊ से जितने आतंकवादी कहीं गए वह सब लखनऊ से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि लखनऊ के अन्दर, सरकार की नाक के नीचे ऐसा अड्डा है तो जाहिर है कि बिना किसी शह के अड्डा नहीं चल सकता है।

श्री मुलायम सिंह--

आ गए आजम साहब।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं फायदे के काम से गया था।

(श्री मोहम्मद आजम खां पुन: मीटिंग में चले गये)

श्री लालजी टण्डन--

आप लोग सामने बैठे रहते हैं तो प्रेरणा मिलती है कोई यहां साम्प्रदायिक विषय आ गया तो आजम साहब की याद आएगी। प्रदेश में चुनाव आयुक्त का दर्जा जो है, वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होता है, एक विधायक उनके कमरे में जाकर बेइज्जत करते हैं, सारे अखबारों में खबरे छपीं लेकिन क्या आपने उसका जवाब तलब किया ? जो इनकी मर्यादा है, वह बनी रहे, इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन मैंने आपको इशारा किया था, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपका कोई कार्यकर्ता अयोध्या में झंडा लगा कर चला गया, लेकिन आज अपराधी आपके झंडे का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियां, जिसमें नम्बर नहीं हैं, नरेश जी चले गये हैं, वह रोज कहते हैं कि बिना नम्बर की गाड़ियां पकड़ कर बन्द की जायेंगी। मैं समझता हूं कि वहीं न किसी दिन बन्द हो जायें क्योंकि उनसे टक्कर लेना उनके बस की बात नहीं है, तो वह बात क्यों कहते हो ? आज कितने लोग खुदकशी से मर रहे हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए कि वह क्यों मर रहे हैं ? कोई लड़की की शादी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह पहले बेइज्जत हो गई है, वह शर्म के मारे कुछ कर नहीं पा रहा था, गले में रस्सी डाली और मर गयी, किसी ने नदी में छलांग लगा ली और मर गया।

आज सम्मानपूर्वक कोई समाज में नहीं रह सकता, आपको इन सब बातों पर नियन्त्रण करना होगा। मान्यवर, लखीमपुर खीरी में एस0ओ0 टीम द्वारा एक तश्कर पकड़ा गया, एस0पी0 ने उन्हें निलम्बित कर दिया। एक तश्कर को पकड़ कर थाने में लाया गया तो एस0पी0 ने सारे फोर्स को ही निलम्बित कर दिया। अगर कोतवाल चोर को अपना 'दादा' मान लेंगे तब तो सब खत्म हो गया, सारी व्यवस्था खत्म हो गई, कानून खत्म हो गया। यह महत्वपूर्ण घटनाएं मैं बता रहा हूं जिससे आपको यह पता चल सके कि क्या हो रहा है ? एक नई बीमारी शुरू हो गई है, आत्मदाह की, आपका भी एक कार्यकर्ता लखनऊ में आत्मदाह करके मर गया और भी कई जगह लोग कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या है, वह क्यों मर रहे हैं ? उत्पीड़न से दुखी होकर उनकी बात सुनने वाला प्रदेश में कोई नहीं है इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। वह आपका बड़ा अच्छा कार्यकर्ता था, एक बड़ी साइकिल लेकर शहर में प्रचार करता घूमता था और वह धू-धू करके जल गया। मैं उसके परिवार के घर गया था, आपने भी उसके परिवार की सहायता की है, वह अलग बात है लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो इतना समर्पित हो, उसी को आत्मदाह करना पड़े, कहीं न कहीं कमी है या नहीं है ? रफीक नाम था उसका। मान्यवर, आप यह बटी हुई ब्यूरोक्रेसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह कोई अच्छा काम कर सकते हैं ? देवरिया में एक बी0एस0ए0 को एक मंत्री के घर में बुलाकर पीटा गया, रामपुर में एक पुलिस अधिकारी को मुर्गा बनाया गया। अब अगर यह सब होगा और एक पुलिस अधिकारी को मुर्गा बनाया जाएगा, पीटा जाएगा तो आपके भय से आज भले ही वह कुछ कर दे लेकिन उसके बाद कोई बात करने वाला नहीं होगा यह बात आप निश्चित रूप से

समझ लें। आप सत्ता में हैं और यह भी सम्भव हो सकता है कि जब आप सत्ता में न रहें तो वही अधिकारी जिनका आप आज तुष्टीकरण कर रहे हैं यह आगे भी उसी के साथ होंगे जिनकी सरकार होगी। इसलिए सरकारनिष्ठ ब्यूरोक्रेसी बनाना अपराधों को जन्म देने का पर्याय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रदेश को सम्भालिए। आपको जनता ने भेजा है या आप अपने आप आये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप ही उत्तर दे दें कि हम कैसे आये हैं और कैसे रोके गये और इसके पहले भी कैसे रोके गये ? जबकि हम पहले ही सबसे बड़े दल के रूप में आये तो फिर हमें कैसे रोका गया ? और फिर आप भाई-बहन ने कैसे राखी बांधी और कैसे राखी टूटी ?

श्री लालजी टण्डन--

तो फिर हम भोग रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का ख्याल अच्छा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि "दिल को बहलाने का गालिब यह खयाल अच्छा है यूं तो हम जन्नत की हकीकत से वाकिफ हैं लेकिन दिल को बहलाने का गालिब यह खयाल अच्छा है।" खयाल तो अच्छा है लेकिन अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक भयानक दिन इस प्रदेश को देखना पड़ेगा। अगर आपने अपराधियों के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति अपनाई तो यह जहर की बेल जो फैलेगी तो यह सांप हर एक को डसेगा। जिस-जिस ने इनको शरण दी है उनका अंजाम देखें। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को पाला था फिर जब उसको मारने की बात आई तो श्रीमती इंदिरा गांधी को ही अपने प्राण देने पड़े थे। आप इन सबसे सबक लें। आप हमारे मित्र हैं तो अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आपको यश मिलेगा। लेकिन जिस स्तर पर प्रदेश जा रहा है वह अच्छे लक्षण नहीं हैं और जो लोग चीनी मिलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को शिकायती पत्र लिखकर भेजते हैं वही लोग रोज चिट्ठी भेज रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त करो। हम भी चाहते हैं कि सरकार जल्दी जाये लेकिन हम तो विरोधी हैं। हम तो चाहेंगे लेकिन जो आपके मित्र हैं जब वह ऐसा करते हैं तो फिर क्या करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, आज इसी सदन में, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी के किसी माननीय सदस्य ने पत्र नहीं लिखा है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप कुछ और कहना चाहेंगे ?

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी, इस पर अपने विचार रखेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, पहले मौर्य जी को बोल लेने दें।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए आपने अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, चर्चा प्रारम्भ करने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि--

[x x x]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गयी है, माननीय नेता सदन भी इससे अवगत हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था के चर्चा के माध्यम से जो बातें यहां पर हो रही हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि नेता सदन उसको बड़ी गम्भीरता से लेंगे और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का काम करेंगे तभी इस चर्चा की सार्थकता होगी, मतलब होगा। मान्यवर, आज बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं, डकैती, अपहरण, फिरौती यह सरकार के रोजनामचा बन गये हैं। कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जेल, जैसा कि अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है, अपराधी जेल में सुरक्षित है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि न तो जेलर सुरक्षित हैं और न ही जेल में रहने वाला कैदी सुरक्षित है। मान्यवर, बनारस में दो कैदी की हत्या हुई, आजमगढ़ में जेलर पर जानलेवा हमला हुआ और जेलर ने अपने खून से कपड़े में उस खूनी का नाम 'शेरू' लिख दिया था लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मान्यवर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज हमारी बहने सुरक्षित नहीं हैं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, न व्यापारी सुरक्षित हैं, न जेल सुरक्षित हैं। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि न्याय पालिका परिषद् में अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि वहां पर गोली मारी जा रही है। मान्यवर, इसी लखनऊ में आये दिन बहन, बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, इसी राजधानी लखनऊ की नाक के नीचे, वह किसी से छिपी नहीं है।

20 जुलाई में गुड़ियांवां गांव, थाना मलिहाबाद में सावित्री के साथ बलात्कार हुआ, एफ0आई0आर0 हुई, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मान्यवर, इसी लखनऊ के सरोजनी नगर, अस्ती खेड़ा में मंशाराम यादव की पुत्री का अपहरण हुआ, 06 जुलाई, 2005 की घटना है अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है, इसी लखनऊ में कश्मीरी मोहल्ला, थाना सआदतगंज में मोना और यास्मीन का अपहरण हुआ, आज तक न अपहरणकर्ताओं का पता है और न ही इन अपहरण की गयी बच्चियों की कोई खोजबीन हो पायी है। मान्यवर, इसी लखनऊ में 08 जून को कैण्ट में एक छात्रा है रंजना, उसके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की, चाकुओं से गोदा और अपराधी उन्मुक्त होकर आज भी घूम रहे हैं, इसी लखनऊ में 14 जून को हजरतगंज कोतवाली में मोनिका नाम की लड़की पर तेजाब डाला गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आशियाना काण्ड जो पूरे प्रदेश में चर्चित रहा, माननीय नेता सदन भी अवगत हैं, अपराधी भी सभी कानून की पकड़ में आ गए हैं, लेकिन उसमें बलात्कारी अपने चेहरे को सत्ता की आड़ में अपराधियों को बचाना चाहते थे, इससे होता क्या है कि हौसला पस्त होता है कानून के रखवालों का, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जब सत्ता में रहने वाले उन पर दबाव डालेंगे, किसी अपराधी को बचाने के लिए तो ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में राज्य में कानून व्यवस्था कैसे स्थापित हो सकती है ?

मान्यवर, इसी लखनऊ में कैण्ट रोड पर 24 जुलाई को डाक्टर अजय गुप्ता पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने क्लीनिक के बाहर अभद्रता कर रहे एक मनचले लड़के को ऐसा करने से रोकने का काम किया था, सूचना दी गई, लेकिन उस लड़की से छेड़-छेड़ करने वाले मनचले लड़के के साथ अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, इसी तरीके से 24 जुलाई को फरीदी नगर, गाजीपुर थाने में रामलखन की पत्नी के साथ सामूहिक दुराचार किया गया, पति-पत्नी को घायल भी किया गया, लेकिन दुराचारियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मान्यवर, यह तो मैंने चन्द मिसालें दी हैं, आज पूरे प्रदेश में हमारी बहन, बेटी और बहू की आबरू खतरे में है

और मान्यवर, ऐसा क्यों हो सकता है ? माननीय नेता सदन को मालूम हो या न मालूम हो, हम जानते हैं, आपकी जानकारी में होगा और आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहीं-कहीं पर सत्ता पक्ष का लेबिल लगा होने के नाते आपको भी बदनाम करते हैं, सत्ता पक्ष को बदनाम करते हैं। मैं सहारनपुर की घटना को मिसाल देना चाहता हूं, मान्यवर, ग्राम मुबारकपुर थाना कोतवाली शहर, सहारनपुर में 03 मई, 2005 को ग्यारह वर्षीय गरीब बालिका के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कारियों के चेहरे जब उजागर होने लगे तो बलात्कारियों ने उस लड़की की हत्या कर दी, जिसके लिए सहारनपुर के सभी लोग सामूहिक रूप से आंदोलित होकर, पार्टी की सीमा को तोड़ करके वहां पर जन आन्दोलन हुआ। 12 जून को आन्दोलन हुआ, 27 जुलाई को धरना प्रदर्शन हुआ तब स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई, अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मान्यवर थाने से पुलिस की कस्टडी में वहां के अपराधियों को जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, हम नेता सदन को इन सब बातों से इसलिए अवगत कराना चाहते हैं कि उनको जानकारी उन्हें होनी चाहिए। वहां समाजवादी पार्टी के [x x x] और उनके जो भतीजे हैं इमरान मसूद जो उनके प्रतिनिधि भी हैं, पुलिस की कस्टडी से अपराधी को छुड़ा कर ले गये और कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर इस तरीके से बन्द होगा तो थाना फूंक दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस ने कोई हिम्मत नहीं की और यह आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने कारनामा किया कि पुलिस की हिरासत से अपराधी को छुड़ा ले गये।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मौर्या जी से अनुरोध है कि चाहे हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति हो उसे संरक्षण नहीं मिलेगा आप उनका नाम बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, जो बलात्कारी है उसका नाम रियासत है और जिसको बचा कर ले गये वह उनका नाम है इमरान मसूद और जो वहां के सांसद के प्रतिनिधि हैं। आप कानून व्यवस्था को बात पर कितना मुकर्र करना चाहते हैं ? अगर अपराधियों को आपके लोग खुला संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक है कि पुलिस का हौसला पस्त होगा। मान्यवर, इसी तरीके से सहारनपुर में गांव लाखनौर, थाना नागल में पुलिस की मौजूदगी में दिनांक 11 जून, 2005 को दबंगों ने दो घण्टे तक दलितों के साथ मारपीट की एवं उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की। इसी तरह से सहारनपुर में गांव मुजफ्फराबाद, थाना फतेहपुर में 14 वर्षीय बाल्मीकि दलित बालिका कुमारी मोनिका के साथ गांव का एक इरशाद नामक युवक हथियारों के बल पर डरा धमका कर पिछले आठ माह से बलात्कार करता रहा एवं दलित बालिका के परिवारों की इजाजत के बिना दलित बालिका का जबरदस्ती गर्भपात भी कराया। मान्यवर, इसी तरह से वहीं के दबंगों द्वारा थाना बड़गांव के गांव दल्हेडी की 34 वर्षीय दलित युवती बरखा एवं गांव बडौली की एक अन्य 15 वर्षीय दलित बालिका नीलम का अपहरण कर रखा है जिसके आज तक कोई भी मुजरिम गिरफ्तार नहीं किये गये। मान्यवर, यह कुछ नमूने में आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। मान्यवर, इसी तरीके से नयना सिंह एक लड़की थी

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसने इसी 22 जुलाई को आत्मदाह किया क्योंकि उसके साथ 11.8.2004 को सामूहिक रूप से रेप हुआ था और उसमें एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज हुई थी। वह बार-बार पुलिस से गुहार करती रही और जब बलात्कारियों पर कोई कार्यवाई नहीं हुई तो वह आगरा से अलीगढ़ चली आई और वहां पर उस पर दबाव डाला गया था कि तुम अपना बयान वापस ले लो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। जब उसे एक साल तक पुलिस का संरक्षण नहीं तो उसने हताश होकर 22 जुलाई को आत्मदाह कर लिया। मान्यवर, इसमें भी जो घटना के अपराधी थे वह गिरफ्तार कर लिये गये थे लेकिन जो आगरा के [x x x] और उनके जो प्रतिनिधि है डा0 पाल उन्होंने अपराधी को बचवाने का काम किया और इस कारण से उस महिला को आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मान्यवर, इसी तरीके से 11 जून को सिरसपतपुर थाना में घटी घटना है, मान्यवर, उस छोटी सी घटना पर अगर पुलिस सक्रिय हो जाती तो वह हादसा न हो पाता। दो कार्यकर्ता पिन्टू और अशोक पुत्र श्री अवधेश वर्मा मारे गये, दो वर्ष की संध्या नामक बच्ची आग में जल गयी और अमरेश वर्मा, सोनू वर्मा आदि लोगों को बहुत चोटें आई और मान्यवर, 15 दिन तक वह अस्पताल में भर्ती रहे। उसमें हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाई न होकर के भुक्तभोगी परिवार के ही दो लोगों को जेल में भेज दिया गया मान्यवर, इसी तरीके से मुरादाबाद के बिलारी में झम्मन को मारा गया; गोली मारी गई। उसमें 16 जून को मुकदमा दर्ज हुआ एफ0 आई0 आर0 हुई लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई । मान्यवर, इसी तरीके से 10 जुलाई को 9 बजकर 35 मिनट में थाना झूँसी, इलाहाबाद में गणेश यादव पर हमला हुआ, वह तो बच गये लेकिन उनके दो कार्यकर्ता मारे गये और अभी तक किसी अपराधी की खोजबीन नहीं हो पाई जिसका नामजद एफ0 आई0 आर0 किया गया उसके लिए सरकार का बयान आ गया कि वह उसमें शामिल नहीं था। अगर वह उसमें शामिल नहीं था तो शामिल चेहरा कौन था, इसका पता होना चाहिए। ए0 के0 47 से गोली चलाई गयी तो कैसे चलाई गयी और किसने चलाया ? क्योंकि यह कोई ऐरा-गैरा हथियार नहीं है। अगर कोई जनपद में ए0 के0 47 मौजूद है तो यह है कि कोई खूंखार अपराधी वहां रहता है और उसके खिलाफ सरकार को कार्यवाई करनी चाहिए। इसी तरह से इलाहाबाद के थाना खुल्दाबाद में सुरेश दुबे की सायं 8.30 बजे हत्या कर दी गयी उसकी एफ0 आई0 आर0 हुई लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई । इसी तरह से कौशाम्बी में थाना सराय अकिल में 16 जून, 2005 को जगरूप की हत्या कर दी गयी और 5-6 लोग घायल हुए लेकिन अभी भी हत्यारे फरार घूम रहे हैं।

मान्यवर; इसी तरह से 24 जुलाई, 2005 को असलपुर, अब्दुल्लाहपुर और गालिबपुर गांव थाना चिरैयाकोट; मऊ में वाराणसी के व्यापारी की पत्नी का अपहरण कर लिया गया। गांव वालों ने बचाया तो उसमें एक ग्रामीण भी मारा गया। इससे यह साबित होता है कि आज व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, इसी तरीके से बस्ती में व्यापारी नन्द लाल गुप्ता का अपहरण हो गया लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं। इसी तरह से 13 जून, 2005 को दिनेश कुशवाहा उर्फ छोटू की शम्भूनगर, कोतवाली नगर बांदा में हत्या कर दी गयी और मुकदमा अपराध संख्या 262/05 पर दर्ज किया गया लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई । मान्यवर, यह किसी से छिपा नहीं है पुलिन्दा हमारे पास बहुत है लेकिन मैं संक्षेप में इसलिये तथ्यों को रख रहा हूँ जिससे कि इसकी गम्भीरता को माननीय नेता सदन संज्ञान लें और साथ ही साथ जो सरकार की बदनामी कर

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई करते हुए प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को चुस्त करने का काम करें। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माननीय नेता सदन बहुत ही लाचार हैं, बेबस हैं अपनी लाचारी और बेबसी को वह आज सदन के समक्ष भी रखे हैं, हो सकता है कि उनके सहयोगी के नाते यह लाचारी की स्थिति हो, हो सकता है कि [x x x] उनकी लाचारी हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कठोर होना पड़ेगा कानून व्यवस्था के लिए और जब कठोर कदम के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम होगी और जो स्वराज की कल्पना लोग करते हैं वह देखने को मिलेगी। मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यही पुलिस, यही सारा का सारा अमला बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत के दौरान था जब सुश्री बहन मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो सारा गुण्डा माफिया जेल के सीखचों के पीछे था जो आज सत्ता के गलियारों में टहलते नजर आते हैं जिसके चलते पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। केवल एक मिसाल और दूँगा। मेरे पास पूरे का पूरा डिटेल भरा हुआ है। मैं पूरे हफ्ते का बताकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिये केवल एक दिन की मिसाल दे रहा हूँ। इसी 4 अगस्त को लखनऊ में 9 वाहनों की चोरी हुयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हम यह मानकर चल सकते है कि वह सदन के समय का सदुपयोग कर रहे हैं। वह यह न कहें कि सदन का समय नष्ट होगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी, अभी और भी सदस्यों को बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं केवल नेता सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां सरकार रहती है, सरकार की नाक के नीचे इसी 4 अगस्त को केवल एक दिन में एक दर्जन वाहनों की चोरी होती है। इस क्रम में मो0 अजहर, निवासी गेंदखाना, थाना ठाकुरगंज की टेम्पो चोरी हो गयी। इसी दिन अनिल कुमार, निवासी प्रेमनगर थाना आलमबाग की मोटर साइकिल चोरी हो गयी। तीसरी हरिमोहन, निवासी एफ ब्लाक, राजाजीपुरम् की मोटर साइकिल चोरी हो गयी राजीव, निवासी सीतापुर रोड योजना थाना मड़ियांव की मोटर साइकिल चोरी हो गयी। अजमत अली, निवासी न्यू हैदरगंज, ठाकुरगंज की मोटर साइकिल चोरी हो गयी। युवराज पुरी, निवासी सुभाषनगर, कृष्णानगर की मोटर साइकिल चोरी हो गयी। रमेश, निवासी विनयखंड, गोमतीनगर की मोटर साइकिल चोरी हो गयी । इसी क्रम में विकास, निवासी विशेश्वरगंज, आलमबाग की मोटर साइकिल चोरी हो गयी और देवीदयाल ग्रोवर, निवासी गोखले मार्ग, मेफेयर सिनेमा, हजरतगंज की स्कूटर चोरी हो गयी।

श्री अध्यक्ष--

मौर्य जी, अब कृपया समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

ठीक है, मान्यवर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जारी चर्चा का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने इस चर्चा के लिये एक घन्टे का समय निर्धारित किया था, तो 1.20 पर इसका समय पूरा हो गया है। इसलिये इसका समय बढ़ाना पड़ेगा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर दें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने इस पर कई दिन बोला है, जो रिकार्डेड है और नेता, बहुजन समाज पार्टी ने बोल लिया। नेता कांग्रेस को अभी बोलना बाकी रह गया है और नेता सदन का उत्तर बाकी रह गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

हमे भी बोलना है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी बातें कही। लगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कुल मिलाकर ठीक-ठाक है। बढ़िया है, खूब बढ़िया है। जो कुछ एक बातें आई है, नेता सदन ने खूब नोट की है, वह उसका उत्तर देंगे। यूँ तो ज्यादा समय बढ़ाने की जरूरत नहीं लगती, अगर आप महसूस करते हैं तो दो बजे तक बढ़ा दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बुलवाने का अनुरोध करने पर)

मान्यवर, एक घण्टे का समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि चर्चा का समय एक घन्टा और बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, श्री हुकुम सिंह, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2005 को दी गई सूचनाओं पर जारी चर्चा (क्रमागत)

*श्री हुकुम सिंह--

जिनके नाम इस चर्चा में है, नोटिस में है, यदि उनको अवसर नहीं मिलेगा तो उनको नोटिस देने का क्या फायदा ? आप भले ही दो-दो मिनट बुलवायें लेकिन बुलवायें जरूर।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, चर्चा का समय निर्धारित होता है। संख्या कितनी है, इसे उसी के अन्दर समायोजित करना रहता है। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये एक घन्टे का समय तय किया था, इसके बाद एक घंटा फिर बढ़ गया ताकि अधिक से अधिक लोग बोल लें। अब एक घंटे का समय तो नेता विरोधी दल और नेता बहुजन समाज पार्टी ने ले लिया, इसलिये आप लोग थोड़ा-थोड़ा बोलें और समय कम लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जिन लोगों का नाम कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की नोटिस में आया है, उन्हें निश्चित रूप से अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। आप एक माननीय सदस्य को इधर से और एक माननीय सदस्य को उधर से अपने विचार रखने का मौका दे रहे हैं, तो इस प्रकार से मान्यवर, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। उधर के लोग इस चर्चा में क्या बोलेंगे, उधर से तो अभी माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे ही।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्या जी ने कानून-व्यवस्था की चर्चा के दौरान अपने भाषण में एक शेर का इस्तेमाल किया था, मान्यवर, उस शेर पर हिन्दुस्तान की सरकार ने पाबन्दी लगा दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस शेर को कार्यवाही का अंग न माना जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे हम दिखवा लेंगे।

*श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया सच पूछिये तो कांग्रेस ने ही इस प्रस्ताव को पहले रखा था, उसके बाद आप लोगों ने भी रखा। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके रहते किसी और के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जब टण्डन जी बोल रहे थे तो यह कीर्तिमान बना कि वह कई दिनों से इस विषय पर बोल रहे थे। तीन बार स्टेण्ड-अप हुए, उसके बाद बोले, उसके बाद कान्टीनिव रहे। इस प्रकार का रिकार्ड दूसरा नहीं है। मैं बड़ी देर से ढूँढ रहा था, कार्यवाही भी देख रहा था कि टण्डन जी कुछ ऐसा बोलेंगे, जिसमें ऐसा लगेगा कि उनकी आत्मा बोल रही है, लेकिन वह ऐसा नहीं बोले। जब वह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्रदेश का नेता विरोधी दल कानून-व्यवस्था के मसले पर जितना संतुष्ट है, उतना किसी और मद में नहीं। बहुत साफ कारण भी है, कमजोरियां भी हैं, कुछ कहने वाली चीजें हैं और कुछ न कहने वाली है। मान्यवर, आज राजनीति में जब अपराधीकरण की बात आती है तो एक सवाल उठता है कि राजनीति में अपराधीकरण की शुरूआत किसने की ? किसने अपराधियों को महिमा-मण्डित किया ? किसने राजनीति में जिन्हें जेल में होना चाहिए था उन्हें मंत्री पद दिये ? किस दल ने पहली बार अपराधियों को, जिन्हें पुलिस दौड़ा रही थी, पुलिस को उनके सामने सलूट मारने के लिए मजबूर किया ? इस बात पर पूरा सदन एकमत है कि उस समय भाजपा की सरकार बनी थी। राजनीति में अपराधीकरण का श्रेय पूरी तरह से नेता विरोधी दल को है। यही कारण है कि आप एक उँगली उठायेंगे तो आपके ऊपर चार उँगलियाँ उठेंगी। एक बात और उठी थी, जब हमारे दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई बुलेटिन पढ़ रहे हों। मान्यवर, अपराध अगर बढ़ रहा है तो उसे दृढ़ता से रोका जाना चाहिए और मान्यवर, सामूहिक हत्याओं और बलात्कार की घटनायें यहाँ पर हुई हैं, वह प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। अभी सहारनपुर का जिक्र हो रहा था। सहारनपुर के नांगल थाने में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

पुलिस की मांजूदगी में 11 वर्षीय दलित बालिका के साथ 3 मई, 2005 को कोतवाली देहात में जिस तरह से बलात्कार हुआ, वह अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पर मैं आशा करूँगा कि जितनी सख्त कार्यवाही हो सके वह होनी चाहिए। अगर महिला का सम्मान नहीं हो सकता तो प्रदेश में सामान्य जन का सम्मान नहीं हो सकता। जो भी अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मान्यवर, यह सिर्फ एक प्रकरण नहीं है, अभी बलिया में हमारे कांग्रेस के एक साथी के यहाँ पेट्रोल पम्प पर लूट हुई, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी अवगत होंगे कि आशियाना में क्या हुआ ? वहां जो बलात्कार हुआ है, उससे निश्चित रूप से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। अगर उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की गयी तो निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था के बारे में चिन्ता करने की जरूरत पड़ेगी कि क्या कानून-व्यवस्था ठीक है ? कुछ हत्यायें हुई आज तक उन पर कार्यवाही नहीं हुई । मैंने स्वयं अपने जनपद के 36 ऐसे अपराधों की सूचना लिखित रूप से आपको दिया है, मैं चाहूँगा कि उन सब पर कार्यवाई होनी चाहिए। एक चिन्ता है, सैद्धान्तिक रूप से उसे पेश करना चाहता हूँ। जो तथ्य आ चुके हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता।

लोकतंत्र के सामने जो सबसे खतरनाक स्थिति है वह आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपराधी और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है यह अपराध को जन्म दे रहा है। वह जमाना भी था जब राजनीतिज्ञों पर आरोप लगा करते थे कि किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गयी है। अपराधी राजनीतिज्ञों को संरक्षण दे रहे हैं और इन्हीं अपराधियों के संरक्षण में राजनीति हो रही है। नि:संदेह आज स्थिति बहुत खराब हो गयी है, मैं आशा करूँगा कि आप पहल करें और एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए जो समाज के अपराधी हैं उनके खिलाफ मजबूत, कठोर और राजनीतिक दृढ़ता और संकल्प के साथ कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में लोकतंत्र बन्दूकों के साये में चलेगा और जिन्दा नहीं रहेगा। जो हम सब देख रहे हैं वह बहुत खतरनाक है। इसके लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, पूरी व्यवस्था दूषित होती जा रही है, वातावरण दूषित होता जा रहा है और जहां तक पुलिस की बात है, तो जब राजनीतिज्ञों और अपराधियों का गठजोड़ हो जायेगा और अपराधी राजनीतिज्ञ बन जायेंगे तो पुलिस तो मशीनरी है, वह देखकर चलती है कि कब क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाना उचित है ? चाहे अपराधी जिस देश में हो, जिस दल के साथ हों उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, कोई संकोच नहीं किया जायेगा। चाहे सामने बैठे हुए लोग हों, चाहे इधर बैठे हों, उधर बैठे हों, इसका आश्वासन मैं चाहूँगा। अध्यक्ष जी, आपने आश्वासन दिया था कार्यस्थगन लेने का अगर ले रहे हों तो ठीक है, अगर नहीं ले रहे हों तो मैं रामपुर की घटना का जिक्र कर दूँ।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन पर भाषण नहीं कराऊँगा, उस पर शासन का ध्यान आकर्षित करवा दूँगा। आप अपनी बात इसी में कह लीजिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि सुन लेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो यह हम सदस्यों के साथ अन्याय होगा। आप हमारे संरक्षक हैं। वाराणसी में बिजली संकट की स्थिति बहुत भयावह है, उस पर आप मुझे अवश्य सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको इस पर चर्चा करानी थी तो नियम 52 में लिखकर देते। चौधरी जी, अब बैठ जाइये।

श्री प्रमोद कुमार--

चौधरी साहब मेरी बात आ जाने दीजिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी से समय लेना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब बैठिये। प्रमोद जी को बोलने दीजिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, बिजली संकट को लेकर धरना-प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस लाठी मार रही है।

श्री अध्यक्ष--

अब इस चर्चा को खत्म हो जाने दीजिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

आपके नेता कह रहे हैं कि इस सरकार का सत्यानाश होना जरूरी है। विनाश काले, विपरीत बुद्धि, यह आपके नेता कह रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी एक दल के या एक व्यक्ति के आदर के पात्र नहीं थे। यहां पर जितने लोग हैं, चाहे वह लोहिया जी की विचारधारा को मानने वाले हैं या समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हैं वह सब लोग गांधी जी का आदर करते हैं। मैं गोडसे को मानने वालों का जिक्र नहीं करता, गोडसे विचारधारा को मानने वाले लोगों में गांधी जी के प्रति सम्मान नहीं है। सभी लोग राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं। मान्यवर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ और न मैं यह कह रहा हूँ कि इसमें किसी दल या किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है, परन्तु दुर्भाग्य से यह हादसा हुआ। इस हादसे का केन्द्र बिंदु रामपुर है, पता नहीं मान्यवर कि हर गाड़ी रामपुर में क्यों अटक जाती है ? मान्यवर, दिखवा लीजियेगा, मान्यवर, यहां पर भारत का संविधान चल रहा है या नहीं इसकी मैं जानकारी चाहता हूँ। वहां पर जाने के लिये कार्य-कलाप करने के लिये छूट है या नहीं ?

मान्यवर, वहां पर बहुत पवित्र स्थल है जिसके सौंदर्यीकरण का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर गांधी जी का अस्थिकलश रखा हुआ है। वह तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने वहां के नवाब को दिया था। वह स्थान गांधी जी की विचारधारा को मानने वालों के लिए मंदिर-मस्जिद से कम का दर्जा नहीं रखता है। 5 फरवरी, 1948 से वह अस्थिकलश उस स्थल पर रखा हुआ है। कुछ शिकायतें आयीं तो वहां पर माननीय मोती लाल बोरा जो भूतपूर्व राज्यपाल इस प्रदेश के रहे हैं, वह गये, निर्मला देशपांडे जो प्रख्यात गांधीवादी हैं और प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद तथा हमारे

महासचिव श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी वहां पर गये और उन्होंने वहां पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाये। जब वह वहां से चलने लगे तो 40-50 लोग, जिनका मैं समझता हूँ कि किसी सियासी दल से वास्ता नहीं होगा, उन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मैं नहीं समझता हूँ कि यह विरोध करने की क्या आवश्यकता थी, सभी दलों को इसे कंडम करना चाहिये। अगर किसी को कुछ कहना था तो जब यह लोग चले जाते तो कहा जा सकता था, लेकिन उनके सामने उपस्थित होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गयी जिससे कुछ हादसा हो सकता था लेकिन वह स्थिति टल गयी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच करवा लें। महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश जहां रखा हुआ है उसका स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिये। आजतक कभी किसी समाधि का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर समाधि का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है तो नयी परम्परा नहीं शुरू होनी चाहिये। अस्थिकलश को हटाया नहीं जाना चाहिये। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक इसका आश्वासन चाहता हूँ। जहां पर महात्मागांधी जी की मूर्ति लगी हुयी है उसका सौन्दर्यीकरण किया जाय लेकिन अस्थिकलश को न हटाया जाय नहीं तो करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। मैं आपसे आग्रह करूँगा, मेरी इस बात की याचना होगी कि ऐसे पवित्र स्थल को विवाद का विषय न बनाया जाय। उसका सौन्दर्यीकरण किया जाय, उसे अच्छा बनाया जाय लेकिन स्थल परिवर्तन किए जाने से करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। उसे हटाया न जाय, उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। अगर उसकी सुन्दरता को बढ़ाने का कोई प्रयास होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। यह जरूर होना चाहिए कि जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं किसी पर आरोप न लगाकर यह जरूर कहना चाहूँगा कि अपराधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और जो गलत परम्परा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी अपराधियों को संरक्षण देने की उसे महिमा मंडित करने की मैं मौजूदा सरकार से आशा करता हूँ कि उसे समाप्त करे। सहारनपुर व बलिया आदि जगहों पर जो प्रकरण हुए सामूहिक हत्याओं के जो प्रकरण हैं, सामूहिक बलात्कार के जो प्रकरण हैं मैं चाहता हूँ कि उन पर नये सदस्य अपनी बात रखेंगे इसलिए उनको न दुहराऊँ। शांति सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वातावरण शांति सुरक्षित बने। आंकड़े कभी भी शांति सुरक्षा की गारण्टी नहीं देते गारण्टी वातावरण होता है ऐसा वातावरण होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम स्वरूप सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह बड़ा गम्भीर विषय है। प्रदेश और देश की आज जो स्थिति है .....

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुराध है कि जिनके नाम नोटिस में हों उनको पहले बुलवा लें।

*श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर)--

उसके लिए हम सब दोषी हैं। कानून व्यवस्था सुधारने की बात सभी करते हैं यह कैसे सुधरेगी इस पर हमारी राय सभी से भिन्न है। समाजिक अपराध यह सारी चीजें जैसा समाज बन गया, जैसी हमारी आदतें बन गई , खड़ेलतें बन गई इन सबको सरकार नहीं रोक सकती है। इसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश और प्रदेश की जनता संगठित होकर रोक सकती है। जनता ही अपराधियों पर कंट्रोल कर सकती है। उसके लिए हमें सोच बनानी होगी। अपराध कैसे कम हों इसके लिए समाज को तैयार करना होगा मैं पुराना इतिहास बताता हूँ। गौतम बुद्ध ने जब अपने पिता से कहा कि समाज में जो खराबियाँ हैं, जो बुराइयां हैं यह आप रोकिए तो उनके पिता जी ने जवाब दिया कि यह मेरे वश में नहीं है, यह सरकार के वश में नहीं है इसे कोई राजा भी नहीं रोक सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसे कौन रोकेगा इस पर उनके पिता जी ने कहा कि इसके लिए जनता की शक्ति चाहिए इस बुराई को जनता रोक सकती है। यह राजा के वश में नहीं है। तब उन्होंने आधी रात में अपने प्यारे पुत्र और पत्नी को छोड़कर जंगल की ओर रुख किया और देश ही नहीं सारी दुनियां को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हमारे देश और प्रदेश में जो बुराइयाँ पैदा हुई हैं उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। करोड़ों नौजवान पागल की तरह घूम रहे हैं आत्म हत्या के लिए मजबूर हैं इसके लिए आजादी के समय की जो सरकारें रही हैं वह दोषी हैं। अध्यक्ष जी इस सब बुराई को रोकने के लिए राजनैतिक चेतना की आवश्यकता है, जन जागृति की आवश्यकता है। तभी अपराधों पर कंट्रोल होगा लेकिन यह शक्ति जनता के अन्दर कौन पैदा करेगा, कैसे पैदा होगी यह विचारणीय विषय है, गम्भीर विषय है। कानून व्यवस्था की हालत बराबर खराब होती गई है चाहे कोई राज रहा हो। इसे रोकना राज सत्ता के वश में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। श्रीमन, आज जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है।

(श्री श्याम देव राय चौधरी के कहने पर कि मेरा नाम भी है)

श्री अध्यक्ष--

आप नियम जानते हैं चौधरी साहब। एक समय निर्धारित है उसमें जितने लोगों को बोलना है दो-दो मिनट में अपनी बात बोलेंगे। अगर इनका नाम आ गया तो इसमें कौन सी परेशानी है। है तो आपकी पार्टी के ही। आपका नाम भी आ जायेगा।

श्री राम इकबाल सिंह--

श्रीमन्, आपके माध्यम से हम अपनी बात सरकार के समक्ष और पूरे सदन के समक्ष कहना चाहते हैं कि आज प्रदेश में दहशत और आतंक व्याप्त है जिससे हर आदमी सहमा हुआ है। मां अपने ब[illegible]ा को स्कूल भेजकर निश्चिन्त नहीं है कि उसका बच्चा सुरक्षित घर लौटेगा कि नहीं ? आज इ[illegible]ारह की घटनाएं घट रही है। अनेक घटनाओं की यहां पर चर्चा हुई लेकिन मैं बेसिकली पूर्वी उत्त[illegible]रदेश के बारे में कहना चाहता हूँ। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया में हत्याओं का अम्बार [illegible]ग गया है और पूरा इलाका इससे थर्रा उठा है। 27 जुलाई को भांवर कोल ब्लाक में राजेन्द्र [illegible], पूर्व ब्लाक प्रमुख पति, की दिन दोपहर हत्या कर दी गई। इसी क्रम में गाजीपुर जिले में श्रीमन्, टुनटुन राय, झिंकू, शोभनाथ राय की हत्या कर दी गई । यह सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। पोलिंग पर ड्युटी कर रहे थे। अविनाश सिंह पूर्व मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई । गाजीपुर में वाराचौर चट्टी पर देवेन्द्र राय पर हमला हुआ। कल्लू राय, अखिलेश, बिट्टू पर हमला किया गया। यह सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। इसी क्रम में मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि कानपुर जिले में कानपुर देहात में विजय सिंह पुत्र

श्री लाखन सिंह को 13 जुलाई को हत्या कर दी गई । इनकी हत्या में एस0 पी0 कानपुर देहात ने अज्ञात रिपोर्ट की जबकि उनकी हत्या घर से 150 मीटर दूर पर हुई । इनकी हत्या में एस0 पी0 देहात का भी हाथ है। इनकी इनसे कुछ किसी बात पर विवाद हुआ था। जहां पर इन्होंने रहकर पढ़ाई की थी वहां पर विजय सिंह की किरोसिन की दुकान थी, इनकी इनसे कुछ कहा सुनी हो गई थी। हत्यारे सूबेदार सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर बात भी की थी। एस0 पी0 कानपुर देहात और उनके मामा का भी इसमें हाथ हैं। इसी तरह से मान्यवर, मैं अपने बलिया जिले के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

अपने क्षेत्र के बारे में कहिये। आप तो गाजीपुर और कानपुर के बारे में कह रहे हैं। गाजीपुर और कानपुर के बारे में वहां के लोग कह लेंगे।

श्री राम इकवाल सिंह--

मान्यवर, दो मिनट का टाइम दें। 23 तारीख को बलिया के ताड़ी बड़ा गांव थाना नगरा, बलिया गांव में चौहान की बेटी का विवाह था। मान्यवर, आप जानते हैं कि गांव के विवाह में जब नृत्य आदि होता है तो गांव की गरीब महिलाएं भी बैठकर नृत्य देख रही थीं तो उनके साथ छेड़-छाड़ हुई । जब बेटी पक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति की तो उनको धमकी दी गई । इसी के दो दिन बाद भी चौहान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ लेकिन यह कहिये कि गोली उनके सीने में न लगकर उनकी बांह पर लगी। उन्होंने 307 में मुकदमा दर्ज कराया। हमला करने वालों ने भी मामला दर्ज कराया तो पिटाने वालों पर भी 307 का ही केस दर्ज हुआ। पकरी थाने में राजनाथ भर की लाठियों से पीटकर हत्या का प्रयास किया गया। वहां पर महिलाओं ने आकर सार्वजनिक रूप से मुझसे रोया कि हम लोग सायं को शौच के लिये नहीं जा सकते । आजादी के 58 वर्ष के बाद भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। दबंग किस्म के लोग उनसे छेड़खानी करते है। शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। (श्री राम इकबाल सिंह के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय नेतागण पूरे प्रदेश के बारे में अपनी बात कह रहे है और कह भी चुके हैं इसलिये बेहतर होगा कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बातों पर ध्यान दें।जिससे कम समय में चर्चा खत्म की जा सके। (श्री राम इकबाल के बोलते रहने पर)

बैठिए अब आप।

श्री राम इकवाल सिंह--

उस भीटकुना में राजभरों के गांव पर हमला किया गया। थानाध्यक्ष नगरा, बलिया समझौता कराने की बात कर रहे हैं कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

बैठिए आप अपने साथियों को भी बोलने का मौका दें।

श्री राम इकबाल सिंह--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

बी0 टी0 सी0 पर अब आ गए कुछ लिखा नहीं जाएगा।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय सम्बन्धी पूर्व सत्रों में पारित विधेयकों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मैं आपके माध्यम से एक बहुत आवश्यक जानकारी लेना चाहता हूँ। आपको और पूरे सदन को विदित है गत सत्र में और उससे पहले सत्र में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बिल पारित हुआ था और दूसरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर निजी विश्वविद्यालय का बिल पारित हुआ था। काफी समय हो गया है। यह सर्वोच्च सदन है सारी ताकत का अंदाजा हो गया किस तरह से गन्ना मिल चलाने के लिए एक मत होकर राय दी ? मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों बिल सदन से पारित हुए भारी बहुमत से। वह दोनों बिल कहाँ है ? उनका हालचाल पता लगे ?

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

यह क्या नियम है ?

श्री अध्यक्ष--

यह दोनों विधेयक महामहिम राज्यपाल के यहां विचाराधीन है। संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह की बात है कि राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर करके देंगे तभी वह मेरे यहा वापस आएगा वह हस्ताक्षर नहीं करते हैं या नहीं भेजते हैं तो हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वापस मंगाते। यदि आप चाहें भी तो संवैधानिक व्यवस्था को आप पलट नहीं सकते। संविधान के अनुच्छेद 208 में संशोधन करके एक समय निर्धारित कर दें लेकिन वह भी राज्यपाल पर बाध्यकारी होगी या नहीं, यह बाजपेयी जी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए मैं इस मामले में, अभी वह आया नही है, यह प्रयास होना चाहिए सदन में कोई बिल पेश हुआ है वह महामहिम से हस्ताक्षर होकर वापस आवे। (श्री राम इकबाल सिंह खड़े होकर बराबर बोल रहे थे।)

श्री अध्यक्ष--

सारा समय तो आपने गाजीपुर, कानपुर, बलिया पर बोलने में ले लिया। ओ0 पी0 सिंह जी आप बोलें। वरना आपका समय खत्म हो जाएगा।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

आप सदन तो व्यवस्थित कराइये। कैसे बोलें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय दूँगा, बी0 टी0 सी0 के बारे में आप न बोलें राम इकबाल जी आप बैठ जाइए।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 208 में संशोधन करने का अधिकार इस सदन को है ?

श्री अध्यक्ष--

इसके अन्तर्गत नियमावली बनेगी इसमें परिवर्तन कर लें वह संविधान के अनुच्छेद से अलग नहीं जाएगी।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, श्री हुकुम सिंह, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2005 को दी गयी सूचनाओं पर जारी चर्चा (क्रमागत)

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, आपने मुझे कानून व्यवस्था पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने क्षेत्र जनपद सुल्तानपुर के बारे में एक बात कहकर समाप्त करूँगा। थाना गोसाईंगंज के अन्तर्गत जनवरी माह में एक दुर्घटना होती है इसमें मान्यवर तीन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात् जब पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुँचती है तो आप अंदाजा लगाएं जिन्हें रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना के बाद मृतक का लाइसेंसी पिस्तौल, मृतक का साढ़े तीन लाख रुपया, मृतक का मोबाइल चुरा लिया। मान्यवर, इस घटना के बाद जब उनके दुखी परिवारीजनों को मालूम पड़ा तो उन्होंने मुकदमा लिखाया और जब भारी दबाव जनता का पड़ा तो उसके बाद एक हेड कान्सटेबिल के पास से वह मोबाइल फोन मय सिमकार्ड के बरामद किया गया। उसके बाद उसको जेल भेजा गया, दो महीने हो गया है, अभी जमानत नहीं हुई है लेकिन उसने जिन 7 लोगों को घटना में शामिल बताया है, वह सभी पुलिस के कर्मचारी थे, आज तक न तो उन्हें निलम्बित किया गया है और न गिरफ्तार किया गया है और न मृतक लोगों की पिस्तौल और रुपये बारामद किये गये हैं। मान्यवर, इसकी सूचना मैंने सदन में भी दी थी। मान्यवर, जब रक्षक ही भक्षक की स्थिति में खड़ा हो जाए तो इससे आप प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। अगर हम सभी लोग कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, यदि कोई दुर्घटना हो गयी तो साक्षात् देवता के रूप में पुलिस के कर्मचारी दिखाई पड़ते हैं लेकिन यदि वही कर्मचारी ऐसी स्थिति पैदा कर दें, मान्यवर लोगों का तो यहां तक कहना है कि जिनकी थोड़ी-बहुत सांसे चल रही थी, पैसा और सामान लेने के लिए उनकी हत्या कर दी गई । इस प्रकार पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की ऐसी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात हो गयी।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव के समय बड़ी संख्या में लोग, सत्ता दल के लोग, उससे जुड़े लोग बड़े पैमाने पर अपने लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन से मिलकर विपक्षी लोगों को उत्पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे विधान सभा क्षेत्र सहादतपुर गांव में हुई है।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें। अब प्रदीप माथुर।

(श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) कुछ बोलते रहे और श्री प्रदीप माथुर ने बोलना शुरू कर दिया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रदीप माथुर--

अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर चर्चा न करते हुए, अपने जनपद मथुरा की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, जहां आतंकवादियों की निगाहें मथुरा की कृष्ण जन्म भूमि स्थल पर लगी हुई है और प्रदेश सरकार उसको किसी तरह से बचाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ मथुरा में खुला माफियाराज, गुण्डाराज कायम है। मथुरा में भूमाफिया गरीब और असहाय लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मान्यवर, इस काम में सिर्फ गुंडा और माफिया ही नहीं हैं, तहसील के पटवारी, नायब तहसीलदार और अन्य लोगों का एक रैकेट बन गया है इससे जन्मभूमि के लोग बहुत व्यथित है। मान्यवर, मथुरा, राजस्थान और हरियाणा के बार्डर पर स्थित है, वहां बदमाशों का एक अड्डा बन चुका है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई होनी चाहिए। वृन्दावन और गोवर्धन में जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं परन्तु गरीब किसानों की जमीनों का भूमि माफियाओं से मिलकर चकबन्दी अधिकारी उड़ान का चक बना रहे है, उनके खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

यह कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो रही है अब आप बैठें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान-व्यवधान के मध्य अध्यक्ष ने श्री राम करन आर्य का नाम पुकार लिया)

*श्री राम करन आर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पर आपने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की यह सरकार अपराधियों, माफियाओं और समाज विरोधी लोगों के खिलाफ आन्दोलन करने की और संघर्ष करने वाले लोगों की सरकार है। अभी हमारे विपक्षियों ने कहा है माफियाओं का राज हो गया है, मेरे पास प्रमाण है, अभी मौर्या जी बोल रहे थे, माफिया और अपराधी तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास में शरण पाते थे और जिसका श्री लालजी टण्डन बचाव किया करते थे। मान्यवर, जब हम विपक्ष में थे तो जब हम अपनी बात करते थे और हमारी नहीं सुनी जाती थी तो टण्डन जी धृतराष्ट्र की तरह आंखे मूंदे रहते थे यह जानते हुए कि यह गलत हो रहा है। आज जिस तरीके से टण्डन जी की सुनी जाती है, मौर्या जी की बात सुनी जाती है और हमारे विपक्ष के नेताओं की बात सुनी जाती है और उस पर कार्यवाई की जाती है अगर उसका एक प्रतिशत भी आपने किया होता जब हम लोग विपक्ष में थे तो मैं समझता। उस समय न जाने हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी। आज कुछ लोग कहते है कि प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई है तो इसमें मेरा मानना है कि विपक्ष के जो लोग अपराधों की बात करते हैं यही लोग अपनी सरकार के समय में अपराधियों को शरण देते थे और जनता को लूटने का काम करते थे। यह अपराधी झण्डे बदलते रहते हैं। जब बसपा की सरकार रहती है तो बसपा का झण्डा लगा लेते हैं, जब भाजपा की सरकार रहती है तो भाजपा का झण्डा लगा लेते है। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने निर्देश दिया कि कोई भी अपराधी हमारी पार्टी में नहीं यादव जी ने निर्देश दिया कि कोई भी अपराधी हमारी पार्टी में नहीं रह पाएगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी मंशा है कि हम सबको सम्मान दें, गरीबों का उत्थान करें, अपराधयुक्त समाज की स्थापना करें और लुटेरों का नाश करें, इसके लिए हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि दो साल पहले जब आपकी सरकार थी तो न जाने हमारे कितने कार्यकर्ताओं, विधायकों के साथ अन्याय हुआ तब आप कहां थे ? और आज आप बात करते हैं कानून-व्यवस्था की। तब कानून-व्यवस्था कहां थी ? आज हमारी सरकार के राज में माफिया ध्वस्त हो गये हैं। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से बेहतर है। प्रदेश में गरीबों का राज है, सबको उनका हक मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

*श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है वह भी कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने का एक कारण है। मैं यह भी मानता हूँ कि जनता के जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वह जब नहीं मिलती है या उनके प्रति संवेदनशून्यता दिखाई देती है तो भी कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी जो नेता सदन भी हैं उनसे मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मैं यह भी मानता हूँ कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का एक कारण माननीय मुख्य मंत्री जी का अतिव्यस्त होना और उनके पास समय का न होना भी है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि बनारस में कानून-व्यवस्था की स्थिति अन्य जिलों से अलग रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं उस पर दो शब्द कहकर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। बनारस के अंदर न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है और लोग हाहाकार कर रहे हैं। आप यह कह सकते है कि पूरे प्रदेश में बिजली की हालत खराब है लेकिन बनारस एक धार्मिक और पौराणिक नगर है, आपकी विशेष दृष्टि भी है उस नाते उसको कुछ रियायत मिलनी चाहिए। दिनभर में केवल 8-9 घण्टे बाधित रूप से बिजली मिल रही है और रात को, मेरे घर में ए0 सी0 या कूलर नहीं है लेकिन बहुत से लोगों के घरों में यह लगा है, उनको इसका अनुभव प्राप्त है, मैं सुबह से बोलने के लिए खड़ा हूँ, आपने कहा कि सुविधा मत लीजिये, आपने मुधु लिमये जी का भी नाम लिया है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बनारस के लोगों को रात को जागकर गुजारना पड़ता है। मैं यह यकीन से कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। आपके दो मिनट हो गये है।

श्री श्याम देवराय चौधरी--

मान्यवर, मैं 1989 से 1991 तक इस सदन का सदस्य रहा हूँ। आपका उस समय का जो व्यवहार था और आज का जो व्यवहार है उसमें कमी आयी है। कारण यह है कि व्यस्तता।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें। मैं श्री राजेश कुमार जी का नाम पुकार रहा हूँ।

श्री श्याम देवराय चौधरी--

मान्यवर, तीन तारीख को बनारस की महिलाएं और पुरुष बिजली की समस्या को लेकर सड़क पर उतर आये लेकिन पुलिस ने उनको दी लाठियाँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें। कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है और आप बिजली आदि पर बोलने लगे। अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा। राजेश कुमार जी आप बोलें।

*श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, मैं अपने जनपद की घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे यहां थाना भोगा के अंतर्गत एक दलित समाज का मजदूर जो अपने खेत में जाकर पानी लगाता है, उसकी कुछ लोग गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। उसकी विधवा उसकी हत्या का मुकदमा लिखाने के लिए घूमती रहती है लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। जो हत्यारे हैं वह उसको घेरने का काम करते हैं और पिस्तौल दिखाने का काम करते है। मान्यवर, थाना मैलानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत-खंजनपुर में एक दलित प्रधान, राधेश्याम समग्र ग्राम गेट नम्बर-10 (विकास खंड-बाकेगंज) में ग्राम पंचायत की बैठक कर रहे थे उसमें स्थानीय दम्भी सरदार ने मीटिंग में आकर व्यवधान किया और प्रधान को भला बुरा कहा। उसने कहा कि तुम दलित के कालोनी को पास करने की बात कर रहे हो, इनके मकान बन जायेंगे तो हमारे यहां काम करने कौन आयेगा ? जब उसका विरोध किया गया तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। तब फिर वह दम्भी सरदार अपने घर गया और पिस्तौल तथा रायफल ले आया। तब तक प्रधान किसी सम्मानित व्यक्ति के घर में चुपके से घुस गये। उस सरकार ने बहुत ढूँढा लेकिन वह नहीं मिले। फिर उसने उनके घर में जाकर धावा बोल दिया। इधर गांव वालों ने थाना कुकरा में चौकी इंचार्ज को खबर दी। उसने कहा कि हमें तो इसकी एक घंटे पहले ही सूचना मिल चुकी है और वह टाल मटोल करते रहे। इस बीच बीस-पच्चीस लोग प्रधान जी को सीतारामपुर से चौकी ले आये लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

मान्यवर, इसी तरह से जटपुरा में एक दलित महिला के घर में बदमाशों ने धावा बोला लेकिन कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गयी। मान्यवर, थाना फरदनद में रूकन्दापुर में कक्षा सात की एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जब मैं लखीमपुर गया तो वहां पीड़ित लोग घूम रहे थे। तब मैं कप्तान के निवास में उन लोगों को लेकर गया। वहां पर मालूम हुआ कि एस0 पी0 साहब का स्वास्थ्य खराब है। मैं वहां पर आधा घंटा बैठा रहा। जब मुझे यह मालूम हुआ तो मैंने पी0 आर0 ओ0 को एप्लीकेशन हैन्ड ओवर कर दी और पीड़ित लोगों को बैठाकर वहां से वापस आ गया। लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, थाना मैलानी ही में रामबेटी पत्नी श्री रामस्वरूप, निवासी ग्राम टीकापुर गेट नम्बर-10, को 6-4-05 को रात 11.00 बजे उनके घर पर हमलावरों बदमाशों ने मारा पीटा की और उनके बीस हजार रुपया नकद और जवरात छीन लिये। जब उनको पहचान लिया गया तो इसकी सूचना चौकी पर लिखायी गयी लेकिन उन बदमाशों पर कार्यवाही करना तो दूर उन बदमाशों को थाने में बुलाया गया और वहीं पर उन्होंने रामस्वरूप और उनकी पत्नी को मारा। पुलिस ने राम स्वरूप को जेल भेज दिया और उसके ऊपर धारा-308 लगा दी गयी। इसमें जांच की कार्यवाही नहीं हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें। कानून व्यवस्था और नियम 56 पर जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दी थी उसमें से अधिकांश लोग बोल चुके हैं फिर उसी बात पर कहने का क्या औचित्य ?

*श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ज्वलन्त मुद्दे पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। कदाचित पहली बार हो रहा है, कि कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय और माननीय नेता सदन ने इस चर्चा को स्वीकार कर लिया। आज चर्चा का बिन्दु यह होना चाहिए कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी है उसको सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसको ठीक करने के कौन से कदम हों इस पर सुझाव देना चाहिए। केवल हम पुलिस का मनोबल गिराने यह नहीं होना चाहिए। केवल यह नहीं होना चाहिए कि दूसरी पार्टी की सरकार है हम पुलिस की बुराई करें, उसकी आलोचना करें, या उस सरकार के समय जो एस0 पी0 पोस्ट हुआ है वह खराब है और जब हमारी सरकार आये तो एस0 पी0 पोस्ट हो जाए तो अच्छा है, मैं समझता हूँ किस समय एस0 पी0 या पुलिस के किसी अधिकारी और कर्मचारी को कैसे संवदनशील बना सकते हैं, कैसे जवाबदेह बना सकते हैं, उसके सन्दर्भ में कार्यवाही होनी चाहिए और अगर कहीं भी अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं भी घटनाएं बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर शासन को उनका संज्ञान लेना चाहिए। अपराधी चाहे सत्तारूढ़ दल से सम्बन्ध रखता हो या [illegible] हों में, किसी से भी संबन्ध रखता हो, उसको रोकने का प्रयास करें। जो कानून व्यवस्था को ठीक करने वाला व्यक्ति है अगर कहीं उसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो उसके प्रति सरकार को जवाबदेही होनी चाहए। मान्यवर, अयोध्या में जो घटना हुई अगर वह घटित हो जाती तो, आप उसकी कल्पना करके सिहर सकते हैं, उसके दुरगामी परिणाम हो सकते थे। एस0 टी0 एफ0 ने जिस तरह से इसे नाकाम किया वह सराहनीय है। आज नेपाल में जिस तरह से माओवादी की आपराधिक घटनायें बढ़ रही है और वहां के अपराधी सिद्धार्थनगर या भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आ गए हैं और वह भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उसी तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन चाकसी के चलते वह अभी तक कोई भी घटना घटित करने में सफल नहीं हो पाये हैं, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन अगर गोरखपुर आई0 जी0 का बयान आता है कि बस्ती मण्डल में अपराध बढ़ रहे हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए।

जब तक हम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरेगी। मान्यवर, मैं आंकड़े तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए, जिससे परिणाम ऐसा आना चाहिए कि प्रदेश की जनता को यह एहसास होना चाहिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। मान्यवर, जिस तरह से एम0 सी0 सी0 के लोग हमारे यहां आये और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया तो इन बड़ी घटनाओं को आज कम से कम जो एम0 सी0 सी0 की घटनायें हैं, माओवादी की घटनायें है उन्हें रोकने का प्रयास किया जाय। समाज में जिस समय से भी यह समाज बना है, आपराधिक घटनायें होती रही हैं, लेकिन इन पर नियन्त्रण करना भी जरूरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपनी बात समाप्त करें, दो-दो मिनट ही समय दिया गया है, माननीय राणा जी आप अपनी बात कहें।

*श्री राणवीर राणा--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था किस एक सरकार की देन नहीं होती है, मेरा मानना है कि कानून-व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक बेरोजगारी रहेगी, जब तक मँहगाई रहेगी और इन बिन्दुओं पर बहस होनी चाहिए, केवल कानून-व्यवस्था पर बहस हो, तो हम उसे सुधार नहीं सकते हैं ? मान्यवर, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब लखनऊ के अन्दर सेना में भर्ती हो रही थी तो वहां पर युवाओं का समुन्दर उमड़ पड़ा और जब उसको नियन्त्रित करना मुश्किल हो गया तो उन पर लाठियां बरसायी गयीं और उन पर घोड़े दौड़ाये गए, तब जाकर शान्ति व्यवस्था स्थापित हुयी और इसी तरह से जब मेरठ में भर्ती हुई तो वहां पर युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ और घोड़े दौड़ाये गये।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री रणवीर राणा--

मान्यवर, मेरा मानना है कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कदम उठाये है, देश में अन्य राज्यों में जहां सरकारी नौकरियों पर ताले लगे हुए हैं, केवल हमारी सरकार ने वह ताले खोले हैं और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। माननीय हुकुम सिंह जी आप अपनी बात कहें, लेकिन ध्यान रहे केवल 02.20 तक ही इसका समय है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा।

(व्यवधान)

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, इसका समय बढ़वा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप तो मुंशी लाल गौतम जी नियम 56 में भी बोल लेते हैं। आपके बड़े नेताओं ने पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बातें कही हैं आप बैठ जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अभी आज जो हम लोगों ने सुना कि माननीय मुख्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उनके दल में अपराधी को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। मान्यवर, यह सुनने में अच्छा लगा। मान्यवर, मेरे पास जो मेरे जिले की जानकारी है वह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को दे देता हूँ। मान्यवर, अभी दो दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया शूटर जिन पर 121 मुकदमें हैं और जिन्होंने अपने पंचायत के चुनाव से संबंधित विवरण के एफेडेविट में 61 मुकदमों का विवरण खुद दिया है जिसमें अपहरण, हत्यायें, डकैती सब शामिल हैं, वह आदमी एक हूटर वाली गाड़ी में आता है और जिस पर समाजवादी पार्टी का झण्डा लगा हुआ है और जिस पर आगे लिखा हुआ है प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। वह सफारी गाड़ी है उसका फोटो मेरे पास है जब वह वहां नामांकन के लिए आता है तो वहां उपस्थित दरोगा उसे सलूट करता है। जब उससे वहां लोग पूँछते है कि ऐसा क्यों कर रहे हो यह तो बहुत बड़ा अपराधी है तो वह दरोगा जवाब देता है कि गाड़ी पर समाजवादी पार्टी की प्लेट लगी है और हूटर लगा है उसको सल्यूट करना मेरा काम है। इससे माननीय मुख्य मंत्री जी आप अन्दाजा लगा सकते है कि इन सब बातों से पुलिस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

मान्यवर, दूसरी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे जिले में रेल पटरी चुराई जाती है और चोरी करके जब उसे ट्रक में लाद कर ले जाया जाता है तो उसे मुजफ्फरनगर के बेलना तिराहे पर पकड़ लिया जाता है और पुलिस उस ट्रक को बरामद करती है क्योंकि उसमें राष्ट्रीय सम्पति चोरी करके ले जाई जा रही थी। लेकिन आगे चल कर उसमें डेढ़ लाख का सौदा करने की बात होती है 18 घण्टे तक वह सौदा चलता है। इसका प्रमाण मैं मुख्य मंत्री जी को और आपको भेजूँगा। उसी बीच वहां के सांसद का फोन जाता है कि तुम डेढ़ लाख मांग रहे हो वह हमारा आदमी है, 60 हजार रुपये में वह सौदा हो जाता है और वह ट्रक फिर जहां जानी होती है चली जाती है और वह आदमी अपने घर चला जाता है। मान्यवर, तीसरी घटना है जो गोहत्या से संबंधित है। मान्यवर, एक ट्रक जिसमें गोमांस पड़ा था और वह खाल भरा ट्रक जा रहा था, उसको पुलिस पकड़ती है वह दरोगा अल्पसंख्यक था, उस पर बहुत दबाव पड़ता है, लेकिन वह उस ट्रक को नहीं छोड़ता है और उसके बाद आपही के दल के एक सांसद वहां जाते हैं और वहां के मण्डल अध्यक्ष भी जाते हैं और उस अल्पसंख्यक दरोगा की सार्वजनिक रूप से पिटाई भी होती है और उस ट्रक को जबरदस्ती छुड़वा दिया जाता है। जब वहां पर उस बात को लेकर विरोध शुरू होता है तो उस अध्यक्ष पर तो मुकदमा कायम हो गया लेकिन जिनके संरक्षण में वह सारा काम हो रहा था उनको छोड़ दिया गया।

मैंने इन तीनों घटनाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर बताया है। आप उसकी जांच करवा लें। मान्यवर, हम यहां पर लोकतंत्र के माध्यम से जुड़े हुए है और आप जन समर्थन से मुख्यमंत्री बने है। किसी के नामीनेशन से नहीं बने है लेकिन हमारे जो संस्कार है वह एक फैशन बनता जा रहा है कि किसी समारोह में चले गये और किसी का हाथ पकड़ कर कह दिया कि हमारे बाद ये व्यक्ति मुख्य मंत्री होगा। हमारी सहयोगी भी एक बार वहां गयी थी और उन्होंने भी वहां किसी का हाथ उठा कर कह दिया था कि मेरे बाद ये मुख्य मंत्री बनेंगे। तो इन सब बातों का कितना प्रभाव पड़ता है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में और जो ये 31 घटनाएं हुई है उनका पूरा विवरण मेरे पास है। जहां पर पुलिस कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा गया अपहरण करते हुए या अपहरणकर्ता को संरक्षण देते हुए। मान्यवर, दो दिन पहले ही घटना हुई थी जो वहां के सबसे बड़े भू-माफिया हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के जनपद के है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

घटना इनके जनपद की है।

श्री हुकुम सिंह--

वह पकड़े कहां जाते हैं एक पुलिस कर्मी के घर से। वहां से पुलिस ने इन्काउण्टर किया मान्यवर, जिस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही हुई, ट्रांसफर हुआ वह जिले से बाहर नही जा सका। आई0 जी0 से लेकर, डी0 आई0 जी0 सब लगे लेकिन तबादले में बाहर नहीं जा सका, महीना डेढ़ महीना से ज्यादा, क्या एस0 पी0, एस0 एस0 पी0 की औकात रह गयी, कैसे कंट्रोल कर लेंगे। यह सारी की सारी घटना में आपकी सुविधा के लिए सब लिखकर आपके पास भेज दूँगा ताकि ऐसे में कुछ तो तब्दीली आये तभी तो कंट्रोल हो पायेगा जो लोग 8-8 साल से विराजमान हैं। मान्यवर, मेरे पास व्यापारी, आये उन्होंने कहा कि मेरे घर से दो आदमियों को पुलिस वाले पकड़कर ले गये हैं। 3 कि0 मी0 पर लाकर 55 हजार रुपये उनसे पुलिस वालों ने लूट लिया, एस0 पी0 से शिकायत हुई तीनो सस्पेन्ड किये गये लेकिन उस एस0 एस0 पी0 की हालत क्या हुई जब दिल्ली से टेलीफोन गया कि तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है तीन दिन में बहाल कर दो तो वह बहाल हो गये। आप मान्यवर, मुख्य मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, कम से कम इन तथ्यों के ऊपर नियंत्रण करें। ऐसा करें कि कम से कम पुलिस के सही कामों में उनका हस्तक्षेप खत्म हो जाय। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि आप तो गौ रक्षक हैं, गौ पालक भी है 8 बैल अभी मारे गये सरेआम गर्दन धड़ उनका अलग कर दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, पुलिस वालों से कहा कि मुकदमा कायम करें और बैठ गये लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया कि जिन लोगों ने जाम किया विरोध में उनके खिलाफ कार्यवाही किया और गौ हत्या करने वाले बरी। यह मुजफ्फरनगर में और आस-पास जो जिलों के हालात हैं वह बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप खत्म करें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरी सारी बातें रह गयी हैं लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुज्ञा मांगने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

दो घंटे का समय था, सब बड़े-बड़े नेता 10-10, 8-8, 12-12 मिनट बोले और अन्य विधायकों को कोई समय नहीं मिला तो मेरा क्या दोष है ? दो घंटे का समय था अब दो घंटे चर्चा हो गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है।

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के 710 दिन पूरे हो गये और 710 दिन के अन्दर अपराध का जो रिकार्ड बना है वह शायद पहले कभी नहीं बना। हत्या, अपहरण, डकैती, लूट इन सब का विवरण माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दिया है उसें मैं दोहराऊँगा नहीं लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी वक्त केवल जनवरी से लेकर जुलाई 29 तक प्रदेश के केवल एक हिस्से में साढ़े 12 सौ हत्या हुई । महिला उत्पीड़न और बलात्कार की घटना 100 से अधिक और अपहरण ढाई सौ से अधिक यह प्रमाण-पत्र है इस सरकार के लिए। मान्यवर, एक परम्परा है आर्मी में कि सेना का कोई बड़ा अधिकारी जाता है तो उसे तोप की सलामी दी जाती है। जून के महीने में मुख्य मंत्री जी जौनपुर गये थे और जिस दिन वहां थे तो वहां के अपराधियों ने 4 हत्याओं की सलामी दी थी। 4 हत्याएँ जौनपुर में हुई थीं और सारा नगर हिल गया था। वहाँ के लोगों की यह अपेक्षा थी कि अपराधी को पकड़ने में तो सफल नहीं होंगे लेकिन कम से कम मुख्य मंत्री जी उनका हाल जानने जरूर आयेंगे लेकिन 4 में से एक परिवार के यहां भी नहीं गये। माननीय मुख्य मंत्री जी उन परिवरों में नहीं जा सके जिनके परिवार के लोग मौत की नींद सो गये थे। मान्यवर, इतना ही नहीं, अकेले इलाहाबाद मेरे अपने शहर की मैं बात करूँ तो इसी वर्ष जून तक 100 से अधिक हत्यायें हो गयी। क्यों ऐसा हो रहा है, यदि इन कारणों में जायें तो कोई बेरोजगारी कारण बतायेगा, कोई राजनैतिक संरक्षण बतायेगा और कोई और दूसरा कारण बतायेगा। लेकिन एक बात जरूर दिखाई पड़ती है, वह यह कि नीचे के स्तर का पुलिसकर्मी कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल और सब इंस्पेक्टर, बेकाबू हो गया है और राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण कुछ जगह को छोड़कर बाकी सब जगह पुलिसकर्मी अपना मनोबल खो चुके हैं। आज आवश्यकता है कि किस प्रकार से इनको संयमित करके कानून व्यवस्था को ठीक से लागू किया जाय। जनता तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगी, अभी मैं कानपुर गया था, वहां बिजली की समस्या को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज हुआ और लोग चोट खाये, कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हो क्या रहा है कि ऐसे मामलों में लोगों के ऊपर क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट एक्ट की धारायें लगाई जाती है ताकि उनकी जल्दी जमानत न हो सके। इस एक्ट का दुरुपयोग हम पहली बार देख रहे है। गाजियाबाद के अन्दर श्री राजेन्द्र राय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, की हत्या हो गयी, नामजद रिपोर्ट है, लेकिन आज तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। रिपोर्ट में गोली चलाने वाले का नाम दिया गया है, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुयी। इसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। लगता है कि सरकार के कान पर जूँ रेंगती नहीं है।

सहारनपुर की घटना का उल्लेख माननीय नेता बसपा ने किया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा राजनैतिक हत्यायें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम इस सरकार में 90 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो चुकी हैं। हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। आज व्यापारी परेशान है। हत्या, अपहरण, दिनदहाड़े दुकान से लूट, कन्नौज में इसी तरह की घटना दिन-दहाड़े हुयी। इस घटना में यह साफ बताया गया कि सब इंस्पेक्टर दोषी है लेकिन उसका तबादला नहीं हुआ बल्कि एस0 पी0 का तबादला हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक राजनैतिक संरक्षण को समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। अभी अयोध्या में आतंकवादी घटना हुयी, मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। इस घटना में एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम डा0 इरशाद है, यह डा0 इरशाद कौन है ? यह [x x x] के एक नेता का भाई है जिसके ऊपर पुलिस को शक है कि इसने आतंकवादियों को संरक्षण दिया। उसने भी खुद स्वीकार किया है कि अयोध्या की घटना की मुझे जानकारी थी, लेकिन मैंने उसको प्रकट नहीं किया और पुलिस को सूचना नहीं दी। आज अपराधियों का जुड़ाव सत्तारूढ़ दल से जुड़ता नजर आ रहा है।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस के पूर्व महानिदेशक महोदय ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी अपराध केवल इसलिये साल्व नहीं हो रहे है क्योंकि इनमें कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि पुलिस के पूर्व महानिदेशक ने यह बात कही है। माननीय मुख्य मंत्री जी गाजियाबाद के दौरे पर गये थे और उन्होंने वहां कहा था कि जनता को अपनी सुरक्षा का इन्तजाम स्वयं करना चाहिये। इसका क्या अर्थ निकला कि पुलिस जनता की सुरक्षा नही कर सकती, यह सरकार जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती। जब जनता अपनी सुरक्षा स्वयं करेगी तो अपराध और बढ़ेंगे और अधिक घटनायें होगी, वारदात होगी और हिंसा होगी। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज कब्जे का अभियान चालू हो गया है। हमीरपुर में एक घटना हुयी, मन्दिर के बगल में जमीन कब्जा करने की, इसमें लोगों ने प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं गये। इसी तरह हमारे नेता विपक्ष ने रामपुर की बात कही। हमने टी0 वी0 पर देखा, इलेक्ट्रानिक चैनलों के माध्यम से देखा, वहां तमाम लोग गये थे, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता, माननीय मोतीलाल वोरा जी और निर्मला देशपाण्डे जी यह लोग बहुत हल्ला करने नहीं गये थे लेकिन वह लोग कौन है, किसने उन्हें योजनाबद्ध तरीके से विरोध करने के लिए भेजा ? जिन लोगों ने इलेक्ट्रानिक मीडिया से टी0 वी0 पर देखा है, वह जानते हैं कि वह लोग किसके नारे लगा रहे थे ? जब रामपुर में हमने सत्याग्रह किया था, तब पुलिस इतना सक्रिय हो गई कि हमारे मोर्चे के अध्यक्ष को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया, टण्डन जी को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया।

मान्यवर, अगर इसका 50 प्रतिशत भी पुलिस सक्रिय हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अपराधों में बहुत कमी आ जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर कानून-व्यवस्था में सुधार लाना है तो सबसे पहले राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना होगा। हमें भी कभी-कभी टेलीफोन करना पड़ता है और प्राय: आप हम और सभी लोग करते हैं, लेकिन जवाब मिलता है कि आप तो जानते ही है कि कौन दवाव डाल रहा है, इसके बाद हम भी विवश हो जाते हैं और अपराधी घूमते रहते है। कन्नौज में 117 लोग ऐसे है जिनके खिलाफ नॉन बैलेबिल वारंट है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। शाहजहांपुर में 70 हजार की डकैती के मामले में चन्दा लगाकर बरामदगी दिखा दी गई । इस समय पंचायत के चुनाव हो रहे है, लखीमपुर से मेरे पास टेलीफोन आता है कि एक थाने का दरोगा उम्मीदवार से कहता है कि अगर पर्चा वापस नहीं करोगे तो कोई न कोई धारा लगा दूँगा हमारे क्षेत्र में एक स्थान लवायन कला है, वहां सरेआम [X X X] के लोग कहते हैं कि अगर पर्चा वापस नहीं करोगे तो समझ लीजिए बचोगे नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में इस सरकार के रहते कानून-व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त होना सम्भव नहीं है। मैं केवल चार नाम ले रहा हूँ, आप इन मामलों को अगर सी0 बी0 आई0 को सन्दर्भित कर दें तो काफी सुधार हो सकता है। चीनी निगम का हवाला देते हुए आपने कहा था कि प्रदेश में निजीकरण करने वाले लोग डर गये है कि सी0 बी0 आई0 कुछ जांच कर रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं 'कर रही है' नहीं कहा था बल्कि यह कहा था कि 'कर सकती है'।

नोट :--[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, राजेन्द्र राय, नीरज मिश्रा, अरुण शुक्ला के मामलों को सी0 बी0 आई0 को भेज दीजिए, तब आपकी परीक्षा होगी। यह प्रमुख मामले सी0बी0आई0 को भेज दिये जाने से प्रदेश के अपराधियों का मनोबल गिरेगा। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब समय खत्म हो गया है। दो घण्टे से ज्यादा का समय हो गया है। माननीय टण्डन जी, मौर्या जी, कुमार जी, और अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार रख लिये हैं और अब समय समाप्त हो गया है।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, आपके सम्मुख यह विचार आया था कि एक दिन कोई कार्यक्रम न रख करके पूरे दिन इसी विषय पर बोलने का मौका दे दिया जाए और मान्यवर, अब आज जब यह अवसर है तो उसे दो घण्टे में सीमित करना ठीक नहीं है, इस लिए मान्यवर, अनुरोध है कि इस चर्चा के लिए थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाए। जो बाकी काम शेष है उसके लिये हम सभी लोग बैठेंगे और पास करायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ मामलों को नोट कर रहे हैं, शायद यह बातें उनके नॉलेज में नहीं हैं, इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों की बातें उनके संज्ञान में आयेगी, इसमें सरकार का ही हित है। इससे उन्हें व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत मसाला मिल जायेगा। इस लिए कुछ समय और बढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी समय बढ़ायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

अध्यक्ष जी काफी बहस हो गयी और सारे मामले सदन में आ गये, सारे जिम्मेदार नेतागण बोल चुके। जितने दिन सदन चला है, नियमों के माध्यम से सूचनायें आती रही हैं, वही बाते बार-बार रिपीट हो रही हैं। अब नेता सदन का वक्तव्य हो जाने दीजिए।

(मुख्यमंत्री--के खड़े होने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी इसी बीच भारतीय जनतापार्टी के डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना, श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुंशीलाल गौतम व कुँवर भरतेन्द्र सिंह अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय अध्यक्ष से उन्हें भी सुनने का आग्रह करने लगे)

अध्यक्ष--

आप लोग आसन ग्रहण करिये, चर्चा का समय समाप्त हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर भाषण के लिए खड़े हैं, अब उन्हें उत्तर भाषण देने दीजिए।

(इसी बीच श्री मुंशी लाल गौतम अपने आसन से एक बैनर लेकर वेल की ओर बढ़ने लगे)

मुंशी लाल गौतम जी आप अपने आसन पर चलिये नहीं तो आपको इंगित करना पड़ेगा। अगर सदन समय नहीं बढ़ता है तो मैं क्या करूँ ?

(डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना व श्री नवाब सिंह नागर पुन: अपने-अपने आसन पर खड़े होकर कानून व्यवस्था की चर्चा पर सुने जाने का आग्रह करने लगे)

कृपया आप लोग बैठिये। वेसे सारी बातें आपके नेता ने कह दी है लेकिन अगर कोई बात रह गयी हो तो आप नेता सदन के उत्तर भाषण के बाद स्पस्टीकरण में अपनी बात कह लीजिएगा। इस चर्चा पर दो घण्टा 20 मिनट का समय हो गया है अब समय नहीं बढ़ रहा है तो मैं क्या करूँ ?

माननीय सदस्यगण, जब आप नियम 56 की नोटिस दे रहे थे उनमें सारी चर्चायें हो गयी है, प्रोसीडिंग्स निकालकर देख लीजिए। आज आपके नेता लोगों ने प्रदेश के बारे में पूरे जिलों के बारे में काफी बातें कह ली हैं। आपके बड़े नेता बोल चुके, जिलों और सूबे के बारे में बोल चुके है, हो सकता है कुछ क्षेत्रों के बारे में चर्चा रह गयी हो। जो क्षेत्र की बाते छूट गयी होंगी उसे आप लिखकर दे दीजिएगा।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आपने आश्वस्त किया था।

श्री लालजी टण्डन--

माननीय नेता सदन ने कहा था कि आज उपवेशन का आखिरी दिन है, सब लोग खुशी से घर जाए। आप आधे घन्टे का समय और बढ़ा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, यदि नेता विरोधी दल यह प्रस्ताव करते है तो सोच-समझकर करना चाहिए था क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बाते आ गयी हैं इस चर्चा के लिए ही प्रश्नकाल, जिसमें जनता के महत्वपूर्ण सवाल आते है, उसको भी प्रस्ताव रखककर स्थगित किया गया, उसे हमने सहर्ष स्वीकार किया और जो हमारी नियमावली है, माननीय सदस्यों को नियमावली का अध्ययन करना चाहिए। कभी-कभी गम्भीर घटनायें आ जाती है तो आपकी अनुमति से उन्हें कभी भी सदन में उठाया जा सकता है और आप अनुमति देते भी रहते है और यह सदन की परम्परा भी है। कार्य-मंत्रणा समिति में भी निर्णय हो जाए और आपकी राय से, आपकी मांग पर ही आज सदन बुलाया गया है और विस्तार से चर्चा करना चाहतें है तो दो-चार घन्टे और चर्चा हो जायेगी। आप दोहराने के अलावा और कुछ काम नहीं कर पायेंगे। जिन घटनाओं को आप दोहरा रहे है उनका जिक्र अभी आ गया हैं। जबसे यह सरकार बनी है तब से कुछ घटनायें हुयी हैं। यह प्रदेश है।अगर आप कहना चाहते हैं तो चलाइये असेंबली हम तैयार है।लेकिन जब एक निर्णय हो जाय तो, माननीय नेता विरोधी दल, उसका सम्मान किया जाये और उसके बाद आपके ऊपर दबाव पड़ेगा तो हम तो कहते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल को सम्मान के साथ सदन के अन्दर बात करनी चाहिये। अगर आपको सम्मान नहीं देते हैं तो सार्वजनिक जीवन में हमेशा जेब में इस्तीफा रखना चाहिए। हम गम्भीर है लेकिन माननीय नेता विरोधी दल की बात उनके दल के लोग मानने के लिए तैयार नही है।मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, सदन फिर बुलाया जाये जितनी चाहे चर्चा कर लें। आज सब लोग यहां से खुशी के साथ जाये, हंसी के साथ जायें, यह सुबह ही मैंने अपील कर दी थी। यह जो घटनायें हैं, यह पाप हमारे जमाने के नही है पहले के हैं। इनसे हमारी पुलिस और हमारी सरकार निपट रही है।

(मेजों की थपथपाने की आवाजे)मैंने सवा 11 बजे जब बयान दिया था चीनी मिलों के बारे में उसके बाद अपील की थी लेकिन उसका जिक्र कहीं सदन में नहीं आया। चुनाव आयोग का पत्र बाद में आया है कि अपराधियों को पंचायत चुनाव से रोका जाय। वह पत्र बाद में आया, अगर पहले मिलता तो हम सर्वदलीय बैठक बुलाकर सहमति लेते। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं, क्या आपने अपने दल के किसी अपराधी, राजनीतिक नेता को जेल में भेजा है ? हमने केवल आपकी शिकायत पर, रिपोर्ट पर अपने बड़े नेताओं को जेल भेजा हैऔर कई महीने जेल में डाला है। आपने अपने समय में एक भी दिन चर्चा करने नहीं दिया। माननीय हुकुम सिंह जी अच्छा बोले, सुझाव भी दे रहे थे, हम आदर करते हैं। लेकिन पहले भी आप देखते और सुनते थे।उस समय किसी सवाल का जबाब देने और सुनने के लिये तैयार नहीं होते थे। वह दिन भी हमने देखे हैं। लेकिन आज आप बोल रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। मुझे खुशी है, चौधरी साहब आपकी बात कभी टाली नहीं गयी चाहे हम कितना व्यस्त हों। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी व्यस्तता को आप समझ रहे हैं। आपने हमारी नीयत पर कोई हमला नहीं किया मुझे खुशी है। आपकी शिकायत बनारस को लेकर है, उसे हम दूर करेंगे। इसलिये हम कहना चाहते है, हम अपनी बात रखना चाहते है, माननीय नेता विरोधी दल का आदर करते हुए, मैं इस राय का हूँ कि सदन बुला लिया जाये। हम जबाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर भाषण दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

हम सदन चलाने के लिये तैयार हैं। आप 11 बजे बैठ जाय और रात 11 बजे तक चलायें, लेकिन उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति न हो। आज पुनरावृत्ति हुयी है। बाजपेयी जी आपके कहने से ही सदन 8 जुलाई को किया गया यहां पर कानून व्यवस्था पर कोई खास बात नहीं आई। मुझे खुशी है कि माननीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के अलावा किसी ने भी शांति व्यवस्था खराब नहीं बताई है। केशरी नाथ त्रिपाठी जी आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। आप वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं और वकील भी हैं। हमारे आपके रिश्ते भी अच्छे हैं इसलिए मुझे दुख होता है। ऐसे फैसले हम बता देंगे जो पूर्व में लिए गए। आप पता नहीं क्यों आजकल नाराज चल रहे हैं। नेता, विरोधी दल ने कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अच्छे सुझाव दिए और अपना भाषण दोनों तरीके से जो नेता विरोधी दल का एक पद है गरिमा और जिम्मेदारी सदन के अन्दर है उसके अनुरूप दिया।

आपने आलोचना भी की और उसके बाद सुझाव भी दिए हैं। जहां तक गंदर्भ सिंह भदौरिया की बात है तीन चार दिन पहले मुझे मिले हैं। मेरा भी उनके साथ अच्छा रिश्ता है। आज से नहीं बहुत दिनों से है। गहरा रिश्ता है। वर्ष 1984 से है। ऐसे समय से है जब हम संकट में थे तो उन्होंने हमारी मदद की थी। जहां मैं जा रहा था वहां हमला हो गया था गोलियां चल रही थी। उस समय गंदर्भ सिंह भदौरिया ने हमारी हिफाजत की और रक्षा में आगे खड़े हो गये थे। मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ। जो आपकी उनके सम्बन्ध में राय है तो हम इसको देख लेंगे और अगर वह निर्दोष है तो उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। इस पर हम दुबारा जांच कराकर देख लेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की उड़ीसा बिहार से तुलना की गई तो कभी तुलना मत किया करें। अगर बेहतर स्थिति

कानून व्यवस्था की न होती तो हमें बधाई न मिलती। अभी जो तीन दिन पहले इंडिया टुडे के द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया था और यह ऐसा सेमिनार था जिसमें देश के 16 मुख्य मंत्री थे, सारे हिन्दुस्तान के विद्वान पत्रकार थे, विद्वान वकील व प्रोफेसर थे उसमें हिन्दुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति भी आए थे और उसमें हमें व अमर सिंह को यह प्रमाण-पत्र मिला कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा पूंजीनिवेश का वातावरण बनाने में कामयाबी हासिल की है। उसमें हमें और अमर सिंह को सम्मानित भी किया गया।

श्री लाल जी टण्डन--

उसी बैठक में जो आंकड़े दिए गए कि पूंजी निवेश में आपका स्थान ऊँचा है लेकिन अपराध में आपकी स्थिति खराब है। मैं उसी बैठक के आंकड़े दे रहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने आंकड़ों के बारे में नहीं कहा है। मैंने कहा कि इंडिया टुडे ने जो विराट समारोह किया था उसी में पूंजी निवेश के बारे में हमें प्रमाण-पत्र मिला। आपके साढ़े आठ साल के कार्यकाल में जो पूंजी निवेश नहीं हुआ होगा, उससे कई गुना निवेश हमारी सरकार के इतने कम समय के कार्यकाल में हुआ। आपके समय में उद्योगपति भाग खड़े हुए थे। कोई गुड़गांव चला गया, कोई मुम्बई चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया कोई गुजरात चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन आपकी सरकार में भगदड़ मची थी। सारे उद्योग धन्धे बन्द हो गए थे और कितने उद्योग बन्द हो गये थे। अभी तो आ रहे है बहुत तेजी के साथ। मैं इसीलिये कहना चाहता हूँ कि आपने कानून -व्यवस्था के नाम पर बहुत से आँकड़े दिये है। आप सब हमको दे दीजिये, हम एक-एक की जाँच करा लेंगे और आपके सामने रख देंगे। जहाँ तक उत्तम प्रदेश का सवाल है, वह तो बनेगा ही और इसके लिये आपका सहयोग चाहिए और आप सहयोग देते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने तुष्टीकरण की बात कही। यह जो अयोध्या में हुआ वह तुष्टीकरण का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि उच्च सदन विधान परिषद् ने एक प्रस्ताव करके बधाई दी सरकार को और सुरक्षा बलों को। आपकी तरफ नहीं आया। (व्यवधान) उच्च सदन में प्रस्ताव आया है बधाई का। लिखित प्रस्ताव पास किया है विधान परिषद में कि किस तरह साहस से, बहादुरी से सुरक्षा बलों ने और सरकार ने इतनी जल्दी खतरनाक आतंकवादियों का सफाया किया और इतनी जल्दी निपटारा किया है। विश्व के इतिहास में इतनी जल्दी आतंकबाद का कहीं निपटारा नही हुआ है।

आपकी सरकार के समय के आँकड़े दे दें कि कितने लोग अक्षरधाम पहलगाँव, लाल किले, संसद और अमरनाथ की घटनाओं में मारे गये और कितनी जल्दी आपने उनका निपटारा किया ? लाल किले की घटना के अपराधियों का तो आज तक पता नहीं। यहाँ तो हमने इतना जल्दी पता लगा लिया और जल्दी ही पूरे मामले का निपटारा कर दिया। अब भी इसको तुष्टीकरण कहेंगे ? आप समझते हैं कि राम आपके है। आपके तो राम कहने के लिये हैं। एक भी उनका आदर्श न आपमें है, न आपके दल में है। हम राम के आदर्श पर चलने वाले समाजवादी पार्टी के सत्ता के लोग हैं। (सत्ता पक्ष से मेजें थपथपाई गई) हमारे सदस्य राम करन आर्य ने यह ठीक कहा कि हम सबको समान शिक्षा का अवसर दे रहे हैं और जो बुनियादी जरूरते हैं स्वास्थ्य से लेकर, वह सब मुहैया करा रहे है, सबका विकास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही नहीं हर विधान

सभा क्षेत्र का विकास हो। आपकी सरकार आती थी तो क्या होता था ? सबसे पहले यह होता था कि इटावा मे जो विकास कार्य हो रहा है वह रोक दिया जाय और अगर कहीं सामग्री पड़ी है तो वह तुरन्त उठा ली जाय। क्या यही रामराज्य था ? कोई दु:खी न हो, किसी के साथ पक्षपात न हो, रामराज्य के इसी आधार पर यह सरकार चल रही है। हर बार सदन के अन्दर यह बात उठाते हैं कि मनोज कुमार सिंह की हत्या हुई। मनोज की हत्या क्यों हुई ? किन कारणों से हुई ? मैं नहीं बताना चाहता। आप जानते होंगे अच्छी तरह से (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप सुन लें। आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं कहना नहीं चाहता लेकिन जब बात आती है तो इतना जरूर कहूँगा कि मनोज कुमार सिंह की हत्या हुई तो हत्या करने वाले कौन थे ? वे बी0 जे0 पी0 के थे फिर बी0 एस0 पी0 में चले गये। हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कहेंगे कि मनोज कुमार सिंह की हत्या हुई तो हमने मानवीय दृष्टि से एक लाख रूपये उसके परिवार को दिये। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया और शेष के बारे में जानकारी मिल गई है हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी औरों को भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा। मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि नाम बताना ठीक नहीं है। मैं इतना आदर करता हूं। पहले आपके दल से संबंधित थे। जहां तक आपने कहा कि सचिवालय में चोरी हुई और चोरी का माल बरामद नहीं हुआ तो मैं बताना चाहता हूं कि चोरी हुई और चोरी का माल बरामद भी कर लिया गया और चार अभियुक्त पकड़े भी गये। यह सही है कि अपराध होते हैं लेकिन दूसरा पहलू भी है कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही क्या हो ? इतनी तुरन्त कार्यवाही कभी नहीं हुई। माननीय नेता विरोधी दल आपको आश्चर्य होगा। सूचीबद्ध गिरोह के 44 डकैत मारे गए। 57 गिरफ्तार किए गए। 86 इनामी अपराधी मारे गए। 46 गिरफ्तार किए गए अब यह माननीय हुकुम सिंह जी बता दें यह सब किसके जमाने में हुआ ? मैं खुद भी महसूस करता हूं। 1984 में पैदा हमारे इटावा का निर्भय गूर्जर। प्रदेश की सरकार लड़ी, खदेड़ी, मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुख्यात इनामी डाकू, जिस पर एक लाख से भी ज्यादा इनाम था, को सरेण्डर करा दिया। इसको भी सरेण्डर कराने वाले हैं आत्मसमर्पण कराने वाले हैं। बताइए, हम नहीं करा सकते टेलीफोन ? हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, जाति विशेष का समर्थन है, वह नाराज हो सकते हैं। आज कानून व्यवस्था के सामने हमारी सरकार ऐसी है कि वोट की खातिर कुछ नहीं किया। वोट की हमने कभी परवाह नहीं की है।

(मेजें थपथपाई)

गरीब, मजबूर, किसान। किसानों को कोई भूला नहीं। क्या कहें, बोलो ? यहां का रहने वाला। उसका परिवार कैसा है, हमारा कैसा है ? संबंध कैसे हैं ? परिवार को परेशान किया जा रहा है। भिंड की पुलिस मिली है, मुरैना की पुलिस मिली है और मैं मुख्य मंत्री जी को भी टेलीफोन कर चुका हूं और वह हमारे डी0जी0पी0 को सम्पर्क कर चुके हैं। फिर भी डकैतों को, हमारे बागी खदेड़े हुए डकैतों को मध्य प्रदेश की सरकार संरक्षण दे रही है। यह मानिए तो कितनी बहस करोगे। हमारे केशरी नाथ त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। जब अपना कोई मित्र हमला करता है तो दुख होता है दुश्मन

विराध करते हैं तो चोट नहीं लगती है लेकिन जब कोई मित्र चोट करता है तो चोट लगती है। मोयां जी आपकी सरकार में क्या होता था ? वह नहीं कहना है। आप तो बैठे हैं जितनी सूची इन्होंने पढ़ी है, देखी है यह पढ़कर सब दे दें। जितना होगा मै अच्छी तरह से जाँच कराऊँगा। सच्चाई जो होगी उस पर जाँच कराकर कार्यवाही करेंगे। हम देख लेंगे। माननीय प्रमोद जी मैं आपको विश्वास दिला चुका हूँ सुबह, अब फिर दिलाऊँगा। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को गाली देने वाले हमारे आपके सामने बैठे है पता नहीं एक पर हमला करते है और एक को छोड़ते क्यों है ? अब पता नहीं महात्मा गाँधी को गाली कौन दे रहा है ? लानत है आपको पता है कि गाँधी जी को सबसे ज्यादा गाली कौन दे रहा है ? आप कहते है घुसने नहीं दिया मा0 केशरी नाथ त्रिपाठी जी नेता विरोधी दल को। हमने अपना दिमाग लगाकर पुलिस को समझाकर माननीय लालजी टण्डन जी को गिरफ्तारी के बहाने हमने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। पहुँचा दिया ना आपको ? गिरफ्तारी का बहाना था वरना आप गिरफ्तार नहीं किए गए, आपका आदर किया गया। इतनी गर्मी में जा रहे थे। हमने सोचा कही धक्का-मुक्की हो गयी, केशरी नाथ त्रिपाठी जी को धक्का लग गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी और कही नारे दे दिए तो आजम खाँ कैद में आ जायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ --

त्रिपाठी जी तो यहां तक फरमा चुके है कि [x x x]

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसलिए मै आज कहना चाहता हूँ कि समाधि जो है, समाधि, कब्रिस्तान की तरह ही है। समाधि-समाधि है और समाधि को कही इधर से उधर नहीं किया जाएगा, महात्मा गाँधी की। एक तरह हमने स्वीकार कर लिया है, महात्मा गाँधी की समाधि, मूर्तियों को अच्छी तरह से रखने और सफाई रखने के लिए। अभी तो धोखे में कुछ लोग जूते पहन कर चढ़ गये। इसके बाद कोई ऐसी घटना न हो, दो-चार पुलिस के लोग भी चढ़ गये थे। इतना क्यों डिटेल में जाते हो ? हम जिस तरह संयम बरतते है, यहाँ राम नरेश जी भी बैठे है, मुख्य मंत्री रहे है, हम उनके मंत्रिमण्डल में रहे है। ऐसे लोगो को स्पोक्स मैन बनाया है। स्पोक्स मैन हमारे देखिए, अमर सिंह जी है, और यह सच्चाई है कि उसको गम्भीरता से लेने लगे है, देश के लोग,(श्री प्रमोद कुमार की और मुखातिब होकर) आप भी लेने लगे है। यहाँ भी कहिए। आप तो हरफनमौला है। अच्छा है, आपकी और अमर सिंह जी की लड़ाई भी होती है और हर तरह की बात होती है।

(सदस्यों की हँसी गूँजी)

श्री प्रमोद कुमार--

बड़ी अच्छी बात है, आप से और टण्डन जी से भी हो जाती है लेकिन आदतन कुछ लोग गड़बड़ करने लगते है तो कहना पड़ता है, गलत लोग संरक्षण देते है तो कहना पड़ता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप कोई बात कभी नहीं छिपाते है।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं लिखकर दे देता हूँ, जो बात कह देता हूँ, लिखित रूप में उस पर हस्ताक्षर कर देता हूँ, कभी असत्य का आरोप लगा ही नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिल से पूरी बात कहने वाला वही व्यक्ति होता है जो बड़े दिल वाला होता है। तंग दिल वाले ऐसा नहीं कर सकते है। यह बात हमने महात्मा गांधी से सीखी है। इस लिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नाम पर आप चिन्ता न करे। अब ताजमहल पर विवाद नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री जी इतना आदर करते हैं, अब ताजमहल को लेकर कोई विवादखड़ा नहीं किया जा सकता है। हम जानते है कि वह राष्ट्रीय ही नही, अन्तर्राष्ट्रीय धरोहर है। वह हमारे देश का सम्मान है। हमने आगरा में रह कर देखा है, ताजमहल के नाम से आगरा को जाना जाता है और ताजमहल और आगरा से मेरा कितना रिश्ता है। मान्यवर, मै कहना चाहता हूँ कि आगरा के ताजमहल को लेकर कोई भी विवाद हमारी समाजवादी पार्टी या हमारी सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा और अगर विवाद होगा तो उसे हल कर लिया जायेगा।

श्री लालजी टण्डन--

आगरा एक और बिल्डिंग के बारे में तो जाना जाता है उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी को कहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वह तो आप दोनों जानिए।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि वह बिल्डिंग सदा-सदा के लिए माननीय टण्डन जी को रहने के लिए दे दी जाये और ताजमहल जनता के लिए रहने दिया जाये।

(हंसी)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, हम हुकुम सिंह जी से, इस सदन से जो कि पूरे प्रदेश की जनता का दर्पण है और पूरे प्रदेश की जनता से अपील करते है कि अगर कोई माफिया आपके उम्मीदवार के खिलाफ आतंक करता है तो आप हमें बतायें। हम पूरी सुरक्षा देंगे। पंचायत चुनाव में जितने भी माफिया खड़े है, चाहे हमारी पार्टी के हो या किसी भी पार्टी के हों, सब मिलकर उन सभी माफियाओं को पंचायत चुनाव में हरायें। हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में है पार्टी अध्यक्षों को सबको निर्देश देंगे कि चाहे हमारी पार्टी का ही कोई हो, अगर वह दबंग है, माफिया है तो उसे उम्मीदवार न बनाया जाये। विधान परिषद के दो सदस्य इसलिए बैठ गये कि हमने पुनर्मतगणना की बात नहीं की। अगर हमने रिकाउंटिंग करा दी होती तो उम्मीदवार दोनों जगह हार जाते। उसके बाद भी हमने कहा कि इतनी बड़ी जीत हो चुकी है, अगर विपक्ष का पूरी तरह सफाया हो गया तो माननीय टण्डन जी का मनोबल टूट जाएगा। आप स्वयं देखें कि क्या इलाहाबाद का विधान सभा का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

नहीं हुआ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

गौर साहब जी, मेरे दिमाग में आपकी बहुत अच्छी तस्वीर थी लेकिन अब वह तस्वीर साफ हो गयी है। पहले आपके बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी। हम लोगों को छात्रों का आदर्श बनना चाहिए। आप इलाहाबाद में किसका समर्थन करते हैं ? जाते है दूसरे की एक आँख फोड़ने और अपनी दोनों फोड़ लेते हैं। इलाहाबाद में किसको जनता का समर्थन मिला है ? माननीय त्रिपाठी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, कितने नेता गिनाएंगे ? अभी और नाम है। चुनाव रद्द कराने गये। दिल्ली की फोर्स और दिल्ली के ही पोलिंग अफसर थे। आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि सारे प्रीसाइडिंग अफसर दिल्ली के, सुरक्षाबल दिल्ली के। विधान सभा चुनाव में इन लोगों ने नंगा नाच दिखाया है लेकिन फिर भी हमारे उम्मीदवार को दो लाख वोट मिले और आपको कितने मिले ? 12-13 हजार। आप इस पर चिंतन क्यों नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है ?

आपके चिन्तन का यह समय है। आपके 59-60 एमपी जीतते थे और कहाँ रह गये 10। मैंने यह घोषणा की थी कि 9 जीतकर आयेंगे तो आपके हमारे एक नेता मित्र ने यह कहा था कि मुलायम सिंह जी के 9 रहेंगे। तो जो मैंने कहा था उससे एक ज्यादा जीतकर आये है। आपके 10 हैं। हमें ज्यादा चिन्ता है। हमने ज्यादा समीक्षा की है कि यह बीजेपी कहाँ जा रही है ? कोई भी बड़ी पार्टी इन्हें नहीं मिला पायी और दोनों पार्टियों का उत्तर प्रदेश में सफाया हो रहा है। यह चिन्ता की बात है। आज यह राजनीतिक संकट हो गया है, हम पूरे देश में फैल नही पाये है। लगता है हमें ही फैलाना पडेगा। इतनी गिरावट आ गयी है और हम कैसे बढ़ते चले जा रहे है ? 1991 में तीन एम0पी0 थे, फिर 1996 में 17 हुए, 20 हुए, फिर 27 हुए और आज 38 हो गये है। आप कहा गिरते चले जा रहे है। कर्नाटक में जाकर सब दल एक साथ मिलकर लड़ते हैं, सब मिलकर समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं। आज यह प्रथम पंक्ति में बैठे हुए लोग यह अच्छे लोग है, लेकिन यह चल नहीं पा रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाकर मैनपुरी में जो समिति आयी थी, दोनों साथ-साथ आये थे, वहां के चुनाव आयुक्त के सामने डेलीगेशन लेकर, और आरोप लगाते हैं कि हम बी0 जे0 पी0 के हैं। वह तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति इमरजेन्सी लगी तो हम सब एक हो गये। जब उन्होंने दोहरी सदस्यता नहीं छोड़ी तो हम अलग हो गये सत्ता को लात मार दी। हमने कहा कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर और आरएसएस का दफ्तर दोनों एक ही नहीं होगा। आपने नहीं छोड़ा और वही आरएसएस आपके लिए संकट पैदा कर रहा है। आरएसएस का काम है। यही आप पढ़ायेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, यही आरएसएस का काम है। अटल बिहारी बाजपेयी जी और आडवाणी जी, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, उनको निकालकर बाहर कर दिया। नवम्बर-दिसम्बर में बाहर कर देंगे। हमें तो यह पता रहता है। यह दोनों हटेंगे नौजवान आयेंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है ? जब तक यह दोनों हैं, इनके नाम पर कुछ भी सही है। इनके नाम को देश और दुनिया जानती है कि यह आपकी पार्टी है।

आज संकट किसने पैदा किया आप बता दें। कल्लू के बारे में आपने कहा कि किसने अभियान छेड़ रखा है। सारा खाना-पानी, झुग्गी-झोपड़ी आप हमारे साथ वहाँ की भौगोलिक स्थिति को चलकर देख लें। पता नहीं कितनी घास खड़ी है। उनकी तीस किलोमीटर की घास में हमने आग लगवायी, हमारी पुलिस ने आग लगवायी। हमारे आई जी और दूसरे जोन के आईजी और डीआईजी मिलकर हमला कर रहे हैं। उसके साथी असली को मार दिया और ऐसी भौगोलिक स्थिति जिसका आपको अध्ययन नहीं है। हाथी घास है जिसके बीच में वह छिपता है। 60 किलीमीटर लम्बी और बीस किलोमीटर चौड़ी घास है। उसके बाद भी मुकाबला कर रहे हैं। हमें विश्वास है, आप यह सवाल न उठाते तो भी यह सफाया होता। वह हमारे घेरे में हैं। कभी वह गंगा में होने का पता चलता है तो कभी कहीं। यह लोग बड़े ट्रेन्ड होते हैं लेकिन उनका भी सफाया हो जायेगा। सारी सूची हमारे सामने है, मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। यह सब आपके पाले हुए हैं। मैं इतना जरूर सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ का पाला हुआ एक भी नहीं है। अगर है तो आप नाम बता दें ? लिखकर दे देंगें तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। रही राम करन आर्य की बात तो जगदम्बिका पाल का पट्टीदार गिरफ्तार कर सकता था राम करन आर्य को। यह सत्य है कि उनकी बन्दूक को पकड़ करके दूसरे ने गोली मारी है। राम करन आर्य ने केवल बन्दूक छीनी है, गोली नहीं मारी है। कोई सदन के अन्दर कह दे कि राम करन आर्य ने गोली मारी, जो यहां का एम0एल0ए0 है। मैं उस समय हैदराबाद में था, नहीं, बैंगलौर में था। उसको गिरफ्तार करवा दिया जेल भेज दिया गया और वह जेल चला गया। अभी देख लीजिए, अतीक अहमद को जेल किस सबूत के आधार पर हुई, उसके भाई को जेल हुई, जबकि वह सत्ता पक्ष का एम0एल0ए0 है। मैं इतने कई उदाहरण दे सकता हूँ। आपके पास इस तरह का एक भी उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ।

अभी परसों की बात है, हमारे ही मंत्री के परिवार का एक सदस्य है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस रेड कर रही है। मंत्री का भतीजा है। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी का कोई भी सदस्य उसका पक्ष नहीं ले रहा है, कोई भी सिफारिश नहीं कर रहा है, अपराध, अपराध है छोटा हो या बड़ा। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं, जहां तक माननीय मौर्य जी का हो ही गया, अब जौनपुर की बात आती है। माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने जिसका जिक्र किया। कितनी गम्भीर समस्या थी। मैं जौनपुर जब गया था तो नौ की डेडबाडी रखी थी, मुझे चिन्ता थी कि बहुत ज्यादा समय हो गया है तो लाश का कब दाह संस्कार हो ? कैसे हो ? उनको चिन्हित कर लिया। जल्द से जल्द हमको मीटिंग बुलानी थी। और हादसे में 48 लोग घायल हो गये थे और नौ लोग जो खतरे में थे, उनका अच्छा इलाज कैसे हो ? उनको मदद कैसे मिले ? और 50-50 हजार रुपये सहायता के तौर पर उनको तत्काल देना भी था। नौ की पहचान करनी थी।

मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ, संसद के हर नेता ने विशेषकर बिहार के सब सांसदों ने हमारी सरकार की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जनता की सराहना की है। मान्यवर, एक रुपये का किसी का नुकसान नहीं हुआ। यह पहली घटना है। रेल के कर्मचारियों का पता नहीं, डी0आर0एम0 का पता नहीं। जिला प्रशासन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सबकी सेवा की है, सबको खाना दिया, बाल्टी-बाल्टी भर-भर कर दूध ले गए। यही सुल्तानपुर में

हुआ और एक रुपये का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी बड़ी गम्भीर घटना हुई थी, हमारी हमदर्दी है, तत्काल लोगों का इलाज कराना था, समस्या हो रही थी, 48 लोग घायल थे और जले हुए थे। कितना बड़ा विस्फोट हुआ ? और विस्फोट की जानकारी कर लेना। प्राथमिकता के आधार पर कभी-कभी पता करना पड़ता है कि कौन सी बड़ी समस्या है। विस्फोट तो राष्ट्रीय समस्या है, आतंकवाद तो राष्ट्रीय समस्या है, सच पूछिये तो आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और वह क्षेत्रीय समस्या है, लेकिन आपकी दृष्टि से प्राथमिकता क्या है ? हमारी दृष्टि में और आपकी दृष्टि में अन्तर है। दोनों तरफ के कारगर कार्यक्रमों, सिद्धान्तों को लेकर अन्तर है और सोच में अन्तर है और रहेगा। इस आधार पर आप सोचते हैं और इस आधार पर हम सोचते हैं। तो 48 लोगों का इलाज कराना, सफाई कराना, समुचित इलाज हुआ कि नहीं हुआ ?

हमारे ऊपर इल्जाम लगा ? कोई नीचे था, कोई ऊपर था, कोई कहीं था, तो इसलिए हम जौनपुर के नौ लोगों की डेडबाडी और सब देख करके सीधे बनारस गये। मान्यवर, हमने उनके परिवार के लोगों को 50-50 हजार रुपये का चेक दिया, इसकी तारीफ पूरे के पूरे सदन ने की है। अब आपको पता नहीं क्या हुआ ? आप क्यों तारीफ नहीं करते हैं ? अगर कहीं पर टेप दिखा दो, काना-फूसी की बात दूर रखिये और अखबार वालों से दूर रहिये, वह कुछ का कुछ छापते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार वालों ने छाप दिया कि रामपुर में बाकायदा कट्टे ले-ले करके लोगों ने और जाने क्या-क्या किया। हमने मोती लाल बोरा जी को तुरन्त टेलीफोन कर लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग नारा देने आये और नारा लगाने लगे। आप एक काम करेंगे कि यहां सुरक्षा का प्रबन्ध और समाधि हटे न और बहुत अच्छी बात है, सरदार जी चले गये, और उन्होंने कभी नहीं कहा। सिर्फ एक बात कही कि कुछ लोग जूता पहन कर आये थे, यह नहीं करना चाहिए था लेकिन सच्चाई यह मानकर चलें कि यह हालत थी उस समाधि की। माननीय आजम साहब ने इतना अच्छा प्रबन्ध कर दिया है। वहाँ पहरा भी दे दिया है। कुत्ते पेशाब करते थे। जो बड़े-बड़े हैं नाम वाले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर भी राष्ट्रपिता महात्मागांधी की समाधि की राख रखी लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि आखिर ऐसा तो इंतजाम कर दिया जाय कि कम से कम कुत्ते पेशाब न करें। वहाँ गंदगी थी, आपने सफाई करा दी, अच्छा इंतजाम कर दिया और सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया। वह लोग आज चले आये कि महिला है। हिन्दू महिला थी, चली गयी कुछ लोगों को लेकर, वह महिला हिन्दू थी। मोहल्ले वालों को अच्छा लग रहा है कि सड़क अच्छी बन गयी, सब ठीक हो रहा है। उन्हें डर रहा कि हमारी सड़क न बन्द करा दें। यह सच है कि और कोई उनका स्वार्थ नहीं है। इनको भी घेर लिया इनकी पार्टी के थे। मुद्दे ही ऐसे उठाते हो कि आप ही लोग दुःखी हो जाते हो। अब कोई धर्म की राजनीति को सुनने वाला नहीं है, विकास की राजनीति को सुनने वाले हैं।

अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जाति की राजनीति नहीं चलेगी, कट्टरवादिता की राजनीति नहीं चलेगी। हर एक की सुख-सुविधा, जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, दवाई है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी है और बेराजगारी उसके लिए हम ही तो कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजली का संकट है और उस संकट के लिए सरकार चिंतित है। हम अभी तीन दिन पहले बिजली मंत्री से मिले और बिजली मंत्री को सहमत करने की कोशिश की। वह सहमत इसलिए नहीं हुए कि उनके सामने मजबूरी थी। बिजली मंत्री जी अच्छे हैं। लेकिन हमने कहा 5 साल में नहीं हम 18

महीने में विद्युतीकरण, जो हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण है वह 18 महीने में करने को तैयार है। लेकिन वहाँ प्रतिबन्ध है कि 5 साल से पहले नहीं कर सकते। मैंने कहा कि प्रतिबन्ध क्यों हैं ? तो कहाकि समीक्षा करायेंगे यह करायेंगे वह करायेंगे। माननीय वित्त मंत्री और योजना आयोग ने निर्णय लिया है अब यह बताइये कि हम क्या करें ? हाथ बंधे हैं। हम 18 महीने में पूरा बिजली का काम करना चाहते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण का केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री और योजना आयोग कहता है कि नहीं, 5 साल में करो। लेकिन हम वह लोग हैं जो जिन्दा कौमें हैं। 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं। हम मुर्दा कौमें नहीं हैं जिन्दा कौमें हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिये आपसे कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय कि अब पंचायत के चुनाव में निष्पक्ष चनाव होंगे। माननीय त्रिपाठी जी को जहाँ भी शकशुबहा आज हो, आज लिखकर दे देना तो कुछ इंतजाम करेंगे, 2--4 को बैठायेंगे। वहाँ अधिकारियों का इंतजाम करेंगे, कन्ट्रोल रूम बनाकर । जहाँ शिकायत हो हमारे स्तर पर सरकार के स्तर पर, चुनाव आयोग स्तर पर और आपके स्तर पर, वह आप कर ही लेंगे। हम निष्पक्ष चुनाव करायेंगे। लेकिन इन्हें मैं कहना चाहता हूं कि जनता तो साथ दे सकती है, आप भी सहयोग दें तो हम सब मिलकर काम करें । यह अच्छा मौका है और यहीं से शुरुआत होगी राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करने की। पंचायतों के चुनाव में न अपराधियों को उम्मीदवार बनाइये न दबंगों को पंचायतों के प्रधान होने दीजिए। इसी को सब लोग मिलकर करेंगे तो अपराधीकरण राजनीति से हटेगा। दूसरी तरफ छात्रसंघ के चुनाव का जितना ही विरोध करेंगे, उतने ही माफिया, गुण्डे राजनीति में प्रवेश करेंगे। एक सबसे खतरनाक स्थिति देश के सामने है कि नीतियों और सिद्धान्तों पर बहस बन्द है। किसी प्रकार से जीतो, गुण्डई कीजिए, गोली चला दीजिए, महिला पोलिंग पर न आये, पैसा दीजिए, दबंगई कीजिए, महिला बोलने पर जाय तो पैर पर पैर रख दीजिए तो मुस्लिम महिला आयेगी नहीं। पोलिंग पर यह कोशिश हो रही है । सिद्धान्तों के आधार पर राजनीति तब हो सकती है। जब पढ़े लिखे लड़के विश्वविद्यालय से छात्रसंघ के रूप में आयेंगे। लेकिन छात्रसंघ का चुनाव होने नहीं दे रहे हैं। अब हम उनकी मदद करेंगे सख्ती से। जहाँ तक शिक्षा माफियाओं की बात आपने कही, हमने इसकी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। आप ने देख भी लिया है कि अब हर एक को हम मान्यता नहीं दे रहे हैं। जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जायेगी, हम मान्यता नहीं देंगे वहाँ खेल का मैदान हो, शौचालय होना चाहिये, सब इन्तजाम होना चाहिये इस तरह जब सारी शर्तें पूरी होंगी, तभी हम मान्यता देंगे।

हम उत्तर प्रदेश को हर तरह से आदर्श प्रदेश बनाना चाहते हैं , इसी का परिणाम है कि आपके ही एक मुख्यमंत्री अपने साथ मुख्य सचिव को और अधिकारियों को लेकर आये थे और कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में यह कैसे हो गया ? इतना धन आपने यहाँ दे दिया, कन्या विद्या धन आपने दे दिया, कक्षा 12 तक की फीस समाप्त कर दी। कैसे दवायें मुफ्त दे रहे हो यह सब आपके ही मुख्य मंत्री हमसे बात करके गये हैं। वह दो घन्टे हमसे बातचीत किये। उन्हें यह सब जानकर आश्चर्य लगा और वह पूरे का पूरा लिट्रेचर लेकर गये हैं। इस तरह हमारा प्रदेश हुआ आदर्श प्रदेश। अब इसको उत्तम प्रदेश बनाना रह गया है। उसमें आपका सहयोग और आपकी मदद चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही यह जानना चाहता हूँ कि रामपुर में गाँधी जी की समधि को बचाने के लिये तो आपने कह दिया है, लेकिन क्या दीनदयाल जी की मूर्ति लगवाने के लिये भी कुछ करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप और माननीय हुकुम सिंह जी, दोनों लोग वहाँ चले जाइये और जाकर देख लीजिये। इसके लिये 50 लाख, एक करोड़ जो भी खर्च करना होगा, वह करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं एक सुझाव के रूप में बात कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत चुनाव में निष्पक्षता की बात कही है। अभी दो दिन पूर्व एक इलेक्ट्रानिक चैनल पर एक इन्टरव्यू हो रहा था, अवैध हथियार बनाने वाले का। वह कह रहा था कि एटा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मथुरा और अलीगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले वह हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित कर देगा। इसमें मेरा केवल इतना कहना है कि जब चैनल के लोग उसका इन्टरव्यू ले सकते हैं तो उस जनपद की पुलिस उन लोगों का पता लगाकर अवैध हथियारों की काली छाया से पंचायत चुनावों को मुक्ति दिलाने का प्रयास नहीं कर सकती ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मुख्यमंत्री जी के उत्तर के बाद कोई सुझाव नहीं हो सकता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आप मेरठ गये थे, वहाँ किसानों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है। आप स्वयं वहाँ 4 नवम्बर, 2004 की तारीख कहकर आये थे, उसका पालन नहीं हो रहा है, आप उसका पालन करा दें। आपने छात्रसंघ की बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवनागरी कालेज, मेरठ के अध्यक्ष को पुलिस किस बर्बरता से पीट रही है, इसकी सी0 डी0 मेरे पास है, जिसमें दिखाया गया है [x x x] इन तीन बातों का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। मैं केवल इन्हीं तीन बातों को कहना चाहता हूँ।

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर जो दरोगा और पुलिस की रिक्तियाँ है, जब तक उनको नहीं भरा जायेगा तब तक प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार होना सम्भव नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2001 में दरोगा के 2200 पदों के लिए साक्षात्कार हुआ था। जितनी हाइकोर्ट में याचिकायें थी, वह निरस्त हो गई हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21 अक्टूबर, 2004 को दरोगाओं की भर्ती की घोषणा भी की थी । चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिये मैं चाहूँगा कि 2200 लोगों की भर्ती जल्दी कर ली जाये तो इन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी ठीक होगी।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

गौर साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सुरक्षाबलों की कमी है। 2200 भर्तियों के सम्बन्ध में भी हम निर्णय लेंगे। इसके अलावा और भी जरूरत है, अभी सभी थानों में जितनी सुरक्षाबल चाहिए, उतने थानेदार या कान्स्टेबिल नहीं हैं। उत्तरांचल में तीन बटालियन पी0 ए0 सी0 के जाने के बाद पी0 ए0 सी0 की भी कमी है। इसे हम महसूस कर रहे हैं और इस विषय में गृह मंत्रालय सहित सभी लोग चिन्तित हैं। इसके अतिरिक्त एक समस्या उत्तर प्रदेश में आतंकवाद नक्सलाइट की है। हिन्दुस्तान के 14 सूबों में नक्सलाइट सक्रिय है और उसमें सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। आन्ध्रा से ले करके छत्तीसगढ़ तक सारे सूबों में मिल करके नक्सलाइट एक हो रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इन स्थितियों को देखते हुए सुरक्षाबलों की आवश्यकता को हमने भी महसूस किया है और हम जल्दी ही इस पर निर्णय ले लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मेरी बात का उत्तर नहीं आया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

बाजपेयी जी किसानों की समस्या के लिए बताया है। हम इस मामले में अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जैसे भी होगा इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें हम डी0 एम0 से भी बात कर लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इसके लिए आप अपने स्तर पर एक बैठक बुला लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

ठीक है, इसे हम देख लेंगे।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, जो लॉ ऑफ वेल है, जिसके आधार पर जमानत मिलती है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संशोधन की आवश्यकता समझते हैं और इस पर विचार करेंगे ? क्योंकि इस प्रकार से 302 और 376 के मुल्जिम भी जमानत करा करके बाहर घूमते रहते हैं। इसलिए जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक अपराधों को रोकने की बात सम्भव नहीं हो सकती । क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जितना सख्त कानून हमारे यहाँ है, बगल में नहीं है। सारे के सारे सुप्रीमकोर्ट से ले करके, इलाहाबाद हाइकोर्ट से ले करके सभी वकीलों की एक माँग है कि लॉ ऑफ वेल होनी चाहिये। कभी -कभी निर्दोष लोगों के नाम भी रिपोर्ट लिख जाती है तो उनको भी जेल जाना पड़ता है। यूँ तो सख्त कानून आप पर भी है। जो दूसरा तरीका बता रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, अगर हम दरोगाओं को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना बड़ा हथियार दे देंगे तो आपकी भी जमानतें नहीं होंगी। अभी राम स्वरूप सिंह जी ने सामाजिक व्यवस्था की बात कही। इस समय देश और प्रदेश के सामने जो गम्भीर स्थिति है और इस सामाजिक व्यवस्था के रहते हुए, और जिस सामाजिक मानसिकता से लोग काम करने लगे हैं, अधिकारी जिस मानसिकता के आधार पर काम करने लगे हैं, अगर हमने जमानत के कानून में संशोधन कर दिया तो ठीक नहीं होगा। हम लोग इसको सोच-समझकर, मिलकर बात कर लेंगे। अगर हमने आज की परिस्थिति में कोई काम किया तो ठीक नहीं होगा इसलिए हम दरोगाओं को इतना बड़ा हथियार न दें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, बी0 टी0 सी0 के लड़के यहाँ पर आन्दोलन कर रहे हैं, इस बिन्दु पर विचार करके कि ओवर-एज हो रहे हैं और उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

नेता विरोधी दल ने जो सवाल उठाया है बी0 टी0 सी0 का, बी0 टी0 सी0 के मामले में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, विजिलेंस की भी रपोर्ट आई है कि गड़बड़ी बहुत गम्भीर हुई है। हम मानवीय दृष्टि से सोच रहे हैं। दो साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। पूरे के पूरे लोगों की गलती भी नहीं होगी कि सबको सजा मिले। नेचुरल जस्टिस भी है, फिर भी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि किस तरह से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित जो लोग है उनकी समस्या का समाधान निकले।

श्री लालजी टण्डन--

बी0 टी0 सी0 के जो लोग जेल में बन्द हैं उन्हें छुड़वा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

ठीक है जो लोग बन्द हैं, उसको छुड़वा देंगे।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि गाँ ी जी की मूर्ति और गाँधी जी की समाधि दोनों को वहाँ से न हटाये जाने के लिए आश्वासन दिया ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आपकी सूचनार्थ बता दूँ कि भारतीय ज .ता पार्टी के सांसद ने लगवाया था।

श्री प्रमोद कुमार--

दोनों नहीं हटायी जायेगी इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ । एक स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूँ कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा उसमें छपा था अरविन्द गिरि के बारे में कि एक अपराधी पकड़ा गया जो अरविन्द गिरि की हत्या करना चाहता था, क्या सच है क्या झूठ ? जौनपुर में एक अपराधी पकड़ा गया और दो पुलिस के इन्काऊण्टर में मारे गये हैं, वह वाराणसी के संसद सदस्य डा0 राजेश मिश्र की हत्या के लिए जा रहा था। एक विधान सभा सदस्य और एक सं द सदस्य का मामला है। आपने कहा था कि डा0 मिश्र को सुरक्षा मिल गयी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली है। मैं आपसे सिर्फ एक आश्वासन चाहूँगा कि आज ही उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मा0 प्रमोद कुमार जी ने जो सवाल उठाया है, मुंशी प्रेमचन्द्र जी के क्रार्यक्रम में मैं वाराणसी गया था वहीं पर मुझे किसी प्रकार सूचना मिली कि एक अपराधी पकड़ा गया है जो राजनीतिक लोगों की हत्या कर सकता है। उसमें राजेश मिश्र जी की ओर भी संकेत था। उसी वक्त आई0 जी, डी0 आई0 जी0 और एस0 एस0 पी0 को वहीं पर आदेश दिया कि अभी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और ज्यादा सुरक्षा कर दी जाए। आज सुबह भी अपने विशेष सचिव से कहा कि अभी आदेश दे दीजिए । यहाँ मेरा सचिवालय पूरा भरा पड़ा है। मैं आदेश देता हूँ कि एक घन्टे के अन्दर एस0 एस0 पी0 को आदेश दें कि यदि डॉ राजेश मिश्र जी दिल्ली में हों तो गाजियाबाद से और बनारस में हों तो वहाँ से तत्काल उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक हमारे विधायक गिरि जी का सवाल है, यह गम्भीर चिन्ता की बात है कि ऐसी खबर उनके बारे में है। हमने विधायकों को बुलाकर कहा था कि एक बैठक करके जो भी सच्चाई हो, वह जानकारी करके आप बता दें। आज ही उन विधायकों को जिनको मैंने जिम्मेदारी दी थी, यशपाल चौधरी जी मिल लें और जो भी आप गिरि जी के बारे में रिपोर्ट देंगे उस पर कार्यवाही होगी। यह सही है कि वहाँ पर लापरवाही की गयी। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुयी। यह सही है कि जो माफिया हैं, जो हत्या करने वाले हैं वह घूम रहे हैं। आज यह खबर मुझे मिली है। यह हालत पुलिस के लोगों की है। लेकिन मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि अबकी ट्रान्सफर और पोस्टिंग में किसी मंत्री या विधायक का हस्तक्षेप नहीं हुआ। मंत्री या विधायक ने ट्रान्सफर, पोस्टिंग के बारे में सिफारिस नहीं किया है, हां कुछ माननीय आधार पर, यदि कोई विकलांग है या 4-6 महीने सेवा के रह गये हैं तो मानवीय आधार पर, हमने वहाँ नहीं रखा है, दूसरी जगह पर उनको रख दिया है। हमने एस0 एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 से कहा है कि यदि हमारे कार्यकर्ता गलत दबाव डालते हैं तो हमें सीधे टेलीफोन करें। किसी सरकार में ऐसा आदेश नहीं दिया गया है जैसा मैंने आदेश दिया है। हम आपसे अपील करेंगे, सबके सहयोग के साथ मिल करके हमें समाज को सुधारना पड़ेगा।

मान्यवर, कुछ पत्रकार भी ऐसी मानसिकता के हो गये हैं, वह पत्रों में लिखते हैं। कुछ लोगों में गिरावट आ गयी है, कुछ चैनलों में आ गयी है। हमने कहाँ भाषण दिया है कि चुनाव के लिये तैयार रहो ? लेकिन चैनल वालों ने कहा है। अगर कहीं मैंने बयान दिया है तो मैंने कहा है कि ईमानदार की छबि बनायेंगे तो आदर्श बनेगा हमारी पार्टी और मिनिस्टर्स आदर्श बनेंगे। जो हमारा धर्म है उससे हट गये, कभी हां, कभी नां। 'अमेरिका में हां' और 'भारत में ना'। जिन्नावाद की बात दूसरी है, वह विषय अलग है। इसमें कुछ सच्चाई है लेकिन वह उसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। 1939 तक जिन्ना इस्लाम धर्म नहीं मानते थे। क्या वजह है कि वह दुनिया के एक बड़े नेता बन गये उनमें हिन्दू-मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। 1939 के बाद उनके दिमाग में क्या खराबी आ गयी । हम जानते हैं कि जिन्ना का कोई आदर से नाम लेना पसंद नहीं करेगा। पता है। उनको हटाना है इसलिए अर्थ का अनर्थ किया गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन का कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 8 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 8 अगस्त, 2005 की सदन की कार्य सूची में उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं उसका पारण की मदें ली जायें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0 नि0-2-626/ग्यारह-9 (24)/96-उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश (II)--2005, दिनांक 24 फरवरी, 2005 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या का नि0-2-626/ग्यारह-9 (24)/96-उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश (II)--2005, दिनांक 24 फरवरी, 2005 की उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3 क की उप धारा (2) के अन्तर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 कि विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-729/ग्यारह-9 (37)-97 उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश (12)-2005, दिनांक 7 मार्च, 2005 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-730/ग्यारह-9(37)/97-उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश (12)-2005, दिनांक 07 मार्च, 2005 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 कि विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-730/ग्यारह-9 (37) 97 उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश (13)-2005, दिनांक 7 मार्च, 2005 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-730/ग्यारह-9(37)/97-उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश (13)-2005, दिनांक 07 मार्च, 2005 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोट--† छापी नहीं गयी।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 कि विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-1534/ग्यारह-523/2001 उ0 प्र0 अधि0-15-48-नियम 1948-2005 (26), दिनाक 17 मई, 2005 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1534/ग्यारह-523/2001--उ0 प्र0 अधि0-15-48 नियम 1948-2005(26), दिनांक 17 मई, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 कि विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-1627/ग्यारह-9 (38)/03 उ0 प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (29)-2005, दिनांक 30 मई, 2005 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-1627/ग्यारह-9(38)/03-उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश (29)-2005, दिनांक 30 मई, 2005 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4 क की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 कि विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-1628/ग्यारह-9 (38)/03 उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश (30)-2005, दिनांक 30 मई, 2005 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1628/ग्यारह-9 (38)/03 उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (30)-2005, दिनांक 30 मई, 2005 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4-क की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियमावली, 2004 एवं नियमावली शुद्धि-पत्र

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियमावली, 2004 एवं नियमावली शुद्धि-पत्र, विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के प्राविधानों के अधीन संदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राज नारायण सक्सेना व अन्य के परिवाद संख्या 797-2000 (कानपुर) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-02-2001/29 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2002 के परिपेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण-ज्ञापन

कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गंगा प्रसाद पुष्कर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज नारायण सक्सेना व अन्य के परिवाद संख्या-797-2000(कानपुर) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-02-2001/29 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2002 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(5) व (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोट--† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :--

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 जुलाई, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :--

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 जुलाई, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 जुलाई, 2005 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 2005 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-13 में कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का उन्नीसवां प्रतिवेदन †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) उक्त समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1989-90 तथा 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का बीसवां प्रतिवेदन †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) उक्त समिति का बीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1996-97 (वाणिज्यक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का इक्कीसवां प्रतिवेदन †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) उक्त समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1977-78 (वाणिज्यक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1989-90) के 'द्वितीय प्रतिवेदन' में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में मलौना व बरगदवा घाट पर आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुहर्रम अली आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री बैजनाथ दूबे--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में मलौना घाट व बरगदवा घाट पर आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुहर्रम अली तथा श्री राम प्रकाश पाण्डेय निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में करनैल गंज कटरा रोड पर धोबियन पुरवा से सेल्हरी मण्डप होते हुए खेमपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशफाक खाँ आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री वैजनाथ दूबे--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में करनैलगंज कटरा रोड पर धोबिन पुरवा से सेल्हरी मण्डप होते हुए खेमपुर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशफाक खाँ तथा राम नरायन निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

लखनऊ के मोती झील जलाशय को संरक्षित करने एवं सौन्दर्यीकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण से कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मोती झील जलाशय को संरक्षित करने एवं इसका सौन्दर्यीकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री मनोज रस्तोगी निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

लखनऊ के मोती झील कालोनी से चिरैधापुरवा आदि घनी बस्ती में स्थित पशु वधशाला को समाप्त कर भमरौली गाँव में बन रहे कार्कश यूटिलाइजेशन प्लान्ट को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मोती झील कालोनी से चिरैधापुरवा आदि घनी बस्ती के बीच स्थित पशु वधशाला को समाप्त कर भमरौली गाँव में बन रहे कार्कस यूटिलाइजेशन प्लान्ट को शीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री मनोज रस्तोगी निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बरेली के ब्लाक बीथी चैनपुर के ग्राम परसौरा में नहर की पीचिंग एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनवार हुसैन आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शहजिल इस्लाम--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक बीथी चैनपुर के ग्राम परसौना में नहर की पीचिंग एवं नहर की पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनवर हुसैन तथा श्री मेराज उद्दीन निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद खीरी के अन्तर्गत तहसील गोला, ब्लाक विजुआ के अन्तर्गत ग्राम रामालक्षना के मध्य रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम रतन सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, जनपद खीरी के अन्तर्गत तहसील गोला, ब्लाक बिजुआ के अन्तर्गत ग्राम बिजुआ व रामालक्षना के मध्य रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम रतन सिंह तथा श्री जालिम व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर-खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 21-22 में कुछ नहीं है।

लखनऊ के गुटखा कम्पनी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रकरण

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, लखनऊ की एक कम्पनी ने गुटखा बनाया है जिसका नाम विधायक रखा है। 50 पैसे में यह गुटखा बेच रहे हैं। उनके बैनर पर लिखा "है न नायक हूँ न खलनायक हूँ, मैं आपका विधायक हूँ"।

श्री अध्यक्ष--

इसको आप लिखकर दें, मैं नोटिस ले लूँगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

लिखा है--नेता खाए, विधायक हो जाये विधायक खाए मंत्री हो जाए।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरुवार, दि0 3 मार्च, 2005 को निर्धारित श्री श्याम देव राय चौधरी के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में निर्देश संख्या 44 (1) के अन्तर्गत कृषि मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 2005.....

एक मा0 सदस्य--

पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ा माना जाता है।

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।]

---

†† छापा नहीं गया।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापी नहीं गयी।

डा0 अशोक बाजपेयी--

श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण, मा0 सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि :--

"माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि डास्प योजना जिन जनपदों में, जिन विकास खण्डों में लागू है और उन विकास खण्डों के संतृप्त होने के बाद, इस योजना को अगले विकास खण्डों में लागू किया जायेगा ? दूसरी बात जिन सड़कों का निर्माण आप इस योजना के तहत करवाना चाहते थे, उनका काम पूरा हो गया ? अगर उनका काम पूरा हो गया है तो क्या आप अन्य जगहों पर इस योजना के तहत सड़कों का निर्माण करायेंगे ?"

2--उस समय सदन में यह उत्तर दिया गया था कि :-

"मान्यवर, इस योजना के प्रथम फेज में 32 जनपदों के 58 विकास खण्डों को लिया गया है, जहां इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्य कराये गये हैं, अगले फेज के लिए हम कार्य योजना तैयार करेंगे और विश्व बैंक उनका परीक्षण करेगी कि किस कम्पोनेंट में क्या-क्या कार्य होने हैं, उसके बाद यह तय होगा कि अगले फेज का स्वरूप क्या होगा ? वैसे जो शेष रह गये हैं, पहले उनको लेने की हमारी कार्य योजना है।"

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :--

"मान्यवर, इस योजना के प्रथम फेज में 32 जनपदों के 157 विकास खण्डों को लिया गया है, जहां इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्य कराये गये हैं अगले फेज के लिए हम कार्य योजना तैयार करेंगे और विश्व बैंक उनका परीक्षण करेगी कि इस कम्पोनेन्ट में क्या-क्या कार्य होने हैं, उसके बाद यह तय होगा कि अगले फेज का स्वरूप क्या होगा ? वैसे जो शेष रह गये हैं, पहले उनको लेने की हमारी कार्य योजना है।"

(ब) दिनांक 03 मार्च, 2005 को श्री श्याम देव राय चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल, माननीय सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि,

"माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्त दिया है कि 32 जनपदों के 58 विकास खण्डों को इस योजना के तहत लिया गया है अ : अगले फेज में जो शेष रह गये हैं उनको हम लेंगे। हम मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो पहली योजना थी उस योजना के तहत उन्होंने कितने कि0मी0 सड़कों का निर्माण किया है ? और प्रथम चरण पूरा होने के बाद जो सड़कें अवशेष थीं उनका निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?"

2--उस समय सदन में यह उत्तर दिया गया था कि,

"प्रदेश में मान्यवर हमने कुल 2657 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया है और विश्व बैंक के मानकों के अनुरूप उनका निर्माण कार्य कराया गया है, इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जो सड़कें प्रस्तावित थीं उनका निर्माण कराया गया है।"

3- उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :--

"प्रदेश में मान्यवर हमने कुल 2628 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया है और विश्व बैंक के मानकों के अनुरूप उनका निर्माण कार्य कराया गया है, इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जो सड़कें प्रस्तावित थीं उनका निर्माण कराया गया है।"

4--मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्नवत् है :--

प्रश्न	उत्तर
3--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं ?	कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) के अन्तर्गत कृषि के सघनीकरण एवं विविधीकरण के द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु एकीकृतनाशी जीव प्रबंधन, जैविक खेती, बीज उत्पादन, उद्यान में उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की उपलब्धता, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, प्रजाति प्रदर्शन, पशुधन में पैरावेट के रूप में स्वरोजगार तथा पशुपालकों के द्वार पर टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशुपोषण प्रदर्शन, रेशम में मलबरी प्लाण्टेशन, समूह विकास, ग्रामीण हाट-पैठ एवं पशु बाजार निर्माण कार्य दुग्ध घटक के अन्तर्गत स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का प्रशिक्षण तथा डेरी समूहों को बाजार से जोड़ने का कार्य किया गया है।
क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कृषि पर उसका तुलनात्मक परिणाम क्या है ?	जिन क्षेत्रों में कृषि विविधीकरण परियोजना को अपनाया गया है, उन क्षेत्रों के सैम्पल सर्वेक्षण के अनुसार कृषि पर उसका तुलनात्मक परिणाम निम्नवत् है :--

उपज (कु0/हे0)	आधार वर्ष 98-99	अंतिम प्रभाव	प्रतिशत परिवर्तन
कृषि घटक			
धान	22	28	27.3
गेहूं	30	33	10.0
मक्का	15	20	33.3
सरसों	10	11	10.0
अरहर	12	14	16.7
उद्यान घटक			
आलू	168	260	54.8
प्याज	102	188	84.3
बैगन	203	255	25.6
हरी मटर	50	73	46.0
हरी मिर्च	74	85	14.9
पशुपालन			
कृत्रिम गर्भादान	14.5	35	141.4
ऋण घटक			
समूह आधारित ऋण की मात्रा	0	15	--

विधान सभाके तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम गुरुवार दि0 4 दिसम्बर, 2003 के लिए निर्धारित श्री उदय राज यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के संबंध में श्री घूरा राम द्वारा निदेश संख्या 165 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के संबंध में संशोधित उत्तर एवं निदेश संख्या 166 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

विधान सभा के तृतीय सत्र 2003.....

एक सदस्य--

पढ़ा माना जाए।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ा माना जाता है।

[सदन की सहमति से संशोधित उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।]

डा0 अशोक बाजपेयी--

[के प्रथम गुरुवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के संबंध में श्री घूरा राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या-165 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 25 मार्च, 2004 के संबंध में कृत कार्यवाही एवं संशोधित उत्तर

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मण्डी सहायकों की स्थानान्तरण नीति क्या है ?	शासन के कार्मिक विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जारी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही मण्डी परिषद् द्वारा स्थानान्तरण किये जाते हैं। मण्डी सहायकों के स्थानान्तरण हेतु पृथक् से मण्डी परिषद् की कोई स्थानान्तरण नीति नहीं है।	शासन ने कार्मिक विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारी के संबंध में जारी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही मण्डी परिषद् द्वारा स्थानान्तरण किये जाते हैं। मण्डी सहायकों के स्थानान्तरण हेतु पृथक् से मण्डी परिषद् की कोई स्थानान्तरण नीति नहीं है।	पूर्व में दिया गया उत्तर सत्य है। चूंकि मण्डी समिति, हरदोई में कोई भी मण्डी सहायक लगातार 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात नहीं है। अत: गलत सूचना का प्रश्न नहीं उठता और कोई गलत सूचना के लिए दोषी नहीं पाया गया। अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4
हरदोई मण्डी समिति में तैनात मण्डी सहायकों को जो विगत 10 वर्षों से तैनात हैं उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?	मण्डी समिति, हरदोई में कोई भी मण्डी सहायक 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात नहीं है।	मण्डी समिति, हरदोई में कोई भी मण्डी सहायक लगातार 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात नहीं है। श्री वंशराज राम, मण्डी सहायक दो तैनातियों के बीच दि0 2-11-95 से 2-8-96 तक मण्डी समिति, शाहाबाद में तैनात रहे।	
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।	]

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

पहले इसको तो हो जाने दीजिए।

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राम मनोहर लोहिया

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

आप किसी भूलवश आगे बढ़ गये। पहले 300 और 301 ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

लास्ट में सब करा देंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 8 अगस्त, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से नियमानुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :--

1--श्री राम विशुन आजाद
2--श्री अनवर महमूद
3--श्री पीतम राम
4--श्री दया शंकर वर्मा
5--डा0 रविन्द्र पुण्डीर
6--श्री सुरेश कुमार खन्ना
7--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
8--श्री राम इकबाल सिंह
9--श्री सलिल विश्नाई
10--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा
11-- श्री धर्मपाल सिंह
12--श्री दुर्गा प्रसाद यादव
13--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
14--श्री किशन लाल बघेल
15--श्री सतीश महाना
16--श्री आर0एस0 कुशवाहा
17--श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)
18--श्री मो0 इरशाद खां
19--श्री अकीलुर्रहमान
20--श्री हीरा लाल गौतम
21--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
22--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
23--श्रीमती विमला राकेश
24--श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
25--श्रीमती विद्या चौधरी
26--श्री लालजी वर्मा
27--श्री मुंशी लाल गौतम
28--श्री घूरा राम
29--डा0 पूर्णमासी देहाती
30--श्री बीजू पटनायक

31--श्री राकेश सचान
32--श्री विश्राम सिंह यादव
33--श्री प्रमोद कुमार
34--श्री राम करन आर्य
35--श्री चन्द्रदेव राम यादव
36--श्री मदन भैया
37--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
38--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'
39--चौधरी महेन्द्र सिंह
40--श्री बाबू लाल कुशवाहा
41--श्री श्यामदेव राय चौधरी
42--श्री अब्दुल मन्नान
43--श्री राधेश्याम सिंह
44--श्री राम नरेश यादव
45--श्री मस्तराम
46--डा0 पी0के0 राय
47--श्री नवाब सिंह नागर
48--श्री कौशल किशोर
49--श्री जगदीश नारायण राय
50--श्री रणवीर राणा
51--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा
52--श्री सुखदेव राजभर
53--श्री सदल प्रसाद
54--श्री मिथलेश कुमार
55--श्री कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा
56--श्री मदन चौहान
57--श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी
58--श्री राजेश कुमार
59--श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया
60--श्री कल्याण सिंह दोहरे
61--श्री रामहेत भारती
62--श्री जगदम्बिका पाल
63--श्री लल्लू सिंह तथा
64--श्री आलोक कुमार शाक्य

उन माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गई :--

1--श्री चन्द्रदेव राम यादव तथा
2--श्री अमर सिंह परमार

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।)

मनकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोतीगंज फीडर के विद्युत् तार मनकापुर बाजार के विद्युत तार बदलवाने एवं झिलाही बाजार के आस-पास विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद--

[मान्यवर, आपको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है। विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर में कार्यरत सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के न रहने से विद्युत उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपकेन्द्र मनकापुर के अन्तर्गत मोतीगंज फीडर जो लगभग 100 किमी0 लम्बा है विद्युत तारों के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण हल्की सी हवा चलने पर तार टूट जाते हैं जिससे विद्युत आपूर्ति मे बाधा होती रहती है एवं जानलेवा की संभावना बनी रहती है। मोतीगंज फीडर से संबंधित जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उन क्षेत्रों में अभियंताओं एवं कर्मचारियों की लापरवाही से 15-20 दिन विद्युत आपूर्ति नही हो पाती और विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल पूरे माह देना पड़ता है। मोतीगंज फीडर को दो भागों में बांटने एवं उक्त फीडर के लिए झिलाही के आस-पास एवं अतिरिक्त विद्युत उप केन्द्र की स्थापना हेतु मेरे द्वारा उप सरकारों में सदन के माध्यम से अवगत कराया परन्तु मेरे क्षेत्र की गम्भीर समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। इस कल्याणकारी सरकार में उपभोक्ताओं को विश्वास है कि उक्त फीडर की समस्या का निराकरण तत्काल हो जायेगा।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मोतीगंज फीडर के विद्युत तार, मनकापुर बाजार के विद्युत तार बदलवाने एवं झिलाही बाजार के आस-पास विद्युत उप केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत मदपुर गैड़ास बुजुर्ग सादुल्लानगर मार्ग को ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनवर महमूद--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र उतरौला जनपद-बलरामपुर अन्तर्गत मदपुर गैड़ास बुजुर्ग सादुल्लानगर मार्ग कई सालों से अत्यधिक खराब है। उक्त मार्ग कई गांवों के सम्पर्क मार्गों से जुड़ा हुआ है। उक्त मार्ग पर जगह-जगह बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं और बरसात के महीनों में तो उक्त मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध रहता है। उक्त के कारण क्षेत्रीय जनता का आना-जाना मुश्किल हो गया है। यह मार्ग लगभग 10 से 23 किलोमीटर तक की दूरी का अत्यधिक खराब है। मार्ग को बनवाये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बराबर शासन व प्रशासन स्तर पर मांग की जाती रही है परन्तु अभी तक मार्ग न बन पाने के कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष व्याप्त है, उक्त के कारण क्षेत्र में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अत: मैं आपसे मांग करता हूं कि इस निश्चित अविलम्बनीय विषय पर प्राथमिकता के आधार पर उक्त मार्ग को ठीक कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद कानपुर के ब्लाक शिवराजपुर के ग्राम धिमऊ स्थित सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पीतम राम--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम धिमऊ ब्लाक शिवराजपुर, जिला कानपुर नगर की एक सड़क जो पक्की सड़क से होली के पास से निकल कर कच्ची इमली, लाल इमली, प्राइमरी स्कूल देवी मंदिर होते हुए पुन: उसी सड़क में मिल जाती है इसकी लम्बाई करीब 600 मीटर है विगत दिनों से काफी जर्जर हो गई है। इससे गांव वालों को जो अपना सामान मण्डी तक लाते जाते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पक्की सड़क को पंचायती राज विभाग द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व बनाया गया था तब से इसकी कोई मरम्मत नहीं की गई है। कृपया इस सड़क की मरम्मत के लिए सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री शिववरन सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला अतरैहटा, जिला रायबरेली की जेल जाने से हुई सेवा समाप्त तथा जेल से लौटने के बाद पुन: नियुक्ति से उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यों की जांच कराने एवं शासकीय धन की वापसी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दया शंकर वर्मा--

[मान्यवर, आपके माध्यम से सजायाफ्ता मुजरिम द्वारा अपनी दबंगई के बलबूते शासकीय धन का अपहरण एवं दूसरे गरीब लोगों की जमीन हड़पने एवं जबरन कब्जा करने वाले के विरुद्ध मामला सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ--

श्री शिवबरन सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह, प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला अतरैहटा, जिला रायबरेली की प्रथम नियुक्ति दिनांक 26-10-1968 को हुई थी और दिनांक 1-4-72 को थाना महाराजगंज रायबरेली द्वारा धारा 307, 109 आदि में अभियुक्त बनाये गये जिसमें इन्हें दिनांक 9-9-74 को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9-1-78 द्वारा यही सजा बहाल हुई एवं जेल जाने के पश्चात् शिक्षा विभाग द्वारा इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 21-12-78 द्वारा इन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया किन्तु जेल से रिहा होने के बाद दिनांक 22-7-82 को इनकी पुन: नियुक्ति कर दी गई और इन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत भी कर दिया गया। बाद में इन्हें कई धाराओं में निरुद्ध कर दिनांक 1-7-93 को पुन: जेल भेजा गया और इस दस दिन की अवधि का वेतन भी नहीं काटा गया। इससे स्वत: स्पष्ट है कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से इसमें घोर दुराचरण के बाद भी श्री सिंह अपनी दबंगई और पैसे के बलबूते आज भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

अत: इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री सिंह के कृत्यों की जांच कराकर दंडित करने एवं आहरित किया गया शासकीय धन वापस करने एवं श्री राम लखन, ग्राम मोन, जनपद रायबरेली की जमीन व मकान पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की भी मांग करता हूँ।]

महिला कल्याण निदेशालय में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। महिला कल्याण निदेशालय में भ्रष्टाचार चर्म सीमा पर व्याप्त है। विभाग द्वारा अवैध रूप से फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर विगत वर्षों में अनेकों नियुक्तियां करके धन की उगाही की गई। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया जो शैक्षिक अर्हता भी पूर्ण नहीं करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त मामले में मेरे द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 में विभाग द्वारा दस दिनों में कार्यवाही करने हेतु आश्वासन दिया था मगर अभी तक जांच अधिकारी द्वारा जांच की अंतिम रिपोर्ट स्वहित में अभी तक नहीं दी गई है जिससे अनियमित नियुक्तियां बनी हुई हैं। तथा सरकार का इन फर्जी नियुक्तियों पर लाखों रुपया वेतन भत्तों के नाम पर खर्च किया जा रहा है। विगत नवम्बर 2004 के प्रथम सप्ताह में एक आया के पद पर तैनात कर्मी की फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेवा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा एक जांच प्रारम्भ कर दी गई और उसकी प्रति संबंधित कर्मी को उसे राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उपलब्ध करा दी गई जो संबंधित पटल लिपिक एवं विभाग के तथा कथित कर्मचारी नेता ने दी थी ऐसे दोषी भ्रष्ट कर्मियों के विरुद्ध विभाग में जांच लम्बित पड़ी है जिस पर शासन ने तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये कि पुन: दंड निर्धारित किया जाये लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ और तो और इस कर्मी की आम शौहरत भी ठीक नहीं है। यह कर्मी नेता फर्जी विधान सभा सदस्यों के नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके शिकायतें करता रहता है जिसमें मा0 विधायकों ने अपने फर्जी हस्ताक्षरों के संबंध में कार्यवाही करने हेतु पत्र भी मा0 मुख्यमंत्री जी को लिखे जिस पर निदेशालय स्तर से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जबकि यह मामला गंभीर था विभाग द्वारा एफ0आई0आर0 पंजीकृत करना चाहिए, लेकिन अभी उक्त मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। क्योंकि विभाग में भ्रष्ट लोगों का एक काकस बना हुआ है। सरकार को चाहिए की इस मामले में तत्काल कार्यवाही करे तथा दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करायें।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में सरकार को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

शाहजहांपुर नगर के कतिपय नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना--

[मान्यवर, शाहजहांपुर नगर में पांच बड़े नाले गंदगी से भरे हैं, इनकी सफाई न होने से पूरे नगर में सड़कों पर नाले का पानी ओवरफ्लो होता है। वर्तमान में ये पांचों नाले (1) शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला (2) पुलिस चौकी हद्दफ वाला नाला (3) अन्टा चौराहा वाला नाला (4) भोलागंज के पूर्वी गेट वाला नाला। इन नालों की सफाई पूरी न होने से इससे जुड़ी हुई नालियों में भी गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ रहा है। शहर में बरसात होने के कारण सभी नाले बुरी तरह से बज-बजा रहे हैं, जनहित में इनकी सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता है। नालों के भरे होने से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है, बदबू के कारण लोग नाक पर रुमाल रखकर चलने को विवश हैं।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपसे उपरोक्त वर्णित नालों की सफाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04 में समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित गांवों की सड़कों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद सुल्तानपुर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04 में विकास खण्ड कुड़वार में ग्राम सभा कुम्हाई, धारूपुर एवं कोटा गांवों का चयन किया गया था, इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में विकास खण्ड दुबेपुर में उघरपुर, रामापुर एवं तिवारीपुर (अहिमाने) तथा विकास खण्ड कुड़वार में भगवानपुर, परसीपुर तथा पहड़ौली (मिठनेपुर) गांवों का चयन समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत किया गया था। जहां तक समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत गांवों 15 बिन्दुओं के अन्तर्गत संतृप्त किया जाना था परन्तु आज करीब दो-तीन वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, उपरोक्त गांवों का लेपन स्तर से न जोड़े जाने के कारण ग्रामीण जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक आक्रोश है। जनमानस में सरकार के प्रति झूठा 15 बिन्दुओं पर संतृप्ति किये जाने की बात कही जा रही है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उपरोक्त गांवों की सड़कों को लेपन स्तर तक पूर्ण करने की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के ग्राम नरही, तहसील-रसड़ा में एक शिक्षा माफिया द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम इकबाल सिंह--

[मान्यवर, ग्राम नरही, तहसील-रसड़ा जनपद-बलिया में एक शिक्षा माफिया द्वारा करीब 25 एकड़ ग्राम समाज की जमीन, गड्ढा गहरे पानी का तालाब अवैध रूप से कब्जा कर उस जमीन का समतलीकरण कर उस पर करीब 500 कमरों का कटरा बनवाकर बेच रहा है जिसका खतौनी खसरा संख्या-1152/0096, 1154/0094, 1156/0016, 1152/0065, 1154/0.48, 1156/0.69, 1164/0.255, 1150/0328, 1158/0924 है। यह करोड़ों रुपये के सरकारी जमीन का अवैध कब्जा कर निर्माण का मामला है।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

कानपुर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सलिल विश्नोई--

[मान्यवर,. कानपुर महानगर में गत माह जुलाई में एक महीने में 27 लूट, उकैती, चेन स्नैचिंग और हत्या की घटनायें घटित हुयी हैं। किसी भी घटना के असली अपराधी आज तक नहीं पकड़े गये। पूरे महानगर में भय और आतंक का माहौल व्याप्त है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। शहर का व्यापारी और आम नागरिक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह भरोसा नहीं है कि सुबह घर से निकलने के बाद को शाम को सुरक्षित घर पहुंचेंगे कि नहीं।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, कानपुर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जावे कि कानपुर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को तुरन्त नियंत्रित किया जाये तथा अपराधियों को पकड़ कर उन्हें दंडित किया जाये जिससे आम नागरिक की जान माल की रक्षा हो सके।

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही के द्वारा शासन को निर्देशित करने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का कार्य एवं माइनरों एवं ड्रेनों की सफाई के कार्य विधायक निधि से कराने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रेनों एवं माइनरों की सिल्ट सफाई समय से न होने के कारण उत्पन्न सिंचाई की समस्या तथा जल भराव की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। ड्रेनों तथा माइनरों की सफाई न हो पाने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण सिंचाई की असुविधा का सामना किसानों को करना पड़ता है तथा ड्रेनों की सफाई न होने के कारण ही जल भराव की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। पूर्व में यह कार्य विधायक निधि से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी परन्तु अब मिट्टी का कार्य एवं माइनरों एवं ड्रेनों की सफाई के कार्य विधायक निधि से कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे क्षेत्र में मिट्टी एवं ड्रेनों की सफाई का कार्य समय से न होने पर जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, इसका कोप भाजन जनप्रतिनिधि को हो रहा है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रतिबंध को हटाये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद रायबरेली के अलीगंज सिरौली मार्ग की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मपाल सिंह--

[मान्यवर, जनपद बरेली में अलीगंज-सिरौली मार्ग लो0नि0वि0 का मार्ग है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। सड़क रह नहीं गयी है, गड्ढे ही गड्ढे हो गये हैं। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसी सड़क पर ही गौरी शंकर भगवान का मंदिर भी पड़ता है जिस पर सावन में भारी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। इस मार्ग के अत्यन्त खराब होने के कारण तीर्थ यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से सड़क निर्माण की मांग करता हूँ।]

आजमगढ़ शहर क्षेत्रान्तर्गत बिजली की भारी कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत आने वाले शहरी व देहात क्षेत्र में हो रही भारी विद्युत कटौती की ओर दिलाना चाहता हूँ। देहात के अन्तर्गत 3-4 बार लाइन काटी जा रही है इसका कोई समय निश्चित

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है जिससे जनता परेशान है। यह हालत तहबरपुर सब-स्टेशन की है यहां पर मात्र 2-3 घंटे ही लाइट आती है। विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के कारण यहां पर निवास करने वाले व्यापारी व किसान सभी परेशान हैं जबकि सरकार की मंशा है कि किसानों को 14 घंटे तक बिजली उपलब्ध करायेंगे व शहर में पूरा समय बिजली उपलब्ध करायेंगे। सरकार की मंशा के अनुरूप बिजली नहीं मिल पा रही है। आजमगढ़ मंडल है, मुख्यालय होने के कारण यहां पर विद्युत की कटौती नहीं होनी चाहिए शहर में लाइन 5-6 बार काटी जा रही है जिससे यहां के लोगों को पम्प द्वारा पानी भरने की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। क्षेत्रीय विकास एवं आवश्यकता को देखते हुए यहां पर विद्युत सप्लाई ठीक कराना आवश्यक है।

अत: मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आजमगढ़ शहर में जनहित में बिजली सप्लाई को तत्काल पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

राजधानी लखनऊ में पेयजल के गंभीर संकट से उत्पन्न स्थिति के

संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में निम्न अविलम्बनीय, लोकमहत्व के विषय को लाकर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेयजल का गंभीर संकट शासन की लापरवाही के कारण व्याप्त हो गया है। लखनऊ जल संस्थान ने लखनऊ की यजल समस्या का निराकरण करने हेतु पिछले वर्ष 30 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव भेजा था, यह धन अपेक्षा के अनुरूप गर्मी का मौसम प्रारम्भ होने के पूर्व अर्थात् मार्च अथवा अप्रैल 2005 में जल संस्थान को प्राप्त हो जाना चाहिए था किन्तु अभी तक एक रुपये भी शासन द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया। धनराशि के अभाव में अनेक ट्यूबवेल मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में न तो रि-बोर हो सके हैं और न ही रि-डेवलपमेन्ट हो पाया है, जिस कारण पेयजल क्षेत्र की जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं धनाभाव के कारण वाटर पाइप लाइनें भी नहीं बदली जा रही हैं और ये लाइनें पुरानी होने के कारण लीकेज कर रही हैं तथा भारी मात्रा में पानी बह जाता है। जल निगम को धन अवमुक्त न होने के कारण पुराने इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प रि-बोर नहीं हो रहे हैं। सरकार की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2004-05 के लिए 50 हैण्डपम्प तथा वर्ष 2005-06 के लिए 100 हैण्डपम्प प्रत्येक विधायक के विधान सभा क्षेत्र में लगने हैं किन्तु धन अवमुक्त न होने के कारण ये लग नहीं रहे हैं। लखनऊ में सांसद श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रेरणा से द्वितीय वाटर वर्क्स बालागंज में बना था किन्तु मेन स्ट्रीम का पानी जिस पाइप से जाता है वह अनेक बार फट चुका है उसकी सही मरम्मत भी नहीं हो रही है, जिसके कारण, पुराने लखनऊ के अनेक मोहल्लों में कई दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है। जनता में घोर असंतोष है।

मैं लोकमहत्व के अविलम्बनीय उपरोक्त विषय की ओर उ0प्र0 सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जल संस्थान एवं जल निगम को आवश्यक धनराशि अवमुक्त करने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

नगर निगम कानपुर द्वारा वर्ष 1997-98 में कराये गये डिवाइडर के कार्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशन लाल बघेल--

[मान्यवर, श्री अख्तर सईद, ठेकेदार निवासी 88/480, कासिमगंज, पोस्ट आफिस, फर्रीमाबाद कानपुर द्वारा वर्ष 1997-98 में नगर निगम कानपुर नगर के अन्तर्गत माल रोड योजना अन्तर्गत 'डिवाइडर' का कार्य एल0आई0सी0 बिल्डिंग से नरौना क्रासिंग तक सुचारु रूप से पत्रावली संख्या: 12 ए0ग0 (ट्रैफिक) 97-98 द्वारा सुचारु रूप से निष्पादित किया जा चुका है। परन्तु उक्त कार्य से संबंधित बिल का भुगतान अभी तक श्री अख्तर सईद को नहीं किया गया है उक्त भुगतान के अभाव में इस भीषण मंहगाई में श्री सईद को अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने एवं बच्चों की शिक्षा आदि जारी रखने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है क्योंकि उक्त कार्य के निष्पादन में उनकी व्यक्तिगत पूंजी फंस गई है। उक्त पत्रावली सं0 12/ए0ग0/(ट्रैफिक)/97-98 लेखा विभाग में चढ़ी है परन्तु अब उक्त पत्रावली का कहीं पता नहीं चल रहा है, जिससे भुगतान में आवश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में कई पत्र मा0 नगर विकास मंत्री, उ0प्र0 व नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को दिये जा चुके हैं, परन्तु अभी तक उक्त कार्य का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो सका है।

अत: आदरणीय सदन से अनुरोध है कि अख्तर सईद द्वारा किये गये उक्त कार्य का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित कराये जाने हेतु आयुक्त नगर निगम, कानपुर को समुचित निर्देश दिये जायें और इस संबंध में उक्त विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करायी जाए।]

कानपुर महानगर में बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं से व्याप्त आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश महाना--

[मान्यवर, कानपुर महानगर में कई मा से आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विगत दिनों से लगातार हो रही लूटों के व ण आम आदमी के मन में दहशत एवं भय का वातावरण व्याप्त है। लगातार हो रही हत्या एव लूट का अधिकांशत: का खुलाशा न होने के कारण जनमानस का प्रशासन से विश्वास उठता नज आ रहा है। विगत दिनों में थाना रायपुरवा, थाना हरवंश मोहाल, थाना कलक्टरगंज, थाना नजीराबाद एवं इत्यादि क्षेत्रों में लूट की घटनायें हुई हैं। थाना-रायपुरवा में व्यापारी की हत्या करके पसा लूट लिया गया। थाना हरवंश मोहाल में व्यापारी को गोली मारकर 7.50 लाख लूट लिये गय, अ दिन थाना नजीराबाद में मेडिकल व्यापारी से 4.50 लाख लूटे गय, परन्तु उसमें से किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही होती नजर नही आ रही है।

अत: पूरे प्रकरण की प्रभावी जांच एवं कार्यवाही हेतु स्पेशल आपरेशन ग्रुप द्वारा कानपुर म नगर के व्यापारियों के माल को बरामत करके असली अपराधियों को पकड़ने की मांग करता हूँ।

अत: नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखीमपुर के निघांसन क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05 में समग्र विकास योजना के तहत चयनित 30 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0एस0 कुशवाहा--

[मान्यवर, शासन द्वारा प्रदेश की सभी विधान सभाओं में समग्र ग्राम विकास योजना के तहत् 10-10 ग्राम प्रत्येक विधायक द्वारा प्रस्ताव गत वर्षों 2003-04 व 2004-05 व 2005-06 में मांगे गये थे तथा सभी ग्रामों का मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। जनपद खीरी लखीमपुर की विधान सभा निघांसन में 2003-04 से 2004-05 तक गत तीन वर्षों में 30 ग्रामों को प्रस्तावित किया था लेकिन अभी तक केवल 2 ग्रामों को ही मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। बाकी ग्रामों को न तो मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है और न ही किसी भी ग्राम में कोई भी विकास कराया गया है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल उक्त चयनित ग्रामों का मुख्य मार्ग से जोड़े जाने व विकास कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग के निदेशक द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

[मान्यवर, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 के निदेशक श्री एम0एम0 अंसारी के भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दो लाख 14 हजार 252.29 पैसा की शासकीय क्षति की वसूली तथा उनको सेवा से पदच्युत किये जाने का निर्णय लिया गया था तथा लोक सेवा आयोग से सहमति भी हो गयी थी, परन्तु श्री एम0एम0 अंसारी द्वारा अपने प्रभाव से उपरोक्त आदेशों को कानूनी तिकड़मबाजी से स्थगित कराकर पुन: सेवा में आ गये और उस दोषी अधिकारी को अब भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 का निदेशक बना दिया गया है। श्री अंसारी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर रहते हुए अपने सगे भाई के पुत्र श्री अकबर, रिश्तेदार के पुत्र श्री जहूर और श्री सहादत हुसैन के साथ-साथ दो अन्य कर्मचारी को नियुक्ति शासन को गुमराह करके कर लिया। इस विभाग की वर्कचार्ज कर्मचारी यूनियन द्वारा भण्डाफोड़ किये जाने पर नौ महीने बाद इन कर्मचारियों को बाध्य होकर हटना पड़ा। ऐसे जालसाज अधिकारी श्री एम0एम0 अंसारी को अब विभाग का निदेशक बना दिया गया है। निदेशक बनने के पश्चात् अंसारी द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारी को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके विरुद्ध मनगढ़ंत आरोप लगाकर कर्मचारी तथा कर्मचारियों के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। निदेशक बनने के पश्चात् 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण श्री अंसारी द्वारा कर दिया गया है जिसमें बड़ी सं0 में महिला कर्मचारी भी शामिल हैं तथा ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया है जिनका एक पैर कटा हुआ है एवं विकलांग हैं, भाई भतीजे का लीवर खराब है या परिवार के सदस्य मरणासन्न स्थिति में हैं। स्थानान्तरण के सदा से ही कानपुर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी श्री घुरूलाल अनुलेखक की मृत्यु हो गयी है। श्री घुरूलाल

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाल को सेवा दो वर्ष से भी कम बची थी उसे सहारनपुर से कानपुर स्थानान्तरण रोकने के नाम पर भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिस संबंध में कर्मचारी यूनियन द्वारा समय-समय पर ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराया गया, परन्तु इस निदेशक पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। श्री एम0एम0 अंसारी जो पूर्व से ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे हैं, 5-6 साल शासन द्वारा सस्पेन्ड रहने वाले अधिकारी को निदेशक के पद पर बैठाकर विभाग की गरिमा एवं शासन की छवि को धूमिल करने का काम किया है।

मैं उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जांच कराकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूँ तथा इतने लम्बे पैमाने पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के विषय पर ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर लखनऊ के अन्तर्गत फर्रुखाबाद चिल्लावां आजाद नगर में नाली/सीवर खड़न्जा, स्ट्रीट लाइट न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मो0 इरशाद खां--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत फर्रुखाबाद चिल्लावां कानपुर रोड, आजाद नगर में नाली/सीवर, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट न होने के कारण वहां रहने वाले निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आवागमन में काफी असुविधा होती है जिससे नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों में काफी रोष एवं दुख व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से नाली/सीवर, खडन्जा, स्ट्रीट लाइट लगाये जाने एवं मा0 नगर विकास मंत्री जी से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-मौहम्मदपुर मालिनी में चार लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकीलुर्रहमान--

[मान्यवर, मेरे जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बहजोई के ग्राम-मौहम्मदपुर मालिनी, तहसील सम्भल, थाना-हजरतनगर गढ़ी में 4 लोगों की तालाब की मिट्टी गिर जाने से दिनांक 26 मई, 2005 को मृत्यु हो गई। सभी मृतक बहुत निर्धन परिवार के थे। मिट्टी लेने गांव के ही तालाब में गये थे। अचानक मिट्टी क डांग तालाब में गिरी, दो लोगों की घटना स्थल पर दबने से मौत हो गयी। अन्य दो ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। पैसे के अभाव के कारण मुरादाबाद अस्पताल भी न ले जा सके और दो लोगों ने सम्भल अस्पताल में दम तोड़ दिया मृतक 1-वसीम पुत्र बन्ने, उम्र 14 वर्ष, 2-कु0 शबनूर पुत्री मो0 आरिफ उम्र 8 वर्ष, 3-शाकिर पुत्र शाहिद, उम्र 12 वर्ष, 4-कु0 दरकशा पुत्री श्री बन्ने, उम्र 14 वर्ष उपरोक्त चारों मृतक परिवारजनों को अभी तक **सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।**

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से उक्त परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सरायंमीर में एक 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हीरा लाल गौतम--

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सरांयमीर में एक 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र है, इस उपकेन्द्र पर काफी लोड है, ऐसी दशा में वांछित एक घोषित नीति के आधार पर ग्रामीणों को विद्युत नहीं मिल पाती है जिससे विद्युत संकट उत्पन्न हो जाता है। सरांयमीर के जनता की बार-बार मांग चली आ रही है। इस 33/11 के0वी0ए0 को 132 के0वी0 फूलपुर से जोड़ दिया जाए ताकि सही एवं निर्धारित समय से जनता को बिजली मिल सके। इस मांग को लेकर जनता आक्रोशित एवं आन्दोलित भी है।

अत: इस अविलम्बनीय एवं लोक हित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने एवं 132 के0वी0 फूलपुर को 33/11 के0वी0ए0 सरांयमीर से जोड़ने की मांग करता हूँ।]

कान्स्टेबिल नागरिक पुलिस (पुरुष) की भर्ती, 2005 में हुई अनियमितता में पक्षपात, धांधली भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कान्स्टेबिल नागरिक पुलिस (पुरुष) भर्ती, 2005 रही है, जिसमें सभी स्थानों पर अनियमिततायें, पक्षपात, धांधली, भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। इसका उदाहरण इलाहाबाद जनपद में हुई भर्ती का है।

इलाहाबाद जनपद में कान्स्टेबिल नागरिक पुलिस (पुरुष) भर्ती 2 में 366 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, इसमें 183 सामान्य वर्ग, 95 पिछड़ी जाति, 87 अनुसूचित जाति एवं 1 एच0जी0 की श्रेणी में है।

सामान्य वर्ग श्रेणी के 183 पदों में सामान्य वर्ग के मात्र 88 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि यादव/अहीर के 47, मुस्लिम 20 तथा अन्य पिछड़ी जातियों के 28 अभ्यर्थी चुने गये हैं। पिछड़ी जाति के श्रेणी में 45 मुस्लिम, 40 यादव/अहीर तथा 10 अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस प्रकार कुल 366 चयनित अभ्यर्थियों में 87 यादव/अहीर, 65 मुस्लिम तथा 38 अन्य पिछड़ी जातियों के हैं इससे स्पष्ट है कि कान्स्टेबिल पदों के चयन में मुस्लिम तथा यादव/अहीर जाति के लोगों को शासन के इशारे पर काफी संख्या में चयन किया गया है, जोकि सर्वथा अनुचित है। उक्त चयन में अनियमितता, पक्षपात, धांधली एवं भ्रष्टाचार की बू आती है जोकि गंभीर चिन्ता का विषय है।

यदि पुलिस की भर्ती में मेरिट से चयन न होकर शासन तंत्र के इशारे पर किसी विशेष जाति एवं धर्म के लोगों का चयन होगा, तो पूरा पुलिस तंत्र बुरी तरह प्रभावित होगा तथा भविष्य में प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी होगी ?

उक्त विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है अत: नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मेरठ में पुलिस विभाग एवं अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण हेतु 2005-2006 में सामान, शस्त्र उपकरण आदि की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

[मान्यवर, जनपद मेरठ में पुलिस विभाग एवं अग्निशमन विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने के कारण जनता की आकांक्षाओं पर विभाग खरा नहीं उतर रहा है।

अग्निशमन की दृष्टि से, भवाना, सरधना, शताब्दी नगर (परतापुर औद्योगिक आस्थान में भूमि उपलब्ध/चिन्हित) में केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव लम्बे समय से शासन में लम्बित है। बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, अतएव ऐलीवेटर लैडर की आवश्यकता भी है। वाहन 1-फायर ब्रिगेड गाड़ी स्टाफ भी आवश्यकता से कम है।

ए0सी0एम0 चार के स्थान पर 2, ए0डी0एम0 नहीं, नगरायुक्त नहीं, उपाध्यक्ष प्राधिकरण नहीं, जिला प्रशासन पर वाहन नहीं, यदि अन्य विभाग लेते हैं तो उनके विकास कार्य बाधित होते हैं।

थाना मेडिकल, लिमाडीगेट, रैलवे रोड के भवन प्रस्ताव शासन में क्रमश: 1998, 2000, 2002 से लम्बित है।

थाना होहटा, लोहियानगर नये थाने तथा गंगानगर, बैलीब्जर धीरखेड़ा चौकी की स्थापना के प्रस्ताव भी 2000, 2002, 2004 से लम्बित है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2005-06 में जी0पी0 स्टोर हेतु समान उपकरण, शस्त्र, विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरण, कम्प्यूटर, क्रम के उपकरण, स्थानीय अभिसूचना इकाई का सुदृढ़ीकरण यातायात पुलिस हेतु उपकरण रिकवरी वैन, दस्ता, थाना, चौकियों पुलिस लाइन में आवास बैरक के प्रस्ताव 4-5-2005 को पुलिस मुख्यालय भेजे गये लम्बित हैं।

एन0सी0आर0 पुलिमिंग व्यवस्था उसमें मिलने वाले संसाधन से भी मेरठ को अलग रखा जाना अन्यायपूर्ण है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर जनहित में कार्यवाही कर आवश्यकता पूर्ति की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में सींचपाल पद हेतु अनुसूचित जाति की भर्ती का परिणाम न घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विमला राकेश--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। जनपद-सहारनपुर में सींचपाल पद हेतु अनुसूचित जाति की भर्ती 18-11-2004 को पूर्ण वैधानिक तरीके से सींचपाल की लिखित परीक्षा सम्पन्न हुई थी। परिणाम घोषित होने के बाद उत्तीर्ण लड़कों का साक्षात्कार निष्पक्ष तरीके दिनांक 4-12-2004 को चयन समिति द्वारा चयन कर लिया गया था।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परन्तु कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति नई दिल्ली द्वारा परिणाम घोषित होने पर रोक लगवा दी गयी थी। अब वह रोक राष्ट्रीय अनु0 जाति नई दिल्ली द्वारा हटा दी गयी है।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करती हूँ कि दलित समाज के उत्थान हेतु तथा नवयुवकों में बढ़ते असंतोष तथा गिरते मनोबल को रोकने के लिये चयन समिति द्वारा चयनित परिणाम को घोषित कराने के आदेश शासन से देने की मांग करती हूँ।]

जनपद लखनऊ अन्तर्गत थाना ठाकुरगंज जनरैलगंज में श्री पच्चों पुत्र स्व0 श्री मुन्नी लाल व अन्य के घर में घुसकर मारपीट एवं लूटपाट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

[मान्यवर, लखनऊ के अन्तर्गत थाना ठाकुरगंज के मोहल्ला जनरैलगंज में गाटा संख्या 92/2 रकबा 14 बिश्वा, 8 बिस्वांसी जो पच्चों पुत्र स्व0 मुन्नी लाल एवं तुलसीराम, नारायण, बखतू पुत्रगण स्व0 श्री मुन्नीलाल की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर कुछ भाग में यूकेलिप्टस के लगभग 100 पेड़ लगे हैं तथा कुछ भाग में मकान बना कर रह रहे हैं। दि0 01-08-2005 को प्रेम शंकर तिवारी पुत्र श्री गोपीनाथ तिवारी नि0-दौलतगंज, ठाकुरगंज द्वारा अपने भाई समेत लगभग 30-40 व्यक्तियों के साथ गोलबन्द असलहों से लैस होकर आये और उक्त पेड़ों को जबरदस्ती काटने लगे, मना करने पर प्रार्थीगणों के घर में घुसकर मारा-पीटा तथा घर में रखे नगदी रुपये एवं कीमती जेवरात लूट लिए और उक्त जमीन एवं घर को खाली करके चले जाओं की धमकी देते हुए कहा अन्यथा तुम लोगों को जान से मार देंगें। इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी गुस्सा एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने एवं प्रार्थीगणों को जान-माल की सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में मण्डलेश्वर ड्रेन एवं खुण्डनपुर ड्रेन के रूके हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मेहनगर में मण्डलेश्वर ड्रेन और खुण्डनपुर ड्रेन का निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है जिससे क्षेत्र के विभिन्न गांव में जल जमाव बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि-वर्ष 1997 में भूमि सुधार निगम उ0 प्र0 द्वारा खुण्डनपुर ड्रेन और मण्डलेश्वर ड्रेन की खुदाई की स्वीकृति मिली थी और इसके पश्चात् कुछ कार्य कराया भी गया किन्तु पैसे के अभाव में यह कार्य बाधित पड़ा हुआ है जिससे क्षेत्र के विभिन्न गांव की कृषि योग्य भूमि पर जल जमाव बना हुआ है जिसके कारण किसानों को कृषि कार्य करने हेतु

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खुण्डनपुर ड्रेन का कार्य अधूरा होने से लौदह इमादपुर गंजोर पट्टी की लगभग 2200 हे0 भूमि तथा गोपालपुर बमकी, भीखमपुर, बिछया गांव के 2150 हे0 भूमि पर किसान कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार ग्राम गौरा में 365 बीघा क्षेत्रफल का मण्डलेश्वर पोखरा है इसके आस-पास स्थित जाफरपुर गौरा, सुल्तानपुर, चन्द्रभानपुर, भरसारी, कटास वारभानपुर, बसीला, हाथौड़ी ग्राम सभाओं की लगभग 3300 हे0 कृषि योग्य भूमि पर जल जमाव बना हुआ है। सरकार द्वारा स्वीकृत ड्रेनों की खुदाई पूर्ण करा दी जाये तो जल जमाव से किसानों को मुक्ति मिल जायेगी और किसानों को कृषि कार्य करने में सुविधा होगी।

अत: इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षेत्र की छोटी-छोटी ड्रेनों को साफ करवाकर मुख्य बड़ी ड्रेनों में जोड़ा जाए इस बड़ी ड्रेन (जल नाला) का संबंध मघई नदी से कराये जाने की मांग करती हूं।]

अम्बेडकर नगर अन्तर्गत टाण्डा में नेशनल थर्मल प्रोजेक्ट (एन0टी0पी0सी0) द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*लाल जी वर्मा--

[मान्यवर, नेशनल थर्मल प्रोजेक्ट (एन0टी0पी0सी0) विद्युत नगर टाण्डा अम्बेडकर नगर द्वारा ग्राम हुसेनपुर सुजाना, बिहरा, कनौढ़ा के लगभग 50 एकड़ तालाब पर अनधिकृत कब्जा करके बन्धा बना लिया गया है। जिसके कारण वर्षात के दिनों में ग्राम हुसेनपुर सुजाना, बिहरा, शरीफपुर फलवरिया, जगनपुर कनौढ़ा एवं मकदूम नगर में बाढ़ आ जाने से सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में पानी भर जाने से खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसानों की फसल डूब जाने एवं उक्त ग्रामों में पानी भर जाने के कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाते हुए ग्राम हुसेनपुर सुजाना, बिहरा, एवं कनौढ़ा के तालाब की भूमि से एन0टी0पी0सी0 का अनधिकृत कब्जा हटवाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर अन्तर्गत कन्या डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशी लाल गौतम--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र तथा नगर पालिका व तहसील शिकारपुर में 50-50 कि0मी0 दूर कोई लड़कियों का डिग्री कालेज नहीं है। मेरा क्षेत्र गरीब किसान तथा मजदूरी पर आधारित है जिससे अपनी बहन-बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनपद अलीगढ़ व मेरठ में अपनी बालिकाओं को अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। शिकारपुर देहात में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ है और ग्राम समाज की काफी जमीन वहां पर खाली पड़ी हुई है। चकबन्दी अधिकारियों को लिखित में आदेश करके कन्या डिग्री कालेज के लिए भूमि आरक्षित कराई जाये।

अत: अति विलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न के माध्यम से बालिकाओं का डिग्री कालेज की स्वीकृति प्रदान करके शिकारपुर में भूमि आरक्षित कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिकित्सा अनुभाग-7 के अनुभाग अधिकारी एवं सहयोगियों द्वारा भारी पैमाने पर किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं लूट खसोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*घूरा राम--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उक्त विषय पर आकृष्ट कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत चिकित्सा अनुभाग-7 में कार्यरत अनुभाग अधिकारी एवं कुछ सहयोगी, जिलों तैनात फार्मेसिस्टों के शिकायत की बात कहकर डरा-धमकाकर भारी धन की लूट की जा रही है उनके द्वारा मा0 विधायकों के फर्जी पैडों पर स्वत: ही शिकायती-पत्र बनाकर प्रदेश के फार्मेसिस्टों को अकारण परेशान किया जा रहा है। चूंकि अनुभाग-7 में फार्मेसिस्टों का मामला व्यवहरित होता है अत: इस सेवा के लोग बराबर शोषित किये जा रहे हैं उनमें जन आक्रोश व्याप्त है।

अत: मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुभाग अधिकारी का स्थानान्तरण अन्य अनुभाग या अन्य विभाग में कर चर्चा की मांग करता हूं।]

डा0 बालचन्द्र यादव सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी सन्त कबीर नगर की सैन्य सेवा की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा रूप में गणना न होने से हो रही क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती--

[मान्यवर, मैं उपरोक्त गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। डा0 बालचन्द्र यादव सेवानिवृत्त आयु0 एवं यूनानी चि0 बेलहरकला/सन्त कबीर नगर से हुये थे। ये पूर्व में सैन्य सेवा कर चुके हैं और उसकी गणना कर पेंशन में लाभ दिये जाने हेतु सारे कागजात सैन्य सेवा के अधिकारियों द्वारा पूर्व में कई बार भेजे गये जो चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ में पत्रावली में उपलब्ध है। शासन द्वारा बार-बार लिखकर वर्ष 2001 से निदेशालय आयुर्वेद यूनानी लखनऊ से वांछित सूचना मांगी गई परन्तु कोई सूचना निदेशालय नहीं भेजता है सारे के सारे पत्रों को गायब कर दिया गया है। यही नहीं उप सचिव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दिनांक 12-9-03 में व इससे पहले तथा दिनांक 15-4-04 में अनुस्मारक-पत्र तथा दिनांक 3-2-05 में पुन: अनुस्मारक-पत्र लिखकर निदेशालय से वांछित सूचना मांगी गई थी परन्तु सारे पत्रों का कहीं पता नहीं है सोचनीय विषय है। शासनादेश संख्या 784/71-2-2005-190/2001 दिनांक 18 मार्च, 2005 व शासन के पत्र संख्या 6153/71-2-2005-190/2001 दिनांक 3-2-05 द्वारा आख्या/वांछित सूचना निदेशालय से मांगी गई परन्तु निदेशालय के पत्र संख्या 1823 दिनांक 6-7-05 द्वारा कहा गया कि सूचना निदेशालय को उपलब्ध नहीं हुआ है। पुन: भेजा जाय, जो शासन से अभी तक नहीं भेजा गया है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन व निदेशालय में पत्राचार मात्र दिखावा के रूप में हो रहा है। और इससे पेंशन भोगी को भारी क्षति हो रही है। मानसिक रूप से उत्पीड़न है। तत्काल पेंशन गणना कर दिया जाना चाहिए। ये लोक महत्व का विषय है और एक चिकित्साधिकारी जो सेवा कर चुका है उससे जुड़ा है लोक महत्व का विषय है, गम्भीर है।

अत: इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल सैन्य सेवा की गणना कराकर व निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक शासन स्तर पर बुलाकर पेंशन पूर्ण दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया में तैनात सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को अन्यत्र हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बीजू पटनायक--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बलिया के शिक्षा क्षेत्र सीयर पर तैनात श्री निरंजन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ दिलाना चाहता हूं। श्री निरंजन करीब वर्षों से अधिक समय से जिला बलिया में तैनात रहते हो गया है। ये घूम फिर कर शिक्षा क्षेत्र सीयर में तैनात हो जाते हैं सीयर इनके निजी आवास जो जनपद मऊ में आता है सीयर से मात्र एक किमी0 की दूरी पर आवास निरंजन का है जहां से प्रभावित होकर ये सारे कार्य करते हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के स्थानान्तरण से प्रमोशन में धन उगाही निरंजन द्वारा की जाती है। विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के तीसरे मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-85 के संबंध में मा0 मंत्री जी द्वारा 65 स्कूलों के कक्ष आदि में अनियमितता की जांच कराने हेतु समिति गठित की है समिति अपनी जांच कर रही है कि उसको प्रभावित करने के लिए जो पहले हटाए गये थे, वह अधिकारी निरंजन पुन: एक सप्ताह पहले सीयर क्षेत्र का चार्ज लेने पहुंच गये हैं जो सरासर गलत है और जांच को निष्पक्ष नहीं होने देंगे यही नहीं कमेटी को निष्पक्ष जांच नहीं करने दे रहे हैं। दबाव बनाकर उसको बदलवाने में प्रयासरत हैं यहीं नहीं कई जांचें इनके विरुद्ध चल रही हैं उसको भी प्रभावित कर रहे हैं, कौन अधिकारी पुन: निरंजन को सम्बद्ध कर दिया, सोचनीय विषय है। निरंजन के कार्यकाल में जिन 65 केन्द्रों फर्जी भुगतान कर 73 लाख का गबन हुआ है उसको प्रभावित न करें और तत्काल जिले से बाहर स्थानान्तरित किया जाय, स्थानीय राजनीति में भाग लेते हैं और दबाव के चलते ही पुन: सीयर शिक्षा क्षेत्र में तैनाती करा लिये हैं। इनको हटाने के आदेश विगत विधान सभा में आया था और आश्वासन हुआ कि हटा दिया गया है परन्तु 6 माह बीते नहीं हुआ पुन: सीयर में तैनात करने का औचित्य प्रतीत नहीं है परन्तु ऐसा करके विभाग के नियमों व संसदीय परम्पराओं की धज्जियां उड़ाया है। तकाल सीयर से हटाकर चल रही जांच को निष्पक्ष कराये, शिक्षक आन्दोलित हैं और हटाने हेतु अड़े हैं।

अत: तत्काल हटाने एवं दण्डित करने के लिए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत श्रीराम निषाद की भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राकेश सचान--

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के श्रीराम निषाद, निवासी ग्राम काटर, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर की 04054 हे0 भूमि पर वर्ष 1999 में जिला योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया गया था, जिसका मुआवजा उसे अभी तक नहीं दिया गया है और इस संबंध में भूमि स्वामी द्वारा अपनी फसल एवं भूमि की मुआवजे की बार-बार मांग की जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता पी0 सी0 श्रीवास्तव के पत्रांक 6206 का 0 क्षे0/121 का0 क्षे0-भवन/05 के संदर्भ में कानपुर के द्वारा जिलाधिकारी को भी सम्बोधित किया जा चुका है। लेकिन आज तक प्रार्थी के जमीन के मुआवजे नहीं दिये जा रहे हैं और न ही कोई कार्यवाही की जा रही है। आपसी समझौते के आधार पर भू-अर्जन हेतु शासनादेश सं0-i718/1-13-2001-20 (124) 201-रा0-13 दिनांक 29-9-01 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति के मूल्य निर्धारण करके विशेष परिस्थिति में रुपया 2.50 लाख का मुआवजा का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाकर प्रार्थी उपरोक्त जमीन के मुआवजे दिलाये जाने की मांग करता हूं तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-1968/नौ-6-2004 दिनांक 13 अगस्त, 2004 के अनुसार मनोनीत सभासदों को दो सौ रुपये यात्रा-भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्राम सिंह यादव--

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-1968/नौ-6-2004दिनांक 13 अगस्त, 2004 के अनुसार प्रदेश के सभी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के सभासदों को प्रतिमाह बैठकों में जाने पर दो सौ रुपया यात्रा भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गई है परन्तु मेरी 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका परिषद बिलग्राम व नगरपालिका परिषद सांडी में सरकार द्वारा मनोनीत सभासदों को दो सौ रुपया प्रतिमाह यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि प्रदेश की सभी नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के सरकार द्वारा मनोनीत सभासदों को यह दो सौ रु0 यात्रा भत्ता न दिया जा रहा है जबकि निर्वाचित सभासदों को दिया जा रहा है ऐसी दशा में मनोनीत सभासदों में असंतोष होना स्वाभाविक है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार द्वारा मनोनीत सभासदों को भी प्रतिमाह दो सौ रुपया यात्रा भत्ता दिये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 के अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रमोद कुमार--

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देकर प्राथमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों के अध्यापन कार्य में लगाया गया था जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाते थे परन्तु यह स्कीम वर्ष 2001 में पुनरीक्षित कर हजारों नवयुवकों को बेरोजगार कर दिया गया। इसके बाद शिक्षामित्रों का चयन किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिये कि शिक्षा मित्र के चयन में अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को उनके पूर्व अनुभव को देखते हुए प्रथम वरीयता देते हुए आयु सीमा में छूट देकर नियुक्त किया जाय। इस संबंध में अब तक लगभग 150 मा0 विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों तथा सांसदों ने लिखित संस्तुति सरकार को भेजी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी नतीजन आज हजारों नवयुवक जहां बेरोजगार हो गये हैं वहीं प्राथमिक शिक्षा की स्थिति भी खराब होती जा रही है।

श्रीमन्, अनौपचारिक शिक्षा के पर्यवेक्षकों का समायोजन हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि प्रदेशों में कर दिया गया, परन्तु उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में बैठे तमाम नेताओं के द्वारा चुनावी सभा में, विधान सभा भवन के समक्ष आयोजित धरना प्रदर्शन में जाकर अनुदेशकों को समायोजन का आश्वासन देने के बावजूद अब तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। इससे हजारों अनुदेशक भुखमरी की स्थिति में है और आक्रोशित हैं तथा विधान भवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को, पूर्व सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए आयु सीमा में छूट प्रदान कर, प्राथमिक विद्यालयों में पैरा टीचर के रूप में या किसी अन्य स्कीम में समायोजन करें।]

बस्ती के रामनगर ब्लाक स्थित भुनगा देवी बालिका उ0 मा0 विद्यालय कलन्दर नगर बस्ती को मान्यता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य--

[बस्ती जनपद के रामनगर ब्लाक में मेरे पैत्रिक गांव कलन्दर नगर में मेरी माता जी के नाम से भुनगा देवी बालिका उ0 मा0 विद्यालय कलन्दर नगर, बस्ती के नाम से विद्यालय चल रहा है। विद्यालय अति पिछड़े क्षेत्र में है। 2 किमी0 के क्षेत्रफल में कोई विद्यालय लड़कियों का नहीं है मान्यता हेतु इस विद्यालय की पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के कार्यालय में काफी दिनों से लम्बित है जिसके फलस्वरूप मान्यता नहीं मिल पा रही है जिससे विद्यालय संचालन में परेशानी हो रही है।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त विद्यालय के मान्यता हेतु कार्यवाही के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुल्तानपुर के सदर तहसील में स्थित पी0आर0 इण्टर कालेज, सेमरी सुल्तानपुर में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार अवैध वसूली एवं अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्रदेव राम यादव--

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर की सदर तहसील में स्थित पी0आर0 इण्टर कालेज, सेमरी, सुल्तानपुर में छात्रों से जनवरी 2003 में 30 रुपया, जनवरी 2004 में 50 रुपया, जनवरी 2005 में 50 रुपया प्रति छात्र एवं जुलाई 2003 में 150 रुपया, जुलाई 2004 में 150 रुपया तथा जुलाई 2005 में भी 150 रुपया प्रति छात्र अनियमित रूप से अवैध वसूली की गयी। कालेज के 25 वर्षीय (12 पेड़) इक्वीलिप्टस जिनकी कीमत लगभग 50,000 रुपये थी, प्रबन्धक द्वारा जून 2003 में बेंच लिया गया। विधायक निधि के 3,75,000 रुपये का दुरुपयोग हुआ है। कालेज के 10 एकड़ कृषि फार्म का उपयोग प्रबन्धक के हित में हो रहा है।

शिक्षा-सत्र 2004-05 में की गयी अवैध वसूली की जांच सहायक लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) सुल्तानपुर द्वारा की गयी। सहायक लेखाधिकारी ने अपने पत्रांक सहायक लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) सुल्तानपुर द्वारा की गयी। सहायक लेखाधिकारी ने अपने पत्रांक ले0संग0/18954/04-05 दिनांक मार्च 22, 2005 द्वारा 2,42,900 रुपये की पुष्टि करते हुए शासनादेश/विभागीय निर्देशानुसार विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति किया है। राजाज्ञा ई0एम01421/15-07-04-01 (266)/2004 दिनांक 26-08-04 के द्वारा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा वसूली गयी धनराशि छात्रों को वापस कराने का आदेश है।

[अत: लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर पी0आर0 इण्टर कालेज, सेमरी सुल्तानपुर में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार, शोषण, अवैध वसूली तथा अनियमितताओं की ओर सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

गाजियाबाद के धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्राम सीकरी कलां को शहीद ग्राम घोषित कर विकास किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*मदन भैया--

[मान्यवर, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्राम सीकरी कलां के लोग आज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस समय अंग्रेजों द्वारा इस ग्राम के 150 लोगों को पेड़ों पर लटका कर फांसी दे दी गई थी, यहां के गुर्जर जाति के लोग बड़े पराक्रमी व देशभक्त थे जो भारत माता का नारा लगाते-लगाते फांसी पर झूल गये, इस ग्राम में देवी का प्रसिद्ध धार्मिक मेला प्रतिवर्ष लगता है परन्तु यह ग्राम अभी तक उपेक्षित है जो कि खेदजनक है।

अत: मैं शासन से मांग करता हूं कि सीकरी खुर्द के देशभक्तों की आजादी हेतु प्राणोंत्सर्ण के इस अनूठे उदाहरण को अक्षुण बनाये रखने हेतु उक्त ग्राम सभा को शहीद ग्राम घोषित करके विकास किया जाए तथा भावी पीढ़ी के प्रेरणास्त्रोत के रूप में एक शहीद स्मारक का निर्माण भी कराया जाए।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत धौरहरा से रोहनियां क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*स्वामी प्रसाद मौर्य--

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र-96, डलमऊ , रायबरेली में स्थित रोहनियां ब्लाक मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य समपर्क मार्ग धौरहरा चौराहा से रोहनियां सम्पर्क मार्ग लम्बाई 01 किमी0 जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गई है। उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से ग्राम पंचायत रोहनियां, धमौली, सतहरा, इटौरा, बुजुर्ग, डलौली आदि ग्राम पंचायतों से विकास खण्ड मुख्यालय पर आने-जाने वाले हजारों नागरिकों को घोर असुविधा का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय जनता में घोर रोष, आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक हित के महत्वपूर्ण विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग को बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ सम्पूर्ण साक्षात्कार कार्यक्रम कई वर्षो से चल रहा है और प्रत्येक वर्ष कई करोड़ रुपये इस मद में सरकार द्वारा दिया गया वित्तीय वर्ष 2002-2003, 2003-04, 2004-05 में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसकी जानकारी एवं उसका लाभ जनता को व जन-प्रतिनिधि के ऊपर में हम लोगों को भी कभी भी न तो किसी कार्यशाला में और न ही कोई ऐसा कार्यक्रम ही जनपद प्रतापगढ़ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कराया गया जिसमें सहभागिता के लिये किया जाता है।

यह बात संज्ञान में आयी है कि सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टी विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे जनपद में निर्धारित कियां गया कोई भी कार्य नहीं कराया गया बल्कि स्वयं सेवी संगठनों से मिलकर पंचायत राज विभाग के अधिकारियों सहित प्रशासन के अन्य जिम्मेदार अधिकारी जिनका इस कार्यक्रम के संबंध में सीधा प्रशासनिक नियंत्रण है में मिलकर कागजों पर कार्य दिखाकर अपने निजी उपयोग में सरकारी धन ले लिया गया है।

अत: जनहित से जुड़े इस गम्भीर विषय की जांच विजीलेन्स, आर्थिक अपराध शाखा तथा वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा जांच कराये जाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने अवैध लिये गये धन की वसूली कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत कतिपय रजबाहों के पुलों का निर्माण एवं नाले की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी महेन्द्र सिंह--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोल जनपद अलीगढ़ में जलाली कस्बा के निकट गांव एदलपुर के सामने राजबाहा का पुल 5 वर्षों से टूट जाने के कारण आस-पास के लोगों को कई किमी0 घूम कर आना जाना पड़ता है। सुमेरा राजबाहा के नीचे से होकर माहुआ ऐरकेप नहर निकली है जिसका क्राश पुल तीन वर्षों से टूटा है जिससे स्कूली छात्रों को विद्यालय तक जाने में तथा मरीजों को अस्पताल तक जाने में कई किमी0 तक घूमकर जाना पड़ता है। भवन खेड़ा से दुम्हैरा सिसरोई होकर विजय गढ़ तक एक नाला बना है कई वर्षों से इस नाले की सफाई न होने के कारण बरसात का हजारों बीघा फसल को जल मग्न कर नष्ट कर देता है इससे क्षेत्रीय किसानों एवं राहगीरों में काफी असंतोष एवं दुख व्याप्त है।

अत: इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से उक्त रजबाहों के पुलों एवं नाले की सफाई तथा मा0 सिंचाई मंत्री जी से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में बाढ़ पीड़ितों के साथ की गयी धांधली एवं कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*बाबू लाल कुशवाहा--

[मान्यवर, जनपद बांदा में दिनांक 3-7-2005 को केन नदी की भीषण बाढ़ से नगर बांदा के कई मुहल्ले एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों ग्राम प्रभावित होकर व्यापक जन एवं धन की हानि हुई है और जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों में भारी अनियमितताएं करते हुए कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने आपसी सांठ-गांठ करके करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है तथा राहत सामग्री खरीदने एवं वितरण में भारी धांधली की गयी है और वास्तविक बाढ़ पीड़ितों को नजर अंदाज करके फर्जी तरीके से राहत अनुदान धनराशि हड़प ली गयी है जिससे जनमानस में भारी आक्रोश व्याप्त है एवं जनता आन्दोलित है। यह अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का विषय है।

अत: जनपद बांदा में बाढ़ पीड़ितों के हितों के साथ की गयी धांधली एवं भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस टीम द्वारा या शासन स्तर की उच्च स्तरीय जांच कमेटी से कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की कृपा करें।]

वाराणसी शहर दक्षिणी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्यामदेव राय चौधरी--

[मान्यवर, वाराणसी में मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लंका से वाया सुनारपुरा होकर गोदौलिया चौराहा तथा दशाश्वमेध घाट तक की सड़कों की दशा अत्यन्त जर्जर हो गयी है। यह सड़क व्यस्ततम् सड़कों में से है। उक्त सड़क का विशेष मरम्मत आवश्यक है एवं उक्त का प्रस्ताव विधायक की संस्तुति पर 25 लाख की योजना के अन्तर्गत शासन स्तर पर लम्बित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में गंगानगर कालोनी की सड़कें कच्ची है एवं वहां पर सीवर लाइनें नहीं बिछी है जिससे जनता को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़क एवं सीवर लाईन का निर्माण पूर्वांचल राज्यांश से कराया जाना लोकहित में होगा।

नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के अविलम्बनीय सूचना पर ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी की कतिपय ग्रामों की कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् मुआवजे से वंचित किसानों को भी मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*अब्दुल मन्नान--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन की संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग जनपद-बाराबंकी द्वारा अल्पिका रतौली निकाली कई और ग्राम अहिरगांव से अमृत का पुरवा तक एक गन्दा नाला निकाला गया था। उक्त अल्पिका रतौली एवं गन्दा नाला निकालने पर ग्राम अहिरगांव अमृत का पुरवा तथा रतौली ग्राम व ग्राम-कुण्डवा आदि ग्रामों के कृषकों की अधिकतर कृषि योग्य जमीनें अधिग्रहीत की गई हैं। उक्त कृषकों में बहुत से कृषकों की जमीनों का मुआवजा विभाग द्वारा भुगतानित किया गया है परन्तु काफी किसान अभी मुआवजा पाने से वंचित है। ग्राम-अहिरगांव पोस्ट-रतौली के कृषक श्री अब्दुल मुनाफ पुत्र स्व0 श्री अब्दुल रउफ़ तथा श्री असगर अली पुत्र स्व0 श्री हशमत अली निवासी उपरोक्त के मुआवजा विषयक प्रार्थना-पत्रों को कई मा0 विधायकों द्वारा अग्रसारित भी किया गया था, परन्तु इन दोनों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। उक्त का भुगतान न होने के कारण क्षेत्रीय कृषकों में रोष व्याप्त है और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अत: मैं आपसे इस निश्चित अविलम्बनीय विषय पर मुआवजा दिलाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

चीनी मिल कप्तानगंज कुशीनगर द्वारा किसानों को वर्ष 2002-03, 2003-04 के गन्ना मूल्य डिफर को भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम सिंह--

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी मिल कप्तानगंज द्वारा गत वर्षों 2002-03, 2003-04 का लगभग रु0 दस करोड़ गन्ना मूल्य डिफर का किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। गन्ना मूल्य डिफर का भुगतान न देने से किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अन्य चीनी मिलों द्वारा गत वर्षों का गन्ना मूल्य डिफर का भुगतान किया जा चुका है।

अत: मैं इस अति अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कप्तानगंज चीनी मिल के किसानों को गत वर्षों के गन्ना मूल्य डिफर का भुगतान किये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दि किसान सहकारी मिल सठियांव, आजमगढ़ में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव--

[मान्यवर, दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ एक मात्र आजमगढ़ जनपद का उद्योग है, जिससे आजमगढ़ का विकास जुड़ा हुआ है। बराबर इस मिल की क्षमता को दुगुना किये जाने, मशीनों का आधुनिकीकरण किये जाने, बकाया यतन का भुगतान किये जाने की विगत कई वर्षों से मांग चली आ रही है। इस क्षेत्र का गन्ना विगत तीन वर्षों से घोसी चीनी मिल को दे दिया जा रहा है, जिससे मिल की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। बहुत विलम्ब से मिल चलाई भी जाती है। इस कारण और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सामयिक कर्मचारियों का रिटर्निंग लगभग 22-23 लाख रुपया नहीं दिया जा रहा है। इस मिल की ओर ध्यान दिया जाना तथा समस्या का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर ध्यान देकर आजमगढ़ जनपद की इस इकाई को बन्द होने से बचाए एवं ऐसी व्यवस्था करे कि मिल नवम्बर के प्रथम सप्ताह से चलाई जा सके।]

उन्नाव के हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर खंजड़ी में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प को निर्धारित स्थान पर लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*मस्तराम--

[मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हसनगंज, उन्नाव के अन्तर्गत अपने कोटे से दिये गये इण्डिया मार्का-टू हैण्ड पम्प को बताये गये स्थान पर न लगाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त हैण्ड पम्प को श्रीमती रूकमिनि, ग्राम रामपुर खंजड़ी, विकास खण्ड ओरास के दरवाजे पर लगाये जाने हेतु लिखा था परन्तु विभागीय लोगों की लापरवाही व घूसखोरी के कारण मेरे कोटे से आवंटित पम्प को कहीं दूसरी जगह लगा दिया गया जिससे गांव में विवाद होने लगा है, वहां के निवासियों में असंतोष फैल गया है। हेण्ड पम्प को सही स्थान पर लगाये जाने हेतु जल निगम, उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 13-5-05 को एक पत्र भी लिखा था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्षेत्रीय जनता की मांग को देखते हुये हैण्ड पम्प को गलत स्थान से हटवाकर निर्धारित स्थान पर लगवाया जाना अति आवश्यक है।

अत: मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम रामपुर खंजड़ी, विकास खण्ड ओरास, उन्नाव में इण्डिया मार्का-टू हैण्ड पम्प को सही स्थान पर लगाये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुशीनगर की तहसील तमकुही राज में फसलों को पाइरिला कीटाणु से बचाने के लिए गन्ने एवं धान की फसल में हवाई मार्ग से छिड़काव करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पी0 के0 राय--

[मान्यवर, तहसील तमकुही राज जिला कुशीनगर के अन्तर्गत गन्ना एवं धान की फसल को भारी नुकसान पाईरिला कीटाणु के वजह से हो रहा है। पाईरिला का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कृषि विशेषज्ञों द्वारा बताये गये दवाओं के छिड़काव करने से भी कुछ लाभ हो रहा है लेकिन बगल के खेत वाले को गन्ने के बढ़ जाने से छिड़काव नहीं हो पा रहा है। जमीनी स्तर पर पूरे फसल पर छिड़काव करना संभव नहीं है।

ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि तहसील तमकुही राज में गन्ने एवं धान के फसल में हवाई मार्ग से छिड़काव करने के तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस लोकमहत्वपूर्ण प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*नवाब सिंह नागर--

[मान्यवर, जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा बनाने दादरी के बीच दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने का निर्माण कई वर्ष पूर्व लिया जा चुका है जिसके लिए केन्द्र सरकार के कामर्स विभाग से 2 करोड़ रुपये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दिये जा चुके हैं और इसके विरुद्ध प्राधिकरण ने ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु जमीन भी अधिग्रहीत कर ली है, किन्तु निर्माण कार्य आज तक शुरु नहीं हुआ है, जिससे ग्रेटर नोएडा, नोएडा की ओर से जी0 टी0 रोड दादरी को आने वाले भारी ट्रैफिक को कई-कई घण्टे खड़ा रहकर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब दादरी स्टेशन के पास रेलवे कन्टेनर बन जाने से यातायात में और भारी वृद्धि हो गई है, ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों एवं रेलवे विभाग की अनेक बैठकों के बावजूद अभी कोई प्रगति सामने नहीं आ रही है, इस ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अत: मैं इस अति लोकमहत्व के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगर निगम लखनऊ द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 के पास से पंचम खेड़ा तक डामरीकरण सड़क के निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कौशल किशोर--

[मान्यवर, आपका ध्यान लखनऊ जनपद के लखनऊ रायबरेली रोड निकट एस0जी0पी0जी0आई0 के पास से पंचम खेड़ा तक लखनऊ नगर निगम द्वारा मंजूर सड़क की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, उक्त सड़क बनाने का पूर्ण स्टीमेट बनकर सन् 2001 में तैयार हो गया था। सड़क पर केवल मिट्टी डाली गयी थी, बाकी का कोई भी निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। उस रास्ते में बड़े-बड़े गढ्ढे हैं पैदल चलना दूभर हो गया है। उक्त मंजूर धन कहां गया है अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक पता नहीं है जबकि उक्त रास्ते का आवागमन बहुत ज्यादा है, उस रास्ते से लगभग एक लाख से अधिक आबादी जुड़ी है। यह मामला अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है।

अत: आपसे आग्रह है कि इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के प्रश्न को नियम 301 के तहत स्वीकार करके मा0 मुख्य मंत्री जी को सदन में वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर, मुफ्तीगंज में सिंचाई हेतु कम गहराई वाले ट्यूबवेल लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*जगदीश नारायण राय--

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के वि0 खं0 धर्मापुर, मुफ्तीगंज का अधिकांश भाग खारा पानी से आच्छादित है। जिसके कारण गहरे ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं। सिंचाई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसलिये इन विकास खण्डों में कम गहराई वाले ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता है।

अत: इस लोकमहत्व के प्रश्न पर माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुये कम गहरे ट्यूबवेलों को लगवाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 भूगर्भ जल विभाग के खण्ड डी0पी0ए0पी0 इलाहाबाद एवं खण्ड-2 फैजाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच समाप्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*रणवीर राणा--

[मान्यवर, उ0 प्र0 भूगर्भ जल विभाग जो कि लघु सिंचाई मन्त्रालय के अधीन है। भूगर्भ जल विभाग में वर्तमान निदेशक श्री एम0एम0 अन्सारी एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता से हयात हुसैन की समस्त जांचें बनी सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आधार मानकर जांचें समाप्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। इसी विभाग में कार्यरत अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण को लगभग 20 वर्ष पुरानी जांचें की जा रही हैं तथा अधिकारी एवं कर्मचारीगणों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है।

आपसे अनुरोध है कि जनहित में उक्त उच्चतम न्यायालय के निर्णय नियमावली के आधार पर विभाग के दो अधिकारियों को लाभ देते हुए जांचें समाप्त कर दोषमुक्त कर दिया गया था किन्तु उसी विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उसी तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, भू गर्भ जल विभाग श्री एम0एम0 अन्सारी एवं श्री हयात हुसैन को दिया गया लाभ नियमानुसार इसी विभाग के अन्य लोगों की जांच में भी दिया जाना जनहित में उचित होगा।]

अत: भूगर्भ जल विभाग में जनहित में एकरूपता रखते हुए इसी विभाग के खण्ड डी0पी0ए0पी0 इलाहाबाद एवं खण्ड-2 फैजाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ भी उक्ताधार पर जांच समाप्त करने की कृपा करें। जिससे अधिकारी, कर्मचारी अनावश्यक रूप से तनाव मुक्त होकर पूरी क्षमता एवं निष्ठा से राजकीय कार्य जनहित में स्वस्थ मस्तिष्क से कर सकें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जालौन की तहसील कालपी की मगरौल न्याय पंचायत के बहुना पट्टी के ग्रामों में पट्टा धारकों की भूमि भू-माफियाओं को स्थानान्तरित किये जाने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तंगत सूचना

*डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

[मान्यवर, जनपद जालौन तहसील कालपी में मगरौल न्याय पंचायत में निर्धन निषाद या अनुसूचित वर्ग के ग्रामीण रहते हैं। इन्हें समय समय पर पट्टे पर भूमि दी गयी है। राजस्व विभाग के लेखपाल भू-माफियाओं से सांठ-गांठ कर इन गरीबों की भूमि विवादित कर या तो अपने रिश्तेदारों के नाम या भू-माफियाओं के नाम जबरन बेनामे करा रहे हैं। यह सुनियोजित व संगठित तरीके से किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ग्राम कीरतपुर निवासी जगदीश पुत्र प्रभू ने जिलाधिकारी जालौन व उप जिलाधिकारी कालपी से इसकी शिकायत भी की है कि उसकी असंक्रमणीय भूमि पट्टे के दस साल के भीतर लेखपाल ने अपने रिश्तेदार के नाम फर्जी बेनामा करा लिया। इस प्रकार की गतिविधियों से गरीबों का शोषण हो रहा है।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के टाउन एरिया लालगंज के व्यापारियों के कामर्शियल विद्युत कनेक्शन हटवाकर घरेलू कनेक्शन करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*सुखदेव राजभर--

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में तहसील लालगंज के टाउन एरिया लालगंज जो अत्यन्त ही पिछड़ा है। यहां के व्यापारियों का कारोबार ज्यादातर दुकानदारी है। इसी से गुजर-बसर करते हैं। इस कस्बे में न तो कोई उद्योग है न तो कोई ऐसा कारोबार है जिससे व्यापारी लाभान्वित हो। यहां के दुकानदारों एवं व्यापारियों का विद्युत कनेक्शन कामर्शियल कर दिया गया है। जब कि दुकानदार विद्युत का प्रयोग केवल, लाइट, फैन आदि में करते हैं जबकि कोई उद्योग भी नहीं है। जबरन इन दुकानदारों का कामर्शियल कनेक्शन करके भारी बिल की वसूली की जा रही है। व्यापारी एवं दुकानदार काफी तंग है। शोषण हो रहा है। व्यापारी एवं दुकानदार कई बार आन्दोलन कर चुके हैं। आज भी आन्दोलित हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कामार्शियल कनेक्शन हटवाकर घरेलू कनेक्शन की मांग करता हूं।]

गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*सदल प्रसाद--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बासगांव जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। जो सड़कें निम्न प्रकार हैं :-- बढ़यापार-रघुनाथपुर माल्हानपार मार्ग, बासगांव-सरसोंपार मार्ग, हटवार-भुसवल मार्ग,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कौड़ीराम बासगांव माल्हापार-उरूवा मार्ग, खजनी-माल्हनपार-गोपालपुर मार्ग, ढेवरा हाटा मार्ग, सिक्रीगंज-पटखौली बन्जरिया मार्ग, रेक्वलीबनकटा मार्ग, महदेवा दूधरा सोपरा मार्ग, टेकवार कठैया हर्दीचक मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आम जनता में काफी आक्रोश एवं दु:ख व्याप्त है।

अत: इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से उक्त मार्गों को तत्काल मरम्मत कराये जाने एवं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के दो अधिकारियों द्वारा कथित धोखाधड़ी की जांच कराकर शासकीय धन की वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*मिथलेश कुमार--

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :--

समाज कल्याण उ0 प्र0 के अन्तर्गत निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ अनियमितताओं का भण्डार है जिससे शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुये लाखों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है।

1--संस्थान में डा0 कौशल किशोर श्रीवास्तव व नरेन्द्र नलनी नाथ वर्मा, शोध अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 8000-275-13500 में कार्यरत हैं, जिन्हें उ0 प्र0 शासन समाज कयाण अनु-1 के कार्यलय ज्ञाप सं0 123/26-1-2001-1(97)/96, दिनांक 7 अप्रैल, 2001 द्वारा प्रोन्नति का अगला पद न होने की स्थिति में वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान रु0 10000-325-15200 शासनादेश संख्या :.वे0आ0 2-560/दस-45(एम)/99 दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 तथा संख्या : 4409/26-1-94-9 (96)/89 दिनांक 30 नवम्बर, 1999 के आधार पर दिया गया है। उ0 प्र0 शासन समाज कल्याण अनु0-1 के कार्यलय ज्ञाप संख्या :5200/26-1-99-1(97)/96 दिनांक 15-10-1999 द्वारा शासनादेश सं0-4409/26-1-94-9(96)/89, दिनांक 30 नवम्बर, 1994 को स्थगित कर दिया गया है और सेवा नियमावली प्राख्यापित होने के फलस्वरूप वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान में यह लागू नहीं होगा।

2--संस्थान की राजपत्रित सेवा नियमावली संख्या :477/26-1-2000-2 जी (151)-90 दिनांक 01 जून, 2000 में शोध अधिकारी का अगला प्रोन्नति का पद नहीं है। ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या : वे0आ0-2-560/दस-45 (एम)-99, दिनांक : 2 दिसम्बर, 2000 के पैरा-2 के अनुसार ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है उनको वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से 8550-275-14600 दिया जाना चाहिये था परन्तु उसके स्थान पर रु0 10000-325-15200 गलत दिया गया है। उक्त दोनों अधिकारियों को धोखाधड़ी के मामले में निलम्बित किया जाय।

उक्त मामले की जांच कर नियमानुसार शासकीय धन की वसूली मय ब्याज करने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: लोकहित के उक्त मामले में शासन द्वारा दिया गया वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान रु0 10000-325-15200 को वापस लेकर शोध अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 8000-275-13500 का अगला वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान रु0 8550-275-14600 देने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत गौसगंज मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग के किमी0-2 कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराने एवं शेष बचे खड़न्जा स्तर के पांचों किमी0 का डामरीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा--

[मान्यवर, हरदोई के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र 75 मल्लावां में गौसगंज मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग से पूरनमऊ से होते हुए गंगा नदी तट तक लगभग 12 किमी0 लम्बाई का मार्ग है, इस मार्ग का लगभग 7 किमी0 भाग (डामरीकरण) लेपन स्तर तक पूर्ण हो चुका है। परन्तु प्रथम व दूसरा किमी0 तथा अन्त के लगभग 3 किमी0 का स्तर अभी खड़ंजा स्तर तक ही पूर्ण है, तथा इस मार्ग के दूसरे किमी0 से होकर कल्याणी नदी गुजरती है। इस कारण से आवागमन नहीं हो पाता है।

जबकि हमारे क्षेत्र के लगभग सभी लोग गंगा स्नान व अपने परिजनों के अन्तिम संस्कार के लिए गंगा तट पर जाते हैं। नदी में पुल न होने के कारण गंगा तट की 12 किमी0 की दूरी लगभग 22 किमी0 में बदल जाती है, जिससे हमारे क्षेत्र के निवासियों को बहुत ही कठिनाई होती है, जो कि बहुत ही कष्ट दायक है, तथा जिससे नागरिकों में बहुत ही निराशा व असंतोष व्याप्त है।

अत: जनकल्याण के इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस मार्ग के किमी0-02 में कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण तथा शेष बचे खड़ंजा स्तर तक के पांचों किमी0 का डामरीकरण अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक गढ़ सिम्भावली व हापुड़ में निर्माण की गयी सी0सी0 के बनाने में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***मदन चौहान--**

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में जिला पंचायत के माध्यम से निर्माण की गई सी0सी0 रोड व पेन्टिंग रोड की गुणवत्ता (क्वालिटी) ठीक नहीं है तथा मानकों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है। गढ़ मुक्तेश्वर विधान सभा के अन्तर्गत ब्लाक गढ़ सिम्भावली व हापुड़ में विशेष तौर पर बनायी गयी सड़कें में धन की भारी अनियमितता बरती गयी है जिससे जनता व सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया है। अत: यह प्रश्न अत्यन्त लोकमहत्व व अविलम्बनीय है। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि 2004 से अब तक उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के 700 प्राइवेट चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

***सुरेन्द्र कुमार मुन्नी--**

[मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गाजियाबाद में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के लगभग 700 प्राईवेट सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सरकार द्वारा कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं वहां पर 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे हैं। सरकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो, टीकाकरण आदि में अपनी पूर्ण रूप से सहभागिता के साथ कार्य करते हैं लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डाक्टर कह कर इनका अपमान करते हैं। यह चिकित्सक लगभग 15-20 वर्ष से चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं जबकि शासन द्वारा दाई, ए0एन0एम0, सी0एस0जी0 को सरकार वेतन देती है।

मेरा आपसे आग्रह है कि प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन गाजियाबाद के चिकित्सकों को झोला छाप डाक्टर न मानकर चिकित्सा मित्र की मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

सरकार का वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।]

जनपद खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***राजेश कुमार--**

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरी विधान सभा 53, पैला की तहसील गोला में बांकेगंज गोला पी0डब्लू0डी0 मार्ग से ग्राम हरिहर पुर तक गोला बांकेगंज से वरम बाबा चौराहे से रायपुर होते हुए ग्राम मोतीपुर तक गोला बांकेगंज पी0डब्ल0डी0 रोड से सरकार पुर मदनवनपुरवा से होते हुए महानाला पी0डब्लू0डी0 रोड तक, ग्राम बांकेगंज में मैकूपुर होते हुए पसियापुर, सुजानपुर पीलीभीत बस्ती मार्ग तक तथा ब्लाक बेहजम में खजुहा चौराहे से बहादुरापुर होते हुए ग्राम कोटवा तक, रजागंज पी0डब्लू0डी0 रोड से अमदा पुर होते हुए कुरैया तक ग्राम पैला से कैबा तक पी0डब्लू0डी0 रोड न होने के कारण यहां की किसानों को अपनी फसल मण्डी तक पहुंचाने में तथा आवागमन में काफी असुविधा होती है। निर्माण कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व जनाक्रोश व्याप्त है।

मा0 मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने की कृपा करें ताकि लम्बित परियोजनायें पूरी हो सकें।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***नरेन्द्र शिशौदिया--**

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लखनऊ विकास प्राधिकरण में हो रही अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वश्री मनोज कुमार केसरवानी तथा प्रमोद कुमार गुप्त ने क्रमशः चालान संख्या 1470 एवं 14071 द्वारा यू0 के0 बैंक, गोमतीनगर, लखनऊ में वांछित राशि का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ड्राफ्ट जमा कर एवं औपचारिकतायें पूरी करते हुये रामनगर, न्यू तिलक नगर ऐशबाग योजना में भूखण्ड हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में बिना अखबारों के विज्ञप्ति निकाले दिनांक 29-04-04 को चुपचाप लाट्री की कार्यवाही की। इस कार्यवाही में गम्भीर अनियमिततायें बरती गयी। इन अनियमितताओं के बारे में दिनांक 27-06-04 को दैनिक हिन्दुस्तान में समाचार भी प्रकाशित हुआ। इस बारे में समय पर समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें भी की गयी। विकास प्राधिकरण द्वारा इन शिकायतों पर कार्यवाही न करने तथा संबंधित आवेदकों को भूखंड आवंटित न करने से उनमें रोष एवं असन्तोष व्याप्त है और स्थिति विस्फोटक हो रही है।

अत: इस सूचना के माध्यम से मैं आवेदकों को भूखंड आवंटित किये जाने तथा कार्यवाही की मांग करता हूं।]

निदेशक होम्योपैथी, उ0 प्र0 द्वारा किये गये कथित धन गबन की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कल्यान सिंह दोहरे--

[मान्यवर, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के उ0 प्र0 निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी/निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 को लाखों रुपये चुनाव खर्च के रूप में आवंटित किया गया था। भारत सरकार द्वारा बार-बार चुनाव हेतु आवंटित धन के खर्च का लेखा-जोखा मांगा जा रहा है किन्तु निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0/निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा-जोखा नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में निर्वाचन अधिकारी/निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 द्वारा चुनाव खर्च के रूप में प्राप्त धन को स्वयं हजम कर लिया गया है। निदेशालय स्तर पर कोई लेखा-जोखा नहीं है। होम्योपैथी जगत में जन-धन के गबन से भारी क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए जन-धन के गबनकारी, निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0, निर्वाचन अधिकारी सी0सी0एच0 के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही किये जाने प्रकरण पर चर्चा एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम कुशीयारी तक कच्चे रोड को पक्के लेपन स्तर तक पेंटेड रोड बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*रामहेत भारती--

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-हरगांव के कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम कुशीयारी तक कच्चा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालात में सड़क कच्ची होने के कारण बीच में गड्ढे खाई नुमा बन गये हैं। गत्रा बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आये दिन टैक्टर ट्राली पलटते रहते हैं। इसके अलावा यह रास्ता कई गांव होता जाता है। जिस कारण आम जनता के आवागमन में काफी परेशानी होती है। गत्रे से भरी टैक्टर ट्रालियां तथा डनलप आदि पलट जाते हैं जिस कारण दुर्घटनायें होती रहती है और जान माल की क्षति होती है।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद सीतापुर के वि0खं0 हरिगांव में ग्राम कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम कुशीयारी तक पक्कालेपन स्तर तक पेंटेड रोड बनाये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, बहराइच एवं बुलन्दशहर में बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद समायोजित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*जगदम्बिका पाल--

[मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा जारी नियुक्ति संबंधी शासनादेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जनपद गोरखपुर बस्ती महाराजगंज बहराइच एवं बुलन्दशहर में बी0एड0/एल0टी0 याचीगण की नियुक्ति माह अप्रैल मई 2003 में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर की गयी थी। लगभग 3-4 माह शिक्षण कार्य के उपरान्त बिना वेतन दिये व बिना किसी पूर्व सूचना के शासन द्वारा इनकी नियुक्ति को निरस्त कर इन्हें शिक्षण कार्य करने से रोक दिया गया। शासन के मा0 महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में आश्वासन दिया था कि मुख्य मंत्री जी ने इन लोगों को सेवा में लिए जाने हेतु निर्देश दिया है इस आधार पर 17 सितम्बर, 2004 को मा0 उच्च न्यायालय ने बर्खास्त प्राथमिक अध्यापकों के पक्ष में फैसला दिया इसके बावजूद अभी तक लगभग 1045 बर्खास्त अध्यापकों सेवा में अवसर नहीं दिया गया जबकि उच्च न्यायालय में मा0 महाधिवक्ता ने कहा था कि सन् 2004 के विशिष्ट बी0टी0सी0 में इन लोगों को भेज करके प्रशिक्षणोपरान्त सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा। अभी तक समायोजन न होने से रोष व क्षोभ है।

अस्तु इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फैजाबाद पालीटेक्निक (राजकीय) में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा इन्फारमेशन टेक्नालाजी का शिक्षण न होने एवं प्रयोगशाला न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*लल्लू सिंह--

[मान्यवर, राजकीय पालीटेक्निक में पिछले तीन वर्षों से अध्ययन हेतु छात्रों का प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा लिया जा रहा है। पांच करोड़ रुपये की लागत से भवन बन कर तैयार है परन्तु शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण वर्ष 2003-04 से शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। प्रवेश लिये हुये छात्रों को शिक्षण हेतु फैजाबाद पालीटेक्निक (राजकीय) में भेजा जा रहा है। परन्तु वहां पर भी शिक्षा की नियुक्ति अपने छात्रों के अध्ययन के अनुसार ही होने के कारण वहां के प्राचार्य ने शिक्षण कार्य कराने से मना कर दिया है जिससे छात्रों का भविष्य अन्धकारमय है, हो गया है। फैजाबाद में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा इन्फारमेशन टेक्नालाजी का पाठ्यक्रम न होने तथा उसकी प्रयोगशाला न होने के कारण भी अम्बेडकर तथा उससे संबंधित छात्रों की शिक्षा नहीं हो पा रही है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में भूखण्ड आवंटन में अपंजीकृत लोगों को स्वार्थवश भूखण्ड आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*आलोक कुमार शाक्य--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आवास विभाग के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण की दूषित कार्य प्रणाली की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। पात्र एवं पंजीकृत लोगों के आवंटित भूखण्ड/भवन अपने स्वार्थ के कारण एल0डी0ए0 में पदस्थ कुछ लोगों की दूषित कार्यप्रणाली के चलते निरस्त कर अपात्र एवं अपंजीकृत लोगों को आवंटित कर रजिस्ट्री भी करा दी गयी है। जब यह प्रकरण सचिव के संज्ञान में आया तो सचिव ने संबंधित के निलम्बन न कर बल्कि नियम विरुद्ध प्रोन्नतियां जरूर प्रदान कर दी हैं। लखनऊ के शारदानगर योजनान्तर्गत रजनी खण्ड में स्थित भूखण्ड-8/636, 6/4, 4/252, 4/488, 4/487 को बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर अपंजीकृत लोगों को स्वार्थवश आवंटन कर रजिस्ट्री भी करा दी गयी। इस प्रक्रिया में उपाध्यक्ष एल0डी0ए0 ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न करके उन्हें संरक्षण प्रदान किया है। अब पूर्व आवंटी लोग दूषित कार्य प्रणाली के चलते एल0डी0ए0 के चक्कर लगा रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय उन्हें भ्रमित कर रहे हैं।

कृपया इस दूषित कार्य प्रणाली एवं सरकार की छवि खराब करने वाले उपाध्यक्ष एल0डी0ए0 सहित सभी दोषियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कराकर कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 08-08-2005 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल और श्री प्रमोद कुमार की पंचायती राज अधिनियम की धारा-10 (ङ) में उल्लिखित प्राविधानों से मौलिक अधिकारों का हनन होने के संबंध में है, यह नियम 300 में नहीं आती है।

दूसरी सूचना श्री धर्म सिंह सैनी की दिनांक 19-11-2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कार्यवाही न होने के संबंध में है। सूचना पर ध्यान आकृष्ट किया गया था। शासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है दिनांक 23 मार्च, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त न होने के संबंध में है। इस सूचना पर ध्यान आकृष्ट किया गया था। शासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पुन: उन्हें रिमाइण्डर दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चौथी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की वर्तमान सत्र में अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों में गिरावट होने के संबंध में है। अल्प सूचना पर सत्र बुलाये जाने के कारण प्राप्त/स्वीकृत प्रश्नों की संख्या में कमी हुई है।

पांचवी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है 14वीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 में दी गयी नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने के संबंध में। दिनांक 25 जुलाई , 2005 को भी यह बिन्दु उठाया गया था। अध्यक्ष जी द्वारा नियमों कापालन करने के निर्देश के बाद शासन द्वारा 01 अगस्त, 2005 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

छठवीं सूचना श्री सतीश महाना जी की बी0टी0सी0 2005 की परीक्षा का परिणाम घोषित न किये जाने के संबंध में है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

सातवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) श्री सदल प्रसाद और श्री चौधरी महेन्द्र सिंह की प्रदेश के समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण न होने के संबंध में है।

और आठवीं सूचना श्री कौशल किशोर की श्री बबलू सिंह उर्फ राम सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद, निवासी ग्राम बरावन कला, जनपद लखनऊ का रुपया एवं स्कूटर छीनकर घायल कर दिये जाने के संबंध में है।

एक भी सूचना नियम 300 में नहीं आती है, इसलिए अस्वीकृत की गई ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-27 कार्य स्थगन का प्रस्ताव ले लें। मद संख्या-26 लास्ट में लिया जाएगा।

आज दिनांक 08-08-2005 को नियम 311 की 08 सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई । चयनित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :--

पहली सूचना श्री शिव तपस्या पासवान, डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल, श्री सलिल विश्नोई, श्री राम इकबाल सिंह, श्री रामहेत भारती, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री सतीश महाना और श्री श्याम देव राय चौधरी (सभी नियम 311 में प्राप्त) की प्रदेश में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सुखदेव राजभर, श्री भगेलू राम, श्री इलम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना और श्री राम इकबाल सिंह (सभी नियम 311 में प्राप्त) की वर्ष 2001 के प्रशिक्षु बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री प्रदीप जैन आदित्य और श्री प्रदीप माथुर की रामपुर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कलश को अन्यत्र हटाये जाने की खबर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है इसलिए खत्म हुआ।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अत: अस्वीकृत हुई :--

1--श्री चन्द्रदेव राम यादव, 2--श्री कौशल किशोर, 3--श्री आर0 एस0 कुशवाहा, 4--कुंवर भारतेन्द्र सिंह (नियम 311 में प्राप्त), 5--श्री कौशल किशोर (नियम 311 में प्राप्त), 6--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (नियम 311 में प्राप्त), 7--श्री मुंशी लाल गौतम (नियम 311 में प्राप्त) और 8--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) (नियम 311 में प्राप्त)।

शेष जो सूचनाएं नियम 56 में प्राप्त हुई थीं, उनको नियम 51 में परिवर्तित करके शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है और वह शासन को चला जाएगा।

श्री लालजी वर्मा जो आपकी सूचना को नियम 51 में परिवर्तित कर दिया गया है। अब मद संख्या 28 को लेंगे उसके बाद मद संख्या 26 लेंगे।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा सदस्यों को नामनिर्देशित करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप मद संख्या 24 पर प्रस्ताव रखें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से "यह सदन प्रस्ताव करता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर व वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 8 अगस्त, 2005 को स्वीकार किये गये हैं, के संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालयों में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर व वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन, कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 8 अगस्त, 2005 को स्वीकार किये गये हैं, के संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालयों में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती आन्दोलन' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किये जाने के संबंध में श्री श्याम लाल रावत द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री श्याम लाल रावत--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती आन्दोलन' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाये।"

श्री अध्यक्ष--

इस पर चर्चा कराई जाये कि स्थगित रखा जाये।

श्री श्याम लाल रावत--

मान्यवर, इसको स्थगित रखा जाये।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको स्थगित रखते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाये।"

मान्यवर, इसको अभी स्थगित रखा जाये।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको स्थगित रखते हैं, अगली बार ले लिया जायेगा।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष किये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद जी आप प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार--

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसे कर दिया जाय, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

इसे हम आगे के लिये स्थगित करते हैं।

प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट किये जाने की पुष्टि होने पर हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूली कर उन्हें दिलाये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने के संबंध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

श्री कौशल किशोर जी हैं ? आप भी अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें।

श्री कौशल किशोर--

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इसे भी हम आगे के लिये स्थगित करते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 08 अगस्त, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 81 सूचनायें प्राप्त हुईं--

ऐसा है, सूचनायें काफी सारी हैं, इन्हें पढ़ने में समय लगेगा, इसलिये इन्हें पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से नियम 51 की सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

निम्नलिखित सदस्यों को उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है--

1--श्री लालजी वर्मा	जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के प्रमुख क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।
2--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह	जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में गढ़वारा व फुटहन नहर में सिंचाई का पानी कम छोड़े जाने के संबंध में।
3--श्री नवाब सिंह नागर	गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय का रुका विकास कार्य शुरू कराये जाने के संबंध में।
4--कुंवर भारतेन्द्र सिंह	जनपद बिजनौर की अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
5--श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)	जनपद सुल्तानपुर में इण्डिया मार्क हैण्डपम्प की री-बोरिंग में धांधली किये जाने के संबंध में।
6--डा0 अरुण मेहरोत्रा	जनपद हमीरपुर के श्री रणधीर सिंह को गोली मारने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।
7--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा	जनपद बाराबंकी के प्यारेपुर माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने के संबंध में।
8--श्री सुरेश कुमार खन्ना	कृषि विपणन विभाग द्वारा गुड़ खांडसारी में समाधान योजना के अन्तर्गत किसानों व उद्यमियों को धन वापस न किये जाने के संबंध में।
9--श्री धर्मपाल सिंह	जनपद बरेली के नेतराम लोधी व उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।
10--श्री प्रदीप माथुर	मथुरा शहर में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
11--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, 2001 की सीधी भर्ती का परीक्षाफल घोषित न किये जाने के संबंध में।
12--श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर स्थित खागा किशुनपुर मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में।
13--श्री शिव तपस्या पासवान	जनपद चन्दौली के चकिया स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु सीटों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में।
14--डा0 विनोद तिवारी	जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में इन्दिरा आवासों के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच के संबंध में।

15--श्री कल्याण सिंह दोहरे — प्रधानमंत्री योजना में होम्योपैथी विभाग को वित्तीय वर्ष 2004-2005 में हुये प्राप्त धन के गबन के संबंध में।

16--श्री राजेश कुमार — जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला के ग्राम बांकेगंज की सड़कों की मरम्मत के संबंध में।

17--श्री छोटे लाल वर्मा — जनपद आगरा के फतेहाबाद स्थित जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

18--श्री रणवीर राणा — लखनऊ पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

19--श्री सदल प्रसाद — जनपद गोरखपुर स्थित सरेया शुगर मिल के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान न किये जाने के संबंध में।

20--श्री मदन चौहान — जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा नहर की जर्जर पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

21--श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह — जनपद जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों की रहस्यमय बीमारी से हो रही मृत्यु की रोकथाम के संबंध में।

22--श्री रामहेत भारती — जनपद सीतापुर के चयनित अम्बेडकर ग्रामों की योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में।

23--श्री शमीमुल हक — जनपद मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय प्रांगण में कनिष्ठ लिपिक द्वारा जबरन अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में।

24--डा0 पी0 के0 राय — जनपद कुशीनगर के गन्ना एवं धान की फसलों में लगे रोग पायरिया की रोकथाम हेतु व्यापक उपाय किये जाने के संबंध में।

25--श्री सुखदेव राजभर — जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के संबंध में।

26--श्री जगदम्बिका पाल — बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमति प्राप्त मो0अम्मिल-ए-उर्दू की डिग्री को बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता दिये जाने से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

27--श्री सुरेश कुमार खन्ना — शाहजहांपुर नगर में 5 बड़े नालों की पर्याप्त सफाई न होने के संबंध में।

28--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपयी — मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के साथ पुराने समझौते को लागू न किये जाने के संबंध में।

29--श्री रामनरेश यादव	प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त व्यावसायिक शिक्षकों को मानदेय का पैसा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
30--डा0 राधामोहन दास अग्रवाल	गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-आवंटियों के साथ की जा रही अनियमितता के संबंध में।
31--(1) डा0 सुशील चौधरी (2) श्री रवीन्द्र पुण्डीर	लखनऊ स्थित डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।
32--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञापित पदों को भरने हेतु चयन बोर्ड में आरक्षित वर्ग के सदस्य को अनिवार्य रूप से नामित किये जाने के संबंध में।
33--श्री आलम बदी	लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में चरित्र प्रमाण-पत्र का कार्य लोकल पुलिस से न कराकर एल0 आई0 यू0 से कराये जाने के संबंध में।
34--श्रीमती विद्या चौधरी	जनपद आजमगढ़ के बीकापुर विकास खण्ड में बेसों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में।
35--डा0 इन्द्रदेव सिंह	प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) का साक्षात्कार आयोजित कर चयन पूर्ण कराये जाने के संबंध में।
36--श्री जगदीश नारायण राय	लखनऊ विश्वविद्यालय में बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा की भांति एम0 एड0 में भी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत छूट दिये जाने के संबंध में।
37--श्री अब्दुल मन्नान	शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत फर्रुखाबाद के महिला अस्पताल में नियुक्त बाल रोग विशेषज्ञ का स्थानान्तरण न किये जाने के संबंध में।
38--श्री कौशल किशोर	नियमित 2001 के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षार्थियों का परिणाम घोषित किये जाने के संबंध में।
39--श्री मुन्शी लाल गौतम	जनपद बुलन्दशहर में पराग दूध डेयरी द्वारा वातावरण प्रदूषित किये जाने के संबंध में।
40--श्री राधेश्याम सिंह	जनपद कुशीनगर के रामकोला स्थित नाले के पानी से हुये नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।
41--श्री विश्राम सिंह यादव	जनपद हरदोई के ग्राम ठकपुरा के पास स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में।
42--श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया स्थित सिकन्दरपुर में बिजली की आपूर्ति ठीक से न होने के संबंध में।

43--डा0 धर्म सिंह सैनी — जनपद सहारनपुर के बेहट कस्बा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर और दवा न होने के संबंध में।

44--श्री अकीलुर्रहमान — जनपद मुरादाबाद के ग्राम भूरैटा के श्री सुनील की मृत्यु बिजली गिर जाने से होने एवं उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता न दिये जाने के संबंध में।

45--चौ0 महेन्द्र सिंह — जनपद अलीगढ़ के ग्राम मुकुन्दपुर में प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के सैकड़ों घरों को गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

46--श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी — जनपद गाजियाबाद के कई ग्रामों में नगर निगम से विद्युत् सप्लाई न किये जाने के संबंध में।

47--श्री बाबूलाल कुशवाहा — जनपद बांदा में बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

48--श्री मदन भैय्या — लखनऊ स्थित कैनाल कालोनी उदयगंज रोड साइड की जर्जर दीवार का निर्माण कराये जाने एवं सिंचाई विभाग के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किये जाने के संबंध में।

49--श्री पूर्णमासी देहाती — पूर्वांचल के कई जिलों में गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के संबंध में।

50--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय — स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को समता समिति की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

51--श्री प्रागी लाल अहिरवार — जनपद झांसी के ब्लाक मऊरानीपुर के ग्रामों के लिंक रोडों को लोक निर्माण विभाग से पक्का कराये जाने के संबंध में।

52--श्री मुकुट बिहारी वर्मा — जनपद बहराइच में कैसरगंज स्थित सोतिया नाले पर बने टूटे पुल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

53--श्री नरेन्द्र सिसौदिया — जनपद गाजियाबाद की इण्टरमीडिएट की छात्राओं को कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत धन न मिलने के संबंध में तथा

54--श्री मस्त राम — जनपद उन्नाव के ग्राम रामपुर में स्थित पुलिस चौकी पर पुलिस की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं--

1--श्री लालजी वर्मा
2--श्री नवाब सिंह नागर
3--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
4--श्री अब्दुल मन्नान
5--श्री उदयराज यादव
6--डा0 शिवप्रताप यादव
7--श्री दुर्गा प्रसाद यादव
8--श्री आर0 एस0 कुशवाहा
9--मो0 इरशाद खां
10--श्री रामकरन आर्य
11--श्री राकेश सचान
12--श्री सतीश महाना
13--श्री रणवीर राणा
14--श्री दयाशंकर वर्मा
15--श्री सलिल विश्नोई
16--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा
17--डा0 विनोद तिवारी
18--श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)
19--डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा
20--श्री घूरा राम
21--श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
22--श्री राम इकबाल सिंह
23--श्री चन्द्रदेव यादव
24--श्री रमेश चन्द बिन्द
25--श्री लल्लू सिंह तथा
26--श्री कल्याण सिंह दोहरे

वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वविद्यालय मन्दिर तथा मस्जिद की सुरक्षा के नाम पर दर्शनार्थियों से अनुचित व्यवहार आदि के विरोध में जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक लाइन पढ़ दें, फिर उसे पढ़ा मान लिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

यह सही है कि मन्दिर/मस्जिद की सुरक्षा हेतु पहले से ही . . . .

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[05 स्थानों पर चैनल गेट लगे हुये हैं, जो क्रमशः छत्ताद्वार, नीलकंठ क्रासिंग, सरस्वती फाटक, शनिदेव एवं ढूढराज गणेश पर लगाये गये हैं। ज्ञातव्य है कि दिनांक 05-07-05 को श्री राम जन्म भूमि अयोध्या में तथा इसके पूर्व रघुनाथ मन्दिर एवं अक्षरधाम मन्दिर में हुई आतंकवादी हमले के कारण इस महत्वपूर्ण विवादित परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना वांछित है। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में आतंकवादी हमले की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। दिनांक 23-2-05 को दशाश्वमेध घाट पर हुये गैस सिलेण्डर विस्फोट एवं दिनांक 28-2-05 को ढेढसी पुलिया (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रवेश द्वार) पर बरामद उच्च स्तरीय विस्फोटक (ब्लैक आर0 डी0 एक्स0) इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि परिसर की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

इस दिशा में परिसर के बढ़ते हुये सुरक्षा परिदृश्य में सुरक्षा बढ़ाये जाने के लिये विभिन्न स्थानों पर नये चैनल गेट्स तथा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की नियुक्ति पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा उनके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि परिसर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है जिन्हें क्रमशः रेडजोन, एलो जोन व ग्रीन जोन के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त सभी वर्णित पांच चैनल गेट्स रेड जोन की परिधि में आते हैं। अतः सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की दिशा में येलो जोन से रेड जोन में प्रवेश पर नियंत्रण लगाया जाना अति अत्यावश्यक है।

जहां तक परिसर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तथा व्यवसायियों के प्रवेश पर रोक/उत्पीड़न लगाये जाने का प्रश्न है यह वास्तविकता से परे है। परिसर को बढ़ते हुये खतरे के परिप्रेक्ष्य में बिना किसी चेकिंग/फ्रिसकिंग के किसी का भी अन्दर प्रवेश करना सुरक्षा के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

क्षेत्र के नागरिकों एवं व्यवसायियों को भली-भांति अवगत करा दिया गया है कि उनके प्रवेश पर कोई रोक नहीं है परन्तु प्रवेश के लिये समुचित चेकिंग की व्यवस्था रखी गयी है। बढ़ी हुयी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मात्र छन्ग द्वार से प्रवेश अनुमन्य किया गया है।]

जनपद कन्नौज के एक तेली परिवार के तीन सदस्यों की मकान गिर जाने से मृत्यु हो जाने एवं मृतक के परिवार को सहायता राशि न दिये जाने के संबंध में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[जिलाधिकारी, कन्नौज से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 22/23 जुलाई, 2005 की रात्रि में जनपद के ग्राम परौर, थाना सौरिख में वर्षा के दौरान मकान गिरने के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों--श्री प्रभु दयाल पुत्र श्री राम स्वरूप उम्र लगभग 45 वर्ष, उसकी पत्नी श्रीमती माधुरी देवी उम्र लगभग 42 वर्ष एवं पिन्टू (पुत्री का पुत्र) उम्र 06 माह की मृत्यु मकान के मलबे में दबने के कारण हो गयी।

मृतकों--श्री प्रभु दयाल तथा श्रीमती माधुरी देवी की उत्तराधिकारी बालिग पुत्री राज किशोरी उर्फ नन्हीं को दैवी आपदा राहत निधि से रु0 50,000 प्रति मृतक की दर से रु0 1,00,000 की धनराशि अनुग्रह सहायता के रूप में दे दी गयी है। मृतक पिन्टू के उत्तराधिकारी श्री नन्दराम (मृतक के पिता) पुत्र प्रताप, निवासी नगला पातीराम, जनपद मैनपुरी को अनुग्रह सहायता की धनराशि रु0 50,000 दी गयी है। इसके अतिरिक्त गृह अनुदान के रूप में 6,000 तथा अहेतुक सहायता के रूप में रु0 1,000 की धनराशि भी दिनांक 25 जुलाई, 2005 को मृतकों के आश्रितों को वितरित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त मृतकों के आश्रितों को माननीय मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के निमित्त जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा अपने पत्र संख्या 1122/विविध लिपिक-05, दिनांक 26 जुलाई, 2005 के द्वारा मुख्य मंत्री सचिवालय को संस्तुति भेजी जा चुकी है।]

जनपद उन्नाव के श्री राम भजन की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने एवं मृतक के परिजनों को सहायता राशि न दिये जाने के संबंध में श्री रामशंकर पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, सफीपुर से कराई गयी। उनकी आख्यानुसार बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तकिया मजरा देवखरी में दिनांक 19/20 मार्च, 2005 की रात लगभग 02.00 बजे मकान की कच्ची दीवार ढहने से उसमें दब कर राम भजन पुत्र नन्हा व श्रीमती राम देवी पत्नी राम भजन की मौके पर मृत्यु हो गयी थी। घटना के समय हवा, आंधी, तूफान, वर्षा या अन्य कोई दैवी क्रिया नहीं हो रही थी, जिसके कारण यह प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत न होने के कारण मृतक के वारिसान को राहत नहीं प्रदान की गयी। किसान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने के कारण प्रकरण को एरिया हेड, आई0 सी0 आई0 सी0 आई0, लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्श कम्पनी लि0, सत्या बिजनेस पार्क 43/15 क, नवल किशोर मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ को रु0 1,00,000 की संस्तुति सहित दिनांक 13 अप्रैल, 2005 को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के राजकीय मूक एवं बधिर विद्यालयों के शिक्षकों को प्रदेश के अन्य राजकीय शिक्षकों की भांति सी0 टी0 ग्रेड को मृत संवर्ग घोषित करते हुये एल0 टी0 ग्रेड में संविलीन किये जाने के संबंध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्व0 प्रभार) का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय मूक बधिर विद्यालयों सहित विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी राजकीय विद्यालयों में सी0 टी0 ग्रेड संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित करते हुये एल0 टी0 ग्रेड में संविलीन किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है जिसके अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है।]

जनपद बरेली की तहसील आंवला में भारी ओलावृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के संबंध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[जिलाधिकारी, बरेली द्वारा ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति के संबंध में कृषि निवेश अनुदान हेतु धनावंटन के प्रस्ताव में जनपद की दो तहसीलों--बरेली तथा आंवला के क्रमश: 01 तथा 10 गांवों की कुल 1129.827 हे0 सिंचित तथा 277.321 हे0 असिंचित भूमि प्रभावित बताई गयी। इसके सापेक्ष रु0 31.01 लाख की मांग कृषि निवेश अनुदान के लिये की गयी। कृषि निवेश अनुदान हेतु निर्धारित मानक निम्नवत् है--

लघु एवं सीमान्त कृषकों को (कृषि औद्यानिक तथा वार्षिक फसलों हेतु)	असिंचित क्षेत्र के लिये रु0 1,000 प्रति हे0ए0 सिंचित क्षेत्र के लिये रु0 2,500 प्रति हे0ए0
अन्य कृषकों, जिनकी उक्त फसल पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई, को	रु0 1,000 प्रति हे0ए0 की दर से अधिकतम दो हे0ए0 तक प्रति कृषक की सीमा तक
बहुवर्षीय फसल के लिये	रु0 4,000 प्रति हे0ए0
रेशम कृषकों को	रु0 2,000 प्रति हे0ए0 मूंगा के लिये रु0 1,500 प्रति हे0ए0 ऐरी और मलबेरी के लिये

जनपद बरेली से ओला वृष्टि से प्रभावित कृषकों की कृषि निवेश अनुदान स्वीकृत करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त रु0 31,01,888 (रुपये इकत्तीस लाख एक हजार आठ सौ अट्ठासी मात्र) की धनराशि आवंटित की जा चुकी है और इसे दिनांक 31 अगस्त, 2005 तक वितरित कराने के आदेश भी प्रदान किये जा चुके हैं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के उप विद्यालय निरीक्षक एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षक के वेतनमान में विचाराधीन प्रकरण को निस्तारित किये जाने के संबंध में दिनांक 27-7-2005 को डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तगंत प्राथमिक विद्यालयों तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के संचालन हेतु निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित पद सृजित हैं--

1--प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

2--सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।

3--उप बेसिक शिक्षा अधिकारी।

शासन द्वारा शिक्षण संवर्ग के लिये केन्द्रीय वेतनमान निम्नवत् स्वीकृत किये गये--

1--सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय रु0 4,500--7,000।

2--प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/
सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल रु0 5,500--9,000।

3--प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल रु0 6500--10,500।

उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतनमान बढ़ाये जाने की मांग की गयी। शासन द्वारा विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण पर संस्तुति देने हेतु गठित वेतन समिति (1997--99) के माध्यम से संबंधित संवर्गों/विभागों के विषय में की गयी संस्तुतियों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। उक्त समिति द्वारा निरीक्षण संवर्ग के कर्मचारियों के संबंध में विचार किया जा रहा था। इस बीच उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ द्वारा वेतनमान बढ़ाये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 675/2002--उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दाखिल की गयी। उक्त रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 6-5-2002 को निस्तारित करते हुये आदेश दिया गया कि संघ की मांगों के अनुरूप प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को वेतनमान रु0 7,500--12,000 तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी को रु0 8000--13,500 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय।

शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 900/2003 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ एवं अन्य दाखिल की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13-1-2003 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध स्थगनादेश पारित किया। मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि

21-4-2003 को राज्य की ओर से अपर सालीसिटर जनरल द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया कि इस विषय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जा रहा है और समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

तत्क्रम में उक्त वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का वेतनमान यथावत् रु0 4500--7000 रखे जाने तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतनमान रु0 5500--9000 रखे जाने के निर्णय संबंधी शासनादेश संख्या 2607/15-2-03-27(54)/03, दिनांक 11-7-2003 जारी किया गया।

उक्त शासनादेश निर्गत होने के बाद उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या में प्रति शपथ-पत्र दाखिल करके उक्त शासनादेश को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10-11-2003 को प्रतिवादी के पदनाम में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।

उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि निरीक्षण संवर्ग के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन का मामला सम्प्रति मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अत: उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 900/2003 में मा0 उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय प्राप्त होने के बाद ही प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी के वेतनमानों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद सीतापुर के श्री राजेन्द्र सिंह की लाइसेंसी बन्दूक त्रिवेदी गन हाउस के कस्टडी से गायब होने एवं उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न किये जाने विषयक श्री राम हेत भारती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[उपर्युक्त विषय पर मा0 सदस्य विधान सभा श्री राम हेत भारती द्वारा दिनांक 26-7-2005 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया कि जनपद सीतापुर में शहर कोतवाली अन्तर्गत मेसर्स त्रिवेदी गन हाउस की सेफ कस्टडी में श्री राजेन्द्र सिंह, इमलिया, सुल्तानपुर द्वारा जमा की गयी लाइसेंसी दोनाली बन्दूक संख्या 58486 एवं लाइसेन्स उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री धर्मपाल सिंह द्वारा उन्हें स्वीकृत लाइसेन्स पर इस कारण रिलीज नहीं हुयी क्योंकि उक्त शस्त्र व्यवसायी द्वारा उक्त लाइसेन्स व शस्त्र गायब कर दिये गये जिसके उपरान्त अनुज्ञापी ने 04-02-2004 को प्राथमिकी दर्ज करने का प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु अभी तक प्राथमिकी दर्ज न करने व आग्नेयास्त्र वापस न किये जाने के कोफी भ्रम की स्थिति बनी हुयी है।

2--मामले में जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त कारणों से मेसर्स त्रिवेदी गन हाउस, म्युनिसिपल मार्केट, सीतापुर के प्रोपइटर श्री दयाशंकर त्रिवेदी, निवासी बट्सगंज, थाना कोतवाली के शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्स प्रपत्र 13 एवं 14 जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 18-9-2004 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा उक्त शस्त्र व्यवसायी के विरुद्ध

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुकदमा अपराध संख्या 1701/04 अन्तर्गत धारा 406, 420 भा0 द0 वि0 श्री के0 के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा पंजीकृत कराया गया। तत्पश्चात् रपट नम्बर 52 द्वारा दिनांक 08-10-04 को धारा 467, 468, 471 भा0 द0 वि0 एवं 25/30 आर्म्स ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। मामले में विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के उपरान्त सभी अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं जिनमें न्यायालय में विचारण हो रहा है। विवेचना के दौरान उक्त 12 बोर डीबीबीएल बन्दूक संख्या 58486 बरामद नहीं हो सकी है।]

जनपद लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के गुरुनानक वार्ड के विशेश्वर नगर, आलमबाग रोड पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में श्री रमेश चन्द विन्द द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से जनपद लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के गुरुनानक वार्ड के विशेश्वर नगर, आलमबाग लखनऊ के मकान नम्बर 554 8 के अध्यासी व अन्य लोगों द्वारा रोड पर किये गये अतिक्रमण हटाये जाने का बिन्दु उठाया गया है।

2--उक्त सूचना के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत रोड (गली) नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आती है। उक्त क्षेत्र विशेश्वर नगर निजी कालोनी है और इसके ले-आउट स्वीकृत करने का अधिकार विकास प्राधिकरण में निहित है। यू0 पी0 अरबन प्लानिंग एण्ड डेवेलपमेन्ट ऐक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत ले-आउट स्वीकृत न होने की दशा में समस्त कार्यवाही करने का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये उपलब्ध स्थान पर सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया है। प्रश्नगत कालोनी का विकास कार्य पूर्ण कर कालोनाइजर/प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं कराया गया है। चूंकि ले-आउट स्वीकृत नहीं है। अत: ले-आउट स्वीकृत न होने के कारण भवन संख्या 554/8 के अध्यासी व अन्य लोगों द्वारा रोड पर किस सीमा तक अतिक्रमण किया गया है, उसका चिन्हांकन किया जाना कठिन है। फिर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को दिये गये हैं।]

जनपद मेरठ में गंगा नदी के कटान को रोकने तथा हस्तिनापुर में मकदूपुरा गंगा पर पुल बनाने के संबंध में श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद मेरठ के हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी के कटान को रोकने की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी प्रकार मेरठ के हस्तिनापुर में मकदूपुरा गंगा पर जनपद बिजनौर में

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चांदपुर विधान सभा से सम्पर्क हेतु गंगा का पुल बनना आवश्यक है, प्राक्कलन तैयार है परन्तु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण कार्य नहीं हो रहा है। इस जनहित के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2--उक्त सूचना के विषय में अवगत कराना है कि हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित मुख्यत: जलालपुर, जौरा, भीकुण्ड, दूधली खादर, मकदूपुरा आदि ग्राम गंगा नदी के खादर में दायें किनारे पर वाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में गंगा नदी में 50,000 क्यूसेक से अधिक जल प्रवाह होने पर इस क्षेत्र में पानी फैलने लगता है जबकि गंगा में अधिकतम बाढ़ के समय जल प्रवाह 1,00,000 क्यूसेक तक होना अनुमानित है। गंगा नदी के फैलाव को रोकने हेतु समय-समय पर अध्ययन व सर्वेक्षण किये गये। दिनांक 22-5-2005 को इस क्षेत्र की बाढ़ की समस्या के निदान हेतु एक मुख्य अभियन्ता समिति का भी गठन किया गया। समिति ने स्थलीय निरीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि इस क्षेत्र में कोई भी बाढ़ सुरक्षा कार्य करना तकनीकी रूप से व्यवहारिक एवं साध्य नहीं है। इन ग्रामों को अन्यत्र सुरक्षित क्षेत्र में बसाना ही एकमात्र विकल्प है।

3--मकदूपुरा गंगा पार जनपद बिजनौर में चांदपुर विधान सभा से सम्पर्क हेतु गंगा के पुल के निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग से आख्या मांगी गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार प्रस्तावित स्थल से अप स्ट्रीम में 35 कि0मी0 दूरी पर 580 मी0 का मध्य गंगा बैराज सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 35 कि0मी0 की दूरी पर 700 मी0 लम्बाई का बृजघाट गढ़मुक्तेश्वर सेतु स्थित है। प्रस्तावित स्थल पर पक्के सेतु के निर्माण में लगभग रु0 35.00 करोड़ की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। अप एवं डाउन स्ट्रीम में विद्यमान पक्के सेतुओं तथा कार्य की वृहत् लागत के दृष्टिगत पुल के निर्माण का निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्माण निगम द्वारा भूमि सुधार निगम के सहयोग से बनी सड़कों को मरम्मत किये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्माण निगम द्वारा भूमि सुधार निगम के सहयोग से पक्की सड़कें बनायी गयी हैं, जो लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, प्रतापगढ़ द्वारा ग्रहण कर ली गयी हैं। सड़कें संचालन योग्य नहीं हैं, लेपन सतह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा ही बनाया गया मार्ग वारी कला शेखपुर अधारगंज, हरदोई सम्पर्क मार्ग, नेवादा, अस्थरा, पट्टी कस्बे से बंधवा सम्पर्क मार्ग, पट्टी से राजा बाजार सम्पर्क मार्ग, करैला से भैसोनी सम्पर्क मार्ग, वारी कलां-कंसा पट्टी-मंगरौरा-भिवनी सम्पर्क मार्ग, सैदाबाद ढिढ़ई-वारीकलां के स्वीकृत 3 कि0मी के अतिरिक्त मार्ग, कन्धई हनुमानगंज से कॉहडौर मार्ग, मंगरौरा से इटवा-कांपा दीवानगंज मार्ग, मंगरौरा से कन्धई मार्ग, सराय जमुआरी मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं जो संचालन योग्य नहीं रह गये हैं जिससे कई हजार लोगों का आवागमन प्रभावित है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2--इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में भूमि सुधार निगम से वित्त पोषित 14 मार्ग राजकीय निर्माण निगम द्वारा, जो कि माह 3/99 से 3/2001 के मध्य पूर्ण किये गये थे, का अधिग्रहण तत्समय मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लो0 नि0 वि0, इलाहाबाद के आदेशानुसार प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, प्रतापगढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्मित उक्त मार्गों के अधिग्रहण के समय सभी मार्गों की दशा सामान्यत: ठीक थी, परन्तु रख-रखाव के अभाव में कुछ मार्गों पर पैच हो गये हैं तथा ऊसरीली भूमि में निर्मित होने के कारण कुछ मार्गों के किनारे क्षतिग्रस्त हो गये हैं, वर्षा के कारण मार्गों पर पैच हो गये हैं एवं लेपित सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उपलब्ध सीमित संसाधनों से मरम्मत करा कर उक्त समस्त मार्गों पर यातायात चालू रखा जा रहा है। मा0 सदस्य द्वारा संदर्भित मार्गों से संबंधित विवरण निम्नवत् है--

क्र0 सं0	सूचना में उल्लिखित मार्ग का नाम	अभिलेख के अनुसार मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
1	2	3	4
1	वारी कला शेषपुर आधारगंज	शेषपुर वारीकला मार्ग	2.00
2	नेवादा अस्थरा पट्टी कस्बे के बंधवा संपर्क मार्ग	पट्टी बंधवा मार्ग	13.98
3	पट्टी से राजाबाजार संपर्क मार्ग	पट्टी राजाबाजार मार्ग	10.20
4	वारीकला कंसा पट्टी मंगरौरा भिवनी संपर्क मार्ग	भिवनी वारीकला मार्ग	2.30
5	सैफाबाद ढिढुई वारीकला	सैफाबाद ढिढुई वारीकला मार्ग	6.60
6	कन्धई हनुमानगंज से कोहडौर मार्ग	कोहडौर मधुपुर मार्ग	2.90
7	मगरौरा से कन्धई मार्ग	कन्धई मंगरौरा मार्ग	2.20
8	हरदोई संपर्क मार्ग	हरदोई संपर्क मार्ग	1.50
9	नेवादा अस्थरा पट्टी कस्बे से बंधवा संपर्क मार्ग	नेवादा आसपुर देवसरा संपर्क मार्ग। अस्थरा संपर्क मार्ग	2.00
10	करैला से भैसोनी संपर्क मार्ग	करैला भेसोनी संपर्क मार्ग	9.00
11	वारीकला कंसा पट्टी मंगरौरा भिवनी संपर्क मार्ग	वारीकला बरहा मार्ग	4.00
12	मंगरौरा से इटवा कांपा दिवानगंज मार्ग	दीवानगंज मंगरौरा मार्ग	8.87
13	सराय जमुआरी मार्ग	सराय जमी सिंह	2.00

3--वर्तमान में उक्त सभी मार्गों पर आवागमन चालू है तथा अभी तक उक्त वर्णित किसी भी मार्ग पर कोई दुर्घटना घटित होने एवं जन-धन की हानि का प्रकरण अभिलेखों अथवा प्रकाश में नहीं आया है।]

जनपद प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय सम योजना के अन्तर्गत चन्धईपुर संपर्क मार्ग के निर्माण में धांधली के संबंध में श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री हरि प्रताप सिंह मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय समायोजना के अन्तर्गत चन्धईपुर संपर्क मार्ग का निर्माण बिना विज्ञापन, बिना टेण्डर प्रक्रिया के प्रारम्भ कर भारी धांधली किये जाने का उल्लेख किया गया है।

इस प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया है कि चन्धईपुर संपर्क मार्ग के कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना समाचार पत्रों में टेंडर प्रकाशित कराये कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर टेंडर सूचना का प्रकाशन करके टेंडर की कार्यवाही को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रकाशन अपर्याप्त प्रतीत हो रहा है। इस मामले की विस्तृत जांच जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से कराकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

मुरादाबाद की वीनस शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[पेराई सत्र 2002-03 के एस0 ए0 पी0 व एस0 एम0 पी0 के अन्तर गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में निजी चीनी मिलों के प्रार्थना-पत्र पर मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 29-4-2005 को यह आदेश दिया कि चीनी मिलें समस्त बकाये के 25 प्रतिशत का भुगतान आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर तथा अवशेष 25 प्रतिशत का भुगतान उक्त तिथि से 6 माह के भीतर करेंगी। इस पेराई सत्र के एस0 ए0 पी0 तथा एस0 एम0 पी0 के अन्तर गन्ना मूल्य के मद में वीनस चीनी मिल पर कुल रु0 622.84 लाख बकाया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 3-8-2005 तक रु0 166.96 लाख का भुगतान कर दिया गया है तथा कुल रु0 455.88 लाख अभी भी वीनस चीनी मिल पर बकाया है। इस बकाये की वसूली हेतु चीनी मिल के विरुद्ध निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र पर मा0 न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी। चीनी मिल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, अत: चीनी मिल द्वारा एक माह के अन्दर निर्धारित भुगतान न किये जाने के कारण उसके विरुद्ध पूर्व में जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र को पुन:

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रभावी कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने पुन: दिनांक 19-7-2005 के आदेश द्वारा 25 प्रतिशत के भुगतान में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये वीनस चीनी मिल को अपना कारोबार दिनांक 29-4-2005 के आदेशों के अन्तर्गत चलाने की अनुमति दी है।

वीनस चीनी मिल पर पेराई सत्र 2003-04 का रु0 20.00 लाख गन्ना मूल्य का बकाया है। पेराई सत्र 2003-04 के बकाये गन्ना मूल्य के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 7-10-2004 को यह आदेश दिये गये कि बकायेदार चीनी मिलों द्वारा दिनांक 28-10-2004 तक गन्ना आयुक्त के समक्ष अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु समय-सारिणी प्रस्तुत की जायेगी। गन्ना आयुक्त ने मझावली चीनी मिल द्वारा प्रस्तुत समय-सारिणी पर विचारोपरान्त दिनांक 30-1-2005 तक समस्त गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी कि यदि चीनी मिल अवशेष देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं करती है, तो चीनी मिल के विरुद्ध पूर्व में जारी वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 23-8-2004 स्वत: प्रभावी हो जायेगा। चीनी मिल द्वारा समय-सारिणी का अनुपालन न किये जाने की दशा में उक्त वसूली प्रमाण-पत्र को प्रभावी रखते हुये दिनांक 9-2-2005 को जिलाधिकारी मुरादाबाद को पूर्व में जारी वसूली प्रमाण-पत्र को प्रभावी मानते हुये नियमानुसार वसूली हेतु निर्देश दिया गया।

चीनी मिल द्वारा गलत आंकड़े दिये जाने के संबंध में चीनी मिल के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21-4-2005 को दर्ज करायी गयी थी। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट पर वीनस शुगर मिल ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दायर कर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से दिनांक 28-4-2005 को यह आदेश प्राप्त किये कि यदि चीनी मिल द्वारा रु0 74.63 लाख का भुगतान 7 दिन के अन्दर कर दिया जाता है, तो गिरफ्तारी पर स्थगनादेश प्रभावी रहेगा एवं यदि चीनी मिल उक्त अवधि में यह धनराशि जमा नहीं करती है, तो गिरफ्तारी पर स्थगनादेश स्वत: समाप्त हो जायेगा। चीनी मिल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का भुगतान कर दिये जाने के कारण एफ0 आई0 आर0 पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी।

चीनी मिल पर पेराई सत्र 2004-05 में गन्ना किसानों को कुल रु0 3259.50 लाख देय था, जिसके सापेक्ष दिनांक 30-8-2005 तक चीनी मिल द्वारा 3048.60 लाख रु0 का भुगतान कर दिया है तथा अभी भी कुल 210.90 लाख रु0 अवशेष है।]

वर्ष 1981, 1991, 2001 की जनगणना के छंटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति/ समायोजन न किये जाने के संबंध में श्री रामनरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद आजमगढ़ के जनगणना कार्य हेतु नियुक्त किये गये कर्मचारियों को समायोजित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि जनगणना के छंटनीशुदा कर्मचारियों की

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियुक्ति/समायोजन की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी, आजमगढ़ से की जानी है। जिलाधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद आजमगढ़ में जनगणना विभाग द्वारा वर्ष 1991 की जनगणना कार्य हेतु कुल 402 कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी थी। जनपद आजमगढ़ में उक्त कर्मचारियों में से किसी का समायोजन शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत न आने के कारण नहीं किया गया है। उक्त कर्मचारियों में से 29 कर्मचारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दाखिल की गयी हैं, जिनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एक ही तरह के आदेश पारित किये गये हैं कि यचीगणों के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जाये। शासनादेश में इन कार्मिकों के समायोजन/नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। इसके आलोक में याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा किया जा चुका है।

2--वर्ष 1991 में जनगणना कार्य हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा वर्ष 1990 में गठित चयन समिति के माध्यम से 07 जनगणना लिपिकों की तैनाती वेतनमान रु0 950-1500 में अस्थायी रूप से की गयी थी, जिनकी सेवायें जनगणना कार्य समाप्त होने पर दिनांक 29-2-91 को स्वत: समाप्त हो गयी। इन 07 कर्मचारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गयी। रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 12-3-95 द्वारा इन 07 लोगों की नियुक्ति जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा की गयी थी। रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है।

3--उपर्युक्त से स्पष्ट है कि मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

4--यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 2129/तीन-2001-15(2)/91, दिनांक 20 अगस्त, 2001 में यह स्पष्ट कहा गया है कि अस्थायी रूप से जनगणना कार्य 2001 हेतु दिनांक 31-5-2001 तक के लिये सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत रहे कर्मचारी आमेलन नियमावली, 1991 के अधीन छंटनीशुदा कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 874/का-3-2003-3/18-98 लखनऊ, दिनांक 08 अप्रैल, 2003 द्वारा सरकारी सेवा आमेलन नियमावली, 1991 को भी विखण्डित किया जा चुका है। विखण्डन नियमावली, 2003 के पैरा 3(1) (एक) के अनुसार अब उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 के अधीन प्रोद्भूत आमेलन के लिये विचार किये जाने वाले किसी छंटनीशुदा कर्मचारियों का अधिकार, किन्तु जिनका उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक आमेलन न किया गया हो, ऐसे दिनांक से समाप्त हुआ समझा जायेगा।

5--अतएव उपरोक्त के प्रकाश में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 के अनुसार जनगणना कार्य के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में नियुक्ति/समायोजन के संदर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के दिमागी बुखार के कारण सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु तथा इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय विषयक दिनांक 27 जुलाई, 2005 को नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के संबंध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

इस मद को स्थगित कर दिया गया है, अगली बार ले लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्यमंत्री जी, मद संख्या 26 रह गयी थी, इसे पढ़ दें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 11 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

अध्याय--दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन्, 1980 में सामान्य संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "सचिव" जहां कहीं भी आया हो, जिसके अन्तर्गत परिभाषा भी है, के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "सात हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "और 01 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान शब्द और अंक "और 1 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" रख दिये जायें,

धारा 13 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"13--(1) प्रत्येक सदस्य, जब वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करता है और उसका टिकट प्रस्तुत करता है, तब उसे ऐसे टिकट की धनराशि का भुगतान प्रमुख सचिव द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना किसी भी समय उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिये विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस-पास का भी हकदार होगा :

परन्तु यह कि यदि उपधारा (3)में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।"

धारा 15 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 24 में,--

(क) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) परन्तुक में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1-क) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्--

"परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी सरकारी धन का बकाया हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अवधि का हो, तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जायेगी।"

अध्याय--तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11. सन् 1952 की धारा 4 का संशोधन

11--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम 1952 की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि खण्ड-2 से खण्ड-11 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सदन संचालन में सहयोग पर मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित दलीय नेताओं द्वारा आभार प्रदर्शन

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आभार व्यक्त करते हुये हर्ष हो रहा है कि थोड़े दिन का ही सदन था लेकिन नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सभी ने मिल करके सहयोग किया। और मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद थोड़ा बहुत रुकावट आती है और थोड़ा बहुत तनाव होना भी जरूरी है। गुस्सा भी एक मानव का आभूषण है लेकिन सदन की जो परम्परायें थीं और जो उच्च स्तर पर बहस ले जाना चाहते हैं, हमारी सब की इच्छा थी और इसको सबके सहयोग से पूरा किया और माननीय सदस्य बहुत दिनों के बाद बहस में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भी लिये। आज ऐसा था कि कानून व्यवस्था पर बहुत सारे माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्यायें रखना चाहते थे। समय कम था, लेकिन दिलचस्पी दिखाई और सरकारी कामकाज में सहयोग किया। लेकिन हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय नेता विरोधी दल आपका क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका माननीय नेता विरोधी दल को निभानी पड़ती है। और एक अच्छे वातावरण में सदन चला यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे सदन की। अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे उनके लिये हमारी शुभकामनायें हैं। पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। खेल की तरह से सभी पंचायत के चुनाव को लें पंचायत के चुनाव हो रहे हैं यह पार्टी या दल के आधार पर नहीं हो रहे हैं।

हम जानते हैं कि पंचायत के चुनाव कितने कठिन हैं। बेटा और बाप भी आमने-सामने कहीं-कहीं हो जाते हैं, भाई-भाई हो जाते हैं, परिवार भी अलग-अलग हो जाते हैं। इस तरह के चुनाव हैं। निर्विरोध कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत कम निर्विरोध प्रधान हुये हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि सभी मिल करके हिंसा को रोकेंगे, तनाव को रोकेंगे, एक अच्छे वातावरण में पंचायत का चुनाव अपने-अपने क्षेत्रों में करायेंगे और हमें सभी नेताओं से उम्मीद है कि अपनी-अपनी पर्टियों को, अध्यक्षों को भी निर्देश दे देंगे। हम इतना कह सकते हैं कि आज भी बहुत अच्छे वातावरण में सदन चला है। हम इसके लिये नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से जिम्मेदारी निभायेंगे माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याओं के उठाने की, समय भले ही कम था। हम तो सदन ज्यादा चाहते थे लेकिन पंचायत के चुनाव की वजह से जो बहस एक दिन की थी, तीन दिन की थी, दो दिन तक और होती रहे, हमें आपत्ति नहीं थी। अगला सत्र भी नवम्बर में बहुत

जल्दी बुला लेंगे कोशिश करेंगे प्रथम सप्ताह में हो जाये नहीं तो दूसरे सप्ताह में अवश्य बुलायेंगे। उसमें आप अपनी समस्यायें रखेंगे। कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा कार्य करने के दिवस हों। अभी तो नहीं कह सकते हैं। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय प्रमोद कुमार अच्छी तरह से सदन का वातावरण बनायेंगे। हमने वातावरण के बारे में अपने भाषण में कह दिया। इसके लिये हम अपने नेताओं को सदन को धन्यवाद देते हैं, अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय आपको सबसे ज्यादा। जिन परिस्थितियों में आप सदन को सम्भाल लेते हैं तनाव आपके सामने आते हैं, निर्णय लेने में आपको बड़ी कठिनाई होती है, उन परिस्थितियों में आप सफल साबित होते हैं। एक आदर्श जो होना चाहिये इस आसन पर, आप उसको बखूबी निभा रहे हैं। परम्पराओं को। इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से हम सभी जानते हैं कि यहां तो इनका हक है, कुछ भी कहेंगे आपसे, मांगेंगे आपसे, लेकिन आपने पूरे सदन के माननीय नेता, माननीय सदस्य आपमें आस्था रखते हैं, आपका आदर और सम्मान करते और जहां आसन पर बैठे हैं उसकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुये पूरा का पूरा सवाल उठाते हैं। कभी-कभी यहां ये भी आ जाते हैं। यह कोई बुरा नहीं है। हम भी कहा करते थे कि सवाल उठाना ही जिम्मेदारी नहीं है और यह सही है कि सवाल के साथ संघर्ष करना भी जरूरी है। तो संघर्ष का मतलब है कि कम से कम इसको बचाये रहें, अपनी कुर्सी से संघर्ष करते रहें। यह हम जरूर चाहेंगे कि सदन को रोका न जाये। अपने तरीके से रोक सकते हैं। नियमावली इतनी अगर पढ़ कर आयेंगे तो आपको इनकी बात सुनना पड़ेगी। अगर नियमों के तहत है तो वह सवालों को उठायेंगे, गंभीर सवालों को उठा भी सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा का जो सम्मान था पूरे हिन्दुस्तान में कभी-कभी संसद में भी अच्छी आपके यहां बहस होती थी, और अब उसी स्तर पर ले जाने का मेरा प्रयास है। सरकार को सबका सहयोग मिल रहा है और अगले सत्र में सब अध्ययन करके आयेंगे।

हम अपने सभी संबंधित सचिव, प्रमुख सचिव, मार्शल जितने भी सुरक्षा बल हैं इन सबको धन्यवाद देते हैं। आपको विशेष धन्यवाद देते हैं। नेताओं का पुन: आभार व्यक्त करते हैं। सभी को बहुत शुभकामनायें। सभी स्वस्थ रहें और सभी इसी मन से खुशी के साथ पुन: सदन में वापस आयें और इसी आशा के साथ हम सबको धन्यवाद देते हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, ऐसे अल्पकाल में जितना कार्य इस सदन में हुआ है वह आपकी कृपा से और नेता सदन और संसदीय कार्यमंत्री उनके सहयोग से यह हो सका है। सभी दल के नेताओं ने जो भाग लिया है बहस में, यह जैसी मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है उसका स्तर कुछ उठ रहा है और निश्चित रूप से मैं तो कभी ऐसी स्थिति में विश्वास नहीं रखता हूं कि यह बेल में आये लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जब अपना गुस्सा निकालने के लिये सदस्य यहां तक आ जाते हैं उसमें आपका कोई अपमान करने की बात नहीं है। जब आप कहते हैं तो चले जाते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी को तो यह अपेक्षा है उसमें मैं भागीदार नहीं बन सकता क्योंकि यह सभी का हक का सवाल है। लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले और अगर नहीं मिलता है अगर नहीं अपनी बात मनवा सकते हैं तो एक हो सकता है कि कुछ व्यवधान पैदा करें और आप मान लें। आपसे अपेक्षा है और आप

पुनरीक्षण नहीं किया।

करते भी हैं कुछ सदस्य जिनकी शिकायत है कि उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पक्षपात करते हैं लेकिन उनका भी ध्यान रखें कि नये पार्लियामेन्टेरियन डेवलेप हो। जो नई पौध है, उसको भी संसदीय कार्य का ज्ञान प्राप्त हो, हम 2--4 लोग ही सदन को चलाने की जिम्मेदारी न लें, यह सब भी अच्छे पार्लियामेन्टेरियन बन कर निकले, यह मैं चाहता हूं। मैं नेता सदन को बधाई देना चाहता हूं कि आज भी कई विषयों पर, जो सुझाव मैंने रखे, उसको उन्होंने स्वीकार किया। मान्यवर, आपको भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं इस बात की, कि सदन को आपने बड़े सुचारु रूप से चलाया। नेता बसपा, नेता कांग्रेस और जो सभी दलों के नेतागण हैं, उन्होंने सदन में बड़े शान्तिपूर्ण वातावरण में इस सदन को चलाया और आज अन्तिम दिन भी काफी तनाव होने के बाद भी अन्त में हम लोग आज बड़े खुले मन से जा रहे हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपको और सबको धन्यवाद देता हूं।

(श्री रामवीर उपाध्याय के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपकी कोई समस्या होगी तो मुझसे कह लीजियेगा।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, आज सत्र का अवसान हो रहा है। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुये जो कुछ भी कहा है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि मान्यवर, आपने बड़ी ही खूबी के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक सूत्र में पिरोकर समान समादर का भाव रखते हुये विधान सभा का संचालन करने का काम किया है। इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ समय-समय पर विधान सभा के उपाध्यक्ष जी एवं अधिष्ठाता मंडल ने भी आपका ही अनुसरण किया है, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, इस सदन के अन्दर ऐसे भी मौके आये जब नोक-झोंक की स्थिति बनी लेकिन वह नोक-झोंक भी मर्यादित तरीके से रही है। व्यक्तिगत नहीं रही है, प्रदेश की समस्याओं के प्रति रही है। दुर्भावना से नहीं रही है बल्कि सरकार को सचेत और सावधान करने की नीयत से रही है। हो सकता है कि विपक्षी दल होने कि नाते समय-समय पर हमारी कुछ बातों से सत्ता पक्ष को कुछ चोट पहुंची हो लेकिन मंशा सत्ता पक्ष को चोट पहुंचाने की नहीं रही। बल्कि प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने की रही है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिये विपक्षी पार्टी होने के नाते जो हमें अपनी भूमिका अदा करने की थी, वह हमने की। यहाँ तक कि ऐसी भी स्थितियाँ आई कि जब [x x x] लेकिन इसको भी हमने सादर इसलिये स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिये कुछ भी सुनना पड़ेगा तो उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। मान्यवर, ऐसी भी स्थितियाँ आई कि कभी-कभी प्रदेश की समस्याओं को मजबूती से रखने के नाते, नेता सदन ने न चाहते हुये भी [xxx] लेकिन हमने उसको इसलिए अन्यथा नहीं लिया क्योंकि सत्तापक्ष कुछ भी कहने का हकदार होता है और वह वरिष्ठ नेता हैं। वह हमारे नेता रहे है, हमने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं जो कुछ भी कहता हूँ, उसमें कहीं न कहीं उनकी भी कुछ छाप रहती है। चूँकि मेरी शुरुआत उनके साथ से ही हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार की धमकी का असर मुझ पर नहीं पड़ता, क्योंकि हम डरने वालों में नहीं हैं और हर चीज का जवाब देने के लिए अपने आपको सक्षम समझते हैं। विशेषरूप से हमने उसको भरपूर कोशिश के साथ निभाने का काम किया है और साथ ही साथ आज जिस तरीके से कानून-व्यवस्था की चर्चा के समय नेता सदन गम्भीर मुद्रा में दिखे अगर यही गम्भीरता पहले से होती तो नेता सदन के सामने आज सदन के अन्दर विवशता जाहिर करने की ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए नेता सदन केवल एक पार्टी के नेता नहीं हैं, आप पूरे सदन के नेता है, जिस प्रकार से अध्यक्ष किसी पार्टी विशेष के न होकर सम्पूर्ण सदन के होते हैं, उसी तरह से नेता सदन का संरक्षण भी सभी को मिलना चाहिए। यद्यपि उन्होंने आज इस परम्परा को निभाने का काम किया है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

(बैठे हुए) आज सूरज किधर से निकला है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी को, जो बहुत ही दरियादिलेर हैं और समय-समय पर क्षण भर में आग-बबूला होते हैं तो क्षण भर में ही मुस्करा करके सबको सम्मोहित कर लेते हैं। इस कला के लिए हम उन्हें भी बधाई देते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सभी दलीय नेताओं ने भी समय-समय पर सदन के संचालन में जो अपनी भूमिका निभाई है, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम विधान सभा के प्रमुख सचिव और सचिवालय के सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने दिशा-निर्देशों पर सुबह से शाम तक पक्ष-विपक्ष के द्वारा कहे गये एक-एक शब्द को लिपिबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त विधान मण्डल के सुरक्षाकर्मी भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुगमता और सुचारु रूप से विधान सभा की कार्यवाही के संचालन में अपनी भूमिका निभायी है। पत्रकार बन्धु, जिन पर आज नेता सदन कई बार गर्म हुए, जो कि नही होना चाहिए था, क्योंकि नेता सदन ही बार-बार कहते हैं कि लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ प्रेस यानि कि मीडिया है। उन्होंने अगर कही सही लिख भी दिया तो उन पर इस प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए। वह सदन के अन्दर की कार्यवाही को अपने लेखन के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। वह भी धन्यवाद के पात्र है। अन्त में सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मौर्या जी बहुत अच्छा बोले लेकिन मैंने सभी पत्रकारों को नहीं कहा। यह सच है कि कुछ पत्रकारों का धन्धा है लगातार लिखने की। वह हमारे बारे में लिखते-लिखते थक जायेंगे। एक पत्रकार ने 11 साल तक लगातार हमारे बारे में लिखा अन्त में वह थके और थकने के बाद हमारा आदर ही किया और अन्त समय तक हमारा साथ दिया। यह भी थक जायेंगे। ये प्रेस के लोग हमारे मित्र है, हमदर्द हैं, आज से नहीं 20-25 सालों से। इनका एक स्तर है। लाबी के अन्दर बैठे हुए हैं। कुछ ही लोग हैं जिनको प्रदेश की जनता का हित नहीं दिखायी देता। मुलायम सिंह से

नफरत जाने क्यों है ? मैंने यह कहा कि सदन गम्भीरता से चले, अखबारों और मीडिया के माध्यम से सदन नहीं चलता है यह मैंने यहाँ भी कहा और संसद में भी कहा। संसद में स्वीकार किया गया। जो चाहे लिख लें। यह जो आदत है कि उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए तैयार हो जाइये, विधान सभा भंग करेंगे। एक शब्द भी इसके बारे में नहीं निकला होगा। पंचायत के चुनाव में हिंसा न होने पाये शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन हो, ईमानदारी से लोग काम करें, मिलकर काम करें, संगठन को मजबूत बनाये, यह संदेश दिया है।

श्री लालजी टण्डन--

जब आप पत्रकार के बारे में कहते हैं तो पत्रकार दहल जाते हैं कि कहीं हल्ला न बुलवा दें।

*श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि जो यह सत्र था, मानसून सत्र कह सकते हैं, यह उसका अंतिम दिन है उसकी चरम परिणित एक सुखद वातावरण में हो रही है। इसका सारा श्रेय किसी को जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपको, नेता सदन, नेता विरोधी दल और सभी नेताओं और सदस्यों को जाता है जिन्होंने इस वातावरण को बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया, इसके लिए सम्पूर्ण सदन को बधाई देता हूँ। जब इस सदन की बैठक आहूत हुई थी तो बहुत से लोग जीप किराये पर लेने लगे थे। सदन की बैठक इसलिए आहूत की गयी है कि सम्भवत: सदन भंग होगा। जहां तक कानून मैं जानता हूँ, कुछ लोग ज्यादा जानते हैं कि सदन भंग करने के लिए सदन बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मान्यवर, अगर पढ़ा-लिखा आदमी नहीं समझना चाहे तो कोई इलाज नहीं हो सकता, टण्डन जी आप प्रयास करें तो भी नहीं कर सकते। आप सही-सलामत जा रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं, क्या-क्या ले करके जा रहे हैं यह कहना ठीक नहीं है। जो आशंकायें थी वह निर्मूल साबित हुई, इसके लिए नेता सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक नियम बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए कि विधान सभा या लोक सभा की जिन्दगी 5 वर्ष तक जरूर होगी उससे पूर्व भंग नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, जब सदन प्रारम्भ हुआ तो पहले दिन अयोध्या का जिक्र हुआ। अयोध्या का जिक्र हुआ तो आज हम जाएं तो यह उचित होगा कि जिन्होंने बलिदान किया और जिन्होंने अपने शौर्य से भारत की बरबादी को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इस सराहनीय कार्य करने के लिए, सबको सहयोग देना चाहिए उनके प्रति सम्मान और सदन को बधाई देनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि साढ़े तीन साल हो गये हैं। कुछ लोगों के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों को दु:ख हुआ कि काश आखिरी वाला ग्रेनेड फट जाता तो पार्लियामेंट में जो कमी रह गयी वह असेम्बली में निकल आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना टल गयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सदन में जब सप्लीमेंट्री आयी तो कुछ लोगों ने पढ़ा और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा। मान्यवर, मुझे अच्छा लगा, इसमें जो आश्वासन दिये गये थे उनका बजटरी प्राविजन कर दिया गया है। मैं माननीय शिवपाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बजटरी प्राविजन किये। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता । महीने, दो महीने बाद जब सदन बुलायेंगे तब तक बजटरी प्रोविजन कर देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि लोग आपको अच्छा कहें। आपने जो आश्वासन दिये हैं अगर वह पूरे नहीं होंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। आपने कुछ आश्वासन पूरे कर दिये हैं और बाकी पूरे करना चाहते हैं उसके लिये शुभकामनायें। मान्यवर, नियमावली में परिवर्तन हुआ है, अगर 2 महीने में हम 10 दिन के लिये मिलें तो यह एक बहुत अच्छी परम्परा होगी। माननीय मौर्या जी और माननीय टंडन जी बैठे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार सदन कितने दिन चला था। 5 दिन चला था और उसमें पौने 5 दिन हम लाबी में बैठे थे। उस समय कौन सदन चला रहे थे उनका जिक्र करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। हमने यहां पर बजट और अविश्वास का प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित होते हुये देखा है। मान्यवर, आज लोगों के पास मुद्दों की कमी हो गयी है क्योंकि सदन के दिन ज्यादा हो गये हैं, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिये। आपने अखबार वालों के लिये कुछ बातें कही है। यदि अखबार वाले न होते तो देश की आजादी को मिलने में 10-15 साल और लग गये होते।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अब वह बात नहीं रह गयी है। आदर्शों पर चलने वाले नहीं रह गये हैं। सारे विधायक परेशान हो गये कि विधान सभा भंग हो जायगी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अखबार वाले करे क्या ? जब कोई बात होती है तो कुछ लोग जिनको मैंने मुस्कुराते हुये नहीं देखा वह लोग अखबार वालों को कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं जिनको अखबार वाले लिख देते हैं। मान्यवर, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि एक बात बहुत अच्छी लगी, जब भी सरकार ने चाहा विपक्ष ने हमेशा कन्सीव कर लिया। क्षमा करेंगे मान्यवर, सावन का महीना है, कभी-कभी जबान फिसल जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

कंसीव करने की जगह पर कंसील कर दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार--

कभी-कभी जबान फिसल जाती है। मैंने गैर इरादतन कहा था लेकिन मैं अब जानबूझ कर कह रहा हूँ। जब मैं दोनों को मुस्कुराते हुये देखता हूँ तो मेरे मन में शंका होती है कि ऐसा नहीं हो कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन की संख्या न बढ़ जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मगर छिप-छिप कर देखना भी बुरी बात है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं तो सामने जो होता है उसको देखता हूँ, आंख भी तो नहीं बंद कर सकता। रामपुर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। अभी "इंडिया टुडे" मैगजीन का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ था कि किस तरह से बरसात के पानी को सुरक्षित किया जाय। उसी मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ था कि किस तरह से जो पानी बहकर चला जा रहा है उसको संचित किया जाय जिससे जल स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है उसमें सुधार हो। हैण्ड पम्प का पानी कैसे मिल सकता है ? मैं

विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इतना प्राविधान किया हुआ है मेहरबानी करके कुछ हैण्ड पम्प तो हमें दे दें जिससे कम से कम जनता को तो शुद्ध पानी मिल सके। यहाँ पर संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, नेता विरोधी दल बैठे हुए हैं हम सभी दलों के नेताओं की महीने दो महीने में बैठक बुला लें संसाधन कैसे जुटाए जाएं ? इस पर हम विचार कर लें। जनता को पीने का पानी मुहैया करा सकें इससे ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसमें मैं व्यंग के तौर पर नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन भारत सरकार से मदद मिल जाएगी तो मैचिंग ग्राण्ट सदन से हो सकती है और यह कार्य हो जायेगा। भारत सरकार में भी इस बात को कहिए पेयजल और पानी के निकास की व्यवस्था दोनों के लिए धन वहाँ से मिल सके।

श्री प्रमोद कुमार--

हम तो कहेंगे ही अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो निश्चित रूप से बात होगी। अगर इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल चलेगा तो हम सभी लोग चलने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के हित में किसी भी दल से परहेज नहीं होना चाहिए। जहाँ पर विकास की बात होगी वहाँ हम एक साथ हैं और जहाँ राजनीति होगी वहाँ पर हमारे रास्ते में फर्क हो सकता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा जो अधिक से अधिक हैण्ड पम्प आप देंगे वह हमारे लिए नहीं होगा वह प्रदेश की जनता के लिए होगा फैसला आपको करना है आप गरीब आदमी को शुद्ध पानी देना चाहते हैं या नहीं। एक बात यहाँ पर बड़ी आश्चर्यजनक रही नेता विरोधी दल ने 9 बार कोशिश की कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो जाय इसके आप गवाह हैं आपने भी उनका सहयोग किया तब नवीं बार में चर्चा पूरी हो सकी। जो चर्चा हुई है इसमें 9 का अंक महत्वपूर्ण है वरना चर्चा न हो पाती। मैं आपके प्रति भी आदर व्यक्त करना चाहता हूँ आपकी थोड़ी-थोड़ी 'न' अब 'हाँ' की ओर बढ़ने लगी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपकी 'न' अब केवल 'हाँ' में ही परिवर्तित हो जाय। अब केवल आप 'हाँ' ही करें। नेता विरोधी दल एक आदर्श विधायक एक आदर्श नेता हैं। उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह पुरानी पीढ़ी के आदर्श नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौर्या जी के बारे में कहना है कि एक बार मैं सुखदेव राजभर जी को अकेले में ले गया और उनसे कहा कि मौर्या जी के बारे में पता लगाएं कि आजकल इनके बालों का रंग काला क्यों होता जा रहा है क्योंकि मुझे तो इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बाद में बताया गया कि इनके बालों का रंग ही नहीं बदल गया है इनका चाल चलन भी बदल गया है। इसीलिए बालों का रंग काला होता जा रहा है। दीपक भी जब तेल कम बचता है तो इसी तरह से भभका मारता है यह उम्र का तकाजा है। यह उम्र की खतरनाक अवस्था है। नेता कम्युनिष्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी बोलते हैं तो एक एक शब्द सुनने लायक होता है वह अपनी पार्टी के विश्लेषणों से अलग नहीं हटते हैं। इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि संघर्ष में पूरी शक्ति के साथ लगे रहे। मैं इसी तरह से मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि इस बार उन्होंने काफी प्रयास करके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का, जो यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि जितनी देर आप यहां पर नहीं होते हैं, वैसे तो आप वहाँ से बहुत कम हटते हैं, फिर भी आपके वहाँ न रहने पर ये वहाँ पर बैठकर जिस तरह से सदन का संचालन करते हैं, वे योग्य व अनुभवी हैं, उनकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और मैं शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ कि जैसी परम्परा है कि उपाध्यक्ष

वहाँ और फिर वहाँ से यहाँ इधर आते हैं, उसी तरह से आप इस परम्परा का पालन करेंगे। (हँसी) मैं प्रमुख सचिव विधान सभा और उनके साथ सभी स्टाफ का जिन्होंने सदन के संचालन में अपने-अपने दायित्व का निर्वहन किया है, अपने व अपने दल की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्यों का भरपूर पालन किया है और उनके विभाग के अधिकारियों को भी जिन्होंने इस काम में सहयोग किया है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दो महीने के बाद यदि अवसर हो तो हम फिर बैठें और जो कुछ बातें रह गई हों उन पर विचार-विमर्श करें। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि पांच वर्ष के लिये हम चुने जाते हैं और लगभग साढ़े तीन साल से अधिक का समय बीत गया है चौथा साल चल रहा है और अगला वर्ष पाँचवा साल होगा। पांचवे वर्ष में चुनाव होते हैं। पाँचवें वर्ष में कभी चुनाव होंगे। योजनाएं जो आप हमको देंगे उनके लिये आप समय पर धन की भी व्यवस्था कर दें ताकि वे पूरी हो जायं। पहले फरवरी में पैसा मिलता था मार्च में प्लान जाता था इस तरह से अब समय से हो रहा है फिर भी हम चाहेंगे कि आप यह सुनिश्चित करा लें कि काम समय पर हो जाय। हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो लेकिन यह विकास कमिश्नरीवाइज न हो, जिलेवाइज न हो, पूर्वी और पश्चिमी वाइज न होकर समस्त प्रदेश का विकास हो। इतना अंत में जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरी बातें यदि किसी को कड़वी लगी हों, किसी को मेरी बातों से दुःख हुआ हो, पीड़ा हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं जानता हूँ कुछ लोग माफ कर देंगे लेकिन कुछ लोग माफ नहीं करेंगे क्योंकि उनको माफ करना नहीं आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने विषयक सदन के बाहर की गई घोषणा से विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी एवं छात्रों के आन्दोलित होने सम्बन्धी डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2005 को अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 20 जुलाई, 2005 के उपवेशन में नियम-300 के अन्तर्गत डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों के आन्दोलित होने" विषयक अभिसूचित औचित्य के प्रश्न पर मेरे द्वारा निर्णय दे दिया गया है। दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त औचित्य के प्रश्न की सूचना को मैं निरस्त करता हूँ। इस सूचना पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सदन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

[दिनांक 20 जुलाई, 2005 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल छः सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की भी थी। डा0 गौर ने अपनी सूचना में यह बिन्दु उठाया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने की मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र आन्दोलित हैं। उनका कहना था कि किसी नये विश्वविद्यालय या संस्थान का नाम स्व0 चन्द्रभानु गुप्त के नाम पर रखा जाय तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी परन्तु किसी स्थापित विश्वविद्यालय के नाम में

परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उक्त घोषणा सदन से बाहर की गयी है जबकि विधान सभा का सत्र आहूत किया जा चुका है। इस बिन्दु पर मैंने डा0 गौर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, मा0 कृषि मंत्री तथा अन्य मा0 सदस्यों को सुनने के पश्चात् अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। उक्त निर्णय मैं आज दे रहा हूँ।

"औचित्य का प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, के निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होना चाहिये और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिये जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" डा0 गौर द्वारा दी गयी औचित्य के प्रश्न की सूचना में ऐसा कोई बिन्दु अन्तर्निहित नहीं है जो उक्त नियम 300 की परिधि में आता हो। जहां तक डा0 गौर का यह कहना कि उक्त घोषणा मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन के चलते हुये सदन से बाहर की गयी है, इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि सदन के आह्वान की अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई, 2005 को जारी की जा चुकी थी और मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा दिनांक 14 जुलाई, 2005 को बतायी गयी है तथापि सदन का सत्र वास्तव में दिनांक 18 जुलाई, 2005 से प्रारम्भ हुआ है। ऐसी दशा में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा सत्र के चलते हुये नहीं की गयी है। सदन का आह्वान करना और सत्र चलना दोनों में अन्तर है। 'अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों का संकलन वर्ष 1990-95' के निर्णय सं0 650 (पृष्ठ-242) में यह निर्णय दिया गया है कि "सत्र का आहूत किया जाना तथा सत्र चालू रहना, दोनों में अन्तर होता है।" इसके अतिरिक्त प्रक्रिया नियमावली के नियम 3 (1) (ब) के अनुसार "सत्र" का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद 174 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम उपवेशन से उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी जिस घोषणा का उल्लेख डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की औचित्य के प्रश्न के सूचना में किया गया है वह सदन के सत्र के चलते रहने के दौरान नहीं की गयी है।

अत: मैं डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के औचित्य के प्रश्न की सूचना को निरस्त करता हूँ।]

सदन संचालन में सहयोग पर मुख्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष सहित दलीय नेताओं द्वारा आभार प्रदर्शन (क्रमागत)

*श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके बारे में जो कुछ कहा जाय वह कम है। आपने जो इस कुर्सी पर बैठकर करने का प्रयास किया है, उसके लिये मैं आपको साधुवाद देता हूँ और नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, मौर्या जी, प्रमोद जी मुझे इन तीन सालों में जो देखने को मिला है कि लोकतंत्र है कि नहीं। 1993 में मैं विधान सभा में आया था तो यह महसूस करता था कि लोकतत्र विधान सभा से समाप्त हो गया है कहीं हो या न हो। सवाल यह है कि मेरी बात कुछ कड़वी हो जाती है। जिन पार्टियों के, जिन दलों के नेताओं की लोकतंत्र में आस्था नहीं है उन्हें इस सदन से कुछ सीखना चाहिए। पार्टी के बड़े नेताओं को सीखाना चाहिए कि लोकतंत्र क्या चीज है और इसे अपने दलों में भी कायम करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के संचालन में सहयोग पर श्री अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सदन के संचालन में जो सहयोग आप सबने दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, सदन के संचालन में माननीय सदस्यों का भी योगदान रहा है। हमने भरसक प्रयास किया कि जो नये सदस्य चुनकर आए हैं उन्हें अधिक अवसर दिया जाए जिससे वह अपने क्षेत्र की बातों को प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास कर सके। इसमें माननीय सदस्यों का भी सहयोग मिला। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ सदन के संचालन में हमें नेता सदन का भी सहयोग मिला। कभी अगर ऐसी परिस्थिति हुई लगा कि मामला गम्भीर हो जाएगा तो माननीय नेता सदन ने सभी पक्षों की बातों को सुनकर विशेष रूप से समाधान किया। सदन को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दिया इसके लिए मैं नेता सदन का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष का भी मैं आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ऐसी कोई अव्यवस्था पैदा नहीं की जिससे सदन को चलाने में विशेष कठिनाई होती। माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनका अपने क्षेत्र के बारे में दायित्व होता है। 403 सदस्य है समयवधि कम रहती है वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को कहना चाहते हैं दूसरे सदस्य भी अपने क्षेत्र की समस्या रख सकें ऐसा प्रयास किया जाता है। समयाभाव में कभी ऐसा हम नहीं कर पाते हैं इसको गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं को कहने का दायित्व हर सदस्य का होता है। कभी-कभी वह आक्रोश में आ जाते हैं। मुंशी लाल गौतम जी बैनर लेकर आते हैं मैं इनसे कहता हूँ कि मेरे चैम्बर में बैनर लेकर आ जाओ दिखा दो जो सुविधा होगी हम जो हो सकेगा करेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ जो माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा नहीं ले सके उनको आगे आने वाले सदन में मौका मिलेगा। सदन के संचालन में विधान सभा के प्रमुख सचिव, मार्शल और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ इन्होंने सहयोग दिया। यह सही है कि मैं काफी समय तक यही रह जाता हूँ लेकिन कभी-कभी उपाध्यक्ष जी नहीं मिलते हैं तो इनको मुझे ढुढ़वाना होता है और उसके लिए मुझे कभी-कभी देर तक बैठना पड़ता है। मंत्रिपरिषद् के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ मंत्रिगण ने अच्छे ढंग से प्रश्नों के उत्तर रखे जिन्होंने विशेष मसले रखे हमने उनको नियम 49 में स्पष्ट कराकर संतुष्ट कराने का प्रयास किया। सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ यह सब जानते हैं कि सदन के संचालन में मुख्य रूप से सदन संसदीय कार्यमंत्री पर निर्भर रहता है। उन्होंने मंत्रिपरिषद् के दायित्वों का भी निर्वहन किया। जो मंत्री नहीं होते थे उनके प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने दिए। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में मंत्रिगण अपने दायित्वों का निर्वहन खुद करेंगे और संसदीय कार्य मंत्री पर भार नहीं बनेंगे। अगले सत्र में वह तैयार होकर आएंगे। सभी अधिकारियों के प्रति मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। इस सदन के बाद अब अगले सत्र में हम अच्छी भावना से मिल सकें। इसी के साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष--

अब राष्ट्र-गान।

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता ।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तब जय गाथा ।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

श्री अध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 05 बजे अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 8 अगस्त, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 31-32 पर)

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2004-2005 में क्षेत्र पंचायत स्तर पर पारित प्रस्तावों की वार्षिक कार्य योजना

क्षेत्र पंचायत दूबेपुर

कार्यदायी संस्था का नाम	क्रम सं0	प्रस्तावित कार्य का विवरण	माप/सं0 (किमी0)	कार्यों का कम्प्यूटर कोड नं0	स्वी0 लागत (लाख रु0 में)				रख-रखाव एजेन्सी का नाम	सम्भावित मानव दिवस
					नकद	खाद्यान्न (किग्रा0)	सामग्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	विकास खण्ड मुख्य द्वार से पी0एच0सी0 गेट तक सी0सी0 रोड व जल निकासी हेतु नाली निर्माण।	0.280		0.489	7415	4.38	5.24		1483
	2	राम खेलावान के घर से (वीरूपुर) राने के तालाब तक नाली निर्माण।	0.500		0.24	3570	2.10	2.51		714
	3	बन्धुवा कला में खान ढाबे के सामने अनु0 जाति बस्ती जाने वाले नहर पर पुलिया निर्माण।	1 अदद		0.33	5000	1.40	2.00		1000
	4	त्रिलोकपुर कचनावां माइनर पर सावित्री मन्दिर के पास पुलिया निर्माण।	1 अदद		0.16	2500	0.70	1.0		500
	5	कचनावां नाले पर जाबिर एडवोकेट के नलकूप से अनु0 जाति के बस्ती जाने वाले मार्ग पर मिट्टी व पुलिया कार्य।	0.200		0.30	4655	0.70	1.23		931
	6	देहली पक्की सड़क से प्रधान के घर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.500		0.29	4460	.1.56	2.07		892.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	बैजापुर सड़क मार्ग से बुद्धिराम अनु0 जाति के घर तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	0.250		1.46	5090	0.18	1.83		1018
	8	इलाहाबाद रोड से झालापुर तक सोलिंग कार्य।	0.400		0.12	1820	1.17	1.38		364
	9	सुल्तानपुर-रायबरेली मार्ग पर बंशराज सिंह के घर के पास के नूरपुर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.150		0.168	1185	0.65	0.886		237
	10	चकरपुर अनु0 जाति बस्ती से जनऊपुर अनु0 जाति बस्ती तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		892
	11	लोलेपुर में प्रधान के घर से जाने वाले खड़न्जा से सलीम के भट्ठे तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.500		0.29	4460	1.56	20.07		892
	12	तिवारी(फत्तेपुर) से बनकटवा (हसनपुर) तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	1.00		0.60	9050	0.35	1.40		1810
	13	लोलेपुर सलीम हायर सेकेण्ड्री स्कूल से बाईपास तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	0.650		0.907	13750	0.58	2.17		2750
	14	बरसाती नाला (अकारीपुर) छरौली तालाब से दिखोली होते हुए पयागीपुर देहात तक नाला सफाई कार्य।	4.00		1.58	2395	0.02	2.80		4793
	15	भाई-भादर मार्ग से शिव शक्ति सिंह स्कूल तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.100		0.17	1080	0.50	0.72		216
	16	रामपुर पक्की सड़क के पास से राम सुन्दर प्रजापति के घर से आगे तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	1.00		0.60	9050	0.36	1.40		1810
	17	इमिलिया रोड से सेमरघाट तक के शेष भाग पर मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.100		0.17	1080	0.50	0.72		216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	भाई-भादर से दूबेपुर धोबी बस्ती तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.400		0.14	2085	1.34	1.58		892
	19	बनकेपुर ग्राम से कब्रिस्तान तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	0.900 मी0		0.58	8920	0.54	1.50		1800
	20	पूरे नकछेद पुरवा में तालाब निर्माण।	80x70 मी0		1.28	19480	0.488	2.74		3896
	21	ग्राम डिहवा दूबेपुर में तालाब खुदाई।	80x70 मी0		1.28	19480	0.488	2.74		3896
	22	दादूपुर प्रा0 पाठशाला के बगल तालाब निर्माण।	40x30 मी0		0.28	4310	0.020	0.52		862
	23	राम गोपाल दूबे व प्रेमलता के चक के बीच स्थित सेक्टर रोड से शेष भाग के राजेन्द्र प्रसाद दूबे के घर पूर्वी आबादी तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.150		0.168	1185	0.65	0.886		237
	24	हरिहर ईशापुर में तालाब खुदाई।	80x70 मी0		1.28	19480	0.488	2.74		3896
	25	त्रिलोकपुर में कचनावां ड्रेन के शेष भाग की खुदाई।	2.00		0.85	12931	0.020	1.52		2586
	26	झालापुर अहिमाने में तालाब खुदाई।	40x30 मी0		0.28	4310	0.020	0.52		862
	27	महर्षि विद्या मन्दिर झालापुर खड़न्जे से अहिमाने तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	1.500		0.85	12930	0.50	1.700		2586
	28	रानीगंज अनु0 जाति बस्ती से गभड़िया नाला तक शेष भाग पर जल निकासी हेतु नाली/निर्माण।	100 मी0		0.17	2500	0.70	1.00		500
	29	गौराबारिक में अच्छन मुल्ला के घर से पियारे खाँ के घर तक शेष भाग पर नाली निर्माण।	100 मी0		0.17	2500	0.70	1.0		500
	30	बनकेपुर में सड़क के किनारे अवशेष नाली निर्माण।	300 मी0		0.51	7500	2.1	3.0		1500
	31	दादूपुर में सड़क के किनारे अवशेष नाली निर्माण।	100 मी0		0.17	2500	0.70	1.0		500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	32	रंजीत बी0डी0सी0 के घर से दिखौली फार्म मार्ग तक शेष भाग पर मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	1.400		0.94	12445	4.54	6.19		2849
	33	दौलत पिकौरा में तालाब निर्माण।	40x30 मी0		0.28	4310	0.020	0.52		862
	34	इमलिया खुर्द से कुमार बी0डी0सी0 के घर तक के मार्ग पर अवशेष भाग पर मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.400		0.14	2085	1.34	1.58		417
	35	रामापुर में बचऊयादव के चक से सोनवर्षा अनु0 जाति बस्ती तक अवशेष भाग पर मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.500		0.29	4460	1.56	2.07		892
	36	हसनपुर-महराजगंज रोड से ढाहा फिरोजपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.300		0.44	6650	1.53	2.30		1330
	37	पलहीपुर गाटा सं0 585 तालाब की खुदाई।	40x30 मी0		0.28	4310	0.020	0.52		862
	38	वि0ख0 परिसर में प्रमुख कक्ष, शौचालय व चारदीवारी मरम्मत कार्य।	1.000		0.82	11665	2.60	4.00		2333
	39	मामपुर से पीपरपुर ड्रेन के पास भेंदुआ सड़क तक मिट्टी व पुलिया निर्माण।	0.600		0.45	6875	0.30	1.09		1375
	40	त्रिलोकपुर में रायबरेली रोड से रामचन्द्र विश्वकर्मा के सामने के घर से राम चरित्र के खेत तक मिट्टी व पुलिया निर्माण।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		892
	41	भुलकी अनु0 जाति बस्ती तालाब से गांव के बाहर तालाब तक पक्की नाली व पुलिया निर्माण।	0.300		0.51	7500	2.1	3.00		1500
	42	सोनबरसा में एस0जी0 19 नलकूप पर नाली मरम्मत।	1.00		0.25	3750	1.15	1.60		750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	पुलिया पक्की सड़क से दत्ता का पुरवा में अच्छेलाल के घर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.200		0.15	2300	0.75	1.02		460
	44	अम्बेडकर ग्राम तमेहड़ी पक्की सड़क से राम दुलार अनु0 जाति के घर तक मिट्टी व पुलिया निर्माण।	0.600		0.32	4825	0.30	0.86		965
	45	सोमनाभार से ब्लाक दुबेपुर बार्डर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.700		0.42	6330	2.27	3.04		1266
	46	पलहीपुर पक्की सड़क से नई बस्ती तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.500		0.32	4780	1.66	2.21		956
	47	बिसानी इलाहाबाद मार्ग से राम खेलावन के घर तक मिट्टी व पुलिया निर्माण।	0.700		0.50	7540	0.30	1.17		1508
	48	लोदीपुर अहिमाने मार्ग से नोहरी पुरवा तक मिट्टी व पुलिया निर्माण।	0.300		0.22	3275	0.15	0.53		655
	49	उघरपुर से दौलत सिंह के चक के पास से दरगाही अनु0 जाति के मकान से सूर्य नरायन के मकान होते हुए कुंवर बहादुर सिंह के ट्यूबवेल तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.300		0.20	2980	1.06	1.40		596
	50	लौहर दक्षिण के पास से रसूलपुर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.500		0.32	4780	1.66	2.21		956
	51	इलाहाबाद मार्ग जोगबीर (गोसाई का पूरवा) तक मिट्टी व पुलिया निर्माण।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52	ईमलिया मार्ग से फेल एस0जी0 34 नलकूप की सर्विस रोड से होते हुए ढखवा शिव मंदिर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.600		0.42	6480	1.74	2.48		1296
	53	महानपुर मुरारी अनु0 जाति के घर से आगे बस्ती तक खड़न्जा मरम्मत व जल निकास नाली।	0.300		0.51	7500	2.1	3.0		1500
	54	पैगापुर शुक्ल का पुरवा से मोहब्बत की दुकान तक मिट्टी व पुलिया कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.02		852
	55	घसीटू का पुरवा अनु0 जाति से NH-56 तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.700		0.42	6330	2.27	3.04		1266
	56	लाखीपुर मेनरोड से कृष्णा मिश्रा के घर के पास से सोना तारा तालाब तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.200		0.15	2300	0.75	1.02		460
	57	महराज पक्की सड़क से रामपुर से गोविन्दापुर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.250		0.44	6650	1.53	2.30		1330
	58	धम्मौर-कुड़वार रोड से रमैयापुर अवशेष भाग पर मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.400		0.15	2070	1.35	1.60		414
	59	रामपुर पक्की सड़क के पास खड़न्जे से राम सुन्दर प्रजापति के घर से आगे अवशेष भाग पर मिट्टी व पुलिया निर्माण।	0.150		0.10	1515	0.18	0.36		303
	60	देहली पक्की सड़क से प्रधान के घर से होकर नहर तक शेष भाग पर मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.200		0.07	1035	0.65	0.80		207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	61	कचनावां नाले से जाकिर एडवोकेट के ट्यबवेल से आगे अनु0 जाति वस्ती तक शेष भाग पर मिट्टी व पुलिया कार्य।	0.150		0.097	1465	0.18	0.35		293
	62	भाई-भादर मार्ग पर दुबेपुर की शेष नाली पर निर्माण कार्य।	0.100		0.17	2500	0.70	1.0		500
	63	हसनपुर में इमामगंज हरीराम गुप्ता के घर से हनुमानगढ़ी तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.700		0.42	6330	2.27	3.04		1266
	64	पिकौरा प्राथमिक पाठशाला से नहर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.600		0.42	6480	1.74	2.48		1296
	65	रायबरेली मार्ग से बनकेपुर में तौफीक के घर तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.150		0.168	1185	0.65	0.886		237
	66	भाई-भादर रोड दिखौली पुलिया से मुसेपुर तक नाला खुदाई/सफाई कार्य।	2.00कि0मी0		0.79	1197	0.02	1.40		2396
	67	इमलियाकलां पक्की सड़क से इमलिया खुर्द प्राथमिक पाठशाला के आगे तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.800		0.55	8359	1.85	3.82		1671
	68	हसनपुर से ढाहा फिरोजपुर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.550		0.29	4460	1.56	2.07		892
	69	कचनावां पक्की सड़क से राम चन्द्र पाण्डेय के घर से जगदीश तिवारी के घर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.300		0.21	3240	0.87	1.24		648
	70	इलाहावाद रोड से विश्वामित्र शिक्षण संस्थान तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.350		0.21	3240	0.87	2.24		648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71	बांसी से फिरोजपुर कलां मार्ग पर मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.500		0.32	4780	1.66	2.21		956
	72	लौहर दक्षिण में बहादुरपुर से जिल्कवत तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		892
	73	राष्ट्रीय राजमार्ग 56 से भुवापुर मार्ग तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण एवं पूर्व निर्मित 400 मी0 खड़न्जा मरम्मत।	0.400		0.32	4780	1.66	2.21		956
	74	ग्राम पंचायत भाई कुतुबपुर खड़न्जा से झगरू यादव के घर तक मिट्टी, व पुलिया कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		852
	75	पक्की सड़क से रामनाथ यादव के घर से आरडीह तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.300		0.246	3740	0.30	0.75		748
	76	प्यारे पट्टी में रईस बी0डी0सी0 के घर से हरिजन बस्ती तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया कार्य।	0.600		0.431	6665	0.60	2.30		1333
	77	सादीपुर में लम्ही तालाब निर्माण।	60x40 मी0		0.44	6637		1.27		1327
	78	इलाहाबाद मार्ग से पूरे काशीराम तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.300		0.21	3240	0.87	1.24		648
	79	पखरौली मार्ग पर परऊपुर शिव प्रसाद यादव के घर के पास तक नाली पक्की कार्य।	0.100		0.08	1250	0.85	1.00		250
	80	रायबरेली मार्ग से पार्क के बगल होते हुये लखनऊ रोड तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.200		0.07	1042	0.67	0.79		208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	81	फिरोजपुर कलां से बांसी उत्तरदहा सरहद तक जल निकासी हेतु नाले की खुदाई।	2.0		0.79	11895	0.05	1.40		2379
	82	रामपुर से बहेलिया तक सड़क मार्ग पर मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.500		0.29	4460	1.56	2.07		892
	83	उतुरी में देव नारायण मौर्य के घर से खीरा की बाग होते हुए अनु0 जाति बस्ती तक मिट्टी, व पुलिया कार्य।	0.500		0.318	4825	0.30	0.86		965
	84	उगईपुर में राम आसरे के खेत से अनु0 जाति बस्ती तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.300		0.21	3240	0.87	1.24		648
	85	दूबेपुर बाईपास मार्ग से डिहवा माता प्रजापति के घर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.200		0.15	2300	0.75	2.02		460
	86	रायबरेली मार्ग से जयराम बी0डी0सी0 के घर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.500		0.29	4460	1.56	2.07		892
	87	लोलेपुर विनोवापुरी कन्हैया लाल के घर से ज्ञान प्रकाश के घर तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.100		0.17	280	0.50	0.72		216
	88	भुलकी-परखौली मार्ग से अनीस बी0डी0सी0 के घर से आगे तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.300		0.15	2300	0.75	1.02		460
	89	महैयतापुर से दिखौली तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.400		0.14	2085	1.34	1.58		417
	90	टिकरिया-जगतारा तालाब की खुदाई गाटा सं0 646, 648	80x60 मी0		1.28	19480	0.488	2.74		3896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91	अनु0 जाति बस्ती में ओरी के घर से दमगडिया चौहारे तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.600		0.42	6480	1.74	2.48		1296
	92	सहाबागंज हरखी दौलतपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य।	1.00		0.27	4165	1.00	1.50		833
	93	तमेहड़ी सरहद से ग्राम पंचायत गौराबारिक पयागीपुर अनु0 जाति बस्ती होकर गभड़िया नाला कच्चा, सफाई व खुदाई।	1.00		0.60	9050	0.35	1.40		1810
	94	पखरौली रोड से नियाज के दरवाजे तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.700		0.50	7540	0.30	1.17		1508
	95	करौंदिया निषाद बस्ती से पक्की सड़क के पास गड़न्जा तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.464		0.29	4460	1.36	1.89		892
	96	महानपुर कोल्ड स्टोरेज से रेलवे लाइन तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.30	4245	0.18	0.70		905
	97	बीवीगंज से शुक्ल पुरवा तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	1.00		0.60	9050	0.35	1.40		1810
	98	घासीपुर पक्की सड़क से बब्बन दूबे के घर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.200		0.15	2300	0.75	2.02		460
	99	लौहर पश्चिम में नहर के पास से केदार के घर के पास तक नाली निर्माण।	0.150		0.8	1250	0.85	1.00		250
	100	नस्सरगंज गौराबारिक मे नाली निर्माण कार्य।	0.200		0.34	5000	1.40	2.00		1000
	101	मोहल्ला अलीगंज अमहट में नाली निर्माण कार्य।	0.200		0.34	5000	1.40	2.00		1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	102	करमपुर परवरभार पक्की सड़क से श्यामलाल यादव के घर से अनु0 जाति बस्ती श्री राम के घर तक मिट्टी, पुलिया व निर्माण कार्य।	0.400		0.30	4525	0.175	0.70		905
	103	प्राथमिक पाठशाला नकराही से सिरवारा रोड मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.300		0.22	3275	0.15	0.53		655
	104	रायबरेली रोड शिव कुमार सिंह के घर तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.700		0.50	7540	0.30	1.17		1508
	105	धरमैतेपुर से सोमनाभार नाले की खुदाई।	2.00		0.66	10000	0.02	1.18		2000
	106	करमपुर परवरभार तालाब से नहर तक जल निकासी हेतु कच्चा नाला खुदाई।	0.300		0.28	4310		0.50		862
	107	हसनपुर में बंधुवा रेलवे स्टेशन से गभड़िया नाले तक जल निकास हेतु कच्चा नाला खुदाई।	2.00		8.85	12930		1.50		2586
	108	लोदीपुर पक्की सड़क से जितेन्द्र सिंह के घर तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.200		0.151	2300	0.75	1.02		460
	109	ग्राम दखवा में मनीराम शुक्ल के मकान से दिवाकर पाण्डेय के मकान तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.500		0.29	4460	1.56	2.07		892
	110	ग्राम पलिया में तालाब खुदाई।	60x70 मी0		0.853	12930		1.50		2586
	111	बहादुरपुर अमीर बेग के घर से अफलेपुर तक मिट्टी, व पुलिया कार्य।	0.200		0.148	2250	0.30	0.50		450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112	अनु0 जाति बस्ती अंकारीपुर से डिहवा तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण।	0.800		0.600	9050	0.35	1.40		1810
	113	तिवारी पुरवा से नहर तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.800		0.60	9050	0.35	1.40		1810
	114	गौहानी से बहरौली शेष भाग पर मिट्टी कार्य।	0.700		0.318	4825		0.86		965
	115	ओहरा बी0डी0सी0 के घर के पास नाले पर पुलिया निर्माण कार्य।	2.00		0.17	2585	0.70	1.00		517
	116	नूरपुर मामपुर अनु0 जाति बस्ती से दीवान तारा मार्ग पर शेष सोलिंग कार्य।	0.500		0.27	4125	1.50	1.90		825
	117	सगरा में बन्धुवा-धम्मौर रोड से गयादीन के घर होकर नहर तक मिट्टी, पुलिया कार्य।	1.00		0.90	13570	0.54	2.10		2715
	118	बाईपास से लोलेपुर तक सोलिंग कार्य।	0.600		0.63	9615	2.55	3.06		1923
	119	बाई पास पक्की सड़क से ओदरा तक मिट्टी, सोलिंग कार्य।	0.420		0.12	1820	1.17	1.50		364
	120	उ0मा0 विद्यालय गोडवा से लोखडिया पार तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	1.00		0.66	1000	0.30	1.20		2000
	121	अनु0 जाति बस्ती तमेहड़ी में नरवा मुसेपुर के बीच नाले पर पुलिया निर्माण कार्य।	1 अदद		0.17	2500	1.20	1.50		500
	122	सावित्री देवी विद्या मन्दिर से कचनावां नाले तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	0.400		0.22	3515	0.18	0.60		703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	123	NH-56 से गढ़ऊपुर तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		852
	124	घासीपुर से वलीपुर तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		852
	125	महराजगंज सादीपुर से अनु0 जाति बस्ती तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	0.300		0.19	3015	0.18	0.50		603
	126	कटकौली वार्डर से दूबे का पुरवा गोमती मास्टर के घर तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	0.200		0.19	3015	0.18	0.50		603
	127	ग्राम धसौली जदीपुर पक्की सड़क से अनु0 जाति बस्ती मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.400		0.22	3515	0.18	0.60		703
	128	रमाकान्त बी0डी0सी0 के घर से राधेश्याम यादव के घर के पास तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	0.300		0.19	3015	0.18	0.50		603
	129	महर्षि विद्या मन्दिर लौहर दक्षिण से नहर तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	0.300		0.19	3015	0.18	0.50		603
	130	पूरे नकछेद में जल निकास हेतु नाली निर्माण कार्य, खड़न्जा मरम्मत एवं पुलिया।	0.300		0.28	4310	1.00	1.50		862
	131	नलकूप 9 एस0एस0जी0 की नाली मरम्मत एवं निर्माण।	0.500		0.08	1250	0.85	1.00		250
	132	बहरौली रघ्घू के घर से उत्तर जीत बहादुर के घर तक मिट्टी, पुलिया निर्माण कार्य।	0.300		0.19	3015	0.18	0.50		603
	133	पलिया विकना पक्की सड़क से डड्डियवा तक मिट्टी, व पुलिया निर्माण कार्य।	0.400		0.22	6030	0.36	1.00		1206
	134	गन्ना सम्वर्धन केन्द्र के पास दूबेपुर पुलिया निर्माण कार्य।	0.200		0.19	3015	0.18	0.50		603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	135	पूरे मितई (अमहट) में जल निकास हेतु नाली का निर्माण कार्य।	0.150		0.08	1250	0.85	1.00		250
	136	लखनपुर से अलहदादपुर तक मिट्टी व पुलिया निर्माण कार्य एवं सोलिंग	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		252
	137	इमिलिया खुर्द से बुड़रिया तक मिट्टी व पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.64	9825	0.36	1.50		1965
	138	उदयराज के नलकूप से राम खेलावन कश्यप के घर तक मिट्टी व पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		852
	139	पीथापुर से भाई तक मिट्टी व पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		852
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	140	बैजापुर पिच से वैद्य के नलकूप गोसाई का पुरवा तक मिट्टी व पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.29	4460	0.18	0.72		852
	141	चकरपुर में ा खुदाई	3.00		0.85	12930		1.50		1586
	142	छीतन का पुरवा से आगे बाग से अवधेश कुमार यादव (राजन) दलापुत तक मिट्टी व पुलिया निर्माण कार्य।	0.400		0.29	4460	0.18	0.72		852
	143	शुकुल का पुरवा से पलिया पक्की सड़क तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.56	8620	2.50	3.50		1724
	144	लोदीपुर मेन रोड से कारिया का पुरवा होते हुये लोदीपुर हरिजन बस्ती तक मिट्टी, सोलिंग व पुलिया निर्माण कार्य।	0.500		0.56	8620	2.50	3.50		1724
		योग :			45.15	748527	115.85	161.00		295687

मात्राकृत 22.5% से अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु वार्षिक कार्य वर्ष 2004-2005 क्षेत्र पंचायत दूबेपुर

कार्यदायी संस्था का नाम	क्रम सं0	प्रस्तावित कार्य का विवरण	माप/सं0 (किमी0)	कार्यों का कम्प्यूटर कोड नं0	स्वी0 लागत (लाख रु0 में)				रख-रखाव एजेन्सी का नाम	सम्भावित मानव दिवस
					नकद	खाद्यान्न (किग्रा0)	सामग्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ग्राम जैतापुर में राम अंजोर सुत देशी अनु0 जाति के तालाब की खुदाई।	0.20x0.70 मी0		0.46	6895 Kg		0.80		1379
	2	ग्राम बहरौली में राम गरीब अनु0 जाति के तालाब की खुदाई।	0.60x0.80 मी0		1.4225	21550 Kg		2.50		4310
	3	पलहीपुर में राम लौट, काशीराम, पताऊ, गंगराम, गंगा प्रसाद, राम नारायन, चैतूराम, सभी अनु0 जाति के खेत का समतलीकरण एवं मेड़ बन्दी।			2.160	10344 Kg		3.80		6551
	4	बैजापुर में जयराम, ओम प्रकाश, राम खेलावन, हीरा लाल, राम जियावन, जगरानी, दयाराम, करारा बेवा छोटू, गंगादीन के खेत का समतलीकरण एवं मेड़ बन्दी।			0.967	32758 Kg		1.70		2931
	5	उतुरी में शुद्ध व छविनाथ अनु0 जाति के खेत का समतलीकरण एवं मेड़ बन्दी।			0.228	3445 Kg	0.02	0.40		689
	6	लोलेपुर में फेरे, सुमेरे, राजाराम अनु0 जाति के खेत का समतलीकरण व मेड़ बन्दी।			0.57	8620 Kg	0.02	1.00		689

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	लोहर दक्षिण रामदास अनु0 जाति के खेत का समतलीकरण व मेड़ बन्दी।	0.67x0.67 मी0		0.28	9310 Kg	0.02	0.50		862
	8	दिखौली में राम आधार, तुलसी अनु0 जाति के ट्यूबवेल की नाली निर्माण।	0.500		0.362	5480 Kg	3.084	3.72		1096
	9	दिखौली में राम पाल अनु0 जाति के खेत का समतलीकरण व मेड़ बन्दी।	0.43x0.30 मी0		0.15	2325 Kg	0.02	0.27		465
	10	अहिमाने में छेदीराम सुत सुखराम अनु0 जाति के ट्यूबवेल की नाली निर्माण।	0.200		0.15	2193 Kg	1.28	1.48		438
	11	कतकौली में खुदीराम सुत राम समुझ के गाटा सं0 460 पर तालाब खुदाई।	0.40x0.50 मी0		0.385	6030 Kg		0.70		1206
	12	हरिहर ईसापुर में नोहर के ट्यूबवेल की पक्की नाली निर्माण।	0.200		0.15	2193 Kg	1.28	1.48		438
	13	बाँसी बैजनाथ अनु0 जाति के ट्यूबवेल का पक्की नाली निर्माण।	0.200		0.15	2193 Kg	1.28	1.48		438
	14	पूरे घसीटू अमहद में हीराला, सन्तराम, राम नेवाल के ट्यूबवेल की पक्की नाली निर्माण।	0.400		0.289	4385 Kg	2.45	2.96		877
	15	उघड़पुर में महँगू सुत चैतू अनु0 जाति के ट्यूबवेल की नाली निर्माण।	0.200		0.15	2193 Kg	1.28	1.48		438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	त्रिलोकपुर में गुनई के ट्यूबवेल की नाली निर्माण।	0.200		0.15	2193 Kg	1.28	1.48	क्षेत्र पंचायत दुबेपुर	438
	17	बहादुरपुर लौहर दक्षिण में रामदास के ट्यूबवेल की नाली निर्माण।	0.200		0.15	2193 Kg	1.28	1.48		438
	18	राम आसरे सुत श्रीराम अनु0 जाति अंकारीपुर के नलकूप की नाली निर्माण।	0.300		0.22	3289 Kg	1.87	2.72		657
	19	500 अनु0 जाति के चयनित लाभार्थियों को स्थायी चूल्हा स्थापित कराया जाना।	500		0.10	--	0.98	1.08		--
	20	अनु0 जाति के चयनित लाभार्थियों को बायोगैस स्थापना।	10		--	--	0.60	0.60		172
		योग :			8.493	1,27589	1144	31.70		

उक्त कार्य योजना का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत की बैठक में कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत विधान सभा

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना धारा-I के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 में क्षेत्र पंचायत स्तर पर पारित प्रस्तावों की वार्षिक कार्य योजना

क्षेत्र पंचायत--कुड़वार

कार्यदायी संस्था का नाम	क्रमांक	प्रस्तावित कार्य का विवरण	माप/सं0 (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (लाख रु0 में)				रख-रखाव हेतु एजेन्सी का नाम	सम्भावित मानव दिवस	कार्यों का कम्प्यूटर कोड नं0
				नकद	खाद्यान्न (किग्रा0)	सामग्री	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	1	सोहगौरली माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	3.80	0.12	1825	0.00	0.21	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	365	
	2	मिठनेपुर माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	4.00	0.22	3320	0.00	0.39		664	
	3	बेला माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	1.90	0.11	1650	0.00	0.19		330	
	4	कोटा माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	3.60	0.12	1755	0.00	0.20		351	
	5	अजियाउरदेवी माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	2.50	0.13	1980	0.00	0.23		396	
	6	दाउदपुर माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	2.50	0.01	120	0.00	0.01		24	
	7	भांटी माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	25.00	0.08	1285	0.00	0.15		257	
	8	नरोत्तमपुर से चकरूदी होते हुए पूरे रिखी तक मि0पु0	2.50	1.21	18355	0.48	2.13		3671	
	9	उंचगांव मुड़ियापुर रोड से पूरे सोमवंशी से पूरे शीतल दूबे तक मिट्टी पुलिया	2.00	0.98	14820	0.48	1.72		2964	
	10	अलीगंज सब्जी मंडी से रेलवे स्टेशन तक मि0 पुलिया	1.00	0.48	7240	0.32	0.84		1448	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	नन्हे यादव पूरे दरियाव से उदयराम तक मि0 कार्य	1.00	0.48	7240	0.32	0.84		1448	
	12	चित्ता का पुरवा से रोड से नहर से खाता होते हुए डोमनपुर में औरंगाबाद माइनर तक मि0 पु0	1.50	0.73	11030	0.32	1.28		2206	
	13	बहमरपुर में हरखीपुर से पंडित का पुरवा होते हुए चित्ता का पुरवा रोड तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	0.84		1448	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	14	एन0 एच0 56 से झारखण्ड से पूरे वैश्य होते हुए पूरे पाण्डेय तक मि0पु0	1.50	0.73	11030	0.32	1.28	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	2206	
	15	गणेशगंज मार्ग से पाण्डेय चौराहा होते हुए पूरे भिखी तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	16	रामपुर पीच रोड से धारूपुर तक मि0पु0	2.00	0.98	14820	0.48	2.20		2964	
	17	चांदपुर से भुखलापुर तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	18	बहुबरा रोड से पूरे जगरूप होते हुए अगई मुड़वा रोड तक मि0पु0	1.50	0.73	11030	0.32	1.60		2206	
	19	माधवपुर आचार्य में बद्री दूबे के दुकान से शिवदयाल के घर होते हुए आद्या पंडित के घर तक मि0पु0	1.00	0.56	8430	0.32	1.30		1686	
	20	पूरे गजाधर से धारूपुर का अवशेष भाग पर मि0पु0	1.50	0.86	13020	0.32	1.83		2604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	परसरामपुर से चन्द्रकला तक मि0 कार्य	1.50	0.86	13006	32	1.83		2600	
	22	सुरेश के भट्ठा से डड़वा होते हुए डड़वा नाला पुल तक मि0 पुलिया कार्य	1.50	0.86	1300	.32	1.83		2600	
	23	मझना रोड से बुनियाद सिंह के पुरवे तक मि0 पुलिया	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	24	नौगवा तीर से पूरे बहाई से नदी तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	25	शिवनाथगंज से पीच रोड से रानीतारा होते हुए सरैया तक मि0 कार्य	2.00	0.98	14820	0.48	2.20	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	2964	
	26	गंजेहड़ी काली मंदिर से कुड़वार-सुल्तानपुर रोड होते हुए सुभाऊ नहर तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	27	अगई में कमला प्रसाद गुप्ता के राइस मिल से जयराम गुप्ता के घर तक मि0 पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	28	रवनिया पश्चिम श्यामबहादुर सिंह के चक्की से दयालापार तक मि0 पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	29	कोटा मार्ग से कुड़ेरवा तक मि0 पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	30	डोमनपुर में बारिकदेवन से हरखीपुर नहर पुल तक	1.50	0.73	11030	0.16	1.44		2206	
	31	अलीगंज कुड़वार रोड से ग्रांट कुड़वार दहलापार कल्लन के घर तक मि0सो0	0.15	0.06	950	0.52	0.63		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	32	हुल्ला के पुरवा पुल से सरकौड़ा पुल तक मि0 कार्य	0.50	0.22	3350	0.16	0.55		670	
	33	बहलोलपुर जू0 हा0 स्कूल से हरिजन बस्ती तक मि0 पुलिया	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	34	लंगड़ी से बाबा दुर्गादास की कुटी तक मि0 पुलिया कार्य	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	35	सरकौड़ा पूरे मियां होते हुए सूजीपुर तक मार्ग का अवशेष भाग पर सोलिंग कार्य	1.20	0.36	5450	3.65	4.28		1090	
	36	ऊंचगांव मार्ग से पूरे बुनियाद होते हुए पूरे मोहकम सिंह तक सोलिग कार्य	0.70	0.21	3185	2.12	2.33		637	
	37	रंकेडीह से पूरे विसेन तक मि0 सोलिंग	0.60	0.29	4400	1.80	2.31		880	
	38	कुड़वार अलीगंज रोड से लाला का पूरा तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	39	राजापुर बेला रोड से पूरे पंडित में मस्तराम मिश्रा के घर तक मिट्टी कार्य	0.50	0.23	3440	0.16	0.56		688	
	40	प्रतापपुर में बाबा किशुनदास की तालाब की खुदाई	1.00	0.46	6900	0.00	0.80		1380	
	41	ग्राम पंचायत सड़ाव में कामातारा तालाब की खुदाई	1.00	0.46	6900	0.00	0.80		1380	

क्षेत्र पंचायत कुड़वार

क्षेत्र पंचायत कुड़वार

प्रति परीक्षार्थ हेतु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42	बी0 पी0 इण्टर कालेज के पास गोमती नदी तक नाला खुदाई	2.00	0.50	7500	0.00	0.87		1500	
	43	बसंतपुर तिवारीपुर में बेलवा ड्रेन की सफाई का कार्य	2.00	0.23	3450	0.00	0.40		690	
	44	सेंदुरी तालाब से मंझना होते हुए नन्दौर नाला सफाई	2.00	0.23	3450	0.00	0.40		690	
	45	मसेतवा ड्रेन की सफाई	4.50	0.55	8360	0.00	0.97		1672	
	46	टिकरिया ड्रेन की सफाई	3.00	0.34	5175	0.00	0.60		1035	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	47	बेला पश्चिम में रामप्रसाद कश्यप की दुकान में म0मि0 केन्द्र तक रामकरन सिंह के घर होते हुए रामकेवल सोनी के घर तक मि0पु0सो0	0.70	0.29	4410	2.62	3.13	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	882	
	48	लखनऊ रोड से पूरे अहबल में पब्लिक स्कूल तक मि0पु0 सोलिंग कार्य	0.30	0.26	3960	1.15	1.61		792	
	49	एन0 एच0 56 से पूरे गजाधर में रामसेवक यादव के घर तक सोलिंग कार्य	0.30	0.13	1900	0.92	1.14		380	
	50	मिठनेपुर में विजय सिंह के घर से पी0डब्ल्यू0डी0 रोड तक सोलिंग कार्य	1.00	0.23	3555	3.04	3.45		711	
	51	प्रतापपुर में आबादी में पीच रोड से कमलेश सिंह के घर तक सोलिंग कार्य	0.10	0.14	2075	0.66	0.90		415	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	52	नौगवांतीर सम्पर्क मार्ग खरगिन तक मार्ग का अवशेष कार्य सोलिंग कार्य	0.50	0.18	2670	1.52	1.83	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	534	
	53	कुड़वार-अलीगंज मार्ग बहमरपुर में जमा की चक्की से लच्छूडीह मार्ग का अवशेष भाग सोलिंग कार्य	1.00	0.40	6030	3.06	3.76		1206	
	54	ब्रहमजीतपुर में मस्जिद तक नाली निर्माण	0.30	0.10	1545	0.72	0.90		309	
	55	राजापुर कोटा रोड से रामअछैयवर तिवारी के घर से हरिजन बस्ती तक नाली निर्माण	1.00	0.34	5170	2.40	3.00		1034	
	56	बी0 पी0 इण्टर कालेज एवं पिच रोड से कच्चा नाला तक नाली निर्माण	0.20	0.10	1565	0.92	1.10		313	
	57	बेला पश्चिम में दयाराम यादव के घर से पवन यादव के घर तक नाली एवं सोलिंग	0.10	0.05	685	0.43	0.51		437	
	58	मिठनेपुर में पूरे मल्लाहन के पास नाला पर पुलिया नि0	1.00	0.12	1890	0.60	0.82		378	
	59	बसंतपुर तिवारीपुर में रामदेवगिरि के घर से अगई बसंतपुर तिवारीपुर रोड तक मि0पु0सो0	1.00	0.60	9075	3.20	4.25		1815	
	60	हरखपुर में चितईपुर नहर की पटरी होते हुए बखतपुर में अनंतराम यादव के घर तक मि0सो0	1.50	0.86	13100	4.56	6.08		2620	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	61	दाउदपुर प्रा0 पा0 लंगड़ी तक मि0 सोलिंग	0.50	0.26	3960	1.52	1.98		792	
	62	सड़ाव में ओमप्रकाश भूज के घर के पूरब मुख्य मार्ग से नौगवां तीर रोड पर मि0पु0सो0	1.00	0.52	7875	3.04	3.95		1575	
	63	नेवानी से मठाराम पुल यादव के घर तक मि0पु0	2.00	0.98	14820	0.48	2.20		2964	
	64	सखाराम की बाग से पूरे जूराम तिवारी मार्ग तक सो0	1.00	0.41	6200	0.00	0.72		1240	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	65	इसरौली से प्राइमरी पाठशाला से प्रतापपुर तक मि0पु0	1.50	0.73	11030	0.32	1.60	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	2206	
	66	मनियारपुर रोड से मेंहदी के घर से मस्जिद तक मि0पु0सो0	0.30	0.12	1820	1.69	1.90		364	
	67	नौगवां रायतासी से हनुमान मंदिर सुरजीपुर तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	68	देवलपुर नहर की पटरी होतु हुए सोनई भगत के घर तक मि0सो0	0.50	0.12	1820	1.03	1.24		364	
	69	कुड़वार-अलीगंज रोड से पूरे तिलक तिवारी से ग्रांट कुड़वार तक मि0पु0	0.80	0.36	5500	0.16	0.80		1100	
	70	देवलपुर में ह0 बस्ती से श्याम भट्ट के घर तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71	कुड़वार नौगवातीर रोड से लोनीखार शिवमूरत पाण्डे के घर तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	72	रामभारत तिवारी के घर से सरैया होते हुए जोगिया सधारीपुर तक मि0 पुलिया कार्य	1.50	0.73	11030	0.32	1.60		2206	
	73	उतमानपुर भगवानपुर मोड़ से कामापुर होते हुए जूराम तिवारी का पुरवा तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	74	परसीपुर से कमालपुर तक मिट्टी पुलिया कार्य	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	75	रंकेडीह पंडित के पुरवा से हनुमान मंदिर तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	1448	
	76	कुड़वार अलीगंज रोड से मझली में जिला पंचायत रोड तक मिट्टी पुलिया सोलिंग कार्य	0.50	0.26	3960	1.52	1.98		792	
	77	मंझना अलीगंज धम्मौर रोड से शेरबहादुर सिंह के घर होते हुए सोलिंग रोड तक मि0पु0सो0	1.00	0.52	7875	3.04	3.95		1575	
	78	हाजीपट्टी में रामपुर प्रा0 पा0 से दहल के पुरवा तक मिट्टी पुलिया सोलिंग कार्य	1.00	0.59	8875	3.20	4.23		1775	
	79	माधवपुर आचार्य में बद्री दूबे की दुकान से शिव दयाल के घर होते हुए आद्या पंडित के घर तक सोलिंग	1.00	0.26	3905	3.04	3.49		781	
	80	अलीगंज रोड से पूरे भुखल पाण्डे तक सोलिंग	1.00	0.35	5275	3.04	3.65		1055	

भारत निर्वाचन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	81	बहमरपुर में देवनारायन मिश्र के घर से शिवपति के घर तक मि0सो0	0.50	0.34	5120	1.52	2.11		1024	
	82	रवनिया पश्चिम में साधन सहकारी समिति से लाल सिंह के घर से होते हुए ओमप्रकाश सिंह के घर तक सोलिंग	0.50	0.35	5255	1.52	2.13		1051	
	83	अलीगंज चन्दौकी रोड से पूरे भोज तिवारी के घर तक सोलिंग कार्य	1.00	0.35	5280	3.04	3.65		1056	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	84	खोखीपुर भारत विद्यापीठ से हकूवा में ओमप्रकाश तिवारी के घर तक	1.00	0.31	4760	3.04	3.59	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	952	
	85	दाउदपुर से भीखीपुर तक सोलिंग कार्य	0.50	0.14	2140	1.53	1.78		428	
	86	ब्रहमजीतपुर में रोड से मस्जिद तक सोलिंग कार्य	0.30	0.13	1900	0.92	1.14		380	
	87	कुड़वार बाजार में बिसातिन टोला से ओरीलाल तक सो0	0.30	0.13	1900	0.92	1.14		380	
	88	कुड़वार शिव मंदिर से बी0आर0सी0 होते हुए नौगवांतीर रोड तक नाली निर्माण	0.30	0.10	1545	072	0.90		309	
	89	भगवानपुर में पुलिया निर्माण	1.00	0.02	340	0.16	0.20		68	
	90	राजापुर में कोटा माइनर पर पुलिया	1.00	0.09	1400	0.80	0.96		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91	कुड़वार में डा0 रामराज यादव के घर तक नाली निर्माण	0.30	0.10	1545	0.72	0.90		309	
	92	अलीगंज धम्मौर रोड से विशम्भर सोनी की नाली निर्माण	0.20	0.07	1030	0.48	0.60		206	
	93	सरकौड़ा-कुरवार अलीगंज रोड से मंगापुर से स्लोरिकपुर तक मि0पु0	1.00	0.48	7240	0.32	1.16		1448	
	94	कमवां मिरसहिया रोड से हनुमानगंज मंदिर तक मि0पु0	0.50	0.22	3355	0.16	0.55		671	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	95	शाहपुर मरकंडेडीह में दुर्गापूजा स्थल से कचनावां रोड तक मि0पु0	0.50	0.22	3355	0.16	0.55	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	671	
	96	जू0 हा0 स्कूल ऊँचगांव से रुसहाडीह तक मि0से0	0.30	0.13	1900	0.92	1.05		380	
	97	कुड़वार-नौगवांतीर रोड पर भूज का इनारा से कृषि फार्म तक मि0पु0	0.50	0.23	3450	0.00	0.40		690	
	98	भट्ठा रोड से रामअभिलाष तिवारी के घर मि0 पुलिया	0.50	0.23	3450	0.00	0.40		690	
	99	देवलपुर प्रा0 पा0 से बटउवा तक मि0 कार्य	7.00	0.19	2850	0.00	0.33		570	
	100	डी0 पी0 इण्टर कालेज के पास टाड़ा का पुरवा तक मि0 कार्य	0.50	0.29	4350	0.16	0.66		870	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	101	नरही में उपाध्याय के पुरवा तक मि0 कार्य	0.50	0.19	2850	0.00	0.33		570	
	102	रेवती गांव से माइनर तक मि0पु0	0.80	0.32	4825	0.16	0.72		965	
	103	खौपुर से भाटी तक मि0 पुलिया	1.50	0.73	11030	0.30	1.58		2206	
	104	बेला पश्चिम में तालाब की खुदाई	1.00	0.26	3950	0.00	0.46		790	
	105	परसीपुर में कपिल पाठक के घर से तालाब तक नाला	0.10	0.03	515	0.24	0.30		103	
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	106	न्यू पब्लिक शिक्षा निकेतन कुड़वार में बाउन्ड्री वाल का निर्माण	0.20	0.09	1375	0.64	0.80	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	275	
	107	बेला पश्चिम में प्रा0 पा0 प्रथम में बाउन्ड्री वाल निर्माण	0.20	0.09	1375	0.64	0.80		275	
	108	जूडूपुर प्राइमरी पाठशाला का बाउन्ड्री वाल का निर्माण	0.20	0.09	1375	0.64	0.80		275	
	109	कुड़वार में जू0 हा0 स्कूल की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	0.50	0.28	4310	1.70	2.20		862	
	110	कुड़वार-सुल्तानपुर रोड से बरियारशाह इंटर कालेज तक सोलिंग कार्य	0.30	0.12	1820	1.03	1.24		364	
	111	कुड़वार अलीगंज रोड से नेमा के पुरवा तक सोलिंग	0.30	0.13	1900	0.92	1.14		380	

प्रतिलिपि विधानसभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्षेत्र पंचायत कुड़वार	112	ग्रांट कुड़वार रोड से नरेन्द्र तिवारी के घर तक सोलिंग	0.10	0.07	1000	0.46	0.58	क्षेत्र पंचायत कुड़वार	200	
	113	गोपालपुर रजबहा से सांई की कुटी तक सो0	0.20	0.10	1460	0.61	0.78		292	
	114	सरकौड़ा रवि तिवारी के खेत से डाकखाना होते हुए मस्जिद तक मि0सो0	0.50	0.18	2670	1.52	1.83		534	
		योग..		41.21	624400	93.28	162.90		124880	

ह0 (अस्पष्ट),
अवर अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
वि0खं0 कुड़वार, सुल्तानपुर।

ह0 (अस्पष्ट),
खण्ड विकास अधिकारी,
वि0खं0 कुड़वार, सुल्तानपुर।

ह0 (अस्पष्ट),
प्रमुख,
क्षेत्र पंचायत कुड़वार,
सुल्तानपुर।

पी0एस0यू0पी0--187 विधान सभा--31-10-05--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा